राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक १] तृतीय विधान सभा के चतुर्थ सत्र, १९६३ का १०वां दिवस [संख्या ८

बुधवार, दिनांक २८ अगस्त, १९६३

विधान सभा की बैठक म. प. २ बज कर ३२ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[गृह, स्वायत्त शासन, चिकित्सा, सार्वजनिक निर्माण, यातायात, वित्त, विद्युत, आबकारी एवं कर—विभाग]

राजस्थान नॉन-गजटेड पुलिस कर्मचारी संघ का मांग-पत्र

---

२३७ श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या सरकार को राजस्थान नॉन-गजटेड पुलिस कर्मचारी संघ की ओर से कोई मांग-पत्र प्राप्त हुआ है ? अगर हां, तो कब ?

(२) क्या सरकार ने इस मांग-पत्र पर कोई निर्णय लिया है ? अगर हां, तो क्या ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(३) क्या सरकार ने इस संघ को अपनी मान्यता प्रदान की है ? अगर हां, तो कब ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप-मंत्री, गृह (श्री भीमसिंह) : (१) जी हां, तारीख १०-२-५७ को सेक्रेट्री पुलिस कर्मचारी संघ द्वारा एक मेमोरण्डम प्रस्तुत किया गया था।

(२) जी हां, राजस्थान पुलिस कर्मचारी संघ को मान्यता देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(३) संघको मान्यता प्रदान अभी तक नहीं की है, यह प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उनके मांग पत्र पर आपने क्या निर्णय लिया ? उनकी मान्यता के बारे में विचाराधीन हो सकता है।

श्री भीमसिंह : वह भी विचाराधीन है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सन ५७ में आपको वह मिला और अब सन् ६३ है तो कितने वर्षों तक आप उस पर विचार करना चाहते हैं ?

श्री भीमसिंह : सरकार को विचाराधीन था, उसके बाद सरकारने नामन्जूर किया और वे हाई कोर्ट में गये और हाई कोर्ट का जजमेंट हुआ, उसके बाद विचाराधीन है।

श्री रामकिशन(बैर): मांगों के बारे में थोड़े ही हाई कोर्ट में गये थे। वे तो मान्यता के बारे में गये थे।

गृह मंत्री(श्री मथुरादास माथुर): मांगों में कई मन्जूर करली गयी हैं। एक-दो मांगें है जिन पर विचार हो रहा है।

श्री रामकिशन : वे कौन कौन सी मांगें हैं जो कि मन्जूर कर ली गई हैं और कौन कौन सी ऐसी मांगें हैं जिनको मन्जूर नहीं किया गया है ?

श्री मथुरादास माथुर : जैसा कि उनके एलाउन्स को बढ़ा दिया है। आर० ए० सी० की मांग थी कि उनको जोइनिंग टाइम मिलना चाहिये, इस प्रकार की कई मांगें थी उनको करीब करीब सभी को राज्य सरकार ने मन्जूर कर लिया है इन ५-६ वर्षों में और एक दो मांगे हैं वे विचाराधीन है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या उनकी मंहगाई बढ़ाने की भी मांग थी ?

श्री मथुरादास माथुर : जी नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जब हाई कोर्ट ने जजमेंट दे दिया कि वे आर्गेनाइज होकर संगठित होने का उनको अधिकार है तो फिर राज्य सरकार उनके संगठन को मान्यता देने में क्यों इन्कार करे ?

श्री मथुरादास माथुर : यह मामला विचाराधीन है, कह दिया।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद।

लाखेरी जल-प्रदाय योजना

२३८. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि नगरपालिका लाखेरी ने अपने खर्चे से पाइप योजना बना कर जल-प्रदाय योजना से जनता को लाभ पहुंचाया है ?

(२) यदि हां, तो नगरपालिका ने इस योजना में कितना खर्चा किया ?

(३) क्या यह सही है कि अभी यह

Page No 3

(श्री हरीप्रसाद शर्मा)

योजना अधूरी है एवं टैंक व पानी के निकालने के लिए नालियां बनाने की अति आवश्यकता है ?

(४) क्या यह सही है कि नगरपालिका ने इसी योजना की पूर्ति के लिए स्कीम बनाकर सरकार से कर्जा लेने की मांग की है ?

(५) यदि हां, तो सरकार को यह योजना कब प्राप्त हुई तथा अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(६) क्या सरकार शीघ्र ही नगरपालिका को अनुदान या कर्जे के रूप में धन-राशि देकर योजना को पूरा करवाने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां।

(२) ८०,०००) रुपया।

(३) जी हां।

(४) जी हां।

(५) दिनांक १४-७-६२ को प्राप्त हुई-

(६) आगामी वर्ष में इस मद में बजट प्रावधान होगा तो विचार किया जा सकेगा।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : जब आपने यह मन्जूर किया कि लाखेरो नगरपालिका ने अपनी योजना बनाकर ८०,०००) रुपया खर्च किया है और नालियां बनाने की व बाकी काम की जरूरत है, तो अध्यक्ष महोदय, ४ वर्षों से लोन देने व अनुदान देने के लिए मांग की जा रही है, लेकिन अभी उस पर विचार हो रहा है तो अब तक क्यों नहीं विचार हुआ ?

श्री अध्यक्ष : श्रीमती गौरी पूनिया।

श्री हरिप्रसाद शर्मा: माननीय अध्यक्ष यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। ८०,०००) रुपया म्युनिसिपैलिटी ने खर्च किया है और नालियां बनाने की बड़ी जरूरत है। निदेशक विभाग की यह हालत है कि सारी फाइलें रख दी गई हैं बराबर पत्र लिख रहे हैं, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलता है।

श्री दौलतराम सारण : १४-७-६२ को योजना प्राप्त हुई और उसके बाद में एमर्जेन्सी होने के कारण पैसा विभाग में रहा नहीं। मैंने उतर(६)में निवेदन किया कि जब प्रावधान होगा तब आपकी मांग पर काफी सहानुभूति के साथ विचार किया जायगा।

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) : कोई निश्चित तारीख नहीं दे सकते हैं ?

श्री हरिप्रसाद शर्मा : संकटकालीन स्थिति तो अब पैदा हुई है।

श्री दौलतराम सारण : तारीख और निश्चित आश्वासन का सवाल नही है, पैसे का सवाल है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) :

(श्री मुरलीधर व्यास)

इसके पहले जब कि जल प्रदाय योजना के ऊपर विचार हो रहा था उस समय यह दर्ख्वास्त उसके अन्दर थी तो उसके ऊपर विचार किया गया था उसके साथ में।

श्री दौलतराम सारण : मैं अपने उत्तर में निवेदन कर चुका हूं, वह आपने सुना नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने कहा कि विचार करेंगे तो उस वक्त विचार नहीं किया ?

श्री दौलतराम सारण : आपने प्रश्न देखा नहीं, आपने उत्तर सुना नहीं। मैंने निवेदन किया कि १४-७-६२ को योजना मिली। उसके पहले की आप बात कर रहे हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं उसको आपने सुना नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास : ४ साल का यह कह रहे हैं, इसमें यह गलत है या आप गलत हैं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती गौरी पूनिया।

जनाना अस्पताल, जयपुर

२३६. **श्रीमती गौरी पूनिया** (डेगाना) क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार के पास कोई ऐसी योजना विचाराधीन है कि जनाना अस्पताल, जयपुर को सवाईमानसिंह अस्पताल के साथ ही ले जाया जाय ? अगर हां, तो वह कब तक क्रियान्वित हो जायेगी और नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बरकतुल्ला खां) : जी नहीं।

श्रीमती गौरी पूनिया : क्या मन्त्री महोदय ने जाकर देखा है कि वहां पर मरीज गर्मी में धूप में पड़े रहते हैं और मेडीकल की छात्राओं को आने-जाने में बड़ी असुविधा रहती है। मरीजों को जिस प्रकार की शुद्ध हवा की जरूरत होती है वह वहाँ पर उपलब्ध नहीं होती है। इन बातों का क्या विचार नहीं किया गया ?

श्री बरकतुल्लाखां : जी हां, मैं जाकर इन्सपेक्ट कर चुका हूं, एक दफा नहीं, बल्कि ५ दफा कर चुका हूँ, जहां तके दूसरे अस्पताल में ले जाने का ताल्लुक है उसके लिए जब तक फण्ड की व्यवस्था ठीक नहीं हो उस वक्त तक विचार नहीं किया जा सकता।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि वहां पर से निकलने वाले यातायात के कारण इतना शोरगुल रहता है कि मरीजों को नींद नहीं आती है ?

श्री बरकतुल्लाखां : जैसे जैसे फण्डस की पोज़ीशन होगी इसके बारे में सोचा जा रहा है। इसके अनुभव का मौका नहीं आया।

Page No 5

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : भगवान करे, जल्दी ही अनुभव का मौका आये।

श्रीमती सुमित्रा (झुंझुनू) : क्या सरकार को यह महसूस होगा कि वहां पर ब्लड टैस्ट आदि की व्यवस्था नहीं है और मरीजों के लिए उसकी बहुत आवश्यकता होती है। सब प्रकार के टैस्ट वहां पर नहीं होते हैं और इस प्रकार की असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए और मरीजों को तकलीफ होती है उसको देखते हुए क्या सरकार विचार करेगी ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चुण्डावत (भीम) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह आता है......

(विराम)

श्री अध्यक्ष : आप पूछिये, क्या प्रश्न आता है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : जनाना अस्पताल शहर के पास रहना चाहिए या दूर होना चाहिए, इसके ऊपर क्या विचार है स्वास्थ्य मन्त्री का ?

श्री बरकतुल्लाखां : माननीय अध्यक्ष, इसको दोनों ही ढंग से कहा जा सकता है। शहर में रहने वालों का आर्ग्युमेंट है कि शहर के पास रहना चाहिए और शहर से दूर रहने के लिए दूसरे आर्ग्युमेंट हो सकते हैं।

श्रीमती नगेन्द्र बाला : इतना नजदीक रहने से सड़क पर जो रात-दिन ट्रैफिक चलता है उससे मरीजों को नींद नहीं आती है और कई मरीजों को एक्सरे की जरूरत होती है तो उनको बड़े शफाखानों को भेजा जाता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जनाने अस्पताल का कितने दिन का स्वास्थ्य मन्त्री महोदय ने अनुभव किया है ?

(विराम)

श्री बरकतुल्लाखां : मरीज नही रहा, इन्सपेक्ट कर चुका हूं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : चार महीने बाद जायेंगे अनुभव करने के लिए।

गृहमन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) : आपके मुंह में गुड़।

सड़क-योजना, फतहनगर मन्डी

२४०. **श्री सम्पत्तिलाल बोहरा** (मावली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

Page No 6

(श्री सम्पतिलाल बोहरा)

(१) क्या सरकार फतहनगर मण्डी को विभिन्न कृषि उत्पादन केन्द्रों से सड़क द्वारा जोड़ने की कोई योजना बनाने पर विचार कर रही है ?

(२) क्या फतहनगर से इटाली रून्डेड़ा होती हुई मेणार के बंगले को जोड़ने की सड़क की कोई योजना है ? यदि हां, तो वह कब तक लागू होगी ? यदि नहीं, तो कब योजना बनाई जायगी ?

उप-मंत्री, निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

(२) जी नहीं ।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : फतहनगर मंडी के आस-पास के गांवों में इतनी अच्छी पैदावार होती है कि मंडी तक उसको लाने के लिए किसानों को बड़ी असुविधा होती है, क्या सरकार इसकी आवश्यकता नहीं समझती ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : आवश्यकता तो कई बातों की हैं, लेकिन अर्थाभाव के कारण वह पूरी नहीं हो सकती है ।

परिवार नियोजन योजना

२४१ **श्री मोहनराज** (बाली) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) राजस्थान में परिवार नियोजन योजना के अन्तर्गत कुल कितने केन्द्र एवं उपकेन्द्र है व इस कार्य में लगे कुल डॉक्टरों व अन्य कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है ?

(२) राज्य सरकार का इस योजना पर कुल कितना व्यय प्रति-वर्ष होता है ? पिछले पांच वर्षों का व्योरा देने की कृपा करें ।

(३) परिवार नियोजन योजना की ओर आम लोग अधिक संख्या में आकृष्ट हों, इसके लिए क्या सरकार लोगों के सामने आकर्षक व लाभप्रद सुझाव रखने का विचार रखती है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) : (१) ११६ रूरल फेमिली प्लानिंग क्लिनिक और ३८ अर्बन फेमिली प्लानिंग क्लिनिक इस समय हैं । इस काम में ३६ डाक्टर (२७ पार्ट टाइम तथा ६ फुल टाइम) १६ लेडी हैल्थ विज़ीटर्स और १०० सोशल वर्कर्स इस समय काम कर रहे हैं ।

(२) पिछले सालों का खर्च इस तरह है:-

१९५८-५९	१३०००) रु०
१९५९-६०	१६,०००) रु०
१९६०-६१	३७,०००) रु०
१९६१-६२	६०,०००) रु०
१९६२-६३	८५,०००) रु०
	कुल २,६६,००० रु०

(३) जी हां ।

श्री अध्यक्ष : श्री तेजाराम गहलोत, नेक्स्ट क्वेश्चन ।

Page No 7

श्री मोहनराज : वे कौनसी आकर्षक व लाभप्रद योजनाएं हैं जिनको आप लागू करना चाहते हैं ?

श्री बरकतुल्ला खां : अध्यक्ष महोदय, फेमिली प्लानिंग में जो सबसे इम्पोर्टेन्ट तरीका समझा जाता है वह स्टर्लाइज़ेशन समझा जाता है। जब उसके लिये लोग तैयार नहीं होते हैं तो कन्ट्रासेप्टिव और फोम टेबलेट्स आदि का मेथड एडॉप्ट किया जाता है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : इस योजना में इतना रुपया खर्च करने के बाद क्या सरकार ने इस बात की जांच कराई है कि इसमें कोई सफलता मिली है या नहीं ?

श्री बरकतुल्ला खां : अध्यक्ष महोदय, सन् ६१ में १३६६ मेल और १३१७ फीमेल, कुल २६८२ लोगों का स्टर्लाइज़ेशन हुआ। सन् ६२ में २७७२ औरतों और २१६१ पुरुष, कुल मिलाकर ४६४३ लोगों का स्टर्लाइज़ेशन हुआ। सन् ६३ में २०६४ का स्टर्लाइज़ेशन हुआ और ७८,३०२ फोम टेबलेट्स बांटी गईं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : What is the number of Ministers in these sterlisation cases apart from the Medical Minister ?.

(विराम)

श्री अध्यक्ष : And including the M. L. A S.

श्री बरकतुल्लाखां : I have no information.

श्री विजयसिंह झाला : अध्यक्ष महोदय, एक बार आपके द्वारा हैल्थ मिनिस्टर साहब से कहा गया था कि दरअसल में इस योजना से पोपुलेशन में कितनी कमी हुई है, सदन को इसकी जानकारी दी जाय। एक साल के बाद भी सरकार की ओर से प्रयास नहीं किया गया है कि लाखों रुपया खर्च करने के बाद भी सफलता मिली है या नहीं। सदन केवल ऑपरेशन्स की संख्या नहीं जानना चाहता है, बल्कि यह जानना चाहता है कि पोपुलेशन की परसेन्टेज में कितनी कमी हुई ?

श्री बरकतुल्लाखां : अध्यक्ष महोदय, फेमिली प्लानिंग एक लोंगट्रॉन प्रोग्राम है। इसमें स्वस्थ दिल और दिमाग दोनों की जरूरत पड़ती है। इसका जब प्रचार किया जाता है तो कंज़र्वेटिव आउटलुक सामने आता है। इसके लिये प्रदर्शनियां की जाती है, सिनेमा स्लाइड्स दिखाई जाती हैं, इश्तिहार बांटे जाते हैं। लोअर मिडल इन्कम ग्रूप के लोगों को मुफ्त सहायता मिलती है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या २४२.

श्री रामकिशन (वैर): एक बहुत जरुरी प्रश्न रह गया है।

Page No 8

श्री अध्यक्ष: श्री तेजाराम गहलोत ।

लाइव स्टॉक का मोटरों द्वारा ट्रान्सपोटेशन

२४२. श्री तेजाराम गहलोत (सोजत): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सच है कि राजस्थान का बहुत सा लाइव स्टाक मोटरों द्वारा राजस्थान के बाहर जाता है ?

(२) क्या यह भी सच है कि राजस्थान मोटर व्हीकल्स रुल्स में लाइव स्टाक भरने की सीमा निर्धारित नहो की हुई है जिससे ट्रक्स में ज्यादा से ज्यादा जानवर भरे जाते हैं और जिससे एनीमल्स के साथ क्रुअल्टी होती है ?

(३) क्या यह भी सत्य है कि रेल्वे द्वारा लाइव स्टॉक के ट्रान्सपोर्ट की सीमा वैगन की कैपसिटी के अनुसार तय की हुई है ?

(४) क्या सरकार रोड ट्रान्सपोर्ट में लाइव स्टॉक के ट्रान्सपोर्टेशन के बारे में सीमा-निर्धारण का नियम बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उप-मंत्री, यातायात (श्री भीमसिंह): (१) यह नहीं कहा जा सकता कि कितना लाइव स्टॉकजाता है, लेकिन जाता है अवश्य ।

(२) राजस्थान मोटर व्हिकल्स रुल्स में लाइव स्टाक भरने की कोई सीमा निर्धारित नहीं है ।

(३) यह प्रश्न केन्द्रीय सरकार से संबंधित है ।

(४) इस संबंध में दूसरे राज्यों से जानकारी प्राप्त करके सरकार इस विषय में नियम बनाने पर शीघ्र विचार करेगी ।

श्री तेजाराम गहलोत: क्या मंत्री महोदय ने कभी जानकारी करने की कोशिश की या नहीं कि लाइव स्टॉक रलवे से भेजे जा-सकते हैं या नहीं ? उसमें वेगन की केपेसिटी के अनुसार भेजते हैं, या केन्द्र का सब्जेक्ट मानकर जानकारी करने की कोशिश नही की

श्री भीमसिंह: यह केन्द्र से संबंधित है, इसलिये जानकारी की आवश्यकता नहीं है ।

श्री तेजाराम गहलोत: यह सब जानते है कि रेलवे केन्द्र का सब्जेक्ट है, लेकिन रेलवे मे वेगन की केपेसिटी के अनुसार लाइव स्टॉक भरने की सीमा निर्धारित करने की जानकारी के संबंध में पूछा गया था ।

श्री भीमसिंह: राजस्थान से संबंधित होता है उसी की जानकारी करने की कोशिश की जाती है ।

श्री रामकिशन (वैर) : आपने फरमाया था कि मोटर ट्रान्सपोर्ट में सीमा निर्धारण करने के लिए और सरकारों ने नियम बनाये हैं या नहीं, इसकी जानकारी की जायगी । तो क्या और सरकारों ने नियम नहीं बनाये हैं तो राजस्थान में नहीं बनाये जायेंगे और दूसरे राज्यों की इन्तजारी की जायगी ? राज्य सरकार को दूसरों की इन्तजारी न करके अपने यहां नियम बनाने चाहिये ।

श्री भीमसिंह : अपने यहां नियम बने हुए नहीं हैं इसलिए जानकारी करना चाहते हैं कि दूसरों के यहां किस तरह के नियम हैं और अपने यहां किस तरह के होने चाहिये। उनके नियम देख कर यहां करेंगे।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : अन्य सरकारों से जानकारी करने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान सरकार यदि नियम बनायेगी तो अपनी रिक्वायरमेंट को देख कर बनायेगी, न कि दूसरों को देख कर।

श्री तेजाराम गहलोत : रेलवे से जो लाइव स्टॉक एक्सपोर्ट होता है वह वेगन की केपेसिटी के अनुसार होता है। हमारे यहां से ट्रक्स में जो लाइव स्टॉक एक्सपोर्ट होता है जैसे घोड़े, बकरें, गायें इत्यादि वे ट्रक की केपेसिटी से ज्यादा भर लिये जाते हैं, इसलिए इन एनिमल्स के प्रति क्रुअल्टी होती है इसलिये नियम बनाने की आवश्यकता है। दूसरों की इन्तजारी करने की जरूरत नहीं है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इस प्रकार के नियम बनाने चाहिये।

श्री भीमसिंह : नियम बनाने के लिए सरकार तत्पर हैं, इसलिये अर्ज किया था कि दूसरे स्टेट्स में किस तरह से है उनको देखकर सुविधानुसार बनाये जायं। इसमें दो राय नहीं हैं कि नियम बनाने की आवश्यकता है।

श्री मुकुटबिहारी गोयल (बयाना) : रेलवे केन्द्र का विषय है, उससे जानकारी प्राप्त करने में क्या वैधानिक बाधा है ?

श्री भीमसिंह : कोई वैधानिक बाधा नहीं है। रेलवे के वेगन्स की जो केपेसिटी है वह मोटर ट्रान्सपोर्ट की नहीं होगी...........

श्री रामकिशन : यह प्रश्न पूछा किस लिये था ? इसलिए पूछा था कि रेलवे में वेगन की केपेसिटी के अनुसार निर्धारित है। यह सभी जानते हैं कि वेगन की साइज़ अलग है और बसेज़ की केपेसिटी अलग है। ट्रक्स या मोटर ट्रान्सपोर्ट के जरिये लाइव स्टॉक भेजने में नियम बनाने में आपको क्या बाधा है ? आपके पास सरकारी मशीनरी है फिर भी आपको क्या बाधा हो रही है ? बीसियों-पचीसियों साल से मवेशी बाहर जाते हैं फिर भी नियम क्यों नहीं बनाते ?

श्री भीमसिंह : यह जानकारी प्रश्नकर्ता ने चाही थी।

ग्राम खरवा (जिला अजमेर) में हेल्थ सेन्टर

२४३. **श्री कुमारानन्द** (ब्यावर): क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या खरवा, जिला अजमेर में पहले हैल्थ सैन्टर कायम था ? यदि हां, तो खरवा से हैल्थ सैन्टर क्यों हटाया गया है ?

(२) क्या यह सच है कि खरवा के आस-पास रहने वाले गांव के लोगों को इससे काफी असुविधा हो रही है ?

(३) क्या खरवा के तथा आसपास के रहने वाले गांववालों ने सरकार से बार बार प्रार्थना की है कि हैल्थ सेन्टर खरवा में ही

Page No 10

(श्री कुमारानन्द)

रहने दिया जाय ?

(४) क्या वहां के लोगों की प्रार्थना स्वीकार करके सरकार खरवा में पुन: हैल्थ सैन्टर कायम करने का विचार रखती है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बरकतुल्लाखां): (१) जी हां, मसूदा ब्लॉक में पहले दो हैल्थ सैन्टर खोले गए थे परन्तु नियमानुसार एक ब्लॉक या एक पंचायत समिति में सिर्फ एक ही हैल्थ सैन्टर होना चाहिये इसलिये मसूदा ब्लॉक में केवल मसूदा का हैल्थ सैन्टर जारी रखने व खरवा के हैल्थ सैन्टर को 'बी' ग्रेड डिस्पेन्सरी में बदल देने का तय किया गया है।

(२) जी नहीं।

(३) जी हां।

(४) जी नहीं।

श्री कुमारानन्द: मैं पूछना चाहता हूं कि खरवा में पहले कितने डॉक्टर और कम्पाउन्डर थे और आजकल कितने डॉक्टर और कम्पाउन्डर हैं ?

How many Compoundersare in that dispensary ?

श्री अध्यक्ष: पहले तो वहां पर प्राइमरी हैल्थ सैन्टर था अब उसको बी० ग्रेड डिस्पेंसरी बना दिया है।

श्री कुमारानन्द: पहले खरवा प्राइमरी हैल्थ सैन्टर था अब उसको एबोलिश कर दिया गया है, इसका क्या कारण है ?

श्री बरकतुल्लाखां: तय यह किया गया कि एक ब्लॉक या एक पंचायत समिति के अंतर्गत एक ही प्राइमरी हैल्थ सैन्टर रहेगा और वह मसूदा में रखना तय हुआ। वहां पर लोगों को दिक्कत न हो इसलिये खरवा में पहले जो हैल्थ सैन्टर चलता था उसके बजाय बी ग्रेड डिस्पेन्सरी खोल दी गई।

श्री कुमारानन्द: क्या खरवा के लोगों का कम्पलैन्ट मिला है कि वहां पर लोगों को तकलीफ हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष: क्या खरवा के लोगों की कम्पलेन्ट मिला है कि वहां पर लोगों को तकलीफ हो रही है ?

श्री बरकतुल्लाखां: जी हां, खरवा के कुछ लोग मिले थे।

एक माननीय सदस्य: क्या सरकार की यह नीति है कि कभी लगाया जाय कभी हटाया जाय ?

श्री कुमारानन्द: हमारे साथी यह कहते हैं कि पहले हैल्थ सैन्टर था उसको हटाया गया, फिर लगाया गया ऐसा क्यों करते हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): लोगों में असन्तोष पैदा करने के लिये।

प्रश्न संख्या २४४

श्री अध्यक्ष: श्री हनुमानसिंह।

(अनुपस्थित)

धौलपुर में आर. ए. सी. फोर्स

२४५. **श्री रामकिशन (वैर)**: क्या

(श्री रामकिशन)

गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) धौलपुर में आर. ए. सी. फोर्स कब से तैनात है ?

(२) प्रतिवर्ष इस फोर्स पर कितना रूपया व्यय होता है ?

(३) आर. ए. सी. फोर्स द्वारा कितने डकैत इस क्षेत्र में पकड़े गये हैं ?

उप-मंत्री, गृह (श्री भीमसिंह): (१) सन् १९५१ से।

(२) चूंकि फोर्स की तादाद स्थाई नहीं है और उसमें आवश्यकतानुसार कमी बेशी होती रहती है। इसलिये सालाना कितना रुपया व्यय होता है वह सही तौर पर बताना संभव नहीं है।

(३) १३ डाकू मारे गये एवं १२६ डाकू गिरफ्तार किये गये।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल (बयाना): क्या १२६ वाली संख्या में जो नारायणसिंहजी द्वारा पकड़े गये वे भी इसमें शामिल हैं या आर. ए. सी. के ही हैं ?

गृह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर): आर. ए. सी. के।

श्री रामकिशन: कल तो नारायणसिंहजी के लिये बताया था, स्टेटमेन्ट दिया था ?

श्री मथुरादास माथुर: यह बताना मुश्किल है कि डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट ने पकड़े या आर. ए. सी ने पकड़े। जब डाकुओं का पीछा किया जाता है तो आर. ए. सी. वाले भी जाते हैं, और डीवाइ. एस. पी. वगैरह सिविल के भी जाते हैं। इसलिये यह कहना कि आर. ए. सी. ने पकड़े या सिविल पुलिस अफसर ने, यह मुश्किल है। हो सकता है फोर्स आर. ए. सी. की हो, अफसर सिविल भी हों।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल: क्या आर. ए. सी. व पुलिस कुछ बड़े बड़े सेठों और आदमियों की रक्षा के लिये लगाई गई है ? आम जनता का उससे ताल्लुक नहीं है

श्री अध्यक्ष: श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल: अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ा सवाल है ?

श्री अध्यक्ष: यह प्रश्न कल उठा चुके है।

श्री रामकिशन: क्या जहां पर चुनाव के समय चौकिया लगा रखी थीं, वहां से आर. ए. सी. के हटने के बाद हटा ली गई ?

श्री मथुरादास माथुर: पता नहीं मालुम करना पड़ेगा ?

श्री रामकिशन: फिर आपकी संख्या घटी-बढ़ी कैसे ?

श्री मथुरादास माथुर: आपने यह नहीं पूछा कि संख्या घटी या बढ़ी। आर.ए.सी. का

Page No 12

(श्री मथुरादास माथुर)

हैड क्वार्टर जयपुर में था। वहां पर कितनी कम्पनियां रेज़ करनी हैं, कितनी नहीं यह सुविधानुसार होता है। अब आर. ए. सी. का हैड क्वार्टर धौलपुर में कर दिया है। अब पूरी बटेलियन है, पहले ५ कम्पनियां थीं। आप पूछते कि चुनाव के समय कितनी चौकियां थी तो पता लगा कर मैं उत्तर दे देता। वर्ना कम्पनीज़ बदलती रही हैं, कभी पांच, कभी चार और कभी छः। अभी पूरी है।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयलः क्या सरकार को ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई है कि आर. ए. सी. गार्ड के आदमी केवल जनता के फ़ायदे के काम के लिए न रखी जाकर कतिपय बड़े २ सेठों की रक्षा के लिए कायम की गई हैं ? क्या ऐसी शिकायत प्राप्त हुई है ?

श्री अध्यक्षः सिरोही से अनादरा तक एस. टी. ए. की बसें। श्री विश्नोई

सिरोही से अनादरा तक एस.टी. ए. की बसें

२४६. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सच है कि आबूरोड से अनादरा तक ही एस. टी. ए. बसेज़ चलती हैं जब कि सिरोही से आबूरोड तक पूरा ए क्लास रूट मोजूद है ? अगर हां, तो सिरोही से अनादरा तक एस. टी. ए. बसेज़ चालू अब तक न करने के क्या कारण हैं ?

(२) सरकार सिरोही से अनादरा तक एस. टी. ए. बसेज कब तक चालू करने का विचार रखती है और इस रूट पर प्राइवेट बसेज़ कब तक बन्द कर दी जावेंगी ?

(विराम)

यातायात मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र): (१) जी हां। यह राष्ट्रीयकृत मार्ग है, सिरोही अनादरा मार्ग राष्ट्रीयकृत मार्ग नहीं है। इसलिये इस पर एस. टी. ए. की बसें नही लगाई गई हैं।

(२) ऐसा सुझाव अभी हाल ही में प्राप्त होने पर उस मार्ग का सर्वे किया जा रहा है।

तत्पश्चात राष्ट्रीयकरण की स्कीम प्रकाशित की जायगी और उस सम्बन्ध में प्राप्त आपत्ति-पत्रों की जांच के बाद उक्त मार्ग पर राष्ट्रीयकृत बसें चलाई जायेंगी।

श्री रघुनाथ बिश्नोईः राष्ट्रीयकृत मार्ग नहीं है-यह तो मैंने पूछा ही है। एक रूट होते हुए भी उसका एक पार्ट नेशनलाइज़ किया है और दूसरा नही किया है। तो दूसरा पार्ट क्यों नहीं लिया जाता ? उसी बस से काम चल सकता है। मेरे पूछने का मतलब है कि ऐसा क्यों नहीं किया गया ? "ए' क्लास रूट हैं, उसमें दिक़्क़त नहीं है ऐसा करने में। फिर नहीं करने के क्या कारण है ?

श्री हरिश्चन्द्रः मैंने कहा, कार्य जारी है। सर्वे कराने के बाद जो रिपोर्ट आयेगी वैसा किया जायगा।

Page No 13

श्री दलपतसिंह (आबू) : क्या प्राइवेट बसेज़ को नोटिस दे दिया है कि वे बसें बन्द कर दें ?

श्री हरिश्चन्द्र : ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : ऐसा कोई सर्वे नहीं कराया गया था पहले और पार्ट में कर दिया ?

श्री हरिश्चन्द्र : दो अलग अलग रूट्स हैं ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : अलग-अलग नहीं हैं । सिरोही से लेकर अनादरा तक पूरा 'ए' क्लास रूट है । उन्हीं बसों से काम चल सकता है तो फिर उसके पार्ट को नेशनलाइज़ करने के क्या कारण हैं ?

श्री रविशंकर याज्ञनिक (पिंडवारा): क्या यह सही है कि सिरोही से अनादरा तक के ऑर्डर हो गये थे लेकिन बाद में वे कैंसिल हो गये थे ? ऑर्डर फिर कैंसिल कर दिये गये, ये क्यों कर दिये गये ?

श्री हरिश्चन्द्र: यह मेरी जानकारी में नहीं है ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई: क्या आप जानकारी करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पत्तिलाल बोहरा ।

फ्रेंन्च पोलिश बनाने हेतु डिनेचर्ड स्प्रिट

२४७. **श्री सम्पत्तिलाल बोहरा** (मावली): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या राजस्थान में फ्रेन्च पोलिश बनाने हेतु डिनेचर्ड स्प्रिट (denatured spirit) बनाने के लिये मेसर्स उदयपुर डिस्टिलरी कम्पनी प्रा० लिमिटेड उदयपुर को अनुमति मिली हुई है ? यदि हां, तो कब से किस तादाद में तथा किन किन शर्तों पर ?

(ख) डिनेचर्ड स्प्रिट बनाने की अनुमति प्राप्त करने के लिये सरकार की ओर से क्या क्या पाबन्दियां आयद हैं ?

(ग) क्या यह सही है कि डिनेचर्ड स्प्रिट के मेन्युफेक्चर करने के लिये काफी संख्या में लोगों ने अनुमति मांगी है परन्तु सरकार अनुमति देना नहीं चाहती ? यदि हां, तो क्यों?

(घ) उपरोक्त उदयपुर डिस्टिलरी का वार्षिक कितना प्रोडक्शन है ?

वित्त मन्त्री (श्री बालकृष्ण कोल): अध्यक्ष महोदय, इसकी पूरी जांच न हो पाने के कारण एक सप्ताह का और टाइम देदिया जाय ।

प्रश्न संख्या २४८

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा ।

(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास

बीकानेर बागायत कर्मचारियों का फिक्सेशन

२४९. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(क) बीकानेर बागायत कर्मचारियों में

Page No 14

(श्री मुरलीधर व्यास)

कितनों का फिक्सेशन सन् ५० से हो गया है ? क्या जिनका फिक्सेशन हो गया है उन्हें उनकी बकाया रकम दे दी गई है ? यदि नहीं, तो कब दी जायगी ?

(ख) क्या बागायत में ऐसे भी कर्मचारी हैं जिनका रविवार का एरीयर बकाया है ? यदि हां, तो उसका भुगतान कब किया जायगा ?

(ग) क्या परमानेन्ट स्टाफ का फिक्सेशन सितम्बर, ६१ से हो चुका है ? यदि हां, तो उनकी बकाया धनराशि उन्हें अब तक क्यों नहीं दी गई ?

उप मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना): (बीकानेर) बागायत कर्मचारियों का फिक्सेशन कभी का हो चुका है। बकाया रकम चुकाई जा रही है।

(ख) कोई एरियर बकाया नहीं है।

(ग) २२ कर्मचारियों में से १६ कर्मचारियों का फिक्सेशन हो चुका है। छः का फिक्सेशन किया जा रहा है। बकाया धनराशि चुकाये जाने के आदेश दिया जा चुके हैं।

श्री मुरलीधर व्यास: फिक्सेशन कब हुआ है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: फिक्सेशन अभी हुआ है, १५–८–६३ को।

श्री मुरलीधर व्यास: बकाया रकम १५ ८–६३ को दे दी गई है ?

श्री भवानी शंकर नन्दवाना: बकाया रकम को चुकाने के आदेश दे दिये गये हैं।

श्री मुरलीधर व्यास: अभी नहीं दी गई है ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना: जी नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास: तब तक दे दी जायगी ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना: जल्दी दे दी जायगी।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत।

चम्बल योजना से प्राप्त विद्युत की निर्धारित रेट

२५०. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(१) चम्बल योजना से प्राप्त होने वाली बिजली के घरेलू उपयोग कृषि और औद्योगिक उपयोग के लिये क्या रेट निर्धारित की जा रही है ?

(२) क्या यह सही है कि मध्य भारत के मुकाबले राजस्थान में निर्धारित की जाने वाली दरें कहीं अधिक हैं जबकि बिजली उत्पादन श्रोत दोनों के लिये वही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या यह सही है कि घरेलू उपयोग में दी जाने वाली बिजली में रोशनी व पॉवर की अलग अलग लाइनें व मीटरों को हटा दिया जायेगा ?

(४) क्या यह सही है कि घरेलू उपयोग में ली जाने वाली बिजली की अब एक ही दर

Page No 15

(श्री लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

लागू होगी ?

(५) क्या यह सही है कि लगभग १३ रुपये प्रतिमाह तक पॉवर खर्च करने वालों को ५० परसेन्ट रिबेट दिया जायेगा ?

(६) यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि आम जनता को जो माध्यम और निम्न वर्ग के हैं, उन्हें क्या फायदा होगा ?

उप-मन्त्री, विद्युत (श्री परसराम मदेरणा) : (१) चम्बल योजना से प्राप्त होने वाली बिजली के भिन्न भिन्न उपयोगों के लिये दरों के बारे में कुछ शिकायतें टैरिफ एडवाइजरी कमेटी से प्राप्त हुई हैं वे सरकार के विचाराधीन हैं ।

(२) चूंकि अभी दरों के निर्धारण का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है, इसलिये यह प्रश्न नहीं उठता ।

(३), (४), (५) व (६) प्रश्न नहीं उठता ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : क्या सिफारिशें की गई हैं, इस पर कुछ लाइट डालेंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : असमर्थ हूँ ।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन ।

राजस्थान में प्लास्टिक सर्जरी की व्यवस्था

२५१. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या चिकित्सा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में प्लास्टिक सर्जरी के लिये कहां पर क्या व्यवस्था कर रखी है ?

(२) क्या यह सही है कि मेक्सिलो फेसियल सर्जरी विभाग की स्थापना करने हेतु केन्द्रीय सरकार की ओर से सहायता देने का प्रावधान है ? अगर हां, तो राज्य सरकार ने उपरोक्त सहायता प्राप्त करने हेतु क्या प्रयत्न किये हैं ?

चिकित्सा मन्त्री (श्री बरकतुल्ला खां) : (१) प्लास्टिक सर्जरी क्लास एक व दो अस्पतालों में होती है ।

(२) जी नहीं ।

श्री भीमसेन : यह दूसरे प्रश्न का उत्तर आपने 'जी नहीं' में दिया है । केन्द्रीय सरकार इसके लिये ग्रान्ट-इन-एड देती नहीं है या सरकार ने मांगी नहीं है ?

श्री बरकतुल्ला खां : ग्रान्ट-इन-एड के प्रपोजल सेन्टर से आये नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

नगर परिषद्, जयपुर की सीमा में पेट्रोल पम्प

२५२. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) जयपुर नगर परिषद् की सीमा के भीतर कुल कितने पेट्रोल पम्प हैं ?

(२) क्या यह सही है कि इनमें से कुछ पेट्रोल पम्पस मुख्य सड़क से नियमानुसार दूरी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

पर बने हुए नहीं हैं ? यदि हां, तो फिर इनको लाइसेन्स क्यों दिया गया और हर साल रिन्यू क्यों किया जाता है ?

(३) क्या यह सही है कि मोती डूंगरी रोड, सांगानेरी दरवाजे के आस पास जो पेट्रोल पम्प्स हैं वे नियमानुसार सड़क से निश्चित दूरी पर नहीं हैं ? यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या करने का इरादा रखती है ?

(४) भाग २ में वर्णित पैट्रोल पम्प्स की सूची सदन की मेज पर रखें।

(५) क्या सरकार इस प्रकार के अनियमित रूप से बने हुए पैट्रोल पम्प्स को दिये गये लाइसेन्स के विषय में जांच करेगी और दोषी अधिकारियों को दण्ड देगी ?

उप-मन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलत राम सारण) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न गृह मन्त्री से सम्बन्धित है। इसका उत्तर वे आगामी टर्न पर देंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह सवाल आपको कब मिल गया था ? अध्यक्ष महोदय, यह रोज-रोज सवाल पैदा होता है कि यह प्रश्न हमसे सम्बन्धित नहीं है। प्रश्न पूछते हैं वह अगर किसी मन्त्री से सम्बन्धित नहीं है तो उन्हें इन्टीमेट करना चाहिए। वे सदन में आकर कह देते हैं। इसकी प्रिन्टिंग का खर्चा कौन देगा। इस सदन का समय खर्च होता है और हम पार्लीमेन्ट्री की तैयारी करके आते हैं और यहां जवाब मिलता है; आपसे सम्बन्धित नहीं था तो आप क्वेश्चन को पास ओन कर सकते थे, आप पहले इन्टीमेट कर सकते थे।

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बरकतुल्ला खां) : अध्यक्ष महोदय, आपके सेक्रेटेरियट से सवाल आता है....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पन्द्रह दिन पहले नहीं महीने डेढ़ महीने पहले भेज दिया जाता है लेकिन सरकार से उत्तर नहीं मिलता है और मन्त्री महोदय सदन में कह देते हैं। माननीय सदस्य का कहना उचित है। आपकी इस प्रकार की आपत्ति है तो यह गवर्नमेन्ट के बीच का सवाल है। आप तय कर लें कि कौन उत्तर देगा, कौन नहीं देगा। आप दो दिन पहले गृह मन्त्रीजी को कह देते, वे उसका उत्तर आज दे देते।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : प्रेक्टीकल डिफीकल्टी यही है कि इनमें युनीटी नहीं है।

श्री रामकिशन (बैर) : मन्त्रि-मण्डल विभाजित है !

श्री अध्यक्ष : श्री गोकुलप्रसाद।

मोटरों की खरीद

२५३. **श्री गोकुलप्रसाद शर्मा** (मांडल) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे : (१) राज्य गैरेज तथा ओटोमोबाइल विभाग में कितनी गाड़ियां किस-किस मोडल की हैं जिनमें कितनी गाड़ियां काम में आई और कितनी पड़ी रहीं ?

(२) पिछले वर्ष कितनी गाड़ियां किस कम्पनी से खरीदी गईं ? गाड़ियां खरीदने के लिए अगर कोई कमेटी बनी हुई है तो कमेटी

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

के सदस्यों के नाम बताने का कष्ट करें और यह भी बताने की कृपा करें कि ये गाड़ियां डी. बी. एस. डी. के द्वारा खरीदी गईं या प्राइवेट पार्टी से ?

उप-मन्त्री, यातायात (श्री भीमसिंह) : (१) राज्य गैरेज तथा ओटोमोबाइल विभाग में इस समय सभी जगह मिला कर कुल ८५ गाड़ियां निम्न मोडल की हैं :—

साल	गाड़ियों की संख्या
१९३८	१
१९४६	३
१९४८	४
१९५२	४
१९५४	३
१९५५	६
१९५६	१४
१९५९	३
१९६०	३५
१९६१	१
१९६२	८
१९६३	३
योग	८५

उपरोक्त ८५ गाड़ियों में ये केवल दो गाड़ियां जो कि वी. आई. पी. (महत्वपूर्ण व्यक्ति) के लिए रिज़र्व हैं, के अतिरिक्त सारी गाड़ियां ही करीब करीब हमेशा काम आ रही हैं। रिज़र्व की यह दो गाड़ियां जब प्रेसीडेन्ट, प्राइम मिनिस्टर अथवा बाहर के उच्च अतिथि आते हैं तब काम में ली जाती हैं। इन ८५ गाड़ियों में से २० गाड़ियां जो कि लाइफ माइलेज पूरा कर चुकी हैं और अब आगे काम में लेने लायक नहीं हैं उनको अलग रख दिया गया है और उनको नीलाम द्वारा बेचे जाने की कार्यवाही की जा रही है, स्वीकृति प्राप्ति पर करीब तीन मास में नीलाम कर दी जायेंगी।

(२) पिछले वर्ष में (१९६२–६३) में केवल ८ गाड़ियां निम्नलिखित कम्पनियों से खरीदी गईं :–

१. मेसर्स कमल एण्ड कम्पनी, १ फियेट जयपुर।

२. मेसर्स वेस्टर्न इंडियन स्टेट ५ अम्बेसेडर मोटर्स।

३. मेसर्स राजस्थान मोटर्स २ अम्बेसेडर

गाड़ियां खरीदने के लिये कोई कमेटी नहीं बनी है। गाड़ियां खरीदने से पूर्व सरकार किस मेक की गाड़ी खरीदना चाहती है, यह निश्चय करती है। उसके बाद संचालक यातायात विभाग से मैन्युफैक्चरर के नाम रिलीज़ ऑर्डर जाने पर डी. जी. एस. डी. द्वारा निर्धारित कीमतों पर ही मैन्युफैक्चरर के नियुक्त ऑथोराइज्ड डीलर्स से खरीदी जाती हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, ८५ गाड़ियों में से २० गाड़ियां कितने दिन पहले से खराब पड़ी हुई हैं और कब तक काम आती रही हैं ?

श्री भीमसिंह : मैंने निवेदन किया कि जो गाड़िया लाइफ माइलेज पूरा कर लेती हैं डिस्पोज़ल के लायक मान लेते हैं। हालांकि इन २० गाड़ियों में से एक गाड़ी ऑक्सफोर्ड

(श्री भीमसिंह)

है और १६ गाड़ियां चालू हालत में हैं और आँक्सफोर्ड नहीं है लेकिन चूंकि इनका लाइफ माइलेज पूरा हो चुका है इसलिये इन्हें हटाना है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : एक ओन रोड है और १६ रनिंग कन्डीशन में हैं तो नई गाड़ियां खरीदने की क्यों आवश्यकता हुई?

श्री भीमसिंह : पुरानी गाड़ियां होने से मेन्टीनेन्स और वीअर टीअर में ज्यादा खर्चा होता है। मेन्टीनेन्स ज्यादा कोस्टली होता है बनिस्बत नई गाड़ियों के।

(३ म० प०)

नगर पालिका जालोर को अनुदान और कर्ज

२५४. **श्री भगराज चौधरी** (रानीवाड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) जालोर नगरपालिका को १९५८ से १९६३ मार्च तक भिन्न भिन्न रूप से कितना कर्ज और अनुदान (Subsidy) मिले?

(२) यह अनुदान और कर्ज उसी मद में खर्च हुआ जिसके लिए दिया गया था? यदि नहीं, तो क्यों?

(३) जालोर नगरपालिका में सरकार का कितना रुपया बकाया है?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (दौलतराम सारण) : (१) सन १९५८-५९ से मार्च १९६३ तक ९५,६१७) रु० का अनुदान व १,६०,७२०) रु० का ऋण दिया गया है।

(२) जी हां। लगभग उसी काम में व्यय हुआ है।

(३) ६६,५००) रुपया।

श्री भगराज चौधरी : मेरा जो मूल प्रश्न है वह यह है कि यह अनुदान और कर्ज उसी मद में खर्च हुआ जिसके लिए दिया गया था? आपने लगभग उसी काम में व्यय हुआ है बताया। इस लगभग से आपका क्या मतलब है?

श्री दौलतराम सारण : इसका मतलब तो आप जानते ही हैं।

श्री अध्यक्ष : लगभग का मतलब क्या है, आप बतावें?

श्री दौलतराम सारण : जिस काम के लिए कर्ज लिया गया उसमें लगाया गया लेकिन उसके खर्च करने में कुछ समय अधिक लग गया और उसको व्यय नहीं किया, इसके लिये एतराज है।

श्री भगराज चौधरी : मैं यह पूछना चाहता हूँ कि जिस पर्पज़ के लिये लिया गया उसके लिये खर्च हुआ या नहीं?

श्री दौलतराम सारण : आपका दूसरा प्रश्न आ रहा है उसमें बता दूंगा।

श्री भगराज चौधरी : दूसरा प्रश्न है वह इससे संबन्धित नहीं है। उसमें अमाउन्ट

Page No 19

(श्री भगराज चौधरी)

का प्रश्न नहीं है। मैंने अपने प्रश्न में पूछा है कि कितना कर्ज और कितना अनुदान दिया है और वह उसी काम में खर्च हुआ है या नहीं ?

श्री दौलतराम सारण : लगभग उसी काम के लिये खर्च हुआ है ?

श्री भगराज चौधरी : क्या ऑडिट ने एतराज उठाया है।

श्री दौलतराम सारण : नहीं।

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इस संबन्ध में ऑडिट ने ओब्जेक्शन उठाये हैं। जब पूछते हैं तो कहते हैं कि ऑडिट ने ओब्जेकशन नहीं उठाये।

श्री दौलतराम सारण : ऑडिट ने अव्यवस्थाओं के लिये एतराज मुख्य तौर से उठाये।

श्री अध्यक्ष : मुख्य तौर से किस-किस के लिए एतराज हैं, उसको आप बता दें।

श्री दौलतराम सारण : यह तो सूची में है। अगर आप कहें तो पढ़ दूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : किस मद के लिये दिये गये....

श्री अध्यक्ष : सूची पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लगभग से यह सारी स्थिति पैदा हुई है।

श्री दौलतराम सारण : जितनी आपत्तियें उठाई गई हैं उनकी पूरी की पूरी सूची दी गई है।

अध्यक्ष : आप अव्यवस्थाओं को बता दें।

श्री भगराज चौधरी : ऑडिट ने जिस प्रकार के एतराज उठाये हैं और सरकार ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की है। मैं यह निवेदन करूंगा कि जब १,६०,७२० रु० का ऋण आपने दिया है तो उसके लिये आपने यह नहीं देखा कि म्युनिसिपैलिटी क्या काम कर रही है जिसके लिये इसकी जरूरत है। यह देखना सरकार की पूरी जिम्मेदारी है कि जो ऋण दिया जाता है वह वसूल किस प्रकार से होगा और जिस काम के लिए वह पैसा दिया जाता है उसी काम में खर्च हो।

श्री दौलतराम सारण : मैंने निवेदन किया कि ६५,६१७) रु० का अनुदान और १,६०,७२०) रु० का ऋण दिया। जो ६६,५००) रु० बकाया है उसके लिये सरकार ने यह निर्णय दिया है कि जब अनुदान दिया जावे तो यह रुपया वसूल किया जावेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह रुपया किस म्युनिसिपैलिटी में बकाया है ?

श्री दौलतराम सारण : म्युनिसिपैलिटी जालोर में।

श्री भगराज चौधरी : क्या यह सही है कि जिस काम के लिये लोन दिया उसी काम में लिया गया ?

श्री दौलतराम सारण : ऋण तरह-तरह के कार्यों के लिये दिये जाते हैं

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न को टालने की कोशिश न करें। ऋण जिस काम के लिये दिया गया उस काम में आया या नहीं ?

श्री भगराज चौधरी : जान-बूझ कर प्रश्न को टाल रहे हैं।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न को टाल नहीं रहा हूं। दो-तीन दिन पहले भी आपका प्रश्न था। मैं उसका जवाब दे चुका हूँ और आश्वासन दे चुका हूं।

श्री अध्यक्ष : आश्वासन नहीं बल्कि जो भी कार्यवाही हुई है, बताए ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप इस बात का जवाब दें कि जब एक जगह म्युनिसिपैलिटी को ऋण दिया जाए और वह उस पैसे का दुरुपयोग करे और सरकार कोई कार्यवाही नहीं करे यह सरकार का कौनसा तरीका है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सरकार consistent है या in incoudistency.

श्री अध्यक्ष : ६६,०००) रु० का ऋण तो आपने कह दिया, वह तो वापिस लेना चाहिये।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : माननीय सदस्य कहते हैं कि पैसे का दुरुपयोग किया गया है।

श्री अध्यक्ष : अगर उसका उपयोग नियमानुसार नहीं हो तो भी वह दुरुपयोग ही है।

श्री दौलतराम सारण: अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई विवाद की बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष: अब भी आप कहते हैं कि कोई विवाद की बात नहीं है ?

श्री दौलतराम सारण: उनको आदेश दे दिये गये हैं कि नियमानुसार आपत्तियों पर कार्यवाही की जाए।

श्री अध्यक्ष: This is very unsatisfactory.

श्री भगराज चौधरी: अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष: order pleasel नैक्स्ट श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

नाहर गढ़ सडक की मरम्मत

२५५. **श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवामहल, जयपुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) जयपुर नगर में नाहरगढ़ की सडक का निर्माण कब हुआ था और इसके बाद इसमें कभी मरम्मत कराई गई या नहीं ? यदि हां तो मरम्मत में कुल क्या व्यय हुआ ?

(२) क्या इस सडक के जीर्णोद्धार का राज्य सरकार कोई विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(३) क्या गत पांच वर्षों में राज्य के किसी भी उच्चाधिकारी ने इस सडक का कभी निरीक्षण किया है ? यदि हां, तो किसने और कब कब ?

Page No 21

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना): अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न इस विभाग से संबन्धित नहीं है इसलिये इसको स्वायत्त शासन विभाग में ट्रान्सफर कर दिया है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर): अध्यक्ष महोदय, आपने क्या कहा, सुनाई नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष: इस प्रश्न का आपसे संबन्ध नहीं है, जो रिमार्क्स पहले थे वे अभी भी लागू होते हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: This is not going to correct them unless oneof them is asked to stand on the bench.

प्रश्न संख्या २५६.

श्री अध्यक्ष: श्री नत्थीसिंह ।

(अनुपस्थित)

नेक्स्ट, श्री मजलिस खां ।

पचांयत समिति क्षेत्र कामा और नगर में चेचक का प्रकोप

२५७. **श्री मजलिसखां** (कामा): क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि जिला भरतपुर में कामां-नगर पंचायत समितियों के क्षेत्र में चेचक का प्रकोप बड़े जोरो का हुआ हैं और जवानों और बूढ़ों तक को इसका शिकार होना पड़ा है ?

(२) यदि हां, तो राज्य सरकार ने उसकी रोकथाम के लिए क्या उपाय अपनाये हैं ?

(३) इन दोनों पंचायत समितियों में कितने वैक्सीनेटर्स ने काम किया है ?

(४) कितने बच्चों और युवक-पुरुष व स्त्रियों को टीके लगाये गये हैं ?

(५) उक्त दोनों पंचायत समितियों में कितनी मृत्यु चेचक के कारण हो चुकी हैं ?

(६) क्या यह भी सही है कि चेचक टल जाने के काफी दिन बाद भी मौतें हुई हैं ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां):

(१) इस साल देश में चेचक की बीमारी का बड़ा जोर था । लेकिन जिला भरतपुर के कामा व नगर पंचायत समितियों के क्षेत्र में चेचक बहुत ज्यादा जोरो का नहीं हुआ था। इस साल के शुरू के महीनों में चेचक का जोर था। जवान और बूढ़ो को भी चेचक निकलती है ।

(२) चेचक की रोकथाम के लिए जरूरी स्टाफ तुरन्त लगवा कर चेचक के टीके लगाये गये । चेचक से बचने के उपाय समझाए गए और पेम्फलेट छपवाकर बांटे गए। दोनों पंचायत समितियों के हर गांव में जिसमें चेचक का जोर हुआ तथा जिनमें नहीं हुआ उन सभी गांवों में टीके लगाए गए।

(३) नगर पंचायत समिति में ५ सेनीटरी इन्सपेक्टरों व १७ वैक्सीनेटरों ने और

Page No 22

(श्री बरकतुल्ला खां)

कामां पंचायत समिति में ३ सेनेटरी इन्सपेक्टरों व १६ वेक्सीनेटरों ने काम किया।

(४) जनवरी, १९६३ से जुलाई, १९६३ तक जो टीके लगाए गए उनकी सूची इस प्रकार है :

नाम पंचायत समिति	प्रोवेक्सीवेशन	रीवेक्सीनेशन	जोड़
१. नगर	५३९९	४०१०९	४५४९८
२. कामां	६२६२	४६०९९	५३३६१
कुल	११६५१	८६२०८	९७८५९

(५) जनवरी से जून तक ; ३१

(६) यह सही नहीं है कि चेचक ढल जाने से काफी दिन बाद तक भी चेचक के कारण से मौतें हुई हैं। चेचक ढल जाने से काफी दिन बाद मौत किसी दूसरी बिमारी से हो सकती है।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : चेचक के टीके लगाने के बाद भी मौतें हो जाती हैं, इसका क्या कारण है ?

श्री बरकतुल्लाखां : यह होता है कि १४ दिन का जो आइसोलेशन पीरीयड होता है। अगर शुरू में ५ दिन में ही टीके लग जाते हैं तो माता बहुत कम निकलती है रुकजाती है। उसके बाद में लगाते हैं तो माता रुकती नहीं है। टीका अपना काम करता है।

श्री अब्दुलजब्बार : आप आइसोलेशन पीरीयड में टीके लगाते हैं जिससे मौतें हो जाती हैं और कोई फायदा नहीं होता।

श्री बरकतुल्लाखां : उससे फायदा होता है।

श्री अब्दुलजब्बार : वेक्सीनेशन से फायदा होता है आपने बताया, मगर मौतें हो जाती हैं, इसका क्या कारण है ?

श्री बरकतुल्ला खां : ७ दिन के बाद में टीका लगाया जावे तो असर कम होता है।

श्री रामकिशन (वैर) : पिछली बार जिस समय आपने इसके सम्बन्ध में स्टेटमेन्ट दिया था उस समय आपने बताया कि टीके सफल इसलिये नहीं हुए क्योंकि लिम्पस बुरे थे। आम तौर से यह शिकायत है कि पिछली बार लिम्पस ठीक नहीं थे। आपने कहा था कि जांच की जावेगी।

श्री बरकतुल्लाखां : जहां तक लिम्पस का प्रश्न है ये देहरादून से आते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया खुद इसकी जांच करती है और फिर जहां पर भेजना होता है वैक्सीनेशन के लिये वहां के लिये देते हैं। इसलिये यह कहना कि लिम्पस बुरे थें, वाजिब नहीं होगा।

श्री अब्दुलजब्बार : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय की जानकारी के लिये बताता हूं कि आपके वैक्सिनेटर्स को रोटेटर पकड़ना भी नहीं आता है, उनको यह वैक्सिनेशन का काम देकर आप जनता की जानें ले रहे हैं। यह मैं आपको जानकारी देता हूं।

श्री बरकतुल्लाखां : अध्यक्ष महोदय,

(श्री बरकतुल्लाखां)

यह सही नहीं है। वैक्सिनेटर्स को पहले ट्रेनिंग दी जाती है फिर उनको ड्यूटी पर भेजा जाता है।

श्री अब्दुलजब्बार : मैं ऐसी मिसालें देता हूं कि उनको रोटेटर पकड़ना नहीं आता इसीलिये लोग इनसे वैक्सिनेशन नहीं करवाते, अस्पतालों में जाकर वैक्सिनेशन करवाते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह झाला।

मार्गों के राष्ट्रीयकरण के आधार

२५८. **श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) १९६३-६४ में कौन कौन सी सड़कों पर एस. टी. बसें चलने लगेंगी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) नेशनेलाइज़ेशन के लिये रूट निर्धारित करने का क्या आधार बना रखा है ?

यातायात मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) राष्ट्रीयकृत मार्गों का चुनाव निम्न आधारों के अनुसार किया जाता है :

(अ) देश की राजधानी तथा राज्य की राजधानी को जोड़ना।

(ब) राज्य की राजधानी तथा डिविजन के प्रधान कार्यालयों तथा जिले के प्रधान कार्यालयों को जोड़ना।

(स) राज्य की राजधानी तथा डिविज़न के प्रधान कार्यालयों को जोड़ना।

(द) जिले के प्रधान कार्यालयों को जोड़ना।

(य) मुख्य मुख्य अन्तर्प्रान्तीय मार्गों को जोड़ना।

(र) वे सहायक सड़कें जो मुख्य राष्ट्रीयकृत मार्गों के विकास के लिये आवश्यक हैं।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री विजयसिंह झाला : जो आधार आपने बताये हैं राष्ट्रीयकृत के उन आधारों में राजस्थान की सभी सड़कें आ जाती हैं। तो जिन सड़कों को राष्ट्रीयकृत किया जाता है तो क्या उन सड़कों को ध्यान में रखा जाता है जिनसे कि राज्य सरकार को ज्यादा आमदनी मिल सके और रूट लम्बे हों ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह सब प्रिन्सिपल्स पर आधारित होता है। इसके अलावा जो मार्ग लम्बे हैं, जिन पर ज्यादा गांव और कस्बे ऐसे आते हैं जहां से ट्रेफिक काफी मिल सकता है, उनको प्रायोरिटी दी जाती है।

श्री विजयसिंह झाला : क्या इन दोनों आधारों पर आपने कोई प्रायोरिटी लिस्ट फिक्स की है कि किस रूट से सरकार को ज्यादा आमदनी हो सकती है ?

श्री हरिश्चन्द्र : जो किताब माननीय सदस्य को दी गई थी उसमें सारा विवरण दिया हुआ है कि कौन कौन से मार्ग लिये हैं।

श्री विजयसिंह झाला : तृतीय पंच वर्षीय योजना में जो सड़कें ली जा रही

(श्री विजयसिंह झाला)

हैं उनमें जहां ज्यादा इन्कम हो सकती है, उनको नेशनेलाइज़ करने में प्रायोरिटी नहीं दी गई है। चित्तोड़ टू उदयपुर, चित्तौड़ कपासिन, वाया फतेनगर-मावली ली है जहां दो बसेज़ चलती थीं, आपको लेना चाहिये था चित्तौड़ से मंगलवाड़ होकर उदयपुर जाती है उसे, जहां पर कि पच्चीस, तीस प्राइवेट बसेज चलती हैं। फिर वाया नाथद्वारा लेनी चाहिये थी जहां ज्यादा बसेज़ चलती हैं; तो यह आपका आधार दो या तीन सड़कों पर लागू होता है। किसको, प्रायोरिटी देनी चाहिये, उदयपुर से नाथद्वारा को, चित्तौड़ से मंगलवाड़ होकर उदयपुर जाती है उस पर भी आपका यह आधार सबसे ज्यादा लागू होता है। तो आपने किन आधारों पर प्रायोरिटी दी?

श्री हरिश्चन्द्र : आधार तो सब पर लागू होते हैं, जो सड़क सरकार ने लेना चाहा उसे लिया....

श्री विजयसिंह झाला : तो इसका मतलब यह हुआ कि आधार कुछ नहीं, सरकार मनमानी करती है जिसे चाहा....

श्री हरिश्चन्द्र : आप मुझे सुन तो लीजिये। आपने कहा है कि सड़क ली है, उस पर बड़े शहर नहीं हैं। यह सही नहीं; कपासन है, मावली है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : जहां नेशनलाइज़ेशन की गाड़ियां चलाईं वहां सड़क है कि नहीं?

श्री हरिश्चन्द्र : मेरी सूचना है कि सड़क कम्प्लीट हो गई है।

श्री भैरोंसिंह : नहीं हुई है।

श्री विजयसिंह झाला : राज्य को आर्थिक लाभ उसी रूट से हो सकता है जहां ज्यादा बसेज चलती हैं, जनरल पोलिसी यह होनी चाहिये कि राज्य के खजाने में ज्यादा से ज्यादा आमदनी हो.......

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में बोलें।

श्री विजयसिंह झाला : उस आधार पर क्यों नहीं किया जाता?

श्री हरिश्चन्द्र : इस रूट पर भी मावली, कपासिन बड़े बड़े कस्बे आते हैं।

श्री विजयसिंह झाला : भदेसर, मंगलवाड़ वाले रूट पर इससे ज्यादा बड़े गांव आते हैं। चित्तौड़ से वाया मंगलवाड़, भटेवर, उदयपुर जाती है, भीलवाड़ा से नाथद्वारा जाती है यह आधार भी इस पर लागू होता है, फिर इस छोटी सड़क को कैसे ली।

श्री अध्यक्ष : आप बहस मत कीजिये। माननीय सदस्य ने बहुत वजनदार बात कही है, दो ऑल्टर्नेट रूट्स के बारे में कहा कि ज्यादा आमदनी वाले रूट को न लेकर कम आमदनी वाले को क्यों लिया गया?

श्री हरिश्चन्द्र : जो सरकार द्वारा पोलिसी निर्धारित की गई है, उसके तहत यह सड़क ली जा रही है।

श्री अध्यक्ष : क्या पॉलिसी निर्धारित की गई है? कम आमदनी वाली सड़क ली जावे?

श्री हरिश्चन्द्र : वहां सड़क नहीं थी, अब बन गई है....

Page No 25

श्री विजयसिंह झाला : बिलकुल असत्य है, अभी तक सड़क नहीं बनी है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिस सड़क को नेशनलाइज़ किया कि इस पर नेशनलाइज्ड गाड़ियां चलें, वहां सड़क नहीं थी

श्री हरिश्चन्द्र : भीलवाड़ा तक ही गाड़ियां जा रही हैं, वहां नहीं जा रही हैं।

श्री भैरोंसिंह : इसीलिये नहीं जा रही हैं कि वहां सड़क नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र : माननीय सदस्य ने जो फैक्ट्स कहे, सही नहीं हैं। जो राष्ट्रीयकृत मार्ग हमारी लिस्ट पर हैं उनको लेने के लिये लीगल कार्यवाही की जाती है। माननीय सदस्य चाहते हैं कि कल ही हो जाय, आपके राज्य में शायद हो सकता है, हमारे राज्य में नहीं हो सकता।

श्री भैरोंसिंह : एक प्रिन्सिपल है कि जो शॉर्टेस्ट रूट होता है उसको लिया जाता है जिससे कि पेसेन्जर्स को कन्विनियेन्स हो। भीलवाड़ा तक गाड़ियां चलाई इसलिये कि सड़क बन जाय, चक्कर लगाकर पेसेन्जर्स को उदयपुर ले जाया जाय। उस रूट को नेशनलाइज़ इसलिये नहीं किया जा रहा है कि वेस्टेड इन्टरेस्ट्स की गाड़ियां वहां उस रूट पर चल रही हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : मुझे बड़ी खुशी है कि माननीय सदस्य आज नेशनलाइज़ेशन के पक्ष में बोल रहे हैं, आप नेशनलाइज़ेशन के विरोध में बोलते रहे, आज जरूर पक्ष में बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : खुशी और भी ज्यादा होगी अगर आप उनका सुझाव मान लें।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : आधार जो सरकार की तरफ से बताये गये उन आधारों को इन रोड्स में किस प्रकार अपनाया गया? प्रायोरिटी किस आधार पर तय करते हैं, इसका उत्तर नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री रावतराम।

सरदारशहर-रावतसर सड़क निर्माण कार्य

२५६. **श्री रावतराम** (सादुलपुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बतानेकी कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सही है कि सरदार-शहर-रावतसर सड़क पर कुछ हिस्से का अभी तक निर्माण कार्य चालू नहीं हुआ है? यदि हां, तो कहां से कहां तक कितना माइल अभी सड़क बकाया है और यह कब पूरी हो जायेगी?

(२) इस सड़क पर कहां से कहां तक अभी पिच पड़ा है और कितना बकाया है? जो बकाया है उसे कब तक पूरा करवाने का विचार है?

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) यह सही है। रावतसर की ओरसे मील ३।० से १०।०, २६।० से ३३।० तथा सरदार शहर से चूरू जिले में प्रथम १० मील में कार्य आरम्भ नहीं हुआ है। कार्य योजनानुसार चालू है आशा है यह सड़क आगामी योजना में पूर्ण हो जावेगी।

(२) रावतसर की ओर से मील १।० से ३।० में डामर करा दिया है और मील

(श्री भवानीशंकर नन्दवाना)

१०।० से १६ तक कार्य प्रगति पर है। चूरू जिले में १६ मील (१०।० से २६।०) में डामर हो चुका है और ८ मीलों (२६।० से ३४।०) में कार्य प्रगति पर है। आगामी योजना में कार्य पूर्ण हो जावेगा।

श्री रावतराम : (अश्रव्य)

अनेक माननीय सदस्य : कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री अध्यक्ष : श्री उमरावसिंह ढाबरिया।

भीलवाड़ा के प्राइवेट बस मालिकों पर रोड व पैसेन्जर्स टैक्स की बकाया

२६०. श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) भीलवाड़ा जिले में जो प्राइवेट बसें अलग अलग रूटों पर चलती हैं उनके किन मालिकों में कितना कितना रुपया रोड टैक्स व पैसेन्जर्स टैक्स का बकाया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) इस रुपये की वसूली नहीं होने के क्या कारण हैं ?

उप मंत्री, यातायात (श्री भीमसिंह) :

(१) भीलवाडा जिले में जो प्राइवेट बसें अलग अलग चलती हैं उनके मालिकों पर रोड टैक्स की कोई रकम बकाया नहीं है। पैसेन्जर टैक्स की बकाया की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) वसूली की कर्यवाही की जा रही है। कुल बकाया रुपया ३८, २४६.३१ में से रुपया ३०,२३८.३७ की वसूली की कार्यवाही एल. आर. एक्ट के तहत की जा रही है। बाकी के रुपये ८००७.६४ न. पै. के लिये विभागीय स्तर पर वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : माननीय अध्यक्ष, मन्त्री महोदय ने बताया कि यह टैक्स की रकम ३८ हजार बाकी हैं, पैसेन्जर टैक्स की है। पैसेन्जर टैक्स पैसेन्जर्स से वसूल किया जाता है, फिर जमा क्यों नहीं कराई जाती ? तीसरे नम्बर पर ईसरदास, दौलतराम हैं जिसमें ६४७५.६१ न. पै. बाकी हैं, तो क्या यह फोर्जरी नहीं है ? पैसेन्जर्स से टैक्स वसूल करके इतना पैसा अपने पास रख लेते हैं, सरकार की ट्रेजरी में जमा नहीं करते तो इस प्रकार जमा नहीं कराने वालों के खिलाफ....

श्री अध्यक्ष : दोहराइये नहीं संक्षेप में कहिये।

श्री उमरासिंहढाबरिया: और भी लिस्ट दी है, उनमें किसीमें तीन हजार बाकी हैं, किसी में चार हजार बाकी हैं, तो क्या वसूली करने की जिम्मेदारी के अलावा सरकार का कर्तव्य यह नहीं है कि जिन्होंने इस तरह का गलत काम किया है उन्हें जेलों में डाला जाय, उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करके उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाय ?

श्री भीमसिंह : नियमानुसार जो भी कार्यवाही होगी शुरू की जावेगी।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): रोड...

श्री अध्यक्ष : Order please ! क्या सरकार के ऐसे नियम हैं कि जिस गाड़ी वाले के पास पैसेन्जर टैक्स बाकी हो उसको टोकन इश्यू न किया जाय और फिर भी ऐसा किया गया है ?

श्री भीमसिंह : यह लिस्ट है। एक्साइज़ एन्ड टैक्सेशन विभाग इसको इकट्ठा करता है। हमें इन्टीमेट करते हैं तो इश्यू नहीं होते हैं, नहीं करने पर इश्यू होते हैं।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था ऐसी है कि क्लियरेन्स सर्टिफिकेट लाये तब ही टोकन इश्यू होता है ! क्या ऐसी व्यवस्था है और उसका उल्लंघन होता है ?

श्री भीमसिंह : जानकारी करके बताऊंगा।

श्री अध्यक्ष : जानकारी का सवाल नहीं है, ऐसी व्यवस्था है। आप इसके लिए सख्त कदम उठाइये। सर्टिफिकेट न हो तो टोकन एक भी इश्यू न कीजिये। आप ही ने नियम बनाये हैं और आप ही उनका पालन नहीं करते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : कानूनी कार्यवाही की जाय।

श्री अध्यक्ष : Order please !

(विराम)

श्री जयनारायण सालोदिया।

नगरपालिका निवाई का मंजूरशुदा बजट व ऑडिट रिपोर्ट

२६१. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) नगरपालिका निवाई का सन् १६६०-६१; १६६१-६२ व १६६२-६३ का मंजूरशुदा बजट क्या था ? प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या उक्त नगरपालिका का ऑडिट हर साल होता है ? यदि हां, तो गत तीनों सालों के ऑडिट रिपोर्ट की प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) स्वीकृत बजट निम्न प्रकार है।

वर्ष	आय	व्यय
१६६०-६१	७५,२००) रु.	७५,२००) रु.
१६६१-६२	६०,६१५) रु.	५६,६५०) रु.
१६६२-६३	७५,३२०) रु.	७६,४२१) रु.

तीन वर्ष के बजट की प्रतियां रखना बहुत व्यय मात्र होगा।

(२) जी हां। ऑडिट रिपोर्ट बहुत बड़ी बड़ी है।

श्री जयनारायण सालोदिया : माननीय अध्यक्ष, बजट की प्रतियां मांगी हैं। ७५ हजार का बजट है। एक पन्ने के बजट की प्रतियां नहीं रख सके....

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिये; आप क्या पूछना चाहते हैं ?

Page No 28

श्री जयनारायण सालोदिया : ऑडिट रिपोर्ट और बजट की प्रतियां दोनों मिलने के बाद मालूम होगा कि कितना घोटाला है।

श्री अध्यक्ष : ऑडिट की प्रतियां आप देखलें, मंत्री महोदय के पास हैं और आगे आप जो प्रश्न पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं।

(विराम)

श्री भानुप्रसाद कराड़िया।

स्टेट रोडवेज विभाग, जयपुर में लेबर के कार्य के लिये नियुक्ति

२६२. **श्री भानुप्रसाद कराड़िया** (चौमू) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या तारीख ३१-१०-६२ के पश्चात् राजस्थान स्टेट रोडवेज विभाग जयपुर में लेबर कार्य के लिये नियुक्ति आज तक किसी व्यक्ति की नहीं की गई है ? यदि की गई है, तो कितनी ?

यातायात मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : जी हां, कोई नियुक्ति नहीं की गई।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवणलाल।

नीम-का-थाना नगरपालिका अध्यक्ष के विरुद्ध शिकायतें

२६३. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन) : क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि भारतीय जनसंघ नीम-का-थाना ने नगर पालिका नीम-का-थाना के अध्यक्ष के विरुद्ध सन् १९६२ में एक शिकायत, जिसमें गबन व अन्य प्रकार की भयंकर अनियमितताओं का उल्लेख था, मुख्य मंत्रीजी को भेज कर उसकी प्रतियां डाइरेक्टर एवं मंत्री महोदय के पास भी भेजी थीं ?

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक डाइरेक्टर अथवा सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप मंत्री स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) सन् १९६२ से भारतीय जन संघ, नीम-का-थाना की ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्रवणलाल : साफ सुनाई ही नहीं पड़ा।

श्री दौलतराम सारण : आपने जो समय पूछा है उसमें जनसंघ नीम के थाने से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : दूसरे समय में कोई शिकायत प्राप्त नहीं की ?

श्री दौलतराम सारण : यह समय बतायेंगे तो मैं बताऊंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

डॉक्टर्स का बकाया वेतन

२६४. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

राजस्थान में ऐसे कितने डॉक्टर्स हैं जिनका वेतन एक वर्ष से ज्यादा अर्से से उन्हें नहीं मिल रहा है ? ऐसे डॉक्टर्स की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें तथा यह भी बताने की कृपा करें कि कौन-कौन डॉक्टर कितने-कितने माह से वेतन नहीं पा रहा है ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बरकतुल्ला खां) : ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जिसे एक साल से ज्यादा अर्से से तनख्वाह नहीं मिली हो ।

श्री मुरलीधर व्यास : आवाज ही नहीं आयी ।

ऐसे कई डॉक्टर्स हैं जिनका पेमेन्ट रुका हुआ है ।

श्री अध्यक्ष : एक साल से किसी की तनख्वाह रुकी हुई नहीं है ।

श्री मुरलीधर व्यास : छः महीने से रुकी हुई है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : मेरे पास, अध्यक्ष महोदय, ऐसी सूची है कि आठ-आठ महीने से डॉक्टर्स को रुपे नहीं मिली है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न एक साल का है । आप आठ महीने और ६ महीने की बात कर रहे हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : प्रश्न भी एक साल का हो गया ।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उनको पेमेन्ट नहीं कर सकते ?

श्री अध्यक्ष : Order please !

तस्कर सोना

२६५. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** (भीम) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या सरकार की जानकारी में है कि पाकिस्तान से राजस्थान-पाकिस्तान सीमा क्षेत्रों में भारी मात्रा में तस्कर सोना आता रहता है ?

(२) क्या सरकार बतायेगी कि पिछले पांच वर्षों में कितने तस्कर सोने के व्यापारी पकड़े गये तथा उन्हें सजायें दी गई ?

(३) तस्कर सोने को पकड़ने के लिये सरकार क्या कोई विशेष कदम उठा रही है ?

उप-मन्त्री, गृह (श्री भीमसिंह) : (१) सोने का तस्कर व्यापार अब प्रायः समाप्त हो गया है ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : उत्तर स्पष्ट मिल जाना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : Order please ! आप जरा रुकिये ।

श्री भीमसिंह : (२) पिछले पांच वर्षों में (१९५८ से १९६२ तक) २६३ तस्कर सोने के....

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : पहले भाग का उत्तर पुनः दिया जाय।

श्री भीमसिंह : (अपना उत्तर जारी रखते हुए).... व्यापारी पकड़े गये एवं उन्हें पकड़ कर लैण्ड कस्टम डिपार्टमेन्ट भारत सरकार को सौंप दिया गया क्योंकि राजस्थान पुलिस को ऐसे तस्करियों का चालान करने का अधिकार नहीं है। अतएव कितनों को सजा हुई यह बताना यहां से सम्भव नहीं है।

(३) जैसा कि भाग (१) के उत्तर में बताया गया है, तस्कर सोने का व्यापार प्रायः समाप्त हो गया है। फिर भी सीमा पर स्थित पुलिस एवं आर. ए. सी. द्वारा तस्कर सम्बन्धी मामलों में पूर्ण सतर्कता बरती जाती है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : क्या सोना राजस्थान से पाकिस्तान को जाने दिया गया।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद शर्मा।

स्टेट रोडवेज़ द्वारा वातानुकूलित बसों की खरीद

२६६. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान स्टेट रोडवेज़ ने एयर कन्डीशन्ड बसें खरीदी हैं?

(२) यदि हां, तो प्रति बस की क्या कीमत है और उन्हें कौन से रूट पर चलाया जावेगा? इस एमरजेंन्सी के समय में ऐसा भारी खर्च करने की क्यों आवश्यकता हुई?

यातायात मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) जी हां।

(२) प्रति बस की कीमत रुपया १,०५,६१८.२४ लगी है। ये गाड़ियां देहली, आगरा, जयपुर, देहली त्रिभुजी मार्ग पर चल रही हैं। ये गाड़ियां एमर्जेन्सी घोषित होने से पहले ही खरीद ली गई थीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अब तक जितनी बसें चली हैं उनका रिटर्न क्या है?

श्री हरिश्चन्द्र : रिटर्न का आंकड़ा मेरे पास नहीं है, मैंने मंगाया था, मेरे पास आया नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : इतनी बसें खरीदने से पूर्व जब कि एक-एक बस की कीमत एक लाख छः हजार रुपया है सरकार ने क्या यह अनुमान लगा लिया था कि ट्राएंगुलर रूट पर चलाने से यह प्रोफिटेबल होगा?

श्री हरिश्चन्द्र : जी हां। अब तक अनुमान है और बात हमें बतायी गयी है उससे आगे चल कर फायदा होने की सम्भावना है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एस्टीमेट में क्या रिटर्न की उम्मीद की गई थी?

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह झाला।

नगरपालिका नाथद्वारा के विकास योजना सम्बन्धी कागजात

२६७. **श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) :

Page No 31

(श्री विजयसिंह झाला)

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे : (१) नगरपालिका नाथद्वारा के विकास योजना सम्बन्धी कितने कागजात 'कलेक्टर, उदयपुर या एस. डी. ओ. के पास रुके हुए हैं ?

(२) ये कागजात किस तारीख को किस विभाग से वहां गये थे ? अब तक उसमें क्या कार्यवाही हुई है ?

उप-मन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलत राम सारण) : (१) कलेक्टरी उदयपुर में कोई पत्रादि विचाराधीन नहीं हैं। एस. डी. ओ. उदयपुर के पास मीरा नगरी बसाने संबंधी प्रश्न विचाराधीन है।

(२) मीरा नगरी सम्बन्धी पत्रादि माह दिसम्बर, १९६२ में प्राप्त हुए हैं। कार्यवाही की जा रही है।

श्री विजयसिंह झाला : मीरा नगरी की योजना कब से चली है ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने निवेदन किया कि १९६२ में पत्र प्राप्त हुए।

श्री विजयसिंह झाला : कागज कलेक्टरी में कब से रुके हुए हैं ?

श्री अध्यक्ष ; श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

स्टेट ट्रांसपोर्ट सलाहकार समिति

२६८. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : Will the Transport Minister be pleased to reply :—

Is it a fact that the State 'Government has constituted a "State Transport Advisory Committee" ? If so, how many meetings of the same have been held and what recommendations have been made by the same for the regulation of Motor Transport in the State ?

उप-मन्त्री, यातायात (श्री भीमसिंह) : Yes. The State Goverment has constiuted a 'State Transport Advisory Committee'. Only two meetings of the Committee have been held, i.e. on 23. 2. 63 and 27. 7. 63.

The main recommendations made in respect of regulation of motor transport are as follows:—

1. Formation of Regional Consultative Committees for Rajasthan State Roadways.

2. The Traffic Advisory Committee to conduct studies and surveys in Divisional Headquarters, and Jaipur and to suggest proposals for location of Transport Companies and their Godowns.

3. Special apparatus for checking over. Speeding may be provided to enforcement staff of Police Deptt. The enforcement staff of police and Transport Deptt. should specially check cases of over-loading and over-speeding.

4. The problem of transhipment

(श्री भीमसिंह)

over-lapping on Nationalised routes by private operators should be decided early by the sub-committee already constituted.

5. Sub-committees were formed to go into details and make recommendation for the following in respect of Nationalised Road Transport Services :

1. Proper arrangements for identification and security of 1 laggage.

(ii) Exhibition of time table and arrangements for announcement on various important junctions and stations on Head Transport Services.

(iii) Providing amenities to the Passengers, viz. piaos, urinals, covered bus stands etc.

(6) Opening of Railway out-Agency at Kota.

(7) Recommendations may be made to Ministry of Transport and Communications, Government of India, for providing funds for schemes of circular roads round the cities and for providing bye-passes for all towns through which National Highway passes.

(8) Early removal of vehiles from the road after accidents.

(9) Introducing Deluxe Bus services on Jaipur-Ajmer, Jaipur Kota and jaipur-Jodhpur routes.

(10) Starting of shuttle services by RSR for road side passengers who do not get accommodation in through services.

(11) Provision of English and Hindi Newspapers in Deluxe Bus services run by Rajasthan State Roadways.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Has the Government accepted all these recommendations ?

श्री हरिश्चन्द्र (यातायात मंत्री) : These recommendations are under the consideration of the Government.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Has the Government formed State consultative committees for the Rajasthan Roadways.

श्री हरिशचन्द्र : We have formed the State Transport Advisory committees.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I am asking about Consultative committees. आपने यहां यह बताया था कि विभागीय स्तर पर सलाहकार समितियों का निर्माण कर रहे हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : रिकमन्डेशन आई है और उस पर विचार हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

पंचायत समिति क्षेत्र, सांचोर में चेचक का प्रकोप

२६६. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ?

(१) क्या यह सच है कि पंचायत समिति सांचोर में इस वर्ष माता के टीके लगाने के लिम्प्स टीक समय प्राप्त नहीं हुए इससे टीके देरी से लगे और माता की बीमारी की रोकथाम समय पर नहीं की जा सकी ? अगर हां, तो इसके लिये जिम्मेवार कौन है ?

(२) क्या यह सच है कि इस साल तहसील सांचोर के पूरे क्षेत्र में माता की बीमारी का भयंकर प्रकोप फैला है और विशेष कर सांचोर व हाडेचा में माता से बहुत अधिक बच्चों व जवानों की मृत्यु हुई है ? अगर हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(३) इस वर्ष तहसील सांचोर में माता की बीमारी से कुल कितनी मृत्यु हुई ? संख्या बताने का कष्ट करें। पूरी तहसील में टीके कितने गांवों में लगाए गए ? क्या इतनी बड़ी तहसील के लिये सिर्फ एक ही वैक्सीनेटर रखा गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार आयन्दा माता की बीमारी ज्यादा नहीं फैले इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(४) क्या यह सच है कि इस बीमारी से मृत्यु के आंकड़े साधारणतया सही नहीं दिए जाते जिससे सही जानकारी नहीं मिलती ? अगर हां, तो क्या भविष्य में सरकार इस ओर विशेष ध्यान देने का विचार रखती है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बरकतुल्लाखां): (१) जी हां, पंचायत समिति सांचोर में इस साल माता की बीमारी के टीके लगानेका लिम्प्स पटना, डागर, नैनीताल (यू. पी.) से ठीक समय पर नहीं आये, इसके लिये टीके लगाने का काम देरी से शुरू हुआ। लिम्प्स न आने तथा माता की बीमारी होने की जो सूचना डिस्ट्रिक्ट हैल्थ ऑफिसर जालोर से प्राप्त होते ही जयपुर और जोधपुर से स्पेशल टीमें, दवाइयां व लिम्प्स वैक्सीन के साथ काफी तादाद में भेजकर टीके लगाने का मास कम्पेन शुरू किया गया। लिम्प्स देरी से मिला इसकी जिम्मेदारी कायम करने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

(२) जी हां। तहसील सांचोर के पूरे इलाके में माता की बीमारी का जोर रहा, खासकर सांचोर व हाडेचा में। कुल १४० मौतें हुई हैं। ये मौतें चेचक की बीमारी के कारण हुई हैं।

(३) १४० आदमी मरे। पूरी तहसील में ६६ गांवों में माता के टीके लगाये जा चुके हैं बाकी गांवों में टीके लगाने का काम जारी है। राजस्थान में हर पंचायत समिति में एक वैक्सीनेटर रखा गया है, उसी के माफिक इस पंचायत समिति में भी एक ही वैक्सीनेटर काम कर रहा है। सरकार ने मास वैक्सीनेशन की योजना चालू करदी है जिसमें पूरा स्टाफ दे दिया गया है।

(४) जी नहीं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : जहां आबादी डेढ़ लाख से ऊपर है, वहां आपने एक वेक्सीनेटर रख छोड़ा है। वहां एक से अधिक वैक्सीनेटर नहीं रखने का क्या कारण है ?

Page No 34

श्री बरकतुल्लाखां : ओरीजिनली प्लान के मुताबिक हर पंचायत समिति में एक वेक्सीनेटर रखा गया है। जब वहां बीमारियां बढ़ गईं तो हमने यहां से पांच सेनीटरी इन्सपेक्टर्स और १४ वेक्सीनेटर्स भेजे हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मौतें तो हो गईं। उसके छ: महीने बाद आप वेक्सीनेटर्स भेजते हैं, उससे क्या फायदा हुआ ? भविष्य में इस प्रकार की स्थिति न आवे उसके लिये आप क्या इन्तजाम कर रहे हैं ?

श्री बरकतुल्लाखां : जब भी हम देखते हैं बीमारियां बढ़ रही है, हमने अतिरिक्त स्टाफ भेजा है। मौत के आगे किसी का वश नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

[समयाभाव के कारण सदन में न लिए जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तरों के लिए कृपया परिशिष्ट ३ देखिए]

(३. ३२ म. प.)

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूँ कि श्री प्रभुलाल 'सेन्टर' ने दिनांक १६-८-६३ से दिनांक २-६-६३ तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है। क्या सदन की अनुमती है कि आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

स्थगन प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है....

श्री अध्यक्ष : क्या आपको उसके बारे में सूचना नहीं मिली है।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : किस बात पर ?

श्री मुरलीधर व्यास : रूल्स ऑफ प्रोसीज़र के मुताबिक जैसा कि मुझे उत्तर मिला है उसके अनुसार कहा गया कि माननीय मन्त्री महोदय उसका जवाब अपने भाषण में देंगे।

श्री अध्यक्ष : आपको क्या आपत्ति है ?

श्री मुरलीधर व्यास : मुझे आपत्ति यह है कि हमारे रूल्स ऑफ प्रोसीज़र के नियम ५० में स्थगन प्रस्ताव के लिये नियम है उसके लिये नियम २ है, उसके अन्दर लिखा हुआ है "एक ही प्रस्ताव द्वारा एक से अधिक विषय पर चर्चा नहीं होगी"।

तो इस समय जो अविश्वास प्रस्ताव चल रहा है यह एक प्रस्ताव है इस पर दूसरा प्रस्ताव नहीं आ सकता।

श्री अध्यक्ष : आप इसको समझे नहीं, दो प्रस्ताव एक ही तरह के साथ में न आयें।

श्री मुरलीधर व्यास : इसमें यह है....

श्री अध्यक्ष : Order please ! आपकी आपत्ति अस्वीकार की जाती है।

Page No 35

गृह विभाग की अधिसूचना

(सदन की मेज पर रखना)

श्री हरिश्चन्द्र (यातायात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं होम बी विभाग की अधिसूचना संख्या एफ (१) (३) (एच. बी. १)। ६१ दिनांक २१ अगस्त, १९६३, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ १ (३) एच० बी० ।१।६१ दिनांक १६ फरवरी, १९६३ में संशोधन किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं।

(३.३५ म. प.)

मेडिकल कॉलेज, बीकानेर के विद्यार्थियों को छात्रावास में रखने सम्बन्धी विषय पर ध्यान आकर्षित करना

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबन्धी नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत मेडिकल कॉलेज बीकानेर के विद्यार्थियों को छात्रावास में अनिवार्य रूप से रहने के आदेश से उत्पन्न स्थिति की ओर चिकित्सा मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री बरकतुल्ला खां (स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ऑर्डर प्रिन्सिपल ने निकाला था वह सरकार और कोऑर्डिनेशन कमेटी के बगैर पूछे निकाला था। जब सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाया गया कि बीकानेर मेडिकल कॉलेज के हर छात्र को होस्टल में रहना पड़ेगा तो उस पर सरकार ने ऑर्डर दे दिया कि यह ऑर्डर जो प्रिन्सिपल ने निकाला है उसको मन्सूख कर दिया जाय। प्रिन्सीपल के ऑर्डर की मन्शा यह नहीं थी कि वहां पर हर स्टूडेन्ट को खाना खाना पड़ेगा। जैसा कि मालूम हुआ है प्रिन्सिपल यह चाहता था कि एक ही होस्टल में सब लड़के रह कर एक ही एटमोस्फिअर में पढ़ सकें और बाद में घर जाकर वे खाना खा सकते हैं, केवल रहने की व्यवस्था होस्टल में होगी, जिसका रहने का केवल खर्चा १०) रुपया माहवार होगा और जो खाना खायेंगे उनसे ६०) रुपया माहवार ज्यादा लिया जायगा। चूंकि राजस्थान में एक ही पैटर्न होना चाहिये इसलिये जो लोकल स्टूडेन्ट्स हैं उनको होस्टल में रहने के लिये मजबूर न किया जाय। राज्य सरकार ने इस प्रकार के आदेश जारी कर दिये हैं और प्रिन्सिपल ने जो होस्टल में रहना कम्पलसरी बनाया था उस ऑर्डर को रद्द कर दिया गया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा: अध्यक्ष महोदय, सब से पहले आपने जो प्रिन्सिपल महोदय ने ऑर्डर किया उसको मन्सूख कर दिया है उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। लेकिन इसके साथ साथ मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपको जो सूचना दी गई है कि वहां पर १०) रुपया ही होस्टल की फीस रखी गई है यह बिल्कुल गलत सूचना अधिकारियों द्वारा दी गई है। होस्टल की फीस ११६) रुपया प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी पर है....

श्री अध्यक्ष: प्रति क्वार्टर होगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा: नहीं,

(श्री मानिकचंद सुराणा)

अध्यक्ष महोदय, प्रति माह है। इसी कारण वहां के विद्यार्थियों में बड़ा भारी असन्तोष है। मैं माननीय चिकित्सा मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उस आर्डर को कैन्सल कर दिया, लेकिन उसके साथ जिन लड़कों को भरती कर लिया गया और उनसे फीस चार्ज कर ली गई अब उनसे जितने दिन वे रहे हैं उतने दिनों की फीस काट कर उनको होस्टल लीव करने की परमिशन जारी कर दें और उतने दिनों की फीस काट कर बाकी की उनको लौटा दें। मैं निवेदन करूंगा कि आप इस सम्बन्ध में ऑर्डर मैडिकल कॉलेज के अधिकारियों को शीघ्र से शीघ्र देने की कृपा करेंगे।

श्री बरकतुल्ला खां : मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहता हूं। होस्टल रेन्ट है वह ६०) रुपया साल है। इलेक्ट्रिक के ४०) साल है, पानी के चार्जेज़ २०) रुपया साल है, मैस डिपोजिट ४०) रु० साल है मैस फन्ड ५) रु. है, इस में से मैस डिपोज़िट साल के आखिर के अन्दर लौटा दिये जाते हैं। टोटल खर्चा वह नहीं आता है जो माननीय सदस्य ने बताया है। कुल सारा खर्चा १६५) रुपया आता है जिसमें से ४०) रुपया वापिस कर दिया जाता है।

(३.३८ म. प.)

मन्त्रि-मण्डल के प्रति अविश्वास के प्रस्तावों पर अग्रेतर वाद-विवाद एवं अस्वीकृति

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अविश्वास प्रस्ताव पर भाषण शुरू होने से पहले मैं आपसे स्पष्टीकरण चाहूँगा, डिबेट किस समय तक चलेगी और मुख्य मन्त्री किस समय इसका उत्तर देंगे। जैसा कि आपने कल फरमाया था कि विरोधी दल के जिन माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव रखा है उनको राइट ऑफ रिप्लाई होगा तो उसके लिये कितना समय किस वक्त दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : समय की जिस प्रकार से व्यवस्था होगी उसका उल्लेख किया जा चुका है। इसके अलावा आठ बजे तक यह बहस समाप्त होगी और उसी के मुताबिक समय का वितरण किया गया। जो बात माननीय सदस्य ने उठाई कि प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सदस्यों को राइट ऑफ रिप्लाई की, इस सम्बन्ध में जैसा कि मैंने पहले कहा था कि जिन पार्टीज़ का समय बाकी रहेगा उनके माननीय सदस्यों को बोलने का मौका दिया जायगा, नहीं तो मुझे खेद है कि समय के अभाव के कारण समय नहीं दिया जा सकेगा।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसमें समय का अभाव होगा तो उसकी पूर्ति की जा सकती है अधिक समय तक कार्यवाही को चालू रखकर। यह उचित नहीं होगा कि हम जो आरोप लगाते हैं उसका सरकार की ओर से उत्तर न मिले और उल्टे वे प्रत्यारोप लगायें और वे भी गलत तरीके के। पर्सनल एक्स-प्लेनेशन के तौर पर भी हम उस पर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन है कि जब कभी भी सरकार की ओर से समय को बढ़ाने की मांग की गई हमने बराबर सहयोग दिया और समय बढ़ाया गया। आज जब कि सदन के सामने सरकार के प्रति

Page No 37

(श्री भैरोंसिंह)

अविश्वास का प्रस्ताव है, उस पर सरकार से यह आशा करना कि वह समय बढ़ायगी, यह ठीक नहीं है। सरकार इसमें समय बढ़ाना चाहे या न चाहे, हमारे पर जो आरोप लगाये गये हैं और हमने जो उन पर आरोप लगाये उनका उत्तर न देकर उल्टे प्रत्यारोप लगाये, उनका उत्तर देना आवश्यक हो जाता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि हमें राइट ऑफ रिप्लाई का अधिकार होना चाहिये। आप कन्वीनियेन्टली जितना समय बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : सरकार के चाहने न चाहने का प्रश्न नहीं है। सदन के सदस्यों ने स्वीकार किया था कि दो और आधा दिन, कुल ढाई दिन इसके लिये दिया जाय। फिर विचार-विमर्श करने के बाद सरकारी पक्ष और विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने, विभिन्न पार्टियों के सदस्यों ने, निश्चय किया कि पूरा दिन भर का समय आज भी दिया जाय।

इतना समय देने के बाद भी जैसा माननीय सदस्य ने अभी कहा कि दो घंटे बढ़ा दिये जावें तो मैं समझता हूँ कि फिर भी कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिनका अनुपात से समय अभी भी बाकी है। अब सारी कार्यवाही किस तरह से चलती है, समय के अन्दर कार्यवाही समाप्त हो सकती है या नहीं, यह अभी निश्चित तौर से नहीं कहा जा सकता ऐसी स्थिति में अभी समय का निर्णय करना जल्दबाजी होगी। अगर सदन चाहेगा तो समय बाद में बढ़ा सकेंगे।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : (पूर्व क्रम से) अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि राजस्थान की मन्त्रि-परिषद् के विरुद्ध जो यह अविश्वास का प्रस्ताव आया है और इसके विपक्ष में जो कुछ भी राज्य सरकार की ओर से बताया गया है उसमें केवल यह बताया गया है कि जो तथ्य, जो आरोप उनके विरुद्ध लगाये गये थ उनका उत्तर नहीं देकर केवल यह कहा गया कि यदि हमने गलतियां की हैं पिछले वर्षों में, तो आपने कौनसी गलतियां नहीं कीं। तो इस तरह उन तथ्यों का, उन आरोपों का उत्तर तो उन्होंने दिया नहीं, केवल प्रत्यारोप लगाये। तो उनके उत्तर में आरोप-प्रत्यारोप के अलावा कुछ नहीं था।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूँगा कि मन्त्री महोदय इस तरह अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते। वे यह कह कर भी नहीं बच सकते कि विभागीय अधिकारी ने अगर कोई गलती की है तो यह उसकी गलती हो सकती है, मन्त्रि-परिषद् उसके लिये उत्तरदायी नहीं हो सकता, उनके कार्य को मन्त्रि-परिषद् के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का आधार नहीं माना जा सकता। उनका यह कथन नहीं माना जा सकता। मैं कहना चाहता हूँ कि यदि मन्त्री परिषद् के मन्त्रीगण अपने अधीनस्थ इन अधिकारियों के कारनामों पर अंकुश नहीं लगा सकते और उन विभागीय अधिकारियों द्वारा की गई गलतियां उनकी नहीं मानी जा सकतीं तो यह अविश्वास का सबसे बड़ा कारण है। यह स्पष्ट है कि आप उन पर शासन करने योग्य नहीं हैं, आप सक्षम नहीं हैं उनके कारनामों को रोकने में, उनकी गलतियों को रोकने में और उनकी गलतियों के लिये उनको दण्डित करने में तो यही एक सबसे बड़ा

(श्री दुर्गालाल बाददार)

कारण हो जाता है कि क्यों नहीं आपके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाता।

अध्यक्ष महोदय, आप न्याय की व्यवस्था, को ले लीजिये। हिन्दुस्तान की आजादी के बाद हम आशा लगाये बैठे थे कि यह न्याय सस्ता और सुलभ होगा। जयपुर शहर की बात करता हूं, राजस्थान बनने से पहले यहां न्याय आज की अपेक्षा बहुत अधिक सस्ता था। पर आजादी आने के बाद राजस्थान बनने के बाद कोर्ट फीस एक्ट का निर्माण हुआ और इसके निर्माण का उत्तरदायित्व इस मन्त्रिपरिषद् पर है। कोर्ट रसूम आपने लगभग पहले से दुगुनी और तिगुनी कर दी और इस तरह से न्याय सस्ता होने के बजाय महंगा हो गया, इसका उत्तरदायित्व किसके कन्धों पर रखा जा सकता है? यह विचार आपको करना पड़ेगा।

इन आरोपों के उत्तर में आप केवल यह कहें कि जैसी हम गलती करते हैं वैसी आप भी गल्ती करते हैं तो यह उचित नहीं। आप फिर यह भी कहते हैं कि हम गलती करते हैं तो हमारा बहुमत तो है। आप तो गलती भी करते हैं और बहुमत भी नहीं रखते। तो यह कोई जवाब नहीं है।

आप देखिये पहले जयपुर में कोर्ट फीस दावा करने के लिये पांच रुपया, दस रुपया तक पर उसके हिसाब से दे दी जाती थी। ५) रु. तक की रसूम दे दी जाती थी, वहां आज हमारी इस तथा कथित लोकप्रिय सरकार के कानून के अनुसार कम से कम रसूम ४५०) रु. के कागजों पर पेश की जा सकेगी। इसके हिसाब से इसका वेल्यूएशन करना पड़ेगा। यह है आपके सस्ते न्याय का नमूना।

आप अपनी योजनाओं की तारीफ करते हैं सारा रुपया उन पर खर्च करते जाते हैं। पर मैं निवेदन कर दूं कि आपकी ये योजनाएं आपकी यह प्लान्स मोस्ट अनप्लान्ड हैं। आपके बांध बनने से पहले ही टूट जाया करते हैं और आपकी सड़कों का यह हाल है कि इधर निर्माण उनका होता जाता है और उधर पीछे टूटती जाती है। इस प्रकार की योजनाओं में पैसा लगाकर आप केवल पैसे का दुरुपयोग, उसका वैस्टेज़ करते जा रहे हैं। ये कैसी आपकी योजनाएं हैं? इनको आप योजनाएं कहने की हिम्मत करते हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं।

जहां सस्ता न्याय, सस्ती शिक्षा और चिकित्सा, सस्ता खाना पीना आदि चीजें देने का सवाल आता है, आप यह कहकर अपनी जिम्मेदारी से बरी होने का असफल प्रयत्न करते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है।

मैं आज भी देखता हूं, इस जयपुर में सिविल लिटिगेशन के मामले इतने पेन्डिंग में पड़े हैं कि उनमें एक-एक में पांच-पांच, छः, छः महीने की तारीखें पड़ती हैं। फैसले नहीं होते वर्षों तक। आप भी सिविल मजिस्ट्रेट की अदालतों में जाकर वहां का हाल देखें तो सुबह दस से लेकर पांच बजे तक लोगों की भीड़ लगी रहती है, कागजों का अम्बार लगा रहता है उनके सामने। तारीखों पर तारीखें देते जाते हैं। सारा काम वे समाप्त

Page No 39

(श्री दुर्गालाल बाददार)

नहीं कर सकते, उनके सामर्थ्य के बाहर की बात है, दूसरा मजिस्ट्रेट कायम करने का सवाल आता है सामने तो वही तर्क पैसे की कमी का सामने रख दिया जाता है इस सरकार द्वारा ।

अदालतें जो ऑलरैडी ठीक फंक्शन कर रही थीं एडीशनल जज कायम थे, वे तोड़ दी गई । यह व्यवस्था की इस हुकूमत ने जनता को सस्ता और सुगम न्याय देने की । जहां जनता उनसे उम्मीद करती थी कि यह तो लोकप्रिय सरकार है, जनता की सहूलियतों का और उसे सस्ता न्याय दिलाने का ख्याल रखेगी, यह आपने इस जनता का यह ख्याल रक्खा ।

हो सकता है कि आपका बहुमत है इसलिये सारी बातों को नजरअन्दाज करके इस अविश्वास प्रस्ताव को गिरवा दें । आप गिरवा सकते हैं ।

यह कहा गया कि इस अविश्वास प्रस्ताव से यह बहुमत की सरकार अपनी कुर्सियों से हटाई नहीं जा सकती । ठीक है । हमारा भी मकसद आपको कुर्सियों से अभी हटाने का नहीं है इस अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा । इस अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा केवल आपके कारनामों की आलोचना की गई है । हम भी जानते हैं, इससे हम आप से हुकूमत नहीं छीन सकते। फिर अविश्वास प्रस्तावों के पीछे यह भावना होती भी नहीं है सजा देने की भावना होती है केवल । सजा देने के कई तरीके होते हैं । एक आदमी इस प्रकार की सजा में विश्वास रखता है कि दण्ड अवश्य दिया जाना चाहिये । पर हम सुधार की प्रणाली में विश्वास करते हैं । हम आपको आगाह करना चाहते हैं कि जो गलतियां विगत १५ सालों से आप बराबर करते चले आ रहे हैं उनको सुधारो, अगर उन गलतियों को आप सुधार लेते हैं तो हमारा प्रस्ताव मन्जूर होने के बराबर हो जाता है । हमारा तो प्रस्ताव तभी मन्जूर हो गया, इस दृष्टि से जब कि सेन्टर में और अन्य जगहों पर यह अविश्वास की बात पैदा हुई तो कांग्रेस के नेताओं में खलबली पैदा हो गई और घर को, संगठन को सुधारने की चेष्टा की गई । हम इसी को अपनी विजय मानते है । इस हिसाब से इस अविश्वास प्रस्ताव के गिरने के पश्चात् भी आप विजित नहीं कहला सकते । विजय हमारी ही होगी क्योंकि हमने चेतावनी दी और उससे आपकी आंखें खुली हैं । आज आप सोचने लगे हैं कि संगठन को सुधारना है, उसे बलशाली बनाना है । हम भी यही चाहते थे कि सुबह का भूला यदि शाम को भी घर आ जाता है तो क्षमा कर दिया जाय । हम क्षमा करें या न करें । जनता कर सकती है और जनता की अदालत में तभी क्षमा किया जा सकेगा आपको जब कि आप जनता की सुख-सुविधाओं की ओर ध्यान देंगे ।

यहां आपके शासन में शिक्षा-प्रसार, पंचायत का विस्तार और विकेन्द्रीकरण के नाम पर कई घोटाले हुए । लोगों के चारित्रिक स्तर को उठाने के बजाय गिराया गया । यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

आज से १५ वर्ष पूर्व जो सिलेबस इन

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

क्लासों में था, जो शिक्षा का स्तर था उसको गिरा कर आज आप किस प्रकार की शिक्षा देते जा रहे हैं यह विचार का और गौर करने का प्रश्न है। हम उम्मीद करते थे कि एक समय ऐसा आवेगा जब राजस्थान के प्रत्येक नागरिक के बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा होगी, निःशुल्क शिक्षा उसको मिलेगी। पर आज निशुल्क या कम शुल्क के स्थान पर दिनों दिन उसकी फीसों का बोझ बढ़ता जा रहा है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के सारे रास्ते एक साधारण नागरिक के बच्चे के लिये सर्वथा बन्द होते जा रहे हैं।

जहां तक पुस्तकों का सवाल है, वे नहीं मिलतीं। चिकित्सा का यही हाल है। खाने-पीने की वस्तुओं का यही हाल है। कोई व्यक्ति दिल में इस सरकार से सन्तुष्ट नहीं है। जो यहां बैठे हैं इधर या उधर उनके हृदय को भी अगर टटोल कर देखा जावे तो कोई यह नहीं चाहता कि मौजूदा हुकूमत के शासन काल में आराम मिला है। इसके कई कारण हो सकते हैं।

आप किसी और प्रकार से दलबन्दी की नीति से या हथकण्डों से भले ही उनकी सद्-भावनाएं अपने पक्ष में थोड़े समय के लिये प्राप्त कर लें पर वास्तव में हृदय से कोई आपके पक्ष में नहीं है। यही कारण है कि हम यह अविश्वास का प्रस्ताव आपके खिलाफ ला रहे हैं। इसको गिराना एक बात है और जनता का वास्तविक विश्वास प्राप्त करना दूसरी बात है।

जहां तक पंचायतों का सवाल है, मैं कुछ ऐसे तथ्य सदन के सामने रखना चाहता हूँ कि किस प्रकार इस सरकार ने इन पंचायतों को और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले को अपनी एक एजेन्सी का जरिया बना रखा है। इनमें किस प्रकार मनमानी की जाती है अपनी शक्ति को किसी प्रकार बनाये रखने के लिये। मैं ऐसी पंचायतों का जिक्र करूंगा कि जहां पंच अगर विपक्ष का आ जाता है तो उसे किस प्रकार इल्जाम लगा कर और हैरेस करके निकाल दिया जाता है। अगर कोई इल्जाम का मौका न आवे तो जबर्दस्ती से, जालसाजी से या फोर्जरी से उससे त्याग-पत्र ले लिया जाता है। जब वह इसके खिलाफ चिल्लाता है, अपील करता है, राज्य सरकार के पास पहुंचता है तो भी उनके कानों पर कोई जूं नहीं रेंगती। उनके रिप्रजेन्टेशन, आवेदन पत्र और निग-रानियां पेन्डिग में ही पड़ी रहती हैं।

मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करूंगा कि यह जहां तक जिला नागौर का मामला है और उसकी चारों पंचायतों का जिक्र मैं आपके सम्मुख करना चाहता हूँ। पंचायत मैया, पंचायत खेड़ी, पंचायत भूरणू और पंचायत चांदी। इन चारों पंचायतों के सिल-सिले में राज्य सरकार के सामने विषय आ चुका है और राज्य सरकार के विचाराधीन है यह प्रश्न। लेकिन आज तक इस विषय के ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया गया। राज्य सरकार खामोश है क्योंकि राज्य सरकार जानती है कि पंचायतों की स्थिति पर विश्वास किया जाता है तो पुनः उन्हें पंचायतें देनी पड़ती हैं और यदि पुनः चुनाव कराते हैं तो राज्य सर-कार इस स्थिति में नहीं है कि वहां से वोट प्राप्त कर सके। जब इस प्रकार की बात है इस

(श्री दुर्गालाल बादहार)

राज्य में, तो एक तरफ तो आप यह पक्ष लेकर चलें कि केवल यही सरकार ऐसी है कि जिसने जनता के फायदे की और हित की रक्षा की है और दूसरी तरफ आपके कारनामे ऐसे हैं कि आप स्वयं विचार लें कि आप पर विश्वास रखा जाये या अविश्वास रखा जाये। मैं राजस्थान के मुख्य मन्त्री के प्रति यह आरोप लगाता हूँ और इन तथ्यों के द्वारा मैं ही नहीं बल्कि राजस्थान विधान सभा के जितने भी सदस्य हैं वे यह आरोप लगाते हैं कि आपने पन्द्रह वर्षों के शासन-व्यवस्था के अन्दर जनता के सुखों का ध्यान नहीं रखा, आप शिक्षा के प्रसार के नाम पर, विकेन्द्रीकरण के पहलुओं के नाम पर एक एजेन्सी कायम की है और यही मूल कारण है कि जिसके कारण राजस्थान की जनता आपके प्रति अविश्वास का प्रस्ताव आज लाने के लिए तैयार है।

इसके अलावा माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह के भी केसेज़ हैं कि इन पंचायतों में घोटाले हुए और उनमें गबन हो जाते हैं, सैकड़ों रुपयों के गबन हो जाते हैं, पब्लिक की वह रकम है, सरकारी रकम है लेकिन उस रकम के सिलसिले में जब राज्य सरकार के कानों तक ऐसी बातें आती हैं तो कोई न कोई कारण ऐसे हो जाते हैं कि उन पर मुकदमे नहीं चलते हैं। एफ०आई०आर० ३०-१९५९ को, श्री० एस० प्रभाकर नागौर और १९६१ की एफ०आई०आर० मोहनराम उरपंच के खिलाफ एक केस रजिस्टर किया गया और इस केस की रजिस्ट्री होने पर यह तहकीकात के लिये पुलिस के एस० पी० को सौंपा गया और उन्होंने तहकीकात की। तहकीकात करने के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचे कि वाकई में जुर्म बनता है और उसके बाद में यह सूचना पंचायतों को लिख दी गई और अधिकारियों को लिख दी गई, लेकिन आज तक वह केस रजिस्टर नहीं हुआ। जहां तक मुझे सूचना मिली है उसके अनुसार उनके खिलाफ केस न चलने देने के अन्दर हमारे यहां के माननीय गृह मन्त्री जी का हाथ है, विधि मन्त्री जी का हाथ है....

श्री मथुरादास माथुर (गृह मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो आप कह रहे हैं उसके लिए मैं इत्तला दूं कि गृह मन्त्री जी के पास कोई ऐसा केस पेश ही नहीं हुआ है।

श्री दुर्गालाल बादहार : मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। मैं यह निवेदन करता हूँ कि माननीय गृह मन्त्री जी, आज आप स्पष्ट रूप से यह सदन के सामने कह सकते हैं कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं, कोई केस नहीं चला। लेकिन १९६१ के अन्दर एफ० आई० आर० रजिस्टर हो जाती है, इन्वेस्टीगेशन कम्प्लीट हो जाते हैं और उसका चालान पेश नहीं होता है। उसमें आपकी ओर से उदासीनता भी है तो जनता को अधिकार है कि वह आपके विरुद्ध आरोप लगा सकती है कि हो सकता है उसमें विधि मन्त्री जी का हाथ हो।

श्री मथुरादास माथुर : आप यह अन्दाजे से नहीं कहें। मैं निवेदन करूंगा कि अगर केस रजिस्टर हुआ और आज तक उसका चालान नहीं हुआ तो आप कह सकते

(श्री मथुरादास माथुर)

हैं कि देरी हुई। लेकिन यह नहीं कह सकते कि गृह मन्त्री जी इन्टरेस्टेड हैं। यह बात बिल्कुल जुदा है। मेरी नोलेज़ में ऐसा कोई केस नहीं है और यह भी जो आप कह रहे हैं कि सन् १९६१ में केस रजिस्टर हुआ और इन्क्वायरी हो गयी और एस० पी० की रिपोर्ट आपके पास पहुंच गयी और आपने देख ली, यह भी मुझे शक की बात लगती है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विनम्रता के साथ यह निवेदन करूंगा कि सूचनायें मिलती हैं हमको भी, हम भी सूचनाओं का जरिया रखते हैं, यह सही है कि आप हुकूमत रखने वाले हैं, आपका सी०आई०डी० का जाल बहुत लम्बा होता है लेकिन सूचना देने वाले भी आपके ही साथी हैं।

श्री मथुरादास माथुर : लोगों की कही मत कहा करो।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तथ्य मैं सदन के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और गृह मन्त्री जी इसका निराकरण कर सकते हैं। मैं तो केवल यहां दृष्टिगोचर यह बात करना चाहता हूँ कि हमारे बड़े ही उत्साही गृह मन्त्री जी और विधि मंत्रीजी, जिनका डाकुओं को पकड़ने में इतना बड़ा हाथ रहा, कम से कम यह तो दया करें कि ये सफेद डाकू भी फैले हुए हैं, इनके लिए आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं। जब तक आपने घर में फैले हुए सफेद डाकुओं की तरफ ध्यान आकर्षित नहीं किया तो मैं समझता हूँ कि जिस स्थिति को लेकर वे आगे बढ़ना चाहते हैं सम्भवतः वे नहीं बढ़ सकेंगे। तो मैं यह निवेदन कर रहा था.......

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में करें, आपने काफी समय ले लिया है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : ये सफेद डाकू ब्रिटिश गवर्नमेन्ट ने भेज दिये या सफेद कपड़े और सफेद रंग से आपका मतलब है या डकैतियां सफेद होती हैं।

एक माननीय सदस्य : आप भी सफेद हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं सफेद नहीं हूं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं विनम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि जहां तक यह बहुत से ऐसे मसले हैं कि जिन मसलों पर विचार किया जा सकता है और यह प्रत्यक्ष की बात है जिसमें प्रमाण की जरूरत नहीं है। आज आप जाकर किसी भी शहर में, टाउन में हॉस्पिटल्स को उठा कर देख लें, किसी भी स्कूल को उठा कर देख लें, शफाखाने में मरीजों के लिए औषधियों की आवश्यकता है, बैड्स की आवश्यकता है उनकी तरफ कोई व्यवस्था नहीं की जाती है और जब ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो राज्य सरकार की ओर से एक जवाब मिलता है कि हमारे पास पैसे की कमी है। आपके प्लानिंग को बढ़ाने के लिए और जो मोस्ट इन प्लान चलते हैं उनमें रुपया खर्च करने के लिए मैं यहां तक कहने के लिए तैयार हूं और जनता के लोग अक्सर कहा करते हैं कि यह

(श्री दुर्गालाल बाद्दार)

प्लानिंग इसलिए चलते है कि यह कुटुम्ब पाल प्लानिंग है और इनको चलाने के लिए राज्य सरकार का करोड़ों रुपया खर्च करने के लिए आपके पास पैसे आ जाते है लेकिन जहां जनता के आराम का प्रश्न है, जहां उनके स्कूल और विकेन्द्रीकरण का प्रश्न है, जहां औषधियां देने का प्रश्न है, जहां जनता को न्याय देने का प्रश्न है तो इन सबके लिए आपके पास रुपया नहीं है। यह आपका मंत्रि-परिषद् जानता है। राज्य सरकार के ऊपर करोड़ों रुपये का कर्जा हुआ और बिजली जैसी पहले मिलती थी अच्छी मिलती थी, बहुत मिलती और कम से कम सस्ती तो मिलती ही थी। आपने कहा कि करोड़ों रुपया हमारा खर्च हुआ लेकिन जो बिजली आप देते हैं उस बिजली का पैसा ज्यादा देना पड़ता है। वह गनीमत की बात है, लेकिन वक्त पर बिजली भी नहीं आती और बड़े दुख के साथ चूंकि सदन के हम भी साधारण सदस्य हैं, जब यहां की बिजली चली जाती है तो लोग हमारी मजाक करते हैं और कहते हैं कि आपके साथ राजाजी आंख मिचौनी खेलते हैं। यह दुख के साथ हमें सुनना पड़ता है। इसलिए सुनना पड़ता है कि व्यवस्थित प्लान आपका नहीं है। जो रुपया आप खर्च करते हैं उसमें ऐसी कोई बात नहीं और अब आप इसके आउट पुट को देख लें कि कितना आउट-पुट आपने इस प्लानिंग के द्वारा हमारे मुल्क को दिया और जब आप आउट-पुट नहीं दे सकते तो क्या कारण है कि जो प्लानिंग आप लेकर चलते हैं उसके लिये मुझे ऐसा लगता है कि 'पोस्ती नैपी पोस्त, जो नौ दिन चले अढाई कोस'.। तो पोस्ती बोला अरे कोई डाक-तार का हरकारा होगा जो इतनी जल्दी चला गया। आज आप कहते हैं कि आपने तीन प्लानिंग के द्वारा प्रगति की। एक बात दूसरी है आप विचार रखते हैं और आंकड़ों में, कागजों में कुछ ऐसी तरक्की राज्य सरकार की दिखा सकते हैं जिससे जनता के सामने और उनके ऊपर आप आवरण डाल दें, पर्दा डाल दें लेकिन वास्तविकता दूसरी है और असल चीज के ऊपर दृष्टिपात किया जावे तो जिस बात को लेकर आप चलते हैं वह सही नहीं है। आप यहां तक कहेंगे कि जो आरोप मैं आपके सामने रख रहा हूं यह तो छोटी सी काव्यगत भाषा में लगाया हुआ आपके ऊपर आरोप है। आप इसका निराकरण करिये और मैं यह कहूंगा कि केवल आप शक्ति को प्राप्त करने के लिये, अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिये, यह हो सकता है कि आप दुनियां को गुमराह करने आगे चले जायें लेकिन जहां तक आराम का प्रश्न है आपने जनता को कोई आराम नहीं दिये। यह शुद्ध रूप से चरितार्थ होता है और मैं यह कह सकता हूं कि मेरी छोटी सी रचना है और वह मैं खास तौर से सुनाना चाहता हूं वह यह है :

"मुझको मन्त्री पद प्यारा है !
हारे मित्रों का क्या ? मैंने
जीते उनको पुचकारा है।
जनता नाराज भले ही हो,
यदि वोट मिलें कम फिर भी क्या
बहुमत अपना कर लेने का
मैं रच लेता हूं व्यूह नया
मैं नेता बन मन्त्रि–मण्डल
अपना ही शीघ्र बनाता हूँ

(श्री दुर्गालाल बाददार)

मोहन मथुरा का बालकृष्ण
हरि हरिचन्द सा चमकाता हूँ
भीखा में बरकत करने का
मैंने मिरधावृत धारा है ।
मुझको मन्त्री पद प्यारा है ॥

भूतल को स्वर्ग बनाने की
मैं नई योजना लाता हूं
है मुझे आंकड़ों पर काबू
उन्नति इनमें दिखलाता हूँ
असलियत कागजों का पेटा
भर देने से दब जाती है
टोली विरोधियों की हरदम
यूं ही बकती चिल्लाती है ।
इस कान सुना उस कान हटा
देना मैंने भी धारा है ।
मुझको मन्त्री पद प्यारा है ॥

मैं जितना जैसा भी चाहूँ
अपना ही बजट बनाता हूँ
नित नए करों को अपनी ही
मरजी से मैं मनवाता हूँ
मांगों में कमी कटौती को
होने देता मैं पास नहीं
मानूं विरोधियों की बातें
इसमें मुझको विश्वास नहीं
बस हंस कर टाल बताने का
मेरा अपना ढंग न्यारा है ।
मुझको तो मन्त्री पद प्यारा है ॥

जितने अब तक के नेता थे
उन सबका ठंडा जोश किया
चौकड़ी भुला देता उसको
जिसने विरोध का होश किया
व्यक्ति तो क्या मैं नजरों तक
को तनिक नहीं बढ़ने देता
जिस जगह विरोधी रहते हैं
वह जगह नहीं चढ़ने देता
जा छोड़ूं बीच भंवर जिसको
क्या मिलता उसे किनारा है ।
मुझको मन्त्री पद प्यारा है ॥

(४.०० म० प०)

मैं केवल यह निवेदन करूंगा, अध्यक्ष महोदय,........

श्री अध्यक्ष : इसके बाद क्या बोलेंगे आप ?

श्री दुर्गालाल बाददार : जो कुछ विचार यहां व्यक्त किए गए हैं, निस्संदेह मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि हमारी विजय इसी में है कि आप लोगों की आखें खोलें तो विरोधी हारे नहीं हैं, उनकी विजय है। अभी भी आप आंख बंद कर बैठेंगे तो इसके क्या परिणाम होंगे, इसको आप स्वयं जानते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह ।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, कल जब अविश्वास के प्रस्ताव पर बहस हो रही थी तो हमारे गृह मंत्रीजी ने कहा कि उनकी समझ में नहीं आता कि यह अविश्वास का प्रस्ताव है या बच्चों की रेलगाड़ी का डिब्बा है। उनकी राय में यह कॉकटेल प्रस्ताव इसलिए था कि एक तरफ स्वतंत्र पार्टी थी, दूसरी तरफ जनसंघ, तीसरी तरफ सोशलिस्ट पार्टी और चौथी तरफ इण्डिपेंडेंट्स थे और इनका गठजोड़ उनकी राय में किन्हीं सिद्धान्तों का गठजोड़ नहीं है। लेकिन वह

Page No 45

(श्री नत्थीसिंह)

भूल गए कि जब केरल में साम्यवादी सरकार को हटाने के लिए उनकी कांग्रेस सरकार ने, पी. एस. पी. की बात नहीं कहता हूं, उस मुस्लिम लीग से गठबंधन किया जिसने भारत-माता के दो टुकड़े करवाये, तो क्या कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सिद्धान्त एक हो गये थे।

(विराम)

आज कांग्रेस सरकार के नादिरशाही कामों के खिलाफ अगर विरोधी दलों के सब सदस्य मिलकर अविश्वास का प्रस्ताव लाते हैं तो ये कहते हैं कि यह तो बच्चों का खेल है, कॉकटेल का प्रस्ताव है।

आज जो अविश्वास का प्रस्ताव रखा है उसे वे विरोधी दल, जो आपस में इतने अधिक मतभेद रखते हैं, वे सब आपके अत्याचारों से बाध्य होकर एक साथ होकर, यह प्रस्ताव लाये हैं, सिवाय कम्युनिस्ट पार्टी के। वे भी आपकी सरकार में अविश्वास रखते हैं लेकिन वे इस पर वोट नहीं देंगे।

नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य कहते हैं कि उनकी पार्टी ही जनतंत्र लाई है और जो अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया है........

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : मैंने यह नहीं कहा।

श्री नत्थीसिंह : वे समझते है कि जन-तंत्र की लड़ाई लड़ने में केवल उन लोगों का ही सहयोग रहा। आज एम. एल. एज़. की लिस्ट देख लें, मंत्रियों की लिस्ट उठा कर देख लें। उसमें देखिये बहुमत १६४७ से पहले वाले कांग्रेसियों का है या १६४७ के बाद वालों का। मैंने हिसाब लगाया है, जन-तंत्र के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, आजादी के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, उसमें से इन १८ मन्त्रियों में से केवल एक तिहाई ऐसे हैं, जिन्होंने कुछ कुर्बानियां कीं, कष्ट उठाये हैं। बाकी २/३ बहुमत उन लोगों का है जो न कभी जेल गए, न कोई कुर्बानी की। फिर भी वे कहते हैं कि हमने जो राजाओं के साथ प्रिवी पर्सेज़ के वायदे किये हैं वे निभाएंगे। जब हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर पूछते हैं कि क्या आप १५ अगस्त, १६४७ से पहले जनता के साथ किए हुए वायदे निभाएंगे या नहीं, तो इसका जवाब नहीं दिया जाता है, क्योंकि इन नये मुल्लाओं को १६४७ से पहले की क्या मालूम ?

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने विविन बोस कमीशन रिपोर्ट के उद्धरण दिए और सिराजुद्दीन कांड का रेफरेंस दिया तो इधर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने यह कहा कि यह तो कमीशन हमने बिठाया है और यह हमारी सरकार की हिम्मत है। लेकिन मैं बड़े अदब से पूछना चाहता हूं कि सिराजुद्दीन कांड के खोलने के लिए विविन बोस कमीशन बिठाने के लिए, सरकार को मजबूर किसने किया ? पार्लियामेंट में आवाज किसने उठाई और किसकी आवाज से मजबूर होकर वह कमीशन बिठाना पड़ा ? और सिराजुद्दीन कांड की जांच करनी पड़ी और मंत्रियों को हटना पड़ा।

(श्री नत्थीसिंह)

आप अपने को समाजवादी कहलाने वाले, उस समाजवादी सरकार से मैं कहना चाहता हूँ कि आज राजनीति में जिनके हाथ में सत्ता है, तथा पूंजीपतियों के बीच नापाक गठबंधन है। इसलिए एक तरफ जिस मुख्य मंत्री के बंगले की मरम्मत पर ३५,०००) रुपये खर्च किया जाता है, दूसरी तरफ इस प्रदेश के शहरों की हालत देखिए, कितनी गंदगी हद दर्जे की है। और हम जो लोग वहां पर रहते हैं कहते हैं कि भरतपुर शहर में ड्रेनेज की योजना होनी चाहिए, तो कहा जाता है कि पैसे का अभाव है।

दूसरी तरफ भरतपुर शहर के अन्दर बिड़ला वैगन फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री को भरतपुर की सीमा में शामिल करने के लिए वहां के नागरिकों की डिमांड उठती है, पोलिटिकल पार्टीज की डिमांड उठती है। तो तीन वर्ष के बीतने के बावजूद बिड़ला वैगन फैक्ट्री को नहीं मिलाया जाता है, जिसके मिल जाने से एक नया पैसा चुंगी के हिसाब से नगरपालिका की १॥ लाख की आमदनी बढ़ेगी। यह इसलिए नहीं किया जाता कि बिड़ला फैक्टरी के जरिए चुनाव के लिए जो कांग्रेस को पैसा मिलता है वह कहीं बंद न हो जाय। आज भी उस कम्पनी से कांग्रेस पी. सी. सी. के सदस्यों, जिला कांग्रेस कमेटी के प्रमुख और दूसरे सदस्यों को १५०) से लेकर ३५०) माहवार तक तनख्वाह मिलती है। यही नहीं, वहां मजदूरों पर अत्याचार होते हैं, मजदूरों को दबाया जाता है, उनके हकों की रक्षा नहीं की जाती है। सरकार का सहयोग लेने के लिए यह फैक्टरी केन्द्रीय मंत्री के बड़े भाई जो पेन्शनर हैं, को ६००) रुपये माहवार देती है। मजदूरों के अधिकारों का हनन ये लोग करते हैं और तभी हम कहते हैं कि आपका नापाक गठबंधन है। आप जनता की कोई मांग सुनने को तैयार नहीं हैं। आपका जवाब होता है, यह हमने किया। मैं पूछना चाहता हूँ कि भरतपुर की जनता के साथ इस प्रकार का अन्याय क्यों? और बिड़ला को इस प्रकार का उत्साह दिया जाना कहां तक समाजवाद है? इसके साथ ही साथ........

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह मैं कह सकता हूँ कि नाम की लिस्ट रखी है। यहां पर बताएं उससे कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री नत्थीसिंह : मैं आपके समाजवाद की बात कह रहा था। इसके साथ ही साथ....

श्री अध्यक्ष : (श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा के खड़े होने पर) Order! Order Please!! माननीय सदस्य आपने इतनी शान्ति से भाषण दिया तो दूसरों को भी देने दें।

श्री नत्थीसिंह : इसके साथ ही साथ आपने यह कहा है कि हम जनतंत्र की परम्पराओं को प्रतिष्ठित करने वाले हैं, जनतन्त्र की परम्पराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं बड़ी विनम्रता के साथ इस सदन के सामने कहना चाहता हूँ कि परम्पराओं को बढ़ा नहीं रहे हैं, बल्कि घटा रहे हैं। इसके कारण ही विरोधी दलों को मजबूर होना पड़ा आपके खिलाफ आवाज बुलन्द करने के लिए, जनतन्त्र की परम्पराओं को बढ़ाने के लिए यह जरूरी है।

मैं मानता हूं कि मिनिस्टरों के भाई, भतीजे, लड़के, रिश्तेदारों को अधिकार है कि

(श्री नत्थीसिंह)

वे नौकरी पायें, वे रोजगार पायें। यह अधिकार उनको है, उससे मैं डिनाई नहीं करता हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आप परम्पराएँ कौनसी डाल रहे हैं ? मुख्यमंत्री के दामाद को केवल उसी समय जयपुर के पास से हटाया जा सकता है जब कि उनको इंग्लैण्ड ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है और वहां से ट्रेनिंग करके लौटने के बाद उन्हें आई० ए० एस० का चान्स मिले और शायद रेपिड प्रमोशन हो। दूसरे इनके साले हैं जो कि नॉन-मेट्रिक होते हुए भी असिस्टेन्ट कमिश्नर बन गये हैं दूसरों की गर्दन तोड़कर। तो इसका सर्विसेज़ पर क्या असर होता है। उन पर क्या यह असर नहीं पड़ेगा कि आज जिनका वसीला है, कांग्रेस सरकार में कांग्रेसियों का जरिया है, वही तरक्की पाता है, वही अपने काम निकाल सकता है। जब इस प्रकार की घटनाएं आती हैं तो सिर शर्म से नीचे झुक जाता है और मजबूर होकर कहना पड़ता है कि आप जनतन्त्रीय परम्पराएं प्रतिष्ठित नहीं कर रहे हैं, उनको तोड़ रहे हैं।

मैं एक बात और पूछना चाहता हूं, वह यह है कि यहां समाज-कल्याण की बात आई। समाज-कल्याण बोर्ड यहां है उसकी अध्यक्षा कौन है ? अध्यक्षा जो हैं उनके प्रति मैं कुछ नहीं कहता, क्योंकि उनका मैं आदर करता हूं, सम्मान करता हूं क्योंकि वे महिला हैं, एक सम्माननीय महिला हैं, लेकिन उनकी योग्यता क्या है ? समाज-कल्याण बोर्ड की अध्यक्षा केवल वे इसलिए हैं कि वे माननीय मुख्यमंत्री की पत्नि हैं.......

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप मंत्री, शिक्षा) : Point of Order, Sir, माननीय अध्यक्ष, ऐसे प्रश्न जब कभी भी सदन के प्रांगण में आये हैं तो जो कोई डिफेन्ड नहीं कर सकता है ऐसे प्रश्नों के ऊपर माननीय अध्यक्ष, आपके द्वारा कई बार इस सम्बन्ध में रूलिंग्ज दे दिये गये हैं और सदन की जो परम्परा रही है कि ऐसे मसलों पर बहस नहीं की जाय।

श्री नत्थीसिंह : आपने अपनी लॉयल्टी जाहिर कर दी है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : इसमें कोई तथ्य नहीं है कि किसी वॉलन्टरी एजेन्सी के चेयरमैन होने में कोई क्वालिफिकेशन ऐसी नहीं होती है। उसमें क्षमता होती है, अनुभव होता है और सेवा की प्रवृत्ति होती है।

श्री नत्थीसिंह : इसके साथ साथ मैं कहूंगा कि आप परम्परा की बात करना चाहते हैं। विदेशों में बड़े बड़े शक्तिशाली साम्राज्यवादी हुए हैं, बड़े-बड़े शक्तिशाली डिक्टेटर हुए हैं, शक्तिशाली फासिस्ट्स हुए हैं, बड़े शक्तिशाली डेमोक्रेट हुए हैं, जिनकी अपने देश में धाक थी, उनकी सरकार पर धाक थी, उनके भी प्रिय बेटे बेटी रहे हैं, पत्नियां रही हैं, लेकिन आपको उदाहरण एक भी नहीं मिलेगा कि जिस प्रकार से यहां पर जो अपने प्रियतम और निकटतम रिश्तेदार हैं उनको सार्वजनिक स्थानों पर किया गया हो। आपको रूस की बात कहता हूं कि वहां पर सार्वजनिक रूप से स्टालिन ने कहा था, जिसको कि आप डिक्टेटर मानते हैं, कि उसकी प्रिय लड़की स्वेतलाना है, लेकिन उसको कभी कम्युनिस्ट

(श्री नत्थीसिंह)

प्रेसीडियम में नहीं रखा गया, कम्युनिस्ट सेन्ट्रल कमेटी में नहीं रखा गया। मुसोलिनी की बेटी एड्डा थी जिसने कि सारे फासिस्ट आंदोलन को संगठित किया था। वह गद्दी पर आया, उसके हाथों में ताकत आई तो उसने एड्डा को एक भी जगह नहीं दी। रूज़वेल्ट ने अपने बेटे-बेटियों को कहीं प्रतिष्ठित नहीं किया। एटली, जिस ब्रिटिश परम्परा का हम बहुत सी बातों में अनुकरण करते है, उसकी लड़की जब वह प्राइम मिनिस्टर था तब भी अध्यापिका थीं और आज भी अध्यापिका हैं।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : On a point of order, Sir, योग्यता का इस सम्बन्ध में कोई जिक्र नही होता है।

श्री नत्थीसिंह : इसके साथ ही साथ दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि बड़े फख्र के साथ यह कहा गया है कि अविश्वास का प्रस्ताव किस समय लाया गया, इस वक्त पर लाया गया है जबकि देश पर चीन की सेनाएं आ रही हैं, चीन हमलावर बढ़ता चला आ रहा है। चीन हमारी सीमा को दबा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि मैं मानता हूं कि हमारे गृहमन्त्रीजी, और लोगों की बात नहीं कहता हूं, उनकी बात छोड़ देता हूं, काफी पढ़े-लिखे हैं। उन्होंने तवारीख की बात कही, उनको तवारीख का भी ज्ञान है, लेकिन इस बात से मुझे भ्रान्ति हुई कि वे तवारीख के स्थान पर कहीं फ़िल्म इंडिया तो नहीं पढ़ने लगे। रूस को फरेन्सी सरकार तथा हंगरी की पिटाको सरकार कब गिरा दी गईं थीं जब कि उस पर इल्जाम था कि देश की रक्षा नहीं कर सकीं। हमारे सचेतक महोदय जो कल ही बात कर रहे थे, जो कि इंग्लैण्ड से ताजा ताजा लौटे हैं, उन्हें शायद याद होगा कि पिछले महायुद्ध में चेम्बरलैन की सरकार के लिए लेबर पार्टी ने, जिस लेबर पार्टी के लिए हिन्दुस्तान की कांग्रेस कई बातों में प्रशंसा करती है, उस लेबर पार्टी ने नारा दिया था कि टोरी सरकार को हटाओ व नाजी जर्मनी को भगाओ, तो चेम्बरलैन की सरकार को हटना पड़ा। आज देश पर दुश्मन चढ़ा आ रहा है। दुश्मन ने हमारी भूमि दाब रखी है। आपने कल माना था, गृहमन्त्रीजी ने कि एमर्जेन्सी में जो उत्साह लोगों में पहले था वह उत्साह अब मन्द पड़ गया है। राइफल ट्रेनिंग में लोग नहीं आते हैं। वह उत्साह बरकरार नहीं रहा, न रखा गया है, इस बात को आप मानते हैं, इस बात की जिम्मेदारी सरकार पर है।

इसके साथ साथ बड़े बड़े टैक्स लगाते हैं जिसको वे जरूरी समझते हैं। उन्होंने कहा कि जरूरी है टैक्स का लगाना। वे टैक्स किसानों की कमर तोड़ रहे हैं, महनतकश मजदूरों को दबोच रहे हैं। उसके साथ साथ मध्यम वर्ग को पीस डाला है। आज जनता के मनोबल को खत्म कर दिया है और जब मनोबल खत्म हो जाता है तो जनता ऐसी स्थिति में आती है कि उनकी फूट डालो की राजनीति को समझा है और उनका प्रतिनिधि स्वरूप जो विरोधी दल है उससे यह प्रस्ताव रखवाया है। यह कहना कि कुछ लोग जो गिनती में कम हैं यह प्रस्ताव रख रहे हैं, कोई मायने नहीं रखता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने तस्लीम किया है कि ३८ पर्सेन्ट वोट पर आप राज्य कर रहे हैं और

(श्री नत्थीसिंह)

६२ परसेन्ट वोट उनके है जो विरोध रखते हैं। जनता में....

श्री मथुरादास माथुर (गृह मन्त्री) : यह गलत है।

श्री नत्थीसिंह : मैं वह भी स्पष्ट कर दूंगा।

३८ परसेन्ट लोगों ने आप पर विश्वास किया है और ६२ प्रतिशत वोटर्स ने अविश्वास किया है, लेकिन जो चुनाव प्रणाली है उसके कारण आप राज्य कर रहे हैं। अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेज़ेन्टेशन की चुनाव-प्रणाली होती तो आप राज्य नहीं कर सकते थे। चुनाव पद्धति की बात इसलिए कही है कि यहां जो विरोध में बैठे हुए लोग है वे चुनाव के वक्त में आपस में लड़ते हैं और आपके साथ भी लड़ते हैं। इस कारण से ३८ परसेन्ट पर भी आप आकर राज्य करते हैं, आज हर्ष की बात है कि सब मिलकर अविश्वास का प्रस्ताव लाये हैं जो कि ६२ परसेन्ट मतों का रिप्रेज़ेन्टेशन कर रहा है।

यही नहीं, चीन के आक्रमण के बाद सब पर पिछले बजट सेशन में आपके द्वारा लगाये टैक्सों के कारण वह मत अब ६२ से आगे बढ़कर ८० और ९० तक पहुंच गया है, नहीं तो विरोधी दलों के लोगों की चुनौती स्वीकार कर चुनाव करायें तो पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं।

इसके साथ-साथ मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं और वह यह है कि जब आप यह कहते हैं, यह निश्चित आप राहत देते हैं, इस तरह से कि जब वोट का वक्त होगा तो कम्युनिस्ट भाई तटस्थ रहेंगे लेकिन उनके नेता ने जब भाषण दिया तो स्पष्ट कर दिया था कि उनका विश्वास आपकी सरकार में नहीं है, लेकिन वे तटस्थ रहेंगे, इस बात से आश्वस्त होने की जरूरत नहीं है। इस बात से आपको सावधान होने की जरूरत है। इससे आपको सबक लेने की जरूरत है। आपने कहा था कि हम जनतन्त्र की रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन वे भी कहते हैं कि हम जनतन्त्र की रक्षा करना चाहते हैं, हम भी कहते हैं कि जनतन्त्र की रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन जनतन्त्र में फर्क है, आपके जनतन्त्र में और उनमें। उनका पीपुल्स डेमोक्रेसी का जनतन्त्र है और रामानन्दजी, जो अलवर के हमारे साथी हैं, माननीय सदस्य उनकी याददाश्त बहुत ज्यादा ताजा है। वे जानते हैं कि यदि सरकार बदल गई और वास्तव में जनतन्त्र की परम्पराओं की प्रतिष्ठा करने वाली सरकार आ गई तो शायद उनको देर लगेगी। लेकिन वह सरकार जो जानती हैं कि जनता पिस रही है, मजदूर मर रहे हैं, पार्लियामेंट में जब यह कहा गया कि २७ करोड़ लोगों की आमदनी ३ आना रोज है तब प्रधान मन्त्रीजी ने कहा कि नहीं १५ रोज है, पर उन्होंने अब माना है कि २७ करोड़ जनता का खर्चा ७॥ आना रोज है। इस पर भी आप गरीबों पर अनिवार्य बचत योजना लगाते हैं, नये-नये टैक्सेज़ का बोझ उन पर डालते हैं, उसके बाद ग्राम पंचायतों को पंगु बनाते हैं। उसके बाद भी आप कहते हैं कि हम तरक्की करते हैं, आगे बढ़ रहे हैं; लेकिन जनता जानती है कि कितनी आगे बढ़ रही

(श्री नत्थीसिंह)

है। इस प्रकार की सरकार रहनी नहीं चाहिए।

चीन में भी जब चांगकाई शेक की सरकार थी तब जनता कहती थी कि उस पर अत्याचार हो रहा है, तब चांगकाई शेक कह रहा था कि नहीं अत्याचार नहीं हो रहा है। लेकिन आगे चल कर उसका नतीजा यह हुआ कि चांगकाई शेक को फार्मूसा में जाकर शरण लेनी पड़ी। इसलिए आप से कहते हैं कि सबक लो। तुलसीदासजी ने चौपाई कही है, वह चौपाई आपकी सरकार पर पूरी लागू होती है:

"मूरख हृदय न चेत,
जो गुरू मिले विरंच सम"

हम कितना ही करें, लेकिन आपकी समझ में नहीं आएगी, यदि नहीं आयगी तो चांगकाई शेक वाला हाल आप का भी होगा। रामानन्दजी यहां बैठे हैं, वे जयपुर और दिल्ली की गद्दी पर कब्जा करते नजर आयेंगे, तो आपका जनतन्त्र हवा हो जायगा।

इसके साथ ही मैं आपसे कुछ बातें और कहना चाहता हूं ....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार कल और परसों व्यवस्था थी, बाहर बहुत से लोग खड़े हैं बैठने को स्थान नहीं है, कल जैसी व्यवस्था कर दें, दरवाजे खुलवा दें।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मन्त्री, शिक्षा): This amounts to Canvassing the galleries, Sir.

श्री अध्यक्ष: इसकी उचित व्यवस्था कर दी गई है, आदेश दे दिया गया है। खास तौर से व्यवस्था का ध्यान रखते हुए जितने लोगों को आने दिया जा सके उतनों को आने दिया जाय।

श्री नत्थीसिंह: अध्यक्ष महोदय, एक बात इस सदन में बार-बार कही जाती है, वह यह कही जाती है कि हम तरक्की कर रहे हैं, तरक्की के रास्ते पर जा रहे हैं, इसलिए टैक्स लगाने चाहिए। पिछली दो पंचवर्षीय योजनाओं के बाद और तृतीय पंचवर्षीय योजना के दो-ढाई वर्ष पूरे होने के बाद करीब २-३ अरब रुपये खर्च किये गये, लेकिन उनसे रिटर्न क्या मिल पा रहा है? बड़े-बड़े बांध बनाये, कैनाल्स बनाईं, राजस्थान केनाल बनाई, मेरे पास इसकी फहरिस्त है, मुझे पार्टी की तरफ से और बोलने वालों का ध्यान न होता तो फहरिस्त लाकर पेश करता।

आपने डेम बनाये, लेकिन ऐसे बनाये कि बनाते ही टूट गये, उनकी दुरुस्ती हुई है और दुरूस्ती के बाद फिर टूटे हैं, उतने ही रुपये फिर खर्च किये हैं। इसके बावजूद भी आपने कहा था कि इतनी सिंचाई कर पायेंगे, लेकिन आज उससे आधी भी सिंचाई नहीं हो रही है। इसके बाद भी आप कहते हैं कि योजना बनाई है। आपकी योजना कितनी गलत थी? राजस्थान का भला चाहते तो आप उन योजनाओं को बनाते जिनसे जनता को तत्काल लाभ हो सकता था। हमारे कृषि मन्त्री अभी इज़राइल जाकर आये हैं। उन्होंने वहां पर

(श्री नत्थी सिंह)

सिंचाई का तरीका देखा होगा कि वहां पर किसानों को इनीशियेटिव लेकर सुविधा दी है, हैंड पम्प्स की सुविधा दी, उसी प्रकार से यहां भी यह सुविधा दी जा सकती थी। इसी प्रकार से तत्काल उपयोग करने की बात थी उनको राजस्थान में नहीं किया। मैं बताना चाहता हूं कि भरतपुर जिले के मत्स्य राज्य में विलीन होने से पूर्व वहां पर २१४ बांध बनाये गये थे और २४ कैनाल्स थीं जिनका मेन्टीनेन्स का खर्चा ३ लाख रुपये था। आज उस जमाने से आठ गुनी मंहगाई बढ़ गई है लेकिन आज भी बजट में वही ३ लाख रुपये मेन्टीनेन्स के लिए रखे हैं, नतीजा साफ है।

जो बांध आपने पंचायत समिति को ट्रांसफर किये उनमें से ६४ बेकार हो गये, २४ बांध जो इर्रिगेशन विभाग में थे, बेकार हो गये, १२ नहरें बेकार हो गईं। यदि आप उन पर खर्च करते और ठीक तरह से उनका मेन्टीनेन्स करते तो नतीजा यह होता कि राजस्थान के पूर्वी भाग में जो पैदावार आज होती है उससे दुगुनी होती और उससे जो फायदा होता उसको आप बड़ी योजनाओं पर खर्च करते, लेकिन आपका ध्यान टैक्स लगाने की ओर था।

आपका ध्यान किस ओर जाता है, यह मैं एक भरतपुर की घटना से बताना चाहता हूं। जब पिछले अधिवेशन में यह कहा गया कि आप जमीन पर टैक्स लगाने को बात करते हैं, सिंचाई पर कर लगाने की बात करते हैं, पर बड़े–बड़े शहरों से जिनका संबन्ध है, बड़ी-बड़ी मकानों की जागीरें हैं उनकी तरफ क्यों नहीं देखते हैं, उसका कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया कि मुख्य मंत्रीजी की कॉन्स्टीट्यूएन्सी नगरों में हो सकती है और फाइनेन्स मिनिस्टर साहब का सम्बन्ध भी शहर से हो सकता है। लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूँ कि यदि आपका ध्यान नगरों की ओर जाता है तो अभी जो बिल आया था उद्यानों और पार्कों में जो ताजा हवा खाने जाते हैं उन पर क्यों टैक्स लगा रहे हैं ?

भरतपुर में राजाओं का राज्य था, सामन्ती शासन था, यह बात हम भी कहते हैं, लेकिन उस जमाने में जो गरीब विधवाएं थी उनको देवस्थान विभाग से उनके भरण-पोषण के लिए सहायता मिलती थी। वे गरीब विधवाएं जिनके पति नहीं थे, बेटे नहीं थे और दूसरा कोई सहारा नहीं था उनको १६ सेर धान मय २ सेर गुड़ खाने के लिए मिलता था और ६ पैसे रोज खर्चे के लिये मिलते थे। ज्यों ज्यों मंहगाई बढ़ती गई उनकी सहायता भी बढ़ती गई। लेकिन आज आपके राज्य में वे विधवाएं रोरही हैं। मन्त्रीजी के पास उनको सहायता देने के लिये लिख कर भेजा उसकी कॉपी मेरे पास है, लेकिन आपने बजट में कटौती इसलिये की कि खर्चे में कमी करना चाहते थे, गरीबों को मिलनेवाली सहायता बन्द करके :

(विराम)

आपके बजट का एक खास तरीका है, जब आप बचत करना चाहते हैं तो आप चपरासियों में कटौती करेंगे लेकिन डिप्टी मिनिस्टरों की संख्या में बढ़ोतरी करते हैं। वे तो और भी आगे राज्य मन्त्री बनते, वह तो खास वजह हो गई, मुख्य मन्त्रीजी को विदेश जाना पड़ा और फिर

Page No 52

(श्री नत्थीसिंह)

कामराज की कायाकल्प योजना आगई वरना और बढ़ोतरी होती। इस तरह से आप एक तरफ यह करते हैं और दूसरी तरफ गरीबों पर छुरी चलाते हैं।

कल बयाना से आने वाले माननीय सदस्य पुलिस के अत्याचारों की कहानी सुना रहे थे। उनके बारे में यह कहा गया कि उन्होंने कांग्रेस पिछले चुनाव के समय छोड़ी है, इसलिये वे अन्य वजहों से इस तरह की बात करते हैं, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने तो कांग्रेस ५५-५६ में छोड़ी थी लेकिन मैंने कांग्रेस चुनाव के पहले छोड़ी थी। आपके भ्रष्टाचार और नैतिक पतन के कारण छोड़ी है, आपके पक्षपात के कारण छोड़ी है। आपने क्या क्या पक्षपात किये हैं उनकी लिस्ट मेरे पास है। जो लोगों पर अत्याचार किये जाते हैं उनके बारे में मेरे पास डॉक्युमेन्ट्स हैं, पर्चे हैं, किसके हैं, यह मैं आपको बताऊंगा मेरे नहीं हैं, विरोधी पक्ष के नहीं हैं।

पिज्यानी गांव में एक सेठजी के यहां डकैती हुई। तहकीकात करने के लिये, तफतीश के लिये सेवर के थानेदार आये। उन्होंने उस गरीब महाजन से पीने के लिये शराब मांगी वह उसने दे दी। उसके बाद उसने लड़की मांगी। उसने कहा मेरे पास लड़की कहां से आयगी। शराब के नशे में उसने गाली-गलोच की, मारपीट की, उसके बाद उसने हल्ला मचाया, गांव के लोग आये। यह ठीक है कि उन्होंने उस थानेदार की पूरी मरम्मत की। जब रिपोर्ट उसकी हुई और लोगों ने कहा कि हमारे साथ क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं तो उसका क्या नतीजा हुआ? नतीजा यह हुआ कि उस थानेदार के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। बदस्तूर उसको उसी जगह रखा गया। उसने लोगों के खिलाफ मामले बनाये, बांध कर रखा, पंचायत के जो सरपंच हैं, वहां के, उनको गिरफ्तार किया गया। हमको सदन में यह कहा जाता है कि निर्वाचित लोगों के हथकड़ियां नहीं डाली जाती हैं, लेकिन उस चुने हुए सरपंच के हथकड़ियां डाली गयीं और हथकड़ियां डाले हुए उसको बाजार में घुमाया गया। उसके खिलाफ जांच करके सजा देने की मांग की गई, फिर भी कुछ नहीं हुआ।

राजस्थान के गृहमंत्रीजी कहते हैं कि उनको जनता की फिक्र है, पर जनता की फिक्र करने वाले कौन हुआ करते हैं? पुराने जमाने में राजा लोग वेष बदल कर जाते थे जनता के सुख-दुख को जानने के लिए। आज के जमाने में गृहमन्त्री, रक्षामन्त्री कितनी बार गये हैं। इसलिए माननीय मथुरादासजी माथुर, आज आप भी जांच करो कि उन २३० गांवों में आज भी रोज क्या हो रहा है।

कांग्रेस के और पार्लियामेंट के एक भूतपूर्व सदस्य हैं यह पर्चा उन्होंने निकाला है, राजस्थान के नहीं बल्कि मध्यप्रदेश के हैं, आप उनको जानते होंगे कन्हैयालालजी वैद्य ने पर्चा आपके नाम भेजा है। उसके बावजूद भी क्या हुआ और क्या होता है। जिस राज्य में इस तरह की बातें होती हैं, घटनाएं होती हैं उस राज्य के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव नहीं लावें तो क्या लावें। यह अविश्वास का

(श्री नत्थीसिंह)

प्रस्ताव तो हम लाये हैं क्योंकि आपके प्रति जनता में अविश्वास है। समय पर अगर नहीं चेते, जनता की आवाज को नहीं पहचाना तो जनतंत्र पद्धति के अलावा दूसरे तरीकों से आपकी सरकार को उखाड़ कर फैंक दिया जायगा। इसलिए आज इस बात की जरूरत है कि आप समय की पुकार सुनें और समय की पुकार को पूरा न कर सकें तो इस कुर्सी को खाली कर दें। या फिर जनता की जान और माल की रक्षा करें और इस प्रजातन्त्र की रक्षा करें....

श्री मथुरादास माथुर (गृह मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष, जहां तक इस पर्चे का जिक्र किया है, इस केस का जिक्र किया है (व्यवधान) जरा सब्र करें। उसके लिए थानेदार की तब्दीली करने का....

श्री नत्थीसिंह : उसको सेवर से हटाकर भरतपुर रखा है।

श्री मथुरादास माथुर : उसके लिए सरकार ने हुक्म दिया है कि उसे आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ट्रान्सफर (व्यवधान) सब्र रखिए। उसका आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ट्रान्सफर हो जाय। उसकी जांच कराने के लिए इन्क्वायरी का ऑर्डर दिया है। यह पर्चा मिलते ही, इसे मिले बीस-पच्चीस दिन हो गये, इन्क्वायरी का ऑर्डर दे दिया है और उसको डिवीज़न से बाहर ट्रान्सफर करने का ऑर्डर दे दिया है, जहां तक मुझे याद पड़ता है और उसकी इन्क्वायरी चल रही है, यह माननीय सदस्यों ने सुना होगा।

श्री नत्थीसिंह : मैं गृहमन्त्रीजी को कह दूं, एक वर्ष में एक भूतपूर्व सदस्य, पार्लियामेन्ट के पर्चे पर इतना एक्शन लिया है कि उस थानेदार को सेवर से भरतपुर पुलिस लाइन में भेज दिया है और वह कब जायगा बाहर, यह दूसरी बात है। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं और एफीशियेन्सी का दूसरा उदाहरण सदन के सामने रखना चाहता हूं।

हमारे नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था, क्रांतिकारी लोगों के लिए और जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी उनके प्रति उन्होंने आदर की भावनायें व्यक्त की थीं। भरतपुर में जनतन्त्र की लड़ाई के खातिर वहां के भूतपूर्व कप्तान, जो स्टेट की सर्विस में थे, कप्तान रणजीतसिंह के पिता कप्तान रामजीलाल, को सर्विस से निकाल दिया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। उनकी माफी छीन ली गई। उसके बाद जब मत्स्य गवर्नमेंट आई, उनकी माफी मत्स्य गवर्नमेंट ने वापिस कर दी और नौकरी पर बहाल कर दिया। जब राजस्थान बना, वे डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट जेल में थे, लेकिन राजस्थान बनने के बाद वे रिटायर हुए और आज चौदह वर्ष होते आये उनको पुकारते-पुकारते लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई और उनको पेंशन नहीं मिली। आज से पांच साल पहले, १९५८ के अन्दर उन्होंने आई. जी. प्रिज़न्स को सी. पी. सी. सेक्शन ८० का नोटिस दिया–कि मैं दावा करूंगा अदालत में, इसलिए मेरे केस का निपटारा कर दें ! उनको एक चिट्ठी गई, उसकी नकल मेरे पास है। उसमें कहा है, आप दावा मत करो, नहीं तो हर्जाना देना पड़ेगा। ये शब्द हैं, वह चिट्ठी मैंने पढ़ी है। उसमें लिखा है, एक्सपीडिशि-

(श्री नत्थीसिंह)

असली आपके केस का फैसला करेंगे। उस बात को पांच साल होने को आये, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। यह एफीशियेन्सी सरकार की है कि आज तक उसका फैसला नहीं हुआ हैं। यही नहीं, मैं दूसरा उदाहरण देता हूं। आप बहुत कहते हैं कि यहां भ्रष्टाचार की बात कही जाती है और जो भ्रष्टाचार की बात कही जाती है उनका जवाब मिलता है कि ऐसा क्यों कहते हो कि इस प्रशासन में भ्रष्टाचार है, जनसंघ की म्युनिसिपैलिटी में भी भ्रष्टाचार था। क्योंकि जनसंघकी म्युनिसिपेलिटी में भ्रष्टाचार हुआ था इसलिए आप भी करते हैं? इसका जवाब तो आज शाम को मिलेगा, जनसंघ के नेता इसका जवाब देंगे। मैं कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के कारण आज इर्रिगेशन डिपार्टमेंट, पी. डब्ल्यू. डी. से कान्ट्रेक्टर्स के फाइनल बिल्स का पेमेन्ट दस-दस साल तक नहीं होता है। मेरे पास इसकी लिस्ट मौजूद है। अभी मैं केवल इरिगेशन के केवल दो रेंज की लिस्ट बता रहा हूं, जिसमें से एक है कोटा सब डिवीजन की, उसमें चम्बल शामिल नहीं है, दूसरी है जयपुर की। इनमें आठ लाख के दावों में अदालतों से डिक्री हुई हैं और जिनमें एक लाख की कोस्ट लगी है। यह कोस्ट किस सरकारी अधिकारी को नेग्लीजेन्स के कारण लगी है? कौन जिम्मेदार है इस डिले को करने के लिए? उसके खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया है और अगर नहीं लिया है तो क्या एक्शन लेंगे? आपकी सरकार कोई एक्शन ले नहीं सकती और वह इसलिए नहीं ले सकती कि यह सरकार अपने अधिकारियों की तब्दीली अपनी पार्टी के कहने पर करती है और किसी अधिकारी को किसी जगह रखने की कोशिश करती है तो फायदा उठाने के लिए करती है और जब कोई बात उस अधिकारी पर आती है तो उसका प्रोटेक्शन करने के लिए आगे आती है। वह पूरी तरह डिमोरेलाइज़ है। ऐसी हालत जहां है, तो मैं कह दूं कि इसके सिवाय मेरे पास कुछ कहने को नहीं है कि आपने प्रशासन में पक्षपात, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है।

अन्त में मैं पंचायतों की बात एक मिनिट में कह दूं; इस सरकार ने नगर में इसलिए वहां के पंच को सस्पेंड कर दिया कि उसने बी० डी० ओ० के द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए पर्चा निकाला था। कहते हैं यह लोक सेवक है। वह लोक सेवक है इसलिए उसको विक्टीमाइज़ करते हैं और सरपंच को सस्पेंड करते हैं? लेकिन आपकी कांग्रेस के प्रधान मंत्री जो कुम्हेर के प्रधान हैं, उनके खिलाफ हियरिंग में आपने एक साल से ज्यादा लगा दिया। आपके पहले वाले मिनिस्टर ने एक इन्क्वायरी आॅर्डर दिया लेकिन आज तक कोई उसका नतीजा नहीं बताया गया।

यही नहीं, जिस समाज कल्याण के लिए जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था, उसी दिमाग से उन्हीं भाई भीमसिंह को आपके यहां से ५३ हजार रुपये दिये गये समाज कल्याण कोलोनी बसाने के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, १९५८ से लेकर आज तक उन ५३ हजार रुपयों में से कितने मकान बने और किस किस के बने। जो मकान

(श्री नत्थीसिंह)

बने, बीस-पच्चीस मकान, उनमें से कुछ अधूरे हैं; वे केवल उनके भाई, भतीजे, बहिन और भाभी के नाम हैं। आज भी आधा रुपया उनके पास बाकी है। आपके पास शिकायतें हुई है, शिड्यूल्ड कास्ट ट्राइब्स के लोगों ने शिकायत की, लेकिन उसकी जांच नहीं की गई। एक बार ऐन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट के डिप्टी एस० पी० वहां पहुंचे थे। लेकिन हमारे यहां की दिल्ली में सल्तनत है, उसके एक झटके के साथ इन्क्वायरी बंद करदी गई। दूसरी तरफ आप एक सरपंच को हटाते हैं, और आपके भूतपूर्व कांग्रेस के प्रेसीडेंट, जिला कांग्रेस के जो आज रूपवास की पंचायत समिति के प्रधान हैं, उनके खिलाफ ऑडिटर ने कहा है कि ५६ मील भरतपुर रुपवास से है, वहां मीटिंग में शामिल होने के लिए पैदल जाकर गलत भत्ता बनाया है। उसकी जांच नहीं हुई और जब वे कांग्रेस कमेटी की मीटिंग अटेन्ड करने के लिए जाते हैं तो विकास विभाग की जीप में जाते हैं। जिला परिषद् की मीटिंग में शामिल होने के लिए इतनी दूर पैदल जाते हैं और पांच आना मील भत्ता बनाते हैं।

कोऑपरेटिव के विषय में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने मीटिंग बुलाई, मैं झूठ नहीं कहूँगा, मैं कोऑपरेटिव मूवमेंट के पूरा पूरा साथ हूं, मेरा कोऑपरेटिव में विश्वास है– तो जब उसके चेअरमैन और दूसरे लोगों की मीटिंग बुलाई तो मुझे ऐसा लगा कि यह विभाग मुख्य मंत्रीजी के पास आगया है तो इसमें और ज्यादा तीव्रता आयेगी, इसमें एफिशियेन्सी बढ़ेगी। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि शुरू में आपने दिलचस्पी दिखाई थी– आप चिन्ता मत करें। जो बातें मुझ पर बीतती हैं वे मैं नहीं कहूंगा, मैं जनता की बात कहूंगा, इन लैंड मोर्टगेज बैंक्स के जरिये, आप कहते हैं, भूमि सुधार के लिए ऋण दिया जायगा? लैंड मोर्टगेज बैंक्स खुली लेकिन काम नहीं कर पाई हैं, सवाई माधोपुर में है, बारां में है, जयपुर में है, लेकिन सब जगह यही हाल रहा है। सब जगह यही हाल रहा है, इसलिए वे काम नहीं कर पाई हैं। वहां चुनाव हो गये छः महीने पहले डाइरेक्टर्स के, लेकिन एक जो सरकार नामजद करती है अपने प्रतिनिधि को वह छः महीने तक नहीं हुआ है। इन गरीब किसानों के लिए जो रेवेन्यू विभाग के अधिकारियों द्वारा तकावी लोन दिया जायगा, उसके लिए उनको रिश्वत देनी पड़ेगी दो सौ रुपये, तब जाकर उनकी दरख्वास्त पर लिखा जायगा। उन किसानों की दरख्वास्तों पर विचार नहीं हो पाया है जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी और रजिस्ट्रार ने आज्ञा दे दी कि काम चलाओ। काम करो। कैसे करें? दस्तखत कौन करेगा? आज की तारीख तक, इन बैंकों के मेम्बर के चुनाव आज से छः महीने पहिले हो गये थे, लेकिन छः महीने होने पर भी गवर्नमेंट की तरफ से नोमीनेशन नहीं हुआ है। इससे ज्यादा जनतन्त्र के साथ में कुठाराघात करने वाला कौन आदमी हो सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि ये आपके कारनामे हैं जिनकी वजह से मजबूर होकर अविश्वास का प्रस्ताव लाना पड़ा है। यह अविश्वास का प्रस्ताव केवल विरोधी दलों की चिल्ल-पों नहीं है, जनता के दिल की आवाज है। जिस आवाज को अगर आप नहीं सुनेंगे तो यह आवाज आप से टकरा कर आपको धराशायी

(श्री नत्थीसिंह)

करके रहेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूराम मिर्धा।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में आज तीसरा रोज हुआ जब से अविश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। विरोधी पक्ष के जिन माननीय सदस्यों ने यहां पर ये अविश्वास के प्रस्ताव रखे, वे कैसे रखे और फिर कैसे ये प्रस्ताव मंजूर हुए – इसके बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने यहां पर कुछ बातें कहीं हैं। मैं उन पर नहीं जाना चाहता। तथ्य यह है कि अविश्वास के प्रस्ताव इस सदन में आये और माननीय सदस्यों ने उस बारे में जिसका उनको अविश्वास है, अपनी दलीलें अपनी बहस के दौरान में यहां पर दीं।

माननीय अध्यक्ष, मुझे ऐसा लगा कि इस बार ये जो अविश्वास के प्रस्ताव इस सदन में लाये गये वे खास तौर से, जो कुछ देश की परिस्थिति चल रही है, उसके बाद में जो पार्लियामेन्ट के और विधान सभाओं के बजट के सैशन हुए, उसके बाद एक तरह से देश में जो शीतलता महसूस कर रहे थे विरोधी पार्टियों के लोग, उन्होंने सोचा कि आने वाले सैशन में, जब कि बजट सैशन होगा, बारह महीने पड़े हैं। इस बीच में सैशन होगा, उसमें किसी न किसी तरह अपने मन की बात कहने का अवसर न मिले और रुटीन में जैसा बिल का बिज़नेस चलता है उस तरह से बातें चलती गईं। तो मन में बहुत सी बातें जो इकट्ठी हो गईं वे कैसे कही जावें। मेरे खयाल से इन बातों को कहने के लिये, उन्होंने इस अवसर को प्राप्त करने के लिये, इस विषय को टटोला और पार्लियामेन्ट में भी सभी लोगों ने मिल कर इस बात का प्रयत्न किया और अविश्वास का प्रस्ताव लाये। विधान सभाएं भी जहां कहीं मिलीं वहां पर ऑपोज़िशन के सदस्यों ने अपने-अपने जोड़-तोड़ मिला कर कम से कम दो-तीन दिन का समय लेकर अपने मन की बातें रखनी चाहीं। उन्होंने जो बातें यहां पर रखीं उनको देख कर मुझे ऐसा लगा कि ये बातें अविश्वास के प्रस्ताव के जरिये यहां पर रखी जावें, इसको मैं जरूरी नहीं मानता। जो बातें उन्होंने इस अविश्वास के प्रस्ताव के अवसर पर कहीं उन्हीं बातों को उन्होंने अपने कटौती के प्रस्तावों के सम्बन्ध में बोलते हुए कहीं थीं और दूसरे भाषणों में भी कहीं थीं। जिस प्रकार की कुछ मिसालें, उदाहरण यहां पर दिये गये कि पुलिस की यह कमजोरियें हैं, पुलिस का यह अत्याचार है, पार्टी ने इस प्रकार से चन्दा उठाया, अमुक कम्पनी से जो सरकार को रिटर्न मिलना चाहिये नहीं मिला, इस प्रकार के तथ्य जो यहां रखे गये उनमें बहुत सों का तो उत्तर दे दिया गया था और दूसरों के बारे में हमारे मुख्य मन्त्री बोलेंगे तब आपके सामने रखेंगे।

मैं तो करीब करीब इस बात को सुन कर विचार में पड़ गया कि इस सदन में यह बात कही जावे कि देश की आजादी के बाद इन पिछले १५ वर्षों में देश के सभी लोग दुखी हो गये, इस देश के मजदूर और किसान दुखी हो गये। इस देश में उनके लिये रोटी रोजी का कोई प्रबन्ध नहीं हुआ। इस सरकार ने देश में तबाही पैदा कर दी और जिस प्रकार

(श्री नाथूराम मिर्धा)

की भावना विरोधी दलों के सदस्यों ने यहां पर खड़ी की, मैं सोच रहा था कि इस शासन की तरफ से जिस प्रकार की तस्वीर वे बनाना चाहते हैं नहीं बनी और देश की यह हालत हो गई तो वे यह बतावें कि आखिर उनके पास कौन सी तस्वीर है जिसके जरिये वे देश को सब प्रकार की सुख-सुविधा दे देंगे। अब मुझे बोलने का अवसर मिला है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपके पास इस प्रकार की क्या तस्वीर है और क्या इलाज है कि जिसके जरिये आप लोगों को सुख की लहर खोल देंगे और सब लोगों के लिए आराम ही आराम पैदा कर देंगे। इस प्रकार की झलक तो आप हमारे सामने रखिये। आप हमेशा यह कह कर कि यह खराब है, वह खराब हो गया, मगर आपने यह नहीं बताया कि उसको आप किस तरह से ठीक करेंगे। इस बात को कम से कम आप सही रूप में इस सदन में कहते, मगर आप नहीं कहते और न इस बात को जनता के सामने सही तौर से कहते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि जब आप कांग्रेस पार्टी को मडल हेडेड कहते हैं और कहते हैं कि थिंकिंग ठीक नहीं है और आप अपने को बहुत अच्छा थिंकर मानते हैं। मगर वह मडल हेडेड थिंकिंग कहां है, यह हमारे देश के लोगों को सोचना होगा। जिन लोगों के पास कोई तस्वीर नहीं सिवाय इसके कि वे कविता पाठ करने या भाषण देने के अलावा उन लोगों के पास क्या है, कुछ नहीं है और मैं समझता हूं जिस प्रकार बाजीगर लोगों को प्रभावित कर देता है, उसी प्रकार जनता को भाषण से गुमराह करते हैं। आज हमारे देश में जिस प्रकार की जागरूकता होनी चाहिये नहीं है और जब जागरूकता होगी तो मैं यह कहूँगा कि विरोधी दल के कितने ही लोगों का पता नहीं लगेगा। आज हम यहां पर देखते हैं कि फर्स्ट अधिवेशन में जो लोग थे और जो विरोधी दल की मेजोरिटी थी वह दूसरे चुनावों के बाद नहीं रही और जो आज तीसरे चुनावों में लोग हैं उनका चौथे चुनावों में पता नहीं रहेगा। और मैं यह कहूँगा कि स्वतन्त्र पार्टी को अपना रुख हमेशा ही बदलना पड़ता है। शुरू-शुरू में स्वतन्त्र पार्टी ने राम राज्य के नाम से झंडा खड़ा किया। राम राज्य जो पहले था वह नहीं रहा और अब स्वतन्त्र पार्टी बनी। चौथे चुनावों में रहेगी और किस तरह से रहेगी, इनके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते।

श्री श्योपतसिंह (हनुमान गढ़) : आप भी अपनी शकल देख रहे हैं कि क्या होगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि जिसके सामने कोई साफ तस्वीर नहीं है, वे क्या काम कर सकते हैं ? वे यह भी नहीं बताना चाहते कि वे किस तरह से तस्वीर को रखना चाहते हैं। मैं यह कहूँगा कि करनी और कथनी में बहुत अन्तर है। और मैं यह कहूंगा कि आज आप कितना भी कहें हमारे नागरिक समझदार हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : Except the Ministers.

श्री नाथूराम मिर्धा: कहने की बात और, करने की बात नहीं है। आपके पास कोई योजना नहीं है। आप कहते हैं कि सरकार को सक्रीय सहयोग देने का विरोध नहीं है। और मैं सही कहना चाहता हूं कि मैंने कई मीटिंगों

(श्री नाथूराम मिर्धा)

में आपके भाषणों को सुना है । आप वहां पर भी इसी प्रकार की दलीलें देते हैं कि यह खराब हो गया, टैक्सों का बोझ जनता पर बढ़ गया, योजनाएं खराब हैं और इससे कोई लाभ नहीं है । इसके अलावा वे कुछ नहीं कहते । वे जनता को यह नहीं समझाते कि हम समाजवाद को किस तरह से ला सकते हैं । स्वतन्त्र पार्टी देश में क्या करना चाहती है । इसके बारे में वे कुछ नहीं कहना चाहते । यही विरोध जनसंघ पार्टी का है । वे भी यह नहीं बताते कि हमारे सामने यह रूप-रेखा है । हम किस चित्र को लेकर चलना चाहते हैं ? ये कोई भी कुछ बात नहीं बताते ।

अध्यक्ष महोदय, आज जितनी बातें अविश्वास के प्रस्ताव को रख कर कही गई हैं इससे देश की हालत सुधर जाए, यह मैं नहीं कह सकता । देश की हालत तो देश के लोगों को मेहनत के जरिये, देशका उत्पादन बढ़ाने से ही सुधर सकती है और इसके लिए आपको मेहनत करके देश का उत्पादन बढ़ाना होगा और इसके लिए दूसरी पार्टीज़ के पास क्या योजनाएं हैं, इसके बारे में वे कतई नहीं बोलते हैं ।

अभी तक तो स्वतन्त्र पार्टी के नेता ने १।।-दो साल एसेम्बली को हो गये, कभी नहीं कहा कि योजनाएं देश को अधोगति की तरफ ले जा रही हैं । लेकिन इस बार, पहली बार उन्होंने कहा और मुझे खुशी हुई कि उन्होंने यह कहा कि योजनाएं देश को अधोगति की तरफ ले जा रही हैं तथा योजनाओं के जरिये देश के किसानों पर करों का बोझ बढ़ गया और किसानों को असुविधाएं हो गई ।

एसेम्बली का सैशन मिलने से पहले स्वतन्त्र पार्टी के लोगों ने सभी किसानों को पर्चे भेजे कि सभी किसानों पर अत्याचार बढ़ गया है, उन पर बीगोड़ी बढ़ गई है और सभी लोग परेशान हैं और कांग्रेस की सरकार के प्रति हम अविश्वास का प्रस्ताव ला रहे हैं । इसके लिए बड़े जोरों का आह्वान और बड़े जोरों-शोरों से लोगों को चिट्ठियें भेजी गई । मेरे को इस बात का पता नहीं था । जब मैं गावों में गया तो मुझे पता चला कि क्या हो रहा है । लोगों ने मुझ से पूछा कि वास्तव में क्या इस प्रकार का कुछ हो रहा है । मैंने कहा कि आप अपनी भलाई-बुराई को सोचलो, उन लोगों से आज तक किसी प्रकार का फायदा हुआ हो तो आगे भी फायदा होगा । मुझे यह भी मालूम हुआ कि यहां पर बहुत बड़ा प्रदर्शन भी हुआ । मैं उस समय यहां नहीं था, इसलिए देख नहीं सका ।

हजारों आदमियों का प्रदर्शन बताते हैं । मगर उसमें २०० या २५० लोग तो स्वर्णकारों के थे और दूसरे लोगों की संख्या थी । स्वतन्त्र पार्टी ने सबको आह्वान कर दिया था और यहां पर आने के लिए निमन्त्रण दिया था । लेकिन राजस्थान में से १५० किसानों का वह रिप्रेज़ेंटेशन हुआ । माननीय अध्यक्ष, मैं आपके जरिये माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रजातन्त्र में आपको अधिकार है कि आप इस तरह की बातें करें, इसमें कोई अंदेशा नहीं है, मगर मै यह कहूंगा कि जितना हमको करना जरूरी है उतना ही करें और देश की भलाई के लिए जितना

(श्री नाथूराम मिर्धा)

समय देना चाहें दें। अगर एक चौथाई समय गलत चीजों के प्रचार में लगावें तो तीन चौथाई तो अच्छे कामों में लगावें। आप इतने समय तक लोगों को गलत बातें कहेंगे तो कुछ समय तो आप देश में भलाई के लिए खर्च करने का अवसर दें। अगर आप ६० परसेन्ट वेस्टेज करें तो कम से कम ४० परसेन्ट तो काम करने में व्यतीत करें।

मैं तो यह कहूंगा कि विरोधी दल के सदस्य सही दिशा में दो परसेन्ट भी ठीक काम नहीं करते हैं। अपना सारा का सारा समय गलत बातें कहने में जाया करते हैं। इस तरह से मैं कहूंगा, अध्यक्ष महोदय. कि मैं समझता हूं कि देश में गरीबी को वे किसी तरह से नहीं मिटा सकेंगे। उनके सामने देश के लिए क्या तस्वीर है, वह नहीं बताते, सिवाय इसके कि इस सदन में जो कुछ समय मिलता है उसको जाया कर रहे हैं और जनता के पैसों को ज़ाया करने या उसका मिसयूज करने के अलावा कोई बात नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यह कोई सैशन नहीं है क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों के नाम पर बहुत लोग बोलते हैं, बहुत सी बातें कहते हैं। कोई कहते हैं कि राजस्थान के किसान कर्ज के भार से दब गये हैं, कोई कहते हैं कि किसानों की हालत बिगड़ गई है, उनकी दशा बिगड़ गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी गांवों में कुछ फिरता रहता हूं और गांवों में उन लोगों से मिलता रहता हूं। मैंने पहले भी इस सदन में कहा और आज फिर इस सदन में कहता हूं। मैं एक ही बात निवेदन करना चाहता हूं, इस राजस्थान में कोई भी एक ऐसा किसान बता दें जिसकी हालत आज से १२–१५ वर्ष पहले थी उससे खराब हो गई हो; जब तक कि उसके घर में कोई ऐसी मौत नहीं हो गई हो, कोई अग्निकांड नहीं हो गया हो, या कोई इसी तरह का एक्सिडेन्ट न हो गया हो। सब किसान १५ साल पहले थे उससे वे आगे बढ़े हैं। राजस्थान के किसान जो आज से १५ साल पहले थे वे उससे आगे बढ़े हैं, हर गांव का हर किसान आगे बढ़ा है। किसानों की कई केटेगरीज हैं। ऐसे कई किसान हैं जिनके पास हजारों बीघा जमीन है, कई ऐसे किसान हैं जिनके पास सैकड़ों बीघा जमीन है, बहुत से किसान ऐसे हैं जिनके खुद के पास कम जमीन है और दूसरों की जमीन से काम चलाते हैं तथा बहुत से किसान ऐसे हैं जिनके पास खुद की जमीन नहीं है, दूसरों की ज़मीन पर काश्त करके अपना काम चलाते हैं एवं बहुत-से एग्रीकल्चर लेबर हैं।

जो यह कहते हैं कि किसानों की हालत खराब है, उन पर सरचार्ज बढ़ गया है, बीगोड़ी बढ़ गई है, आज का किसान कर्ज से दब गया है, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज से १० साल पहले किस किसान की क्या हालत थी इसकी तस्वीर मुझे अच्छी तरह से याद है। उसका किसी जमीन पर कोई हक नहीं था, कोई फिक्स्ड लगान नहीं था। राजस्थान के किसानों की यह हालत

Page No 60

(श्री नाथूराम मिर्धा)

५१-५२ तक सभी इलाकों में थी। आज किसान जानता है कि उसकी जमीन पर उसका पूरा हक है, वह उस जमीन में चाहे तो कुआ बना सकता है। लोन्स या किसी प्रकार की सहायता लेकर, नये–नये साधनों को काम में लेकर, उत्पादन को बढ़ा सकता है और ऐसा सैकड़ों किसानों ने किया है, हजारों किसानों ने इन कामों को, अच्छे कामों को अपनाया है। एक योजना के अन्दर २० हजार कुए किसानों ने अपने खेतों में बनाये हैं। इसका नतीजा यह हुआ है कि राजस्थान की सिंचाई योजना से उत्पादन बढ़ा है, जिस सिंचाई योजना के बारे में जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बड़ी लिस्ट पेश की, ८–६ योजनाओं का नाम बता कर कि इन योजनाओं से उतना बढ़िया रिटर्न नहीं मिला है, एक से दो परसेंट के बीच का रिटर्न मिला है, इसलिए इन योजनाओं पर बेकार पैसा जाया किया गया है, यह खर्चा नहीं किया जाना चाहिए।

एक तरफ तो किसानों की हमदर्दी करते हैं और दूसरी तरफ जो दिमाग में आता है वह मुंह पर आ जाती है और तरह की बात कह देते हैं। आज किसान इन बातों को अच्छी तरह से समझता है, वह जानता है कि रिटर्न्स आ रहे हैं और ज्यादा रिटर्न्स आयेंगे, और काम बढ़ेगा उससे और ज्यादा रिटर्न्स बढ़ेंगे। जब इस तरह की बातें की जाती हैं तो बड़ा अफसोस होता है। एक ओर तो कहते हैं कि इनकी हालत सुधारनी चाहिए और दूसरी ओर कहते हैं कि सिंचाई के बांध बनें, पर रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं। जितने रिटर्न्स आने चाहिए उतने नहीं आने के कई कारण हैं। बेटरमेंट लेवी लग जाना, वाटर का पूरा यूटिलाइज़ेशन नहीं होना, ये सारी चीजें समय लेती हैं। इसलिए जितने रिटर्न्स लेना चाहते हैं वे तुरन्त नहीं मिलेंगे, वह समय लेगा। पर इन सिंचाई योजनाओं से जितने भी बांध बने हैं उनसे सिंचाई होती है और इनसे राजस्थान के किसानों का लाभ हुआ है।

माननीय अध्यक्ष, मैं आपके जरिये सदन के माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि राजस्थान जब २२ रियासतों में बंटा हुआ था तो कुल बांधों से इर्रिगेशन का पोटेन्शियल ८ लाख एकड़ था, जिसमें ६ लाख एकड़ तो एक गंग केनाल का ही था और दो लाख एकड़ कुल मिलाकर भरतपुर और दूसरी पुरानी रियासतें थीं उनके बांधों, तालाबों का इर्रिगेशन पोटेन्शियल २ लाख था, इस तरह कुल मिलाकर उस समय इर्रिगेशन का पोटेन्शियल ८ लाख एकड़ था। यह मैं १६४७ की बात कह रहा हूं। इसके बाद जब दूसरी योजना खत्म हुई तो मेजर इर्रिगेशन और माइनर इर्रिगेशन के प्रोजेक्ट्स बने, उनसे फ्लो इर्रिगेशन, केनाल इर्रिगेशन से सिंचाई होती है, उससे ८ लाख एकड़ का पोटेन्शियल इर्रिगेशन क्रियेट किया गया। जो इतनी सदियों में राजा–महाराजाओं के राज में बना था, उतना इर्रिगेशन का पोटेन्शियल किसानों के लिए दो योजनाओं में बना दिया गया। तीसरी योजना के एण्ड में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान का कुल इर्रिगेशन इस योजना के अन्त

(श्री नाथूराम मिर्धा)

तक २० लाख एकड़ पोटेन्शियल बनेगा। तो वह राजाओं के जमाने में कुल पोटेन्शियल था उससे कितना गुना अधिक पोटेन्शियल बना।

(४. ५८ म० प०)

(राव श्री नारायणसिंह उपाध्यक्ष, पदासीन) ...

रिटर्न के बारे में और कमियां बताई हैं, वाटर का यूटिलाइज़ेशन जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। इसका यूटिलाइज़ेशन ७८ परसेंट हुआ है, इसको पूरा करने में समय की आवश्यकता है। पर इसमें केवल सरकार ही जिम्मेदार हो, ऐसी बात नहीं है। हमारी सरकार नये सिंचाई के पोटेन्शियल बनाती है तो चूंकि लोग सिंचाई की आदत से वाकिफकार नहीं होते हैं, रात-दिन काम करने की लोगों को आदत नहीं होती है, फ्लो इर्रिगेशन, केनाल इर्रिगेशन में किसानों को रात-दिन काम करना पड़ता है, तो यहां के किसान रात-दिन काम करने के आदी नहीं हैं, सिंचाई से उनकी जानकारी नहीं है, इस तरह की सिंचाई के वे लोग आदि नहीं हैं, उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि कैसा बीज बोयें, कौनसी नई फसल बोयें, कौन सी नई फसल किस मौसम में उगाई जाय, ये सारी बातें उनको मालूम नहीं हैं। उन लोगों को इन सारी बातों को बताने में विरोधी पक्ष के नेता और माननीय सदस्य सेमिनार बुलायें, कमेटियां करें, गावों के लोगों को इनके जरिए जानकारी दें कि कई ऐसे पोटेन्शियल बन चुके हैं उनसे इस प्रकार लाभ उठायें।

आज देश आफत में फंसा हुआ है। एक तरफ चीन बैठा है व दूसरी तरफ पाकिस्तान के हालात माननीय सदस्यों को मालूम हैं। इनका लम्बे–चौड़े भाषणों से, लम्बी–चौड़ी बातों से मुकाबिला नहीं किया जा सकता। यह तो उत्पादन बढ़ाने से होगा। यह कार्य वे करके बतायें, सेमिनारों के जरिये, मीटिंगों के जरिये।

(५. ०० म० प०)

चम्बल एरिया से कई माननीय सदस्य जीत कर आये हैं, जनसंघ के माननीय नेता भी साल में दो–तीन बार वहां जाते हैं, पर वहां भाषण करने चले जाते हैं, पर उन किसानों को यह नहीं समझाते कि वे इस पानी को यूटिलाइज़ करें। जब वे किसानों के इतने हमदर्द हैं, उनके नजदीक अपनेको समझते हैं, दिल से किसानों का भला सोचने वाले हैं तो किसानों को एक दिन भी सलाह देते नहीं सुना कि भाई, इतना पानी बहता जा रहा है, तुम उसको इस तरह यूज करो, गन्ना बोओ, चावल बोओ, कपास बोओ, यह बीज लाओ, तुमको तकावी मिलेगी। हमारे पास आपको तरफ से एक भी डेपुटेशन नही आया। वह इसलिए नहीं आया कि आप लोगों को इसके लिए दिलचस्पी ही नहीं है। उनमें तो एक ही दिलचस्पी है कि किस तरह से लोगों को भड़का कर फटाके की तरह कैसे आवाज की जाय। कांग्रेस एक जगह बैठी हो और फटाका छूटते ही वह वहां से उठ जायगी। यह उनके मस्तिष्क की उपज है। न तो कांग्रेस कच्ची इस तरह की है कि आप उसको एक मिनट में ही उड़ा देंगे। आप लोगों की हुकूमत ज्यादा दिन नहीं चल सकती। दो दिन में यदि वह हुकूमत बन भी गई तो टूट जायगी। अज्ञान में भड़का

(श्री नाथूराम मिर्धा)

कर अंधेरे में लुटिया लूट लेते हैं, उस तरह करेंगे।

श्री सतीशकुमार शर्मा (बानसूर) : अज्ञान धीरे २ कम हो रहा है आपके खयाल से?

श्री नाथूराम मिर्धा : कम हो रहा है। लेकिन आप कभी-कभी उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उनको सही बात बताओ मत, नहीं तो उनको मालूम हो जायगा तो आपकी चलेगी नहीं। जिस दिन आप बिना भड़काये सही वोट ले जाओगे हमें उसकी बड़ी खुशी होगी, आप अपना राज ले जाओगे। अज्ञान से राज बनाना चाहोगे तो वह दो दिन भी नहीं चलेगा और टूट जायगा। अज्ञान के जरिये से लोग बहक तो जावेंगे। अज्ञान फैला कर ही काफी बराबर की ताकत आपने यहां कर ली है। आप ज्यादा जोर से भाषण देते हो तो हमें भी ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, क्योंकि अब तो बराबर हो गए। हमारी थोड़ी कमजोरी रही इस वजह से यह बराबर की ताकत बन गई। आप इससे यह मत समझना कि आपके प्रोग्राम से लोगों को बड़ा बल मिल गया है और आप लोगों के अधिक नजदीक आये हो और जल्दी ही आपका राज बन जायगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): पहले आप अपने घर को तो ठीक करिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपको चिन्ता नहीं करनी चाहिए। आपको यदि चिन्ता है तो हमें इसकी खुशी है। हम आपकी सीख को बराबर स्वीकार करेंगे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : हमारी यही सीख है।

श्री नाथूराम मिर्धा : हम बराबर स्वीकार करेंगे। उसको ठीक करेंगे तो हमारा नम्बर १४० और १५० तक पहुंच जायगा।

(शोरगुल)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि किसानों के बारे में जो यह चिन्ता की जाती है कि सरचार्ज बढ़ गया है, कम्पलसरी डिपोज़िट हो गया है, इस वजह से देश डूब रहा है और किसान दुखी हो रहे हैं। मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि किसान इन सब बातों को समझते हैं। मैं यह नहीं कहना चाहता कि किसानों की हालत बहुत ठीक हो गई है, मजदूरों की हालत बहुत ठीक हो गई है। मध्यमवर्ग के जो लोग हैं, जिनको आप विशेष तौर से रिप्रेज़ेन्ट करते हैं, होशियार लोग हैं, चाहे जैसे आंकड़े बदल लेते हैं, ज्यादातर आप उनको रिप्रेज़ेन्ट करते हैं, उन लोगों को इस जमाने के अन्दर कुछ न कुछ बोझा उठाना पड़ता है, यह हम भी कहते हैं। यह नहीं है कि उनकी आमदनी नहीं बढ़ी है, उनकी आमदनी बढ़ी है। माननीय मुख्य मन्त्रीजी आपको आंकड़े देकर बतायेंगे कि किस तरह उनकी आमदनी बढ़ी है।

पहली, दूसरी और तीसरी योजना से बहुत काम हुए हैं देश में। राजस्थान में भी पहली पंचवर्षीय योजना में ६० करोड़ खर्च

(श्री नाथूराम मिर्धा)

किया गया, दूसरी योजना में १०५ करोड़ में से १०३ करोड़ खर्च किया गया। जनता से टैक्स के रूप में कॉन्ट्रीब्यूशन और लोन्स या भारत सरकार से लेते हैं और भारत सरकार दुनिया के देशों से लेती है। इस तरह से देश की योजनाएं चलाई जा रही हैं। मेरे खयाल से इस देश में जिस तरीके से प्रजातन्त्र आया है और जिस तरीके से महात्मा गांधी ने आजादी के दिन हमको दिखाये हैं उस तरीके में हम विश्वास करते हैं और इसी तरीके से प्रजातंत्र इस देश में चलाना चाहते हैं। वह तरीका कांग्रेस का ही हो सकता है जिसके जरिये प्रजातन्त्र चल रहा है और उस प्रजातन्त्र में हमने इन योजनाओं में तरक्की की है। हमने खाद्यान्न के उत्पादन में तरक्की की है। मैं आपको राजस्थान के बारे में कहना चाहता हूं कि सन् १९४८-४९ में जो राजस्थान ३२ लाख टन खाद्यान्न पैदा करता था वही राजस्थान अब ५१ लाख टन खाद्यान्न पैदा करता है। जो राजस्थान पहले ५० लाख रूई की गांठें पैदा करता था वही राजस्थान अब आज१॥करोड़ (१३५) लाख रूई की गांठें पैदा करता है। तो खाद्यान्न बढ़ा है, गन्ना बढ़ा है, रूई बढ़ी है और इन सब का उत्पादन बढ़ने से किसानों को फायदा हुआ है। अच्छी कीमतें किसानों को मिले, इसके लिए कानून सदन ने बनाये हैं। मार्केट को रेगुलेट करने के लिए सदन ने लॉज़ बनाये हैं। पनपेंगे वे सही तौर पर जब कि आपका दिमाग ठीक होगा। किसान की हमदर्दी करने वाले, देश की ८० प्रतिशत जनता की आप तरक्की चाहते हैं तो आपने जो कानून बानये उनको सही जामा पहिनायें और उनको अमली रूप दिलवाने में आप भी हमारा साथ दीजिये, उसके लिए कोशिश कीजिए। अच्छे रेगुलेटेड मार्केट हों, आप किसानों को समझायें कि कोऑपरेटिव बनायें, उनसे फायदा लें, मार्केट को रेगुलेट करें, उनको ठीक तरीके से चलाने के लिए समझायें जिससे किसान शोषण से बच सकें। यह तो आप उनको नहीं बताते। आप रोज सहकारिता के बारे में बताते हैं कि यह हमारी खराबी है, वह हमारी खराबी है, इतना रुपया देदिया, उसका रिटर्न नहीं हुआ। सारी चीजें खराब ही खराब हैं। सहकारिता अच्छी नहीं है यह कहो की आपकी हिम्मत नहीं है। यदि आप इसको खुले रूप में कह दें कि ? सहकारिता अच्छी नहीं है तो आपकी तरकीब किसान भी समझ जावेंगे और आपके बारे में जो उनकी धारणा है वह समाप्त हो जायगी। वे समझ जावेंगे कि आप दरअसल क्या चाहते हैं। आप तो उनमें अज्ञान फैला कर सहकारिता को अन्दर से कमजोर कर रहे हैं। उसको आपने सहकारिता की गलतियों को इतना बढ़ा-चढ़ा कर बता दिया कि सहकारिता का नाम ही नाम रह जाय और चलने में वह थोथी हो जाय। इस तरह से विरोधी पक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्यों का तरीका केवल सहकारिता को कमजोर बनाना है। यदि उनको जो भी बात कहनी है वह साफ सच्चाई से कहें तो जो किसान के दिमाग में अज्ञान फैला रखा है वह उसके मन से दूर हो जायगा और आपका असली रूप उसके सामाने आजायगा। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि पिछली,

Page No 64

(श्री नाथूराम मिर्धा)

पहली, दूसरी और तीसरी योजनाओं के पूरे हो जाने पर यदि राजस्थान की तरक्की का सही तौर पर, सच्चे अर्थ में लेखा-जोखा करने बैठें तो निश्चित रूप से राजस्थान की काफी तरक्की हुई है। कमजोरियाँ रह सकती हैं। जिस राजस्थान के अन्दर सन् १९४७-४८ में २५० मील की डामर की सड़क नहीं थी उस राजस्थान में आपकी दो योजनाओं के समाप्त होने पर२॥हजार२॥। हजार मील डामर की सड़कें बनी हैं। जिस राजस्थान में १५ हजार किलोवाट बिजली २३ स्टेट्स को मिला कर भी नहीं थी, वहां अब १, ३० हजार किलोवाट बिजली मौजूद है। तो राजस्थान की तरक्की हुई है। बिजली का उत्पादन बढ़ा है। यह कोई प्रगति काफी हो गई हो, ऐसी बात नहीं। जैसा मैंने कहा लास्ट लेडर नें हैं। बहुत करने की आवश्यकता है। आप कहते हो टैक्स लगाओ मत, कर्जा लेओ मत, योजना बनाओ मत........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : हम कहते हैं कि आप खाओ मत, खाओ मत।

श्री नाथूराम मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, 'खाने-खाने' की बात में विरोधी पक्ष ने देशमें कितना हल्ला मचा दिया है। 'खाने की बात क्यों करते हैं ? कितना खाया जाता है ? उनकी खाने की बात मान भी ली जाय तो क्या परसेन्टेज समझते हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपका क्या अन्दाज है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप कितना परसेन्टेज खाते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपके कहने से मान भी लें कि कुछ खाते हैं ? कुछ परसेन्टेज वेस्ट होता है, आखिर इस खाने का आपके पास क्या इलाज है ? क्या जादू का डंडा है,इसके बारे में आप कुछ नहीं कहते। जोर से 'खाओ मत,खाओ मत' कहने से तो काम नहीं चल सकता। केवल इस तरह से कहने से राज नहीं बदल सकता। हिन्दुस्तान की जनता समझती है। खाने का मौका आपको मिले तो आप चार गुना ज्यादा खाओगे।

एक माननीय सदस्य :तो इसका मतलब है आप एक गुना तो खाते ही हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : हिन्दुस्तान की जनता समझती है कि आप लोगों की पार्टी कैसी है। आप लोग ही जो हैं, खाने वाले भी हैं और खिलाने वाले भी हैं। हम लोगों को खाना-खिलाना सिखाया ही आप लोगों ने।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : क्या माननीय मन्त्री खाने की समस्या का इसी तरह से हल कर रहे हैं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री को यह बताना चाहिये कि कौन आदमी है जो खाता है और खिलाता है....

श्री उपाध्यक्ष : Order! Order!!

श्री मुरलीधर व्यास : मैं यह जानना चाहता हूँ, जब मन्त्री महोदय ने कहा विरोधी

(श्री मुरलीधर व्यास)

पार्टी वाले खाते हैं, खिलाते हैं कौन हैं वे सदस्य, हम जानना चाहेंगे ....

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! No interpolations.

श्री मुरलीधर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारे प्रिविलेज का प्रश्न है । मन्त्री महोदय यह कहते हैं कि विरोधी पार्टी वाले खुद खाते और खिलाते हैं; यह हमारे पर एस्परर्शन है, यह हमारे पर आरोप है । इनको ये शब्द वापिस लेने की इजाजत दी जाय ।

एक माननीय सदस्य : इनका तो इस प्रकार बोलने का धन्धा ही है ।....

श्री मुरलीधर व्यास : इस प्रकार का आरोप लगाते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Please शोरगुल में सुना नहीं गया ।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने यह किस आधार पर कहा कि विरोधी पार्टी वाले खाते हैं; आपका इससे क्या मतलब है, आपको स्पष्ट करना चाहिये । इस प्रकार के आरोप लगाना सदन की परम्परा के खिलाफ है । आप जब तक इसको वापिस लेने की आज्ञा नहीं देंगे मैं तब तक विरोध करता रहूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Please

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने किसी सदस्य के बारे में कुछ नहीं कहा....

श्री मुरलीधर व्यास : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : please Order !!

(विराम)

श्री नाथूराम मिर्धा : हिन्दुस्तान आज जो प्रगति कर रहा है वह कांग्रेस के कार्यक्रम द्वारा कर रहा है । अगर आप लोगों ने इसमें पूरा सहयोग दिया, आपने लोगों को ज्यादा काम करने के लिए प्रेरित किया तो हमारी योजनाओं से हमारे राजस्थान की तस्वीर आने वाले वर्षों में और भी अधिक सुन्दर दिखाई देगी । आज हम जिस प्रकार का राजस्थान देख रहे हैं उसमे चार गुना अधिक विकसित राजस्थान हमें दिखाई देगा । ज्यादा सुन्दर लगता हुआ दिखाई देगा, यहां का किसान ज्यादा खुशहाल दिखाई देगा और यहां के लोग ज्यादा खुशहाल होंगे । इसके लिए हमें आज से ही मेहनत करने का है, काम करने का है । आज की पीढ़ी के लोगों को राजस्थान के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए कोशिश करनी होगी, त्याग करना होगा, टैक्सों का बोझ उठाना होगा, तभी हम राजस्थान की सुन्दर समृद्ध तस्वीर देख सकते हैं । आज जब योजनाबद्ध विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं तो उस हालत में हमें डेफीसिट फाइनेन्सिंग की ओर जाना पड़ेगा । देश की योजनाओं को चलाने के लिए विदेशों से जो हमारे मित्र हैं उनसे भी आर्थिक और अन्य-अन्य प्रकार की सहायता लेनी होगी । इन कामों को चलाने के लिए हमें हर क्षेत्र से, जिनके जरिये से हम आगे बढ़ सकते हैं उनमें

(श्री नाथूराम मिर्धा)

मदद लेनी होगी। आप देखिए, बिजली के मायने में हम आगे बढ़े हैं, सड़कों के बारे में आगे बढ़े हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में भी हम आगे बढ़े हैं।

शिक्षा के बारे में भी यहां आलोचना होती है कि इन स्कूलों में यह खराबी है, उन स्कूलों में यह खराबी है। ये सारी बातें यहां कही जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप यह नहीं देख पा रहे हैं कि कितने विशाल पैमाने पर राजस्थान में शिक्षा का विकास हुआ है हो रहा है। राजस्थान में स्कूल गोइंग एज के कितने विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं। आज आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि राजस्थान में शिक्षा की निरन्तर प्रगति होती जा रही है, यहां कितनी बड़ी तादाद में टीचर्स की आवश्यकता है। मैं यह नहीं कहता कि हमारे यहां खामियां नहीं है, खामियां हो सकती हैं और उन सारी खामियों को दूर किया जाना चाहिये। गुंजाइश हर काम में रहती है। मैं यह मानकर चलता हूं और हमारी सरकार यह मानकर चलती है कि जो कमियां है उनको पूरा किया जाय, जो कमजोरियां है उनको दूर किया जाय। इस देश के अन्दर ज्यादा अच्छे तरीके से योजनाएं चलें, उत्पादन बढ़े, कृषि का उत्पादन बढ़े जानवरों का उत्पादन बढ़े जानवरोंसे जो आमदनी होती है वह बढ़े इन सारी चीजोंके अन्दर ज्यादा से ज्यादा तेज गति के साथ काम करने की आवश्यकता है। आज देश का किसान इन बारह पन्द्रह वर्षों में ज्यादा खुशहाल हुआ है। उसको काफी सुविधायें मिली हैं, वह आज इस स्थिति में आगया है कि अपने बच्चों को पढ़ाने की सोचने लगा है और पढ़ा रहा है अपने मकानों को अच्छा बनाने की सोच रहा है और अच्छे मकान बनाये भी हैं। आने वाले वर्षों में और भी वह तरक्की करेगा। किसान और मजदूरों के नाम पर आप जो यह बातें कर रहे हैं कि आज किसानों का शोषण हो रहा है, आज किसान इसको अच्छी तरह जान गया है कि आज की सरकार उनके हित में कितना काम कर रही है। इस योजना बद्ध तरीके से कांग्रेस सरकार ने इस देश को आगे बढ़ाया है, आज इसके सिवाय इस सरकार के सिवाय जनता के सामने और कोई विकल्प नहीं है। इसके अन्दर जो कुछ भी कमजोरिया और कमियां हैं उनको दूर करने की बात की जाती है; सही है, दूर करना चाहिए, हम उन कमजोरियों को दूर करने के लिये लगातार जागरूक हैं। इन चीजों को दूर करने का हमेशा हम प्रयत्न करते रहते हैं और करते रहेंगे। इन्हीं बातों को लेकर अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाय तो मैं कहूंगा कि उसके लिये ठीक वक्त नहीं। मुझे तो इस समय पर इतना ही निवेदन करना था कि यह समय ऐसा है जिस समय हमें ज्यादा हिम्मत और हौसले के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। राजस्थान की जनता इस ओर बढ़ रही है, आगे बढ़ेगी, मुझे इस बात का विश्वास है। राजस्थान तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, यह हमारा दृढ़ विश्वास है और जनता का दृढ़ विश्वास है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : घग्घर के ऊपर आपने कुछ नहीं कहा।

श्री नाथूराम मिर्धा : घग्घर के बारे में आपने कहा था कि सदन के माननीय सदस्यों को इस बारे में जानकारी दूं। घग्घर की बाढ़ के बारे में अभी तक जो सूचना मिली है वह इस प्रकार है। पिछले पन्द्रह रोज से घग्घर की बाढ़ का पानी ढाई हजार क्युसेक्स चल रहा है। ओटो बन्ध के ऊपर घग्घर का फ्लड ६२२५ क्युसेक्स बढ़ गया है। अभी तक किसी टाउन या कस्बे में पानी नहीं घुसा है। सूरतगढ़ फार्म तक पानी पहुंचा है, उसकी ३१४ डूब में आ चुकी है। बाकी किसी गांव या शहर के अभी डूब में आने के या पानी के टच करने की सूचना नहीं आई है और न डूबने की आशंका है क्योंकि इसके लिए पहले से बंध कन्ट्रोल आदि का प्रबन्ध कर दिया गया है। इसलिए आबादी को कोई नुकसान होने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन अभी यह निश्चित नहीं कहा जा सकता कि पानी कितना क्युसेक्स आगे बढ़ जाय, इसका हम अभी अन्दाज नहीं कर सकते। हम इसके बारे में पूरे जागरुक हैं। किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो रहा है।

श्री मुरलीधर व्यास : कितनी एकड़ डूब में आई है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : करीब १२ हजार एकड़।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : ४।। करोड़ रुपये की जो योजना भारत सरकार को आपने भेजी थी उस योजना का क्या हुआ ? मैंने यह सुना है कि यह योजना रोक दी गई है।

राजा श्री मानसिंह (डीग) : Mr. Deputy Speaker, Sir, Rajasthan this year had unfortunately to suffer...

(व्यवधान)

......two calamities. The first calamity was due to an act of God...

(व्यवधान)

श्री रामकिशन (वैर) : हिन्दी में बोलिये।

राजा श्री मानसिंह : You know very well, I do not know Hindi.

(व्यवधान)

जब मैं आपकी पार्टी में आऊंगा तब हिन्दी में बोलूंगा।

......Jawahar Lal Nehru, but they did not respond......

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !! No talking please.

राजा श्री मानसिंह : Many Members of the opposition have pointed out why the Congress Government should be overthrown. I feel the onus of the proof, whether the Congress

(राजा श्री मानसिंह)

Government should exist or not, lies on the Treasury Benches. A welfare State should provide chiefly the essentials of life; things like food, clothing, housing, transport of passengers and goods. electricity, water and fuel, means for raising the people's income, good administration and quick and cheap justice etc. But the cost of these essentials does not compare in the least with the pre-War years, nor with the inflationary War years. In fact we have seen that cost of the essentials is rising: Unless some standards of providing these essentials is set it is quite obvious that instead of this province progressing, it would be going down to doom. Today the definition of a welfare State under the Congress is only nepotism, corruption, favouritism, mal-administration, wrong spending on taxation and complete negligence towards defence efforts.

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : This is your definition.

राजा श्री मानसिंह : People are beginning to realise, Sir, that democratic welfare State under the Congress is nothing but progressive taxation and exploitation from which there seems to be no relief. The Government unfortunately indulges in the meanest type of profiteering in the name of ceilings on land holdings. I am told that they intend to acquire land from agriculturists on disproportionate rates and sell on high prices. It is reported that in the Ganganagar area Government will acquire land and pay compensation at the rate of Rs. 8/- per bigha and sell the same land at the rates varying between Rs. 500/- to 2,500/- per bigha. This is the definition of People's Government.

With the growth of communication all over the world, people even in the remotest part cannot remain ignorant of what is happening in the world. Our people know that countries like Japan and West Germany which are smaller than our province, which were smashed during the last war, have progressed and reconstructed themselves so much that today they are in a position to give loans to others. Our people also feel that similar reconstruction and progress cannot be brought in our country because of the nepotism and corruption. Nepotism and corruption have reached such gigantic proportions that they have become more

(राजा श्री मानसिंह)

or less a national characteristic. Even the President has shown grave anxiety regarding this and the Prime Minister has admitted its gigantic proportions. Recently, Sir, the Congress President himself stated that many Congressmen who were paupers 16 years ago, are today millionaires and multi-millionaires. I would like to mention that in Rajasthan we have noted that quite insignificant Vakils who, before they entered the Ministry, did not pay any income tax, have accumulated vast moveable and immoveable property after entering the Ministry. If the Chief Minister refutes my statement, then I am sure he would like to institute a public enquiry into the assets of himself and his colleagues.

Regarding nepotism, Sir, it would be well nigh impossible for me to detail all the cases that I have noted during the last 11 years that I have been a member of this House. However, to make my point, I should like to point out to you only one case which is very near the Chief Minister and I hope he will take it in sportsman's spirit. I bring to the notice of the House a person who does not have the basic qualifications required even for the post of a L D.C., who started his career a few years ago as the lowest non-gazetted executive in the Government service, but who has enjoyed several rapid promotions which were not due to him. Even with all the political backing behind him the Public Service Commission rejected him as unsuitable for the post he is enjoying today. We should like to know the case history of Munna Lal Arya who is now Deputy Commissioner in the Excise and Taxation Department. We would also like to know something about his personal assets.

How can we have a good administration when it is an open secret that appointments and transfers are mainly done on party basis? It has been a fact since the Congress Government was formed. Even today in Tonk District the Chief Minister and the Chief Secretary do not run the administration there. That area has been given over as a 'Jagir' to a former Minister of the Government.

The emergency, Sir, has proved a boon to the Congress. The people of Rajasthan in the General Elections of 1962 had clearly shown no-confi

(राजा श्री मानसिंह)

dence in the policies of the Congress as a result of which so many Ministers were unseated. It was because of the hatred of the people for the Congress that these parasites on society found it very difficult to move amongset the people. But due to the emergency they are again getting a chance to go and exploit the people at public cost and try to have a hold on them.

During the past year many tons of paper have been wasted in preparing, revising and circulating various types, of schemes, but I would like to know what material gain has been got out of these ? Many thousands of gallons of petrol has been wasted on tours of Ministers and Government officals moving about in the public, trying to create hysteria in explaining to them the seriousness of the emergency and trying to maintain the tempo. But the net result is that if one was to walk through the streets of the capital of the Rajasthan today, no one would realise that the country was passing through a phase of war which was likely to break out again. Our Government does not fully realise the implications of and the responsibility that they have to shoulder for having a very big border with unfriendly and sabre rattling Pakistan. In this House I gave a warning about this to the Government as far back as 1953, but the then Chief Minister was pleased to dub me as war monger.

The way people have responded when the country was in danger because of the wrong policis of the Congress has been magnificent and spontaneous and everybody realise that the Congress has betrayed the country. But it would be interesting to know, Sir, how many persons have been trained during the past year in civil defence, handling of arms and management of essential services such as railways, power houses, telephones, water and drainage schemes, transport etc. The excuse that the Government will give us, Sir, would be that the people have been reluctant in coming forward. The Government cannot absolve itself of it's responsibility by saying that the people have been reluctant to come forward. The people have not been reluctant and they have been fully conscious of their responsibility and maintained their martrial traditions in sending their sons and their money for the country's sake. In my own district, Sir, upto June, 1963 only 77 persons were trained as Home Guards and during the month of July, 1963, 30 more persons have been trained. This is the position in adistrict where the Government is trying to raise five companies of 100 persons each. I am giving this as an example as to how the defence programmes of the Government are progressing !

There can be only two reasons, Sir, if the people are reluctant in coming forward for these defence pro-

(राजा श्री मानसिंह)

grammes. The first is that the people have lost faith in the Government and the Government's genuine interest in the working of this scheme, and the second is that it has been experienced that those who are responsible for organising these defence programmes usually try to place the ruling party-nominated persons in positions as those positions are likely to have amenities like jeeps and telephones.

Another step which the Government took for the emergency was to send the Sher-e-Rajasthan, Sputnik of Jaipur, to the front in N.E.F.A. last year, to encourage our people in the armed forces in their heroic efforts. If a person of some historic martial traditions had been sent, I would have understood. Such a person could be the Maharana of Udaipur who is descendent of the great Maharana Pratap and who has traditions of Rajputs. Or, if I may be excused in mentioning another name who could have gone, it is my elder brother, the Maharaja of Bharatpur who is descendent of Maharaja Suraj Mal and Maharaja Jawahar Singh (before whom the British were defeated in Bharatpur) and who has the traditions of the valour of Jats. He could have been sent there. Or perhaps the Maharaja of Jaipur, who has traditions and a martial background behind him and who did so much for the war effort in the Second World War...

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : For imperialists.

राजा श्री मानसिंह : ...and who has his son serving in the armed forces of India today. Or perhaps the Maharaja of Bundi who won the Military Cross in Burma for conspicuous bravery during the last War. He could have been sent there. Or, if you do not believe in all these Maharajas, then atleast the Deputy Minister for Education could have been sent there as he is the only Minister who has his son serving in the armed forces today. Sending people with political background, Sir, to the frontiers is absolute nonsense. Today they say that the Chief Minister went to N.E.F.A. to help the Jawans in that area. But I would like to ask how could he do it when he could not do anything even in case of unauthorised M. L. A.s of Jaipur. The Government started giving concessions to Jawans, as if they were trying to give bride to Jawans to save their own skin...

श्री मोतीलाल चौधरी : On a point of order, Sir, the Hon'ble Member has just used the words 'bride to Jawans'; यानी गवर्नमेंट जो कुछ जवानों के लिए कर रही है उनको घूंस दे रही है क्या ?

राजा श्री मानसिंह : This is no point of order. The Hod'ble Member cannot understand this unless he has served in the army. I understand it because I had been in the Military. I

(राजा श्री मानसिंह)

had been in Africa and other countries and in those days what concessions were given to our Jawans? Nothing. These were collected through the army personnel themselves. Only on the Flag day certain funds were collected and through these funds the welfare schemes were run. In Rajasthan such schemes were run in Bharatpur and Alwar though they have stopped now.

I have seen through the Patta Committee and other Committees that thousands of people are wandering without land, without means and without relief. Today army personnel do not get those concessions which are given to the political sufferers. The reason is that the political sufferers are former Congress supporters. Subsidies are given for seed, fertilisers etc. I can understand that. But when subsdies are given to Charkha, Takli and for the improvement of chickens, I cannot understand it.

The people, Sir, have realised now that the Congress is not for the country but it is for its own party. I Shall therefore, request the Hon'ble Members to support the motion of No-confidence so that we may get the job of defending our country.

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (माण्डल) : माननीय उपाध्यक्षजी, आज तीन दिन से विरोधी पक्ष के द्वारा आये हुए अविश्वास के प्रस्तावों पर दोनों तरफ से अपने-अपने विचार प्रकट किये गये हैं। अविश्वास विरोधी पक्ष के नेता को इस बात से है कि एक उन्होंने यह बताया कि जब से विधान सभा बनी है देश में कांग्रेस का राज्य है। यह राज्य कांग्रेस का क्यों है, यह उनको बहुत बुरा लग रहा है, दर्द है इनको। दूसरा कारण अविश्वास का यह बताया है कि टैक्सों से रीढ़ की हड्डी टूटगई है। जैसे ये कभी टैक्स नहीं लेते थे। उन्होंने तो जैसे कभी टैक्स लिया ही नहीं था, जब उनका राज्य था। फिर उन्होंने बताया कि जमीन पर दस-बारह सालों से काफी टैक्स बढ़ गया है। परन्तु, सबसे बड़ा दर्द उनको यह है कि मन्त्रि-मण्डल यहां सीलिंग का बिल ले आया और इनको मालूम हो गया कि इनकी जमीन छिनने वाली है। दर्द इस बात का है। अविश्वास उनको इसलिए है कि विरोधी पक्ष के नेता महोदय की ज्यादा जमीन को क्यों छीना जा रहा है, जो इनके पास है? बड़ा जनता का दर्द है। इन्होंने यह बताया कि सरकार खाना, कपड़ा और मकान जनता को नहीं दे सकी १५ सालों में। जैसे इन्होंने तो हजारों वर्षोंमें अपने राज्यमें सबको मकान देदिये थे और उनको अब कांग्रेस सरकार ने जैसे तुड़वा दिया है और खाना तो जैसे यह बांटते थे, जब इनका राज्य था और प्रजा के पास जनाब! पहिनने को पूरी तरह कपड़े नहीं थे जो आज कपड़ा पहिने फिरते हैं। यह कहा और उन लोगों को कहा जिन्होंने करोड़ों रुपया खर्च किया है और कहते हैं कि शर्म नहीं आती। अरे! शर्म आपको नहीं आती है इस तरह की बातें करने वालों को। विरोधी पक्ष के नेताने कहा कि शिक्षा की मखौल उड़ाते हैं। शिक्षा की मखौल तो आप

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

उड़ाते हैं या हम उड़ा रहे है ? जब आपका राज्य था उस समय आप क्या करते थे ? आपके यहां कुल ६ हजार शिक्षक थे....

राजा श्री मानसिंह (डीग) : You should accuse the Members sitting on the Treasury Benches also.

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : चेयर द्वारा उनको कह रहा हूं । शर्म उनको आनी चाहिए थी जो नहीं आती है ×××जो लोग,उनको यहां बात सुननी पड़ेगी ।

टैक्स का जहां तक मामला है, १९४९ में जहां १५ करोड़ रुपये टैक्स से वसूल होते थे वहां आज यहां पर टैक्स वसूल होता है २४ करोड़ का । कल यह बताया था अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कि १९५१ में ११ करोड़ थे और अब ४० करोड़ टैक्सेज़ के वसूल हो गए । टैक्सेज़ ४० करोड़ वसूल नहीं हुई । भारत सरकार से अगर २०–२२ करोड़ रुपये एड के रूप में आता है तो यह कांग्रेस सरकार है जिसकी वजह से इतनी एड मिलती है । जब आप राजा लोग थे, कभी आपने हिम्मत की राजस्थानियों को इतना फायदा पहुंचाने की ? हिन्दुस्तान में उस वक्त भी सरकारें चलती थीं, कभी आप लाये थे इतनी एड । तो मैं कहता हूँ कि सीलिंग आएगी और जरूर आएगी । आपने यह धमकी दी है कि अगर हमारा कहना नहीं माना तो कुछ करके दिखाएंगे : आपने तो न पहले करके दिखाया, न मुगलों के वक्त करके दिखाया, न अंग्रेजों के वक्त; तो अब क्या करके दिखाएंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर राज जो था उसके जंगल का दो-तिहाई हिस्सा एक व्यक्ति लेकर बैठ जाय और वह व्यक्ति कहे कि सीलिंग नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि जो जमीन उनके पास है वह नहीं रहेगी । उस जमीन पर गरीबों को बैठाएंगे । आप उस जंगल को लेकर शिकार के लिये रखेंगे । उस जंगल में किसी को पत्ते तोड़ने के लिए भी मना करेंगे, जंगल में अगर कोई चला गया तो उसे तंग करेंगे ।

मेरी शिकायत है राजस्थान सरकार से कि इतने दिनों तक यह जंगल इनके पास कैसे रहने दिया ? सरदार पटेल ने उस समय यह सोचा कि अब इनका राज्य चला गया है, इनके पास कुछ दिन जमीन रह जाय, तो बाद में जिनके पास जमीनें नहीं होंगी उनको दी जा सकेगी । इन लोगों ने आश्वासन भी दिया था कि खेती करके जमीन की रक्षा करेंगे, लेकिन खेती नहीं कर पाये ।

धौलपुर नरेश को, उपाध्यक्ष महोदय, हजारों बीघा जमीन बाद में दी गई, जबकि छोटी छोटी माफीदारी की जमीन ले ली गई । जिन्होंने खेती करवाई, उनसे लगान पूरा ले लेते हैं । राजा लोग सरकार को तो लगान देते नहीं हैं और जब इनसे लगान लेने की बात आती है तो अविश्वास आता है । अविश्वास किससे है ? प्लान से है । प्लान नहीं बननी चाहिये, देश का उत्थान नहीं होना चाहिए, निरक्षरता उनके विचार से नहीं मिटनी चाहिए । आज कुल मिलाकर जो संस्थाएं निरक्षरता मिटाने में लगी हुई हैं उनमें करीब

×××अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

६० हजार आदमी विशेष लगे हुए हैं। अगर कोई अनपढ़ आदमी होता है तो इनको अच्छा लगता है, क्योंकि वह थोड़े पैसों में काम करने को मिल जायगा।

जहां पर टैक्स की बात आती है, तो टैक्स क्या बढ़ी है ? लगान जमीन पर नहीं बढ़ी है। गलत प्रचार किया जाता है। रुपये ५०) खाली व रु० १५०) भारी जमीन पर, कुल २००) रुपये से ऊपर लगान बढ़ेगा तो वह तुमको बर्दाश्त नहीं हुआ। कहते हैं कि ८ करोड़ लैंड रेवेन्यू हो गई। जागीरदारों से ली गई भूमि से १९६१–६२ के जो फाइनेन्स अकाउन्ट हैं उसमें ४,८६,००,००० की आय है। जो जागीरदारों को हमने जमीन के पैसे दिए और उनको मुआवजा दिया है वह देना है, इसलिए ८ करोड़ की आय हुई है तो इसे लगान बढ़ना नहीं कहा जा सकता। लगान वह है जो बड़ी भूमियों पर थी। लगान बढ़ाने की बात सरकार छोटे छोटे हिस्सों पर नहीं करती है और मंत्री महोदय कहते हैं कि जो कुछ बढ़ा है वह बड़ी भूमियों पर बढ़ा है, छोटे टुकड़ों पर नहीं।

फिर कहते हैं कि सेल्स टैक्स बढ़ा है। कभी आपने देखा कि आप लोगों के जमाने में कितना पैसा लेते थे ? यह पता नहीं है। ३॥ करोड़ उस समय कस्टम के लेते थे और उसके बजाय वह सेल्स टैक्स है। अगर आज वह कस्टम होती तो वह भी ५ करोड़ हो जाती। कस्टम के बजाय वह ५ करोड़ का सेल्सटैक्स है।

फिर कहते हैं कि यात्री कर बढ़ा है। सड़कें भी तो बढ़ी हैं, जिसमें १५ करोड़ रुपये सरकार ने खर्च किए हैं। अगर यात्री कर नहीं होगा तो आवागमन के मार्ग सुलभ नहीं होंगे। इसी तरह से वेहीकल्स टैक्स की बात है। इतनी सड़कें बढ़ी हैं और-और भी बढ़ रही हैं, जिनके मेन्टीनेन्स में करोड़ों रुपये हर साल सरकार को खर्च करने पड़ते हैं। अगर गाड़ियों पर टैक्स लेते हैं तो बुरी बात क्या है ?

सीलिंग पर यहां पोलैंड का उदाहरण दिया गया। पोलैंड में राजस्थान से जमीन कम है, जनसंख्या ज्यादा है। राजस्थान में एक लाख ३१ हजार माइल जमीन है जो ८ लाख एकड़ होते हैं। यहां १७० लाख आदमी गांवों में बसते हैं। ग्राम बसे हुये हैं ३२ लाख एकड़ में और जंगल हैं ४३ लाख एकड़ में व १५० लाख एकड़ भूमि खराब है। इस प्रकार २२५ लाख एकड़ भूमिवाद करने पर ५१५ लाख एकड़ भूमि रही जो पर व्यक्ति ३ एकड़ के करीब आती है। इस प्रकार सरकार ने ५ आदमियों के परिवार में १५ एकड़ रखी है जो फिर राजस्थान से कम भूमि और आबादी ज्यादा होने पर पोलैंड में २२५ एकड़ की सीलिंग कैसे रही ? मेरी समझ में तो ? ×× मालूम होता है कि हिन्दुस्तान में पोलैंड वाला स्वप्न पूरा नहीं हो सकता।

आपको शिकायत है कि जमीन की कहीं पटवारी ने रद्दोबदल नहीं की। जहां पर बड़े-बड़े लोग पटवारियों के पास पहुँचते हैं कि हमारी जमीन में रद्दोबदल करो, पटवारी कहता है कि गलत काम नहीं करूंगा। वह पटवारी जिसको सरकार एल. डी. सी. से भी कम तनख्वाह देती है उसको डराते हैं कि तुम्हारे खिलाफ

×× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

शिकायत करूंगा और विधान सभा में प्रश्न उठाऊंगा और कहते हैं कि पटवारी राजा है तथा वह राजस्थान का भगवान है या × ×। तो बताओ XX वह है ? या आप, जो उसकी रोटी छीनना चाहते है ? वह किसी बात में बर्दाश्त नहीं हो सकता कि इनकी शिकायतों पर गरीब लोगों को बिना इन्क्वायरी के रोजी छीनी जाय या नुकसान पहुंचाया जाय।

उन्होंने चिकित्सा की बात की कि बड़ी महंगी पड़ गई है। आपके जमाने में हजारों औषधालय और दवाखाने नहीं थे। हमने जो चिकित्सा के मामले में काम किया है उसका हिसाब आपके सामने है। पहले कुल ४।। हजार आदमी काम करते थे औषधालयों में। कम्पाउन्डर्स, क्लास फोर सर्वेन्ट्स; अब वहां १८,००० आदमी काम करते हैं। तो कितना फर्क पड़ गया ? उसके बाद में आपने न्याय-व्यवस्था और प्रशासन की बात कही। आपने कहा प्रशासन बड़ा खराब हो गया। मैं प्रशासन और टैक्स वसूल करने वालों की तारीफ करूंगा कि पर्सेन्टेज के हिसाब से पहले से बहुत कम खर्चा हुआ है।

पहले खर्च होता था टैक्स की वसूली में १६ पर्सेंट और अब खर्चा होता है आपका टैक्स वसूल करने में, उपाध्यक्ष महोदय, १२ पर्सेन्ट का।

आदमियों का जहां तक हिसाब बतलाया कि इसके पर्सेन्ट के मामले में जितना काम लिया है, मैं उन प्रशासक लोगों की और गवर्नमेंट में जो काम करने वाले लोग हैं उनकी इस विषय में तारीफ करता हूं कि उन्होंने किस प्रकार से काम किया है....

एक माननीय सदस्य : आप तारीफ ही तारीफ करते हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : तारीफ होगी तो तारीफ करेंगे, गलत होगी तो गलत कहेंगे। आपकी गलती होगी तो आपको भी कहेंगे।

सामान्य प्रशासन में जब इसको लिया जाय तो ४६ में १३,२६१ आदमी सामान्य प्रशासन विभाग के अन्दर काम करते थे, आज ११ हजार आदमी काम करते हैं। ३००० आदमी कम किये हैं। जागीर-दारों की जागीरें लीं, उसकी व्यवस्था भी इसमें आ गई है। राजस्व विभाग में ५ हजार आदमी कम किए हैं और जागीरों का भी इन्तजाम किया है वह उनके अन्दर किया है। पटवारियों की बुराई करते हैं लेकिन उस समय क्या उनसे पूरा काम नहीं लिया जाता था और अब पटवारियों की संख्या नहीं बढ़ी है और जागीरदारियों की जमीन जिसका लगान ४,८६,०००,०० आता है उसका इन्तजाम भी करते हैं। उन अधिकारियों की बुराई करते थे जिन्होंने व्यवस्था ठीक से जमा रखी है। बुराई इस वजह से नहीं कर रहे हैं कि बुरे हैं, बल्कि इस वजह से है कि उनका काम नहीं करते हैं। आज किसी डी. एस. पी. की बुराई करते हैं, किसी मजिस्ट्रेट की बुराई करते हैं, क्योंकि उस मजिस्ट्रेट ने आपका काम किया नहीं होगा। उससे कुछ लोगों को शिकायत करने का मौका मिलता है।....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : न्यायालय में जांच करवा ली जाय।

XX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

Page No 76

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : न्यायालय से जांच करवाने की बात करते हैं ! आप तो ×× ××यह अभी सामने आ जायेगा कि क्या हैं आप ।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : लोग आपके धोखे में नहीं आ सकते ।

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !!

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आपने हजारों गालियां कल सुनाई हैं । जरा आप सुनने की हिम्मत रखें । क्यों चक्कर खाते हैं ? हमारा तो अब दाव आया है । आपने अच्छी याद दिलाई । मैं यह सब भूल गया था, लेकिन इनके बोलने से अपने आप ही, उपाध्यक्ष महोदय, एक बात याद आ जाती है । मारवाड़ में कहा जाता है कि १०० ऊंटों की कतार खड़ी कर दो और एक पलाण एक आदमी उठाये तो जिस ऊंट की पीठ पर टकी पड़ी हुई हो वह ऊंट यह समझेगा कि पलाण मेरी पीठ पर रखा जायगा और वह अरड़ाने लगता है । कहने का कारण यह है कि समाज का जो चोर है वह हल्ला करता है । यह एक नियम है, उसीका पालन ये भाई कर रहे हैं ।

कहने का कारण यह कि जो उन्होंने जिस प्रकार से कल अनगल बातें कहीं वे समाज के किसी भले आदमी के लिए शोभनीय नहीं हैं । मैं उनकी बात कहता हूं जो कि लालटोपी लगाकर अजीब तरह से बात करते फिरते हैं । बांसवाड़े से कुछ भाई आये हैं, मैं उनकी जानकारी के लिए कहता हूं । दो साल का ही किस्सा है ज्यादा समय नहीं हुआ है, कोई अच्छा किस्सा नहीं, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा, क्योंकि कल ही उन्होंने बतलाया । उनके जिले का समाजवादी पार्टी का ऑफिस है, जिले का कार्यालय है पोलीटिकल पार्टी का....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): मैं निवेदन करूंगा कि इन चीजों के अन्दर नहीं पड़ें । खास तौर से इस पक्ष के लोगों से कह सकता हूं कि इस प्रकारकी बातों में नहीं पड़ना चाहिए ।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : सच्ची आवाज को क्यों दबाते हैं ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मुझे ×××× से बात करनी है ।

श्री उपाध्यक्ष: Order ! Order Please !! मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि अब इस प्रकार की बातें न कही जायं ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नेता का कहना मानना पड़ेगा । इस बात को आगे नहीं कहता हूं । ×××× तो ये हैं ही ।

जब बुराई की जाती है–जिस प्रकार कि जनसंघ के नेता जो जयपुर से आने वाले हैं उन्होंने एक बात कही, साहब । उन्होंने यह बात बतलाई और शिकायत की है और आगाह किया है इस सदन को और यहां की सरकार को कि मास्टरों ने लड़कों को पास नहीं किया तो उन लड़कों ने मास्टरों को पीटा और बहुत खुशीहै आपको इनके पीटने

×××× अध्यक्ष–पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

×××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

की। लड़के कौन थे जिन्होंने कि मास्टरों को पीटा ? उपाध्यक्ष महोदय, मास्टरों के अन्दर कुछ ऐसे तत्व घुसे हुए हैं जो लड़कों में साम्प्रदायिकता उकसाना चाहते हैं और लड़कों को एक अजीब तरह से अपने काबू में लेते हैं और जो मास्टर उनको कहते हैं कि ऐसी बात मत करो तो उनको पीटने की बात करते हैं और पीटने का लाइसेंस उनको आप यहां बोल कर दे देते हैं। उन मास्टरों की शिकायत नहीं आती है। ऐसे मास्टर भी शिक्षा विभाग में घुसे हुए हैं जो R. S. S. की शाखाएं लगवाते हैं। आर. एस. एस.की शाखाएं लगवाने वालों के खिलाफ शिकायतें प्राप्त होने पर भी शिक्षा विभाग उनके खिलाफ कुछ नहीं करता है। क्या आप शिक्षा विभाग को बर्बाद करना चाहते हैं ? आप गलत परम्पराएं डलवाना चाहते हैं। ये उनको उत्साह दिलवाना चाहते हैं ? आगे बढ़ाना चाहते हैं, अनुशासनहीन बनने में शिक्षा विभाग में बच्चों के इस प्रकार से करने का आप लाइसेंस ले रहे हैं, इस प्रकार से बोल कर। मास्टरों को पीट दिया, इस प्रकार से एक राजनैतिक दल के नेता खड़े होकर कहते हैं जैसे कि मास्टरों को पीटना एक मामूली सी बात हो, भारतीय संस्कृति में हम जिन गुरुदेव के चरणों में सिर झुकाते हैं, गुरुदेव को प्रणाम करते हैं उनसे कुछ सीखते हैं उनको पीटना कितना बुरा है !

उन्होंने बहुत सी बातें कही हैं, भ्रष्टाचार की। उन्होंने बतलाया कि सवाई माधोपुर में १२ लाख का लोन और दे दिया। ७५ लाख १९६० में दिया था। शेयर लिए थे ७० लाख के जिससे एक सीमेंट फैक्ट्री बनी और १० हजार मजदूरों को रोटी मिलती है और सरकार को पैसा मिलता है। तो १२ लाख रुपया दिया सवाई माधोपुर की सीमेंट फैक्ट्री को, तो २४ लाख के नल फैक्ट्री को लगाने की योजना थी, तो सरकार ने कहा कि पानी गांव तक लाओ और गांव के लोगों को भी पीने का पानी देना पड़ेगा, तो उसके लिए १२ लाख का कर्ज दिया कि गांव को पीने का पानी देना पड़ेगा, और गांव वालों को मुफ्त में पानी मिलेगा और सरकार को ब्याज मिलेगा। वह बात नहीं कहते कि सवाई माधोपुर को मुफ्त पानी मिल जायेगा।

अब एक और शिकायत है और मुझे भी शिकायत है सरकार के कुछ लोगों से और स्वायत्त शासन मन्त्रीजी से कि क्या उनके पास यह शिकायत नहीं पहुंची कि कोटा म्युनिसिपैलिटी के जो चेयरमैन जनसंघ पार्टी के हैं उन्होंने 'गोशाला फण्ड के रुपये को अपनी राजनैतिक पार्टी में और अपने सदस्यों में बांट दिया ? क्या यह शिकायत नहीं पहुंची ?

श्री राधाकृष्ण गोयल (कोटा) : यह तो मन्त्री की xxxx बता रहे हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : गोशाला-फण्ड जो कि गायों के लिए हुआ करता है, जो कि आपकी संस्कृति का प्रतीक है, गोमाता का घास कोई नहीं खाता है, उसको आप खा गये और उसके बाद कुछ शिकायत गरीब लोग करते हैं तो उस पर सरकार कुछ नहीं करती है। आप उनसे घबरा जाते हैं। यह बहुत भद्दी बात है।

---

xxxx अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

Page No 78

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

धर्मशाला है वहां नगरपालिका कोटा की, उसमें ६ महीने में ३ दफा व्हाइट वाश कराया है । बिल पास हो गये और खा गये आप । शिकायत सरकार के पास गई । वहां व्हाइटवाश नहीं हुई पर बिल पास हो गए, पेमेंट हो गये ।

जयपुर की जनसंघ नगरपालिका में आपने जो मुकद्दमे कोर्ट में चल रहे थे वहां पर और 'जिनमें काफी लोगों को सजाएं मिलतीं उनको २–२ रुपये में आपस में लेकर समझौता कर लिया । २) रु. मिल जायगा जुर्माना नगरपालिका को और उसके कारण कई२) रु० लिए हैं प्रत्यन्न में जो कि नगरपालिका के कोष में जमा हुए हैं, लेकिन उसके अन्दर क्या क्या है इसके बारे में ? इसकी शिकायत हमारी सरकार ने नहीं सुनी । मुझे शिकायत है सरकार से । फैसला करेंगे तो इस तरह से क्या करेंगे ? ये तो वे ही हैं जिन पर कि आपको करना है ।

(व्यवधान)

जो लोग खाने में मिलावट कर देते हैं । जयपुर की नगर पालिका में दूध में क्या क्या सामान मिलाया गया और उसके केसेज़ नागरिकों ने चलाये जो कि सरकारी सर्विस में थे । नगरपालिका ने तो एक केसमें २) रुपया जुर्माना करके कम्प्रोमाइज़ कर लिया । २) रु० जमा करा दिये कि हमारा तुम्हारा समझौता । समझौता कर लिया गया और आप मजिस्ट्रेट को कहते हैं कि पक्षपात करते हैं । उन्होंने उस जुर्म में जो कि मासूम बच्चे दूध पीते हैं उसमें विष मिलाया है उसको कम्प्रोमाइज़ किया है, केस नहीं चलाया ।

(६. म. प.)

अदालत ने उन लोगों को जिनके हथकड़ियें डाली जाती हैं, जिनको मजिस्ट्रेट सजा देता है उनके साथ आप दो दो रुपयों में कम्प्रोमाइज़ करते हो ! इसके अन्दर क्या था ? भाईसाहब ! आपको जो सफाई का काम दिया गया था वह भी पूरा नहीं कर पाये और दो–दो रुपयों में गिर जाते हो और उसके बाद भी बात करते हो राज्य की ! राज्य ऐसे नहीं आता ।

मैं एक बात और अर्ज कर दूं । बनेड़ा से आये हुए जो माननीय सदस्य है उन्होंने यह बतलाया कि ४०६ का केस एक मन्त्री महोदय पर चला जो भीलवाड़ा के बहाजपुर क्षेत्र से चुन कर आये । मैं उनको बतादूं कि खेमचन्द सिन्धी ने कोई केस नहीं चलाया । मैं खेमचन्द सिंधी को भी जानता हूं और मन्त्री महोदय को भी जानता हूं । यह गलत बात है । आप गलत सूचना हाउस में दे रहे हैं ! उनके खिलाफ क्या है, यह भी बता दूं । चिढ़ने की बात नही है । गलत बात कहने की आदत पड़ गई है । मैं आगाह कर देता हूँ उपाध्यक्ष महोदय, न तो मन्त्री महोदय पर कोई केस चला, न ऐसी बात हुई । वे भी हमारे साथी हैं, अच्छे हैं, थोड़े दिन के लिये × × × फिर हम लोगों ने कहा जब आये आपकी तरह कभी आये न कभी गये, आप तो बार बार आते हैं, जाते हैं । आपने कुछ दिन कांग्रेस में रह कर प्रतिष्ठा जमाई थी जिससे

---

xxxx अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गये ।

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

प्रधान हो गये लेकिन फिर बाहर चले गये; मन्त्री महोदय आपकी तरह से तीन तीन बार आये, गये नहीं। वे तो अच्छे आदमी है, आपके कहने से ४०६ का केस उन पर चलने वाला नहीं है।

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

एक बात और कहदूं। मेरे भाई जो भरतपुर से आये हैं उनके कथन को मैंने सुना। बड़े भारी भ्रष्टाचार के विरोधी और नैतिकता के जैसे अवतार हों, लेकिन कई बातों में मुझे भी शिकायत उनसे है। मरे हुए जागीरदार को जिन्दा बतलाकर उन्होंने तस्दीक करके मुआवजा लिया........

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : आप झूठे हैं, मैं चेलेन्ज करता हूं।

(शोरगुल)

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आप चैलेंज करते हैं तो मैं होम मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि वे बतायें कि उनके पास फाइल है या नहीं। आप अवतार बनते हैं, मरे हुए लोगों के बारे में कहते है कि जिन्दा हैं........

श्री नत्थीसिंह : कतई गलत है........

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : यदि झूठा है तो मैं सजा भुगतने को तैयार हूं।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : झूठा है, बिल्कुल झूठा है।

श्री उपाध्याय: Order! order Please!!

श्री नत्थीसिंह : ऐसे झूठे किस्से कांग्रेस के दफ्तर में बैठकर बनाये जाते हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, इस केस को टेस्ट केस बनाकर एग्ज़ामिन किया जाय....

श्री उपाध्यक्ष : Order! Please!!

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं डाइरेक्टली श्री XXXX से बात नहीं कर रहा हूं....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : XXXX ये हैं....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं, भाईसाहब....

श्री उपाध्यक्ष : You will please finish your speech early.

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : कल हम सुनते गये, सही बात तो उनको कहनी थी। आपने यह कहा कि कांग्रेस को ३८ परसेंट वोट मिले हैं, मैं इसको सही नहीं मानता; लेकिन अगर भाईसाहब की बात सहीभी मानलें तो जिस दल को ३८ परसेंट वोट मिले हैं वह तो सत्ता छोड़ दे, क्योंकि उसको ३८ परसेंट मिले हैं पर आपको तो २६ परसेंट मिले हैं इसलिए आप तो छोड़कर रास्ता पकड़ें। 'पर उपदेश कुशल बहुतेरा' इसको

XXXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

आखिर कहते हैं। आप तो छोड़ें, आपको तो २६ परसेंट ही मिले हैं। हमको कहते हो कि ३८ परसेंट वाले छोड़ दो। यह सत्यवादी बनने का नमूना दिखाई दे रहा है। आप कहते हैं ३८ परसेंट वाले राज्य छोड़ दो पर २६ परसेन्ट वाले बैठे रहेंगे ....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य समय का ध्यान रखें।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मैं समय का ध्यान रख रहा हूं। मुझे मालूम है कि कई माननीय सदस्य बोलेंगे, इसलिए मैं वक्त ज्यादा नहीं लेना चाहता।

मैं यह बता दूं कि समाज कल्याण के बारे में कल बात कही गई कि यहां पर समाज कल्याण केन्द्र है, उसके बारे में अनर्गल, अनमेल बातें कही गई। इसको हम देखने गये हैं। हमारे साथ कई लोग थे, इधर के भी थे और उधर के भी थे। सबने बताया कि वहां की अच्छी व्यवस्था है। वहां पर उसकी सबने तारीफ की। लेकिन यहां पर गलत बात कही गई। ये भाई नत्थीसिंह जी कह गये चुनाव नहीं हुआ केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्षा का' लेकिन अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है....

श्री नत्थीसिंह : आप गलत कह रहे हैं। अध्यक्ष के चुनाव के बारे में मैंने नहीं कहा। आप झूठ कहते हो....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आप तो सही कहते हो ३८ परसेन्ट वालों के बारे में, पहले २६ परसेन्ट वाले तो छोड़ो।

श्री नत्थीसिंह यदि आप कहते हो और यह चार्ज आप पर लागू होता है तो आप सरकार छोड़ें और हम गलत हैं तो हम छोड़ेंगे।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order Please ! No talking.

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मैं बताऊंगा कि वहां राजस्थान सरकार का कुछ नहीं। वहां तो केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा नोमिनेट करते हैं। आपने जिस अध्यक्ष का नाम लिया उन्होंने अध्यक्ष होने से इन्कार कर दिया था, लेकिन केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्षा श्रीमती मथाई के बहुत कुछ कहने से उनको मानना पड़ा। मैं उनको चैलेन्ज करता हूं, मुझे नेता ने मना कर दिया है; वरना भरतपुर से, धौलपुर से बहनें आई हैं उनके किस्से मैं जानता हूं। कौन छुड़ाने गया था ? ९ वर्ष की बच्ची की शादी ६५ ? वर्ष के बुड्ढे के साथ उसके पिताने करदी। मुझे मना कर दिया है बतानेके लिए वर्ना बताता कि ९ वर्ष की बच्ची को वहां पर उसका मामा पहुंचा गया, यह कह कर कि इसको नहीं रखोगे तो उसका पिता उसको बेच देगा। लड़की वहां पढ़ रही है २ साल से, अब ११ साल की हुई है उस लड़की को जब उसके पिता ने ६० साल के आदमी को बेच दिया और उसको बेचने के बाद कई भाई एम. एल. ए. नारी निकेतन में गये। मैं कह सकता हूं इसकी जांच करवा लें, उन्होंने कहा कि

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

यह उसका पति है, इसके साथ इ-को भेज दो। वहां पर वही अध्यक्ष थी। उसने पूछा कि-यह उसका दादा है या पति है। दादा के जितने बूढ़े आदमी को इन्होंने पति कहा। धौलपुर के आसपास बच्चियों को बेचा जाता है, मैं आपको सही बात बता देना चाहता हूं, मुझे यदि पता लग जाय कि मेरे गांव के आसपास २०-२५ बहिनों को नीलाम किया जाता है तो मैं वहां पहुंचूगा और या तो उन बेचने वालों को मार डालूंगा या मैं मर जाऊंगा, पर जिन्दा नहीं आऊंगा। इनके वहां पर बहिनें नीलाम होती हैं और नेता ये कहलाते हैं।

(शोरगुल)

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : कौन है नाम तो लें ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): नाम तो बतावें कौन हैं ? है क्या ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आपने बतलाया राजाखेड़ा में नीलाम हुई डॉन में पढ़ा, पाकिस्तान रेडियो से सुना। पाकिस्तान रेडियो में सुना, मैं पूछता हूँ कि फिर आपके पास कुछ लोग आपके कहने में नहीं थे। आप उन बहिनों को छुड़ा न सके और XXXX

(व्यवधान)

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): XXXX

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Now the Hon'ble member will please wind up his debate

---

XXXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात बतलाता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble member will please wind up his debate.

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मैं एक मिनट में पूरा कर लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : Please conclude.

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है, इसलिए ये जो विरोधी पक्ष से प्रस्ताव आये हैं, मै उनका विरोध करता हूं घोर शब्दों में। वे इन प्रस्तावों को वापिस ले लें, नहीं तो मैं सदन से निवेदन करूंगा कि सदन इन्हें गिरा दे, ताकि इनकी हिम्मत नहीं पड़े आगे इस प्रकार के प्रस्ताव लाने की।

(श्री मानसिंह महार और श्री सतीशचन्द्र बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिश्चन्द्र।

श्री हरिश्चन्द्र (यातायात मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, तीन दिन से इस सदन में अविश्वास के प्रस्तावों पर चर्चायें हो रही हैं। मैं यहां बैठा बैठा यह विचार कर रहा था कि ये अविश्वास के प्रस्ताव क्यों लाये गये और इनका क्या मकसद है ? राजस्थान की हालत को देखते हुए इसमें दो राय नहीं है कि जब से देश आजाद हुआ है और जब से देश का, राजस्थान का एकीकरण हुआ है उस वक्त से राजस्थान की आर्थिक समस्याओं को हमने सुलझाया है, सामाजिक क्रांति में हम पीछे नहीं रहे हैं, ताहम भी ये

(श्री हरिश्चन्द्र)

अविश्वास के प्रस्ताव क्यों आये हैं ? और जो बहसें यहां हुई हैं, उन बहसों से मुझे एक ही बात नजर आती है कि इन पार्टियों के सामने और कोई प्लान नहीं है। सिर्फ एक ही आवाज उठाना चाहते हैं कि करप्शन है....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) वह है नहीं ?

श्री हरिश्चन्द्र : राजस्थान एक प्रगति के मार्ग पर चल रहा है और इस समय ये अविश्वास के प्रस्ताव जो आये है, मैं समझता हूं कि ऑपोज़ीशन पार्टीज़ को यह हक है, सारे जनतन्त्र में यह हक है कि वोट ऑफ नो कॉन्फीडेन्स लाया जाय। यह कोई जनतन्त्र की प्रणाली के खिलाफ नहीं है। लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि आज यदि कांग्रेस सरकार यहां से अलग हो जाती है, चली जाती है तो क्या आप लोग, जो कि उधर बैठे हैं, इस तरह के हैं, क्या आपके पास यह प्लान है कि आप राजस्थान को एक स्टेबल गवर्नमेंट, एक ऐसी सरकार दें जिसके जरिये से राजस्थान की जनता की आर्थिक उन्नति हो सके, राजस्थान की जनता को सामाजिक न्याय दे सकें क्या आप इस पोज़ीशन में हैं ? मैं समझता हूं कि इस पोज़ीशन में आप में से एक दल भी नही है, एक पार्टी भी नहीं है।

मैं एक बात अदब के साथ कहना चाहता हूं, वह यह है कि हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जिस आदमी ने या जिस पार्टी ने अपने देश को बनाने की नींव डाली है और उसकी मंजिलों को वह धीरे धीरे खड़ी कर रही है, आप लोग यह चाहते हैं कि जब यह मकान खड़े होने के पास पहुंच जायें और उसके ऊपर जब उसकी मंजिलें कम्प्लीट हो जांय और जब उसके ऊपर छत पड़ने की बात आये उस वक्त किसी न किसी रूप से इस मकान के अन्दर आपका कब्जा हो जाय....

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : स्टे ऑर्डर आ जायगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): इस मकान में दरारें पड़ रही हैं।

श्री हरिश्चन्द्र: मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि राजस्थान की कांग्रेस और इस कॉंग्रेस सरकार ने जो मकान बनाया उस मकान में आप लोगों को वहीं आने देंगे और इस वास्ते नही आने देंगे....

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : मकान नहीं चाहिए, कोठियां चाहिए।

श्री हरिश्चन्द्र : क्योंकि उस मकान में आपके आने के बाद वह मकान गिर जायगा, गिर जायगा। वह क्यों गिरेगा ? इसका भी मैं आपको एनेलेसिस देदेता हूँ। वह क्यों गिरेगा, वह मकान रह नहीं सकता। वह इस वास्ते गिरेगा कि आप आपस में लड़ेंगे और आपकी भिड़न्त इतनी जबरदस्त होगी कि वह मकान जो है वह गिरता रहेगा, गिरता गिरता गिरता चला जायगा....

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : जैसे आप गिर रहे हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : और इसकी मिसाल यहां पर है। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। मेरे भाई जो कि बयाना से आये हैं, पहले पहले जब यहां पर १९६२ के इलेक्शन के बाद में आये तो माननीय सदस्य भी यहां पर तशरीफ लाये थे और जब वे यहां पर आये तो जोर शोर से उन्होंने अपने सिर के ऊपर एक लाल टोपी रख दी। धीरे धीरे जब लाल टोपी का अर्थ कुछ और आने लगा। जब वे अपनी कॉन्स्टीट्यूएन्सी में पहुंचे तो लोगों ने पूछा कि इस लाल टोपी का अर्थ क्या है? तो समझाते-समझाते इनको यह महसूस होने लगा कि यह लाल टोपी उतार कर रख देना अच्छा है। नहीं तो वोट नहीं मिलेंगे यह है कि उनको लाल टोपी उतार कर रखनी पड़ी....

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : यही महसूस करके आपने सफेद टोपी छोड़ी है।

श्री हरिश्चन्द्र : यह क्यों रखनी पड़ी? वह इस वास्ते रखनी पड़ी कि उनके पास मित्र बैठे हैं उनकी कोई परछाई न आ जाय। उस परछाई से वे डरते थे। थोड़ी सी परछाई आ जायगी तो मेरी मुसीबत हो जायगी। मैं अपनी कॉन्स्टीट्यूएन्सी में जाकर क्या कहूंगा? आदमियों को क्या समझाऊंगा? इस वास्ते आज कल टोपी दिखती नहीं है! टोपी गायब है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य....

राजा श्री मानसिंह (डीग) : आपकी सफेद टोपी किधर है?

श्री हरिश्चन्द्र: जो स्वतन्त्र पार्टी के नेता हैं, उन्होंने अपने भाषण में यह जाहिर किया कि राजस्थान में परमिट और कोटा की यह कांग्रेस सरकार है, यह लाइसेन्सेज़ की हुकूमत है, यह सुनकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने कहा कि इतने बड़े व्यक्ति, बुजुर्ग, जिनको मैं अदब के साथ देखता हूं उन्होंने यह बात कैसे कही? कहने को तो कह दी, लेकिन अब वे भी परेशान हैं कि कह तो दी, लेकिन उसको कैसे निगलें....

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : आप भी परेशान हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : कह तो दी। लेकिन मैं अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि कहना बड़ा आसान होता है, करना बड़ा मुश्किल होता है। हुजूर को खुद को मालूम है कि १९४० में जब लड़ाई का वातावरण था, जब लड़ाई चल रही थी उस वक्त क्या राजस्थान की रियासतों में परमिट नहीं था? कोटा नहीं था, लाइसेन्सेज नहीं थे? मैं यह पूछना चाहता हूँ कि जब आपने जमाने में लाइसेन्सेज थे, कोटाज़ थे और कंट्रोल था तो आपको कोई हक नहीं है कि इस सदन में आकर इस सरकार के लिए यह कहें।

आपने एक और बात कही कि मैं प्लानिंग के विरुद्ध हूं। मैंने जब यह बात सुनी तो तोबा-तोबा करने लगा और तोबा-तोबा इस वास्ते करने लगा, मैं खुद डूंगरपुर गया हुआ था। वहां जब मैं डूंगरपुर में गया तो वहां पर मुझे डूंगरपुर की पुरानी तस्वीर मेरे सामने आई और नई तस्वीर भी मुझे नजर आने लगी। मैंने वहां लोगों से पूछा कि क्या

(श्री हरिश्चन्द्र)

रिवोल्यूशन हो रहा है ? क्या क्रांति आ रही है डूंगरपुर में । मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहूँगा कि उस राज्य में जहां पर एक वह जमाना था कि धीरे-धीरे प्रगति हो रही थी, आर्थिक व्यवस्था स्टेट की ठीक नहीं थी, वहां स्टेट के पास पैसा नहीं था, वहां पर उस राज्य में रेलगाड़ी लाने के लिए पुरजोर काम हो रहा था। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह प्लानिंग से सम्बन्धित नहीं है । आज डूंगरपुर में रेलवे लाइन जा रही है, डूंगरपुर की जनता को कितना फायदा हो रहा है. क्या आपके दिमाग में यह बात नहीं आती और आप यहां आकर यह कहते हैं और हमको यह कह कर बहकाने की कोशिश करते हैं कि प्लानिंग गलत है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान का उद्धार हुआ है वह हुआ है प्लानिंग के द्वारा और हम इसमें अटल विश्वास रखते हैं कि अगर प्लानिंग के द्वारा जो राजस्थान में काम हो रहा है उस मकान में, उस मंजिल में ईंट लगाते हुए चले जावेंगे तो राजस्थान के लिए आप एक बहुत बड़ा मकान खड़ा कर देंगे । लेकिन मैं साथ-साथ यह भी कह देता हूं कि राजस्थान की जनता उस मकान में आपको नहीं घुसने देगी। उस मकान में आप लोग नहीं आ पावेंगे। यह मैं जरूर कह सकता हूं ।

एक माननीय सदस्य : (बैठे-बैठे)XXXX

श्री हरिश्चन्द्र : आपको उस मकान में पैर नहीं रखने देगी, यह मैं बता देना चाहता हूं । सरकार यही बनेगी ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : आप आ जावेंगे ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैं तो आऊंगा या नहीं, लेकिन आप आयेंगे या नहीं ?

मैं यह कहना चाहता हूं जो कॉम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं उन्होंने बड़े जोर-जोर से सामंतवाद के नारे लगाये और यह कहा कि सामन्तों की हुकूमत है । यह कहा कि हिन्दुस्तान में और राजस्थान में सामन्तशाही आ रही है । मैं यह पूछना चाहता हूं कि यहां बैठे-बैठे बड़ा आसान होता दुहाई देना कि आपका जनतन्त्र में विश्वास है. जहां तक स्वामीजी का प्रश्न है और जहां तक रामानन्दजी का प्रश्न है मैं यह मान कर चलता हूं आप दोनों के दोनों बड़े पुराने नेता हैं । आपके दिल में हो सकता है कि इस देश की प्रगति के लिए आपके दिलो में गुंजाइश हो, लेकिन आपकी पार्टी के लिए मैं यह कह देना चाहता हूं कि उसके लिए हिन्दुस्तान की जनता को कतई विश्वास नहीं है ।

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : हम चाहते हैं कि प्रिवीपर्स बन्द हो और जागीरदारों को मुआवजा दिया जाता है वह कम हो । लेकिन यह आप नहीं चाहते ।

श्री हरिश्चन्द्र : आपने त्याग की बात कही । मैं तो यह कहता हूं कि हमारे तो प्रिवीपर्स ही रहा है । बाकी सब हमने संभला दिया है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) :

XXXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गये ।

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

यह मजबूरी थी कि आपको वह सम्भलाना पड़ा।

(शोरगुल एवं हूटिंग)

श्री हरिश्चन्द्र : कतई नहीं।

(शोरगुल एवं हूटिंग)

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री भैंरोसिंह (किशनपोल, जयपुर) : Point of order, Sir, उपाध्यक्ष महोदय, क्या इस प्रकार से हूटिंग होता है वह उचित है? अगर इस प्रकार से हूटिंग किया गया तो....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : किया जावेगा।

श्री भैंरोसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा कांग्रेस के माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहता था कि इस तरह से हूटिंग होना उचित नहीं है और जब वे कहते हैं कि किया जावेगा तो हम भी जानते हैं हूटिंग करना।

श्री ज्वालाप्रशाद शर्मा : आप जानते हैं तो हम सब जानते हैं।

श्री भैंरोसिंह : आपको ख्याल होना चाहिए कि राजस्थान के मुख्यमन्त्री अब बोलने वाले हैं। अगर इस प्रकार का हूटिंग किया गया तो उनको एक मिनट भी नहीं बोलने दिया जावेगा। जो गाली निकालता है और जब दूसरे उसको सुनते हैं तो आपको भी सुनना चाहिए। आप बोलें लेकिन इस प्रकार का हूटिंग नहीं हो।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !! माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस सदन की प्रतिष्ठा के अनुकूल बिल्कुल शांत वातावरण रखें और हूटिंग कतई यहां पर शोभनीय नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रत्येक माननीय सदस्य अपनी सीमा में रह और डिबेट तक ही सीमित रहें और इस प्रकार के पर्सनल आरोपों और आपस में जो एक्सचेन्जेज़ किये जाते हैं उससे हमेशा बचें।

श्री हरिश्चन्द्र : मैं कह रहा था कि जब ४७ में एकीकरण हुआ तो उस समय राजाओं ने इस देश के साथ जो व्यवहार किया है उसका एप्रीसियेशन माननीय सदस्यों में होना चाहिए। उस वक्त जो कुछ भी सेटलमेंट हुआ वह हुआ। हमने राज्य भी सम्भला दिये, इस देश के हित के लिए। मैं माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि जो कॉम्युनिस्ट पार्टी के हैं, मैं यह नहीं कहना चाहता कि आप कोई चीज सम्भला दें। मगर मैं इतना अर्ज करना चाहता हूं कि अगर आप करेक्ट हिन्दुस्तानी हैं और आपको इस देश के लिए दर्द है तो इस पार्टी में बैठे हैं उससे त्यागपत्र देकर निकल जाना चाहिए और इस वास्ते निकल जाना चाहिए कि आज हमारे देश पर मुश्किल आ रही है

(श्री हरिश्चन्द्र)

और चीन की तरफ से हमला हुआ है ।

श्री कुमारानन्द : हम २६ साल तक जेलों में रहे हैं। आप यह कह कर हम पर चार्ज नहीं लगा सकते....

श्री हरिश्चन्द्र : मैं, स्वामीजी, आपको बड़ा बुजुर्ग मानता हूं। आपको पिता तुल्य मानता हूं, आप विराज जाइए।

श्री कुमारानन्द : आप जनता को 'रोटी-रोजी' दीजिए....

श्री हरिश्चन्द्र : हम भी कहना चाहते हैं कि आप जिस पार्टी में बैठे हैं, क्या आप चीन के राज्य को जनतन्त्र कहते हैं जिसको आप....

श्री कुमारानन्द : हम चीन को बिल्कुल फेवर नहीं करते।

(शोरगुल)

श्री हरिश्चन्द्र : आप उस पार्टी को छोड़ दीजिये। उस पार्टी से त्यागपत्र दे दीजिये ।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !!

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : Point of order, Sir.

हमारे देश का जहां तक यू. एस. एस. आर. से सम्बन्ध हैं वे बहुत अच्छे सम्बन्ध हैं। इसका असर अन्तर्राष्ट्रीय शासन व्यवस्था पर पड़ेगा। जबकि फ्रेन्डली सम्बन्ध है तो इस प्रकार सदन में कहना कहां तक उचित होगा....

(विराम)

इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि ये शब्द को प्रोसीडिंग्ज़ से निकाल दिये जाने चाहिए।

श्री हरिश्चन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ मैंने कहा है वह ठीक कहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां जनतन्त्र नहीं है।

श्री कुमारानन्द : आप अपने शब्दों को वापिस लें।

(शोरगुल के बीच)

श्री हरिश्चन्द्र : I Seek protection of the Chair.

मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस पार्टी ने इस देश की भूमि पर आक्रमण किया, चीन कॉम्युनिस्ट ने, तो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि आप इतना ही करें और त्याग-पत्र दे दें। आप मुझे सामन्तशाही का कहते हैं। मुझे दर्द नहीं होता है।

(विराम)

हिन्दुस्तान के प्रति अगर आपको प्रेम है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप सही हिन्दुस्तानी हैं तो आपको पार्टी को छोड़कर आ जाना चाहिये।

श्री कुमारानन्द : आप जनता को रोटी-रोजी दे सकें।

श्री उपाध्यक्ष : Order, please!

श्री हरिश्चन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा अर्ज नहीं करूंगा क्योंकि समयाभाव है। राजस्थान प्रगति के मार्ग पर लग रहा है। मैं इतना ही अर्ज करना चाहता हूं कि जो हमारे माननीय सदस्य ऑपोज़िशन पार्टीज के हैं वे स्थिति को देखते हुए, मैं और इलेबोरेट करता लेकिन स्थिति को देखते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस अविश्वास के प्रस्ताव को वापिस ले लेवें।

(मुख्यमन्त्री महोदय बोलनें के लिए खड़े हुए)

श्री रामकिशन (बैर) : हीराभाई के लिए तो आपने कहा था। एक भी आदिवासी नहीं बोला, एक भी शूद्र नहीं बोला, एक भी महिला नहीं बोली। हीरा भाई को तो बोलने का अवसर दिया जाना चाहिये।

(६.३५ प० म०)

(श्री अध्यक्ष पुनः पदासीन)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : माननीय अध्यक्षजी, तीन रोज से इस अविश्वास के प्रस्ताव पर इस सदन में बहस हो रही है। अविश्वास के प्रस्ताव इस सदन में पहले भी आये, राज्यपाल महोदय का जब भाषण होता है, बजट जब प्रस्तुत किया जाता है, उस अवसर पर भी बहुत सी बातें सामने आती हैं। मुझे दुःख है इस बात का कि सदन में इस बार इस अविश्वास के प्रस्ताव पर बहस काफी तेज रही, इतना ही मैं कह दूं, और इससे ज्यादा मैं कहूं, इसकी आवश्यकता नहीं। और इस बात का दिमाग पर वजन भी है।

आज माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन में बैठ कर और इससे पूर्व एक-आध वर्ष पहले और मुझे अपनी तुच्छ सेवाएं, राजस्थान को, इस वृहत् राजस्थान को अर्पित करने का अवसर मिला है। जो कुछ अच्छे या बुरे काम इस राजस्थान में हुए, वे राजस्थान की जनता के सामने हैं। मैं स्वयं इसके बारे में अपनी तरफ से कुछ कहूं, मैं समझता हूँ वह उपयुक्त नहीं होगा। राजस्थान के जिस सदन के अन्दर यहां बैठ कर राजस्थान के विकास के लिये हमने कई कानून बनाये, कई बजट्स पास किये, बहुत से निर्णय किये, वे किस राजस्थान में किये? हम इस बात की कल्पना करें कि राजस्थान क्या था, आज क्या है, यह वह राजस्थान है कि जिस राजस्थान के अन्दर सारे हिन्दुस्तान से किसान दबे हुए थे, पिछड़े हुए थे। निरक्षरता के अन्दर हम नीचे से सबसे पहले नम्बर, सड़कों के अन्दर नीचे से हम सबसे पहले नम्बर, बिजली के अन्दर सबसे पीछे, सिंचाई की व्यवस्था में सबसे पीछे। और सब जाने दीजिये, इस राजस्थान के गांवों को तो पीने का पानी भी हर एक गांव को उपलब्ध नहीं। उस तरह के राजस्थान का जैसी कैसी भी यह कांग्रेस पार्टी है, जिसके लिये न मालूम क्या क्या कहा जाता है, उस कांग्रेस पार्टी पर वह वजन पड़ा और उस वजन पड़ने के बाद हमने हमारे अपने नम्र प्रयासों से यह कोशिश की कि किस तरह राजस्थान, जिसका इतिहास तो गौरवशाली रहा है पर समय की गति के साथ आर्थिक व सामाजिक विकास में आज की दुनिया से पिछड़ गया, उसको आगे बढ़ाने के

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

प्रयास किये जांय।

बहुत से कानून सदन में आये, बहुत से महत्वपूर्ण जागीर अबोलिशन जैसे कानून को हमने कुछ आपसी बात-चीत के द्वारा, एक-दूसरे का मत भेद होते हुए भी उस जबर्दस्त महत्वपूर्ण कार्य को इस सदन ने किया। सीलिंग जैसे कानून को भी इस सदन ने पारित किया। जहां राजस्थान में रैंट कन्ट्रोल जैसी बात नहीं थी, उस चीज को भी इस सदन में किया गया। आज राजस्थान के किसानों को इनकी वजह से क्या राहत मिली और क्या नहीं मिली यह किसी से छिपा नहीं है। सदन में बैठने वाले हरिजन, आदिवासी भाई, चाहे इधर बैठे हों, चाहे उधर बैठे हों कहां सामुदायिक विकास डिपार्टमेंट के द्वारा खर्चा किया जाय, नहीं किया जाय की चर्चा करें, पर मुझसे भी पुराने व्यक्ति काम करने वाले हैं। १६४० का जमाना मुझे याद है जब मुझे ठक्कर बापा ने कहा था कि हरिजन आदिवासियों में जाकर काम करो। जब मैं उस समय मौके पर गया था तो शायद इस सदन के सदस्य जो उस क्षेत्र के रहने वाले हैं, जानते होंगे कि उस आदिवासी के पास जिसके पास रात को सोने के वक्त में बीच में आग जला कर, बिना कपड़ों के, कमरा बन्द करके सोया करता था, पहनने को और, ओढ़ने को पास नहीं था। मक्का पक गई, दो-चार महीने खा ली बाकी टीमरू खाते थे। उस राजस्थान की जिम्मेदारी इस सरकार पर पड़ी और सोशियल डिपार्टमेंट और सार्वजनिक संस्थाओं के द्वारा इस कार्य को हाथ में लिया। मुझे दुख होता है, जब माणिक्यलालजी वर्मा पर व्यक्तिगत तौर पर आक्षेप किये जाते हैं। आज जब से नया राजस्थान बना उसने यह कल्पना तक नहीं की कि इस जगह आकर पद पर आसीन हो; उनका ध्यान गया तो गाडोलिये लोहारों पर गया, जिसके पास न मकान है, न छप्पर; जो गाड़ी लेकर घूमता है, उसकी ओर गया। आसान काम नहीं है कि जो घुमक्कड़ रहा हो सैकड़ों वर्षों तक उसे बसाने की बात करें। आसान नहीं है कि सांसी, कन्जरों को बसाने की बात करें। आसान नहीं है कि आदिवासियों को अपने गावों से हटा कर, घरों से हटा कर आबादी में बसाने की कोशिश करें, आसान नहीं कि जो सहरिये सदियों से जुल्मों में रहे, उनको किसी जगह बसाने की बात करें, आसान नहीं बनजारों और दूसरों को बसाने की बात करना, लेकिन वह व्यक्ति आज धूनी रमाता फिरे, जिस वक्त बोर्डर पर देश को खतरा हुआ वह पाकिस्तान की सीमा पर घूम-घूम कर कहता है कि छात्रावास खोलो, खादी का काम शुरू करो, और काम काज चालू करो जिससे कुछ लोग वहां बैठ कर देश के लिये वफादारी पैदा कर सकें। आज एक स्थिति निकल जाती है, उसके बाद हम विचार करने लगते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि आज हमें इस परिस्थिति में यह नुकसान हो गया। मैं निवेदन करूं कि आज इस सदन में चर्चा होती है कि प्रिवीपर्स बन्द कर दी जाय, अमुक चीज बन्द कर दी जाय। हममें से सभी जानते हैं ४७ के जमाने को, आज हमें धन्यवाद देना चाहिये कि स्वर्गीय सरदार पटेल को जिसने ५६२ रियासतों को समाप्त करके एक हिन्दुस्तान बना दिया। जिस समय यह फैसला किया गया उस मौके पर

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

हर एक की जुबान से एक ही बात निकलती थी कि सरदार पटेल ने भारत को एक कर दिया, भारत की आजादी को अखण्ड कर दिया। अंग्रेज टुकड़ों टुकड़ों में हिन्दुस्तान को आजादी देकर गये थे, उन्होंने एक कर दिया जिन्होंने सहयोग दिया, सहयोग से किया, निजाम ने सहयोग नहीं दिया तो सरदार पटेल ने ताकत से काम किया, मिल-जुल कर भारत का नक्शा बनाया। आज हम बैठ कर कहते हैं प्रिवीपर्स खत्म कर दो, अमुक काम समाप्त कर दो पर हमें इस बात पर निगाह रख कर चलना होगा कि इतिहास अलग से नहीं बल्कि कड़ी से जुड़ता हुआ चला जाता है घटनाओं के साथ, उन घटनाओं को आंखों से ओझल करके नहीं चल सकते। समय के अनुसार, गति के अनुसार परिवर्तन हो उसमें कदम उठाना आवश्यक हो वह कदम उठाया जाना चाहिये। हम इस बात को निश्चित तौर पर मानने वालों में हैं कि आज के दिन जो किसान जमीन के अन्दर उत्पादन करता है, मेहनत करता है, उसके ऊपर उसका अधिकार होना चाहिये। जिससे वह उस पर इन्वेस्ट कर सके, उसमें इम्प्रूवमेंट कर सके, उत्पादन बढ़ा सके। हमारे यहां जो विरोधी दल के नेता बोले उन्होंने कहा कि प्लानिंग से आप पृथक हैं। मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि प्लानिंग अगर सबसे अधिक किसी को मदद करता है तो जो सबसे कमजोर व्यक्ति है, सबसे कमजोर स्टेट है, उसकी प्लानिंग मदद करता है।

अब हम यह कल्पना करके चलें कि कहने को कुछ भी बात कहें, पर मैं थोड़ा पीछे आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं, ५०-५१ में प्लान का इम्पैक्ट नहीं था उस वक्त राजस्थान का कुल बजट १६८० लाख था।

आज सन् १९६३-६४ के अन्दर वही राजस्थान है जिसका बजट ८७, करोड़ ६७ लाख का है। आप देखिये, यह कैसे हुआ? क्या हम अपनी शक्ति से, क्या राजस्थान अपनी ताकत से इस बात की कल्पना कर सकता था कि ८७ करोड़ का उसका इतना बड़ा बजट होगा? क्या हम यह कल्पना कर सकते थे कि रेलवे लाइन उदयपुर से हिम्मत नगर तक चली जायेगी? क्या हम कल्पना कर सकते थे कि खेतड़ी के अन्दर तांबा पड़ा हुआ था, सदियों से गड़ा हुआ पड़ा था, उस तांबे की खान से तांबा निकलने लगेगा? क्या हम यह कल्पना कर सकते थे कि व्यास और रावी का पानी जो पाकिस्तान से होकर समुद्र के अन्दर जा रहा था उसको मोड़ कर राजस्थान के रेगिस्तान में ले आवेंगे? क्या हम यह भी कल्पना कर सकते थे कि बाड़मेर और जैसलमेर के अन्दर ट्यूब वेल्स खोदकर वहां पर पानी निकाल सकेंगे? आज ये सब कल्पनायें साकार हुई हैं, ये प्लानिंग से हुई हैं योजना बद्ध आर्थिक तरीके से देश का विकास करने के निर्णय से हुई हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें। कोई पार्टीज का प्रश्न नहीं है। यह प्लान ऐसी चीज है, जिसके बारे में बंगाल और बम्बई जैसे प्रदेश, शायद कह सकते हों कि उन्हें प्लानिंग की जरूरत नहीं हैं, लेकिन क्या राजस्थान यह कह सकता है कि हमको प्लानिंग की जरूरत नहीं है? हम तो उनसे

Page No 90

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

कहा करते थे कि आपके पास इन्डस्ट्रीज़ आ गई हैं, उद्योग ज्यादा बढ़ गये हैं, इससे आपके आर्थिक ताकत बढ़ गई है। इससे इनकम टैक्स की आपको आमदनी होती है, इन्टर स्टेट सेल्स टैक्स से ज्यादा आमदनी होती है, सेन्ट्रल एक्साइज में ज्यादा आमदनी मिलती है, मजदूरों की तनख्वाह बढ़ाते हैं, उसकी वजह से मनी सर्कुलेट होने से आपको ज्यादा आमदनी होती है, ट्रान्सपोर्ट विहिकल्स ज्यादा चलती हैं, उससे टैक्स ज्यादा आने लगता है, इसके अलावा कई प्रकार की इन्डस्ट्रीज़ होती हैं जिनसे सीधी इनकम नहीं हो सकती है लेकिन इनडाइरेक्ट एम्प्लोयमेन्ट और इनकम कहीं ज्यादा होती है और कई ज्यादा प्रोसपेरिटी बढ़ती है।

आज के दिन, अध्यक्ष महोदय, इस सदन में यह चर्चा की जाती है कि हमारी लाएबिलिटी इतने करोड़ की इस राजस्थान सरकार ने बढ़ा दी और उसका रिटर्न हमारा १ परसेन्ट आता है। मैं एक बात, अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट तौर पर निवेदन कर देना चाहता हूँ। दूर जाने दीजिए, गंग केनाल के उस हिस्से को देख लीजिये जिस गंग केनाल में आकर अगर हम यह मान कर चलें कि गंग कैनाल में जो आमदनी होती है वह तो आमदनी ही नहीं है, सेल्स टैक्स, विहिकल्स टैक्स और दूसरे दूसरे तरीकों से जो आमदनी होती है वह तो कोई आमदनी ही नहीं है हमारी, तब तो आप कह सकते हैं कि राजस्थान को यह सरकार दिवालिया बना रही है। लेकिन वह आमदनी हम कह सकते हैं, वह आमदनी होती है, वह कम आती हो लेकिन घूम फिर कर राजस्थान की इकोनोमी में उसका जबरदस्त इम्पेक्ट होता है।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन में कहा गया गया कि टैक्सों का वजन जबरदस्त बढ़ता चला जा रहा है और राजस्थान में टैक्स का भार बहुत हो रहा है। मैं नम्रतापूर्वक इस बारे में भी सदन के सामने यह रखना चाहता हूं कि सन् १९५५–५६ में हमारे इस राजस्थान के अन्दर करेन्ट प्राइसेज़ पर पर–केपिटा इनकम् क्या थी। मैं उस ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। करेन्ट प्राइसेज पर पर–कैपटा इनकम उस साल १५९ रुपया थी और उस साल के अन्दर राजस्थान स्टेट का पर–केपिटा टेक्स था ६.१६ रुपया। यह पर–केपिटा टैक्स था। उसके बाद सन् १९६०–६१ के अन्दर पर–केपिटा इनकम करेन्ट प्राइसेज़ पर ३२५) रुपया थी और टैक्स इन्सीडेन्स ६.१६ से बढ़ कर ९.२० हुआ। पर–कैपिटा इनकम ६६ एन्ट्रीज़ हुई और टैक्सेशन में ३.२१ के करीब वृद्धि हुई। आज ६३.६४ के बजट फीगर्स को लेकर चलें पर–कैपिटा आमदनी के फीगर्स इस साल के उपलब्ध नहीं है, इतने जल्दी उपलब्ध हो भी नहीं सकते, पर–केपिटा टैक्स है वह १३.४२ है। यह राजस्थान में लेटेस्ट पर–कैपिटा टैक्स है। जो मैंने आपको कहा कि पर–कैपिटा आमदनी में ६६) रु० इन्ट्रीज हुआ है और टैक्स में भी ५० परसेन्ट इन्क्रीज़ हुआ है। लेटेस्ट ६३–६४ के आमदनी के फीगर्स उपलब्ध न होते हुए भी जो पर–केपिटा टैक्स राजस्थान में हुआ है वह मैंने आपके सामने रखा है। इतना ही अध्यक्ष महोदय, लोअर क्लास

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

और रूरल एरिया के बारे में भी मैंने जानकारी करने की कोशिश की। जो जानकारी मैं कर पाया हूं उसके आधार पर मैं कह सका हूं कि आज मान लीजिये कि उड़ीसा, बिहार, बंगाल, बॉम्बे या मध्य प्रदेश में स्टील प्लान्ट और दूसरी दूसरी इन्डस्ट्रीज़ हैं वहां की नेशनल इनकम निकाली जाय तो शायद जो इन्डस्ट्रियल आउट पुट है उसका बहुत बड़ा कम्पोनेन्ट बन सकता है जबकि आज राजस्थान में इन्डस्ट्रियल आउट पुट इतना बड़ा कम्पोनेन्ट नहीं है।

हमारे राजस्थान में एग्रीकल्चर, एनीमल हस्बेन्डरी है। मैंने इस सम्बन्ध में जो जानकारी करने की कोशिश की है वह यह है कि एग्रीकल्चर, एनीमल हस्बेन्डरी आदि जो हमारे रूरल एरिया पेटर्न से कनेक्टेड हैं उसने हमारी इकोनोमी पर असर डाला है और जो जानकारी हुई है उसके अनुसार १९५५–५६ में करेन्ट प्राइसेज़ पर १५८) रुपया था उसके मुकाबले में ५७ में २१६) रुपया पर-केपिटा रूरल सेन्टर में आमदनी हुई। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि किसी एक जगह कोन्स्टेन्ट इनकम होकर दूसरी जगह रिफ्लेक्शन न हुआ हो. यह इससे मालूम होता है क्योंकि स्वाभाविक है कि इन्डस्ट्रीज़ जहां स्टे करती हैं, वहां जो इम्पेक्ट होने की बात है उसमें फर्क है।

आज राजस्थान में पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई। हमारे कृषि और सिंचाई मंत्री जी ने आपको बताया कि इन दो योजनाओं में हम कितना यहां पर इर्रिगेशन पोटेन्शियल डेवलप कर पाये और कितना आगे चाहते हैं। टैक्स के बारे में, अध्यक्ष महोदय, इस सदन में और इस सदन के बाहर मुख्य सवाल बना हुआ है जो इस सरकार के खिलाफ कहा जाता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन को आज और हमेशा अपना दिमाग इस बारे में बनाने की आवश्यकता है। क्या हम यह चाहते हैं कि राजस्थान के अन्दर टैक्स नहीं लगने चाहिये ? टैक्स नहीं लगने चाहिए तो हमें यह भी दिमाग साफ बना लेना चाहिये कि फिर उसके बाद में करोड़ों रुपयों की योजना को लेकर, १९ करोड़ से ८७ करोड़ तक पहुंचने की थी, उसकी कल्पना छोड़ देना चाहिये। क्या वह जमाना पसन्द है जब १९४९–५० में राजस्थान के स्कूलों में, पांचवीं कक्षा के स्कूलों को बेस मानकर चलता हूं, उस बेस पर सारे राजस्थान में ३ लाख लड़के और लड़कियां पढ़ते थे, आज के राजस्थान के अन्दर, ६०–६१ के, मैं आपको फिगर दूं, ११ लाख लड़के और लड़कियां पढ़ते हैं। यह एक क्रान्ति है। यह एक परिवर्तन है जो हमारे समाज के अन्दर आता हुआ चला जाता है। जिन लोगों को आज तक शिक्षा का मौका नहीं मिला, जिन लोगों के यहां स्कूल नहीं खुले, जो आदिवासी और हरिजन स्कोलरशिप न मिलने के कारण पढ़ नहीं सकते थे, आज सोशियल वेलफेयर डिपार्टमेन्ट का ज्यादा खर्चा स्कोलरशिप पर होता है, छात्रावासों पर होता है, कहीं बस्तियां बसाने के लिए होता है, इर्रिगेशन वर्क्स के लिए होता है। आखिर यह सब होने के बावजूद भी कोई इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ है

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

और जहां थे वहीं हैं। मैं इस बात का दावा नहीं कर सकता कि आदिवासी और हरिजनों को जिस स्टेज पर पहुंचना चाहिये वे पहुंच गये। उनको छोड़ दीजिये, बहुत से ऐसे हैं जिन लोगों के लिये मन्जिल दूर है। काफी प्रयत्नों की आवश्यकता है, उसके लिये प्रयत्न करने होंगे, मेहनत करके और इसके साथ साथ राजस्थान को पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना होगा। हम उन प्रयत्नों के लिये टैक्स की बाते करके चलते हैं। आज कम्पलसरी डिपोज़िट स्कीम के लागू होने से, खास तौर से कम इनकम वाले जो लोग हैं उन पर जबरदस्त वजन आया है। मैं इससे इनकार नहीं कर सकता। लेकिन आखिर यह वजन क्यों देना पड़ा, इस पर भी हमें सोचना है।

आज जबकि हमारी छाती पर चीन की फौजे संगीने ताने हुए हैं, पाकिस्तान हमारी तरफ आंख उठा कर देख रहा है। दोनों हमारी तरफ दूषित नजरों से देख रहे हैं; उसके लिये आज हमें फौजों की आवश्यकता है। अगर हम पीछे हट जाते है, हमारी फौजें किसी जगह से पीछे हट जाती है तो कहा जाता है कि पं० जवाहरलाल नेहरू ने देश को बरबाद कर दिया। लेकिन जब फौज की भरती का सवाल आता है तो उसके लिये धन की आवश्यकता होती है, तो टैक्स लगाना जरूरी है। अगर टैक्स नहीं लगाते हैं तो डेफीसिट फाइनेन्सिग होगा, जैसा कि कल गृहमंत्री जी ने फरमाया। डेफिसिट फाइनेन्सिंग होता है, प्राइसेज़ ऊपर जायेंगी और प्राइसेज़ के ऊपर जाने पर यह स्वाभाविक बात है कि ऊंची जाती हुई प्राइसेज़ के लिये और सपोर्ट करना होगा, एम्पलोयर्स को ज्यादा वेतन देने होंगे। उसके लिये और टैक्स लगाने होंगे। इस तरह से यह साइकल चलता रहेगा। ऐसे मौके पर मैं समझता हूं, दुनियां में ऐसा कौन सा देश है जिसके सामने संकट-काल हो उस समय में नोर्मल केल्कुलेशन पर देश चल सकता हो। आज हम तो यह मानकर चलते हैं और निश्चित रूप से मानकर चलते हैं कि यह वजन तब तक है जब तक सीमा पर खतरा है।

क्या हम इस बात को नही समझते, क्या हम इस बात को नहीं चाहते कि हमारा देश इतना शक्तिशाली हो, इतना ताकतवर हो ताकि चीन ने जो हमारी पवित्र भूमि को हथिया रखा है उसको वापिस लें। हम तब तक शान्ति से नहीं बैठ सकते जब तक कि हम अपनी जमीन को चीनियों से न छुड़ा लें। आज यह हो सकता है कि चीन की फौज हमारी फौज पर बढ़ कर नहीं आ रही है, या युद्ध खत्म हो गया है; लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि सब कुछ समाप्त हो गया। मैं अध्यक्ष महोदय, इस बात को मानने वाला हूं, बड़े-बड़े विरोधी पार्टीज़ के नेताओं ने यह कहा है कि चीन हम पर हमला नहीं करने वाला है, किसी ने यह कहा है कि पाकिस्तान हम पर हमला नहीं करने वाला है। यह जो दावा करते थे कि चीन कुछ नहीं करने वाला है उसने आखिर में क्या किया, यह सब को पता हैं कि उसने किस तरह से धोखे में हम पर हमला कर दिया। एक बार तो धोखा खा गये, आयन्दा धोखा खायेंगे तो कोई उन नेताओं को पूछने वाला नहीं, सीधा यही कहा जायगा कि पं० जवाहर-

Page No 93

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

लाल नेहरू ने देश को डुबो दिया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : यह नेहरूजी ने ही कहा था।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अपनी ताकत को बढ़ाते हैं, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए हम टैक्स लगाते हैं तो उसका विरोध किया जाता है। आज अध्यक्ष महोदय, इन टैक्सों से जो रुपया आने वाला है हम उससे अपनी फौजी शक्ति बढ़ायेंगे, उनके लिए आर्म्स एम्युनिशन्स खरीदेंगे।

अध्यक्ष महोदय, हम लोग अमरीका गये थे तो वहां के एक बहुत बड़े ऑफीशियल ने एक बात हमसे पूछी थी और वह यह कि आपका देश चीन से लड़ना चाहता है, इस बारे में आपका देश क्या सीरियस स्टेप्स ले रहा है। हमने उनको दो बातें कहीं; एक तो यह कि हमारा देश गरीब है इसलिए वह एक साथ इतना भारी टैक्सों का वजन उठा रहा है और दूसरी बात यह कही कि अपनी जान की बाजी लगाने के लिए हमारे यहां हर नौजवान फोज में भरती हो रहा है; इससे बढ़ कर और क्या हमारा देश कर सकता है ? इससे उन पर यह असर हुआ कि जो हिन्दुस्तान कर सकता है वह कर रहा है। एक तरफ हम यह कहें कि टैक्स नहीं लगायें, और दुनियां के दूसरे देशों को कहें कि आप हमारे सिपाहियों के लिए तनख्वाह के लिए पैसे दो, हमारे सिपाहियों की वर्दी के लिए पैसा दो, कपड़ा भेजो और सब सामान दो। जो ऐसा कहते हैं वे हिन्दुस्तान की सही आजादी कायम नहीं रखना चाहते। आज हिन्दुस्तान की यह सरकार, कांग्रेस की यह सरकार चाहती है कि हमें चाहे कितनी ही तकलीफें उठानी पड़ें, कितने ही कष्ट उठाने पड़ें, दूसरों से जाकर सहयोग मांगेंगे लेकिन घुटने टेक कर स्वाभिमान को खोना पसन्द नहीं करेंगे।

आज यह वक्त आया है, देशके किन्हीं पार्टीज़ के बड़े-बड़े नेताओं ने कहा कि जब चीन ने हमारे पर हमला किया और आगे आने लगा तो कहा गया कि पाकिस्तान से समझौता कर लो, काश्मीर के बारे में समझौता कर लो, अगर हम चीन से पिट जायेंगे तो हमारे यहां पर डिक्टेटरशिप कायम हो जायगी, इसलिए हमें काश्मीर के बारे में समझौता कर लेना चाहिए। मैं उन नेताओं के नाम लेना नहीं चाहता लेकिन उन सब को हमारे पं० जवाहरलाल नेहरू ने साफ तौर से यह कह दिया कि चाहे कुछ भी हो जाय हम काश्मीर के लिए लड़ेंगे, चीन के साथ लड़ेंगे, लेकिन सिर नहीं झुकायेंगे।

आज हमारे स्वाभिमान की कसौटी है, आज हमारे सामने इतना बड़ा सवाल है, वैसी हालत में आप यह कहें कि हमारे यहां बचत की योजना नहीं होनी चाहिये, हमारे पर टैक्स नहीं होने चाहिए। मैं आप से कहना चाहता हूं कि कौन सरकार पसन्द करेगी टैक्स लगाना, किसको वोट नहीं चाहिए ? हम जानते हैं कि टैक्स की जब बात करते हैं, आप लोगों को भोंपू लेकर प्रचार करने का मौका मिलता है। इतनी राजनैतिक बुद्धि तो हममें भी है कि हम लोगों को टैक्सेज़ के बोझ से लाद कर रखेंगे तो आप लोगों को ही जाकर प्रचार करने का फायदा मिलेगा। हम

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

टैक्स इसलिए लगाते हैं, हम यह समझ कर चलते हैं कि राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिये तकलीफें उठा कर भी हमें कोशिश करनी चाहिए। आज अगर स्कूल नहीं खोलते हैं, डॉक्टर तैयार नहीं होते हैं, बिजली का इन्तजाम नहीं होता है, सिंचाई का इन्तजाम नहीं होता है तो इन सबका असर आज नहीं पड़ता है। वह असर जाकर १५ और २५ साल तक आगे पड़ने वाला है। उसके लिए हमें कल्पना करके चलना पड़ेगा।

आज हमारे सामने परेशानियां है, धन की कमी पड़ रही है। कुछ ही दिन पहले अध्यक्ष महोदय, इस बात की चर्चा चली व्यास कन्ट्रोल बोर्ड की मीटिंग होकर कि व्यास प्रोजेक्ट के लिए तृतीय पंचवर्षीय योजना में पंजाब और राजस्थान के भाग में ७० करोड़ रुपये की और आवश्यकता है। अगर हम शिड्यूल के मुताबिक कार्यक्रम को करना चाहते हैं तो ७० करोड़ रुपया चाहिए और आने वाली चौथी योजना में वह रकम बहुत बढ़ कर आगे जायेगी। मैं व्यक्तिशः इस राय का हूं कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट के लिए राजस्थान की क्षमता सीमा तक खिंच जाती है। हम पसन्द करेंगे कि भारत सरकार और प्लानिंग कमीशन इसे नेशनल प्रोजेक्ट की तरह से ले और उसमें हमारी सोवरेन्टी, हमारी कोलोनाइजेशन की पॉलिसी के अधिकार को मान कर नेशनल प्रोजेक्ट की तरह से लिया जाय तो ज्यादा ठीक होगा। अगर इसको इस तरह भी नहीं लिया जाता है तो हम मुंह मोड़ कर नहीं बैठ सकते।

घग्घर फ्लड के लिए ४॥ करोड़ रुपये की योजना का क्या हुआ, यह सवाल हमारे सामने आता है। वह ४॥ करोड़ रुपया भारत सरकार और पंजाब सरकार उसमें दे, राजस्थान का जो हिस्सा हो, वाजिब हिस्सा हो, जो बहस करके तय हो, वह हम देने के लिए तैयार है। लेकिन यह सारे फैसले ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते हैं और ज्यादा पेचीदगियां सामने आती हैं, बिजली का सवाल पेचीदगी का बनता है, इसी प्रकार बहुत सी दिक्कतें सामने आती हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह कहा गया कि प्राइसेज़ काफी बढ़ते जा रहे हैं, इसके साथ-साथ कम्पल्सरी सेविंग आदि का हमने इतना बोझ डाल दिया है जिससे लोअर इन्कम ग्रुप के लोगों तथा वर्किंग क्लास पर इसका काफी असर पड़ा है? अध्यक्ष महोदय, मैंने इसके बारे में जानकारी करने की कोशिश की। सितम्बर १९६२ का फूड ग्रेन का इन्डेक्स नंबर १४० था और जुलाई ६३ का इन्डेक्स नम्बर १३७ है। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, मैं साथ-साथ यह भी निवेदन कर दूं..

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आप बीच के समय के फीगर्स बता दें, ये तो फसल टाइम के हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो फीगर्स पब्लिश हुए हैं, बाकायदा महीने-महीने, उन फीगर्स के आधार पर ही मैं आपके सामने बता रहा हूं। जो आज प्राइसेज़ के अन्दर इन्क्रीज़ हुआ है वह कॉमर्शियल कोमोडिटीज़ के अन्दर इन्क्रीज़ हुआ है, दूसरी मिस्लेनियस टाइप की चीजों के अन्दर इन्क्रीज़ हुआ है।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

कोर्स क्लोथ लो, फूड ग्रेन को लें, उसके इन्डेक्स में परिवर्तन नहीं हुआ है।

(७.०० म. प.)

मतलब यह कि जो स्लेब इन्डेक्स का मैंने रखा है और जो इन्सीडेन्स आज प्राइस का है उसको देखते हुए प्राइस पर कोई वजन डालने की बात कही जाती है वैसा वजन नहीं पड़ता मालूम पड़ता। हां, आज बिजली पर, सुपर-फाइन कपड़ों पर कुछ फर्क पड़ा है। मैं ये बातें आंकड़ों के आधार पर कह रहा हूं। कोई आंकड़े ये अपने नहीं दे रहा हूँ, जो पब्लिश होते हैं वे दे रहा हूं और मैंने जुलाई के आंकड़ों का उल्लेख इसलिये किया कि वे पब्लिश हो चुके हैं। मैंने अगस्त के फीगर देने की कोशिश नहीं की क्योंकि वे पब्लिश नहीं हुए हैं। ये फिगर्स सबसे मान्यता प्राप्त हैं जिनके आधार पर हम सब यहां पर चर्चा करते हैं। तो उन फीगर्स के आधार पर मैंने फैक्टस रखने की कोशिश की है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): जयपुर का आपने क्या बताया ? १३२ बताया है क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने जुलाई ६३ का १३७ बताया और फूड ग्रेन्स का सितम्बर ६२ का १४० बताया।

मैं आपसे सितम्बर के फिगर्स इसलिये निवेदन कर रहा हूँ कि अगस्त महीने में आज जो कि करीब करीब समाप्त हो रहा है उसमें सितम्बर के फिगर्स ज्यादा नियरर हो सकते हैं बजाय इसके कि मैं अप्रेल के फिगर्स देता। बीच में थोड़ा बहुत इन्क्रीज़ तो होता ही है।

श्री भैरोंसिंह : प्राइसेज़ बीच में बढ़े हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं बीच में बढ़ने की नहीं कहता।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि जो मैं बात कह रहा हूं उसमें मत-भेद हो सकता है कि अप्रेल में क्या स्थिति थी, क्या नहीं। पर जिस रोज हम सदन में इसकी चर्चा कर रहे हैं उस रोज की कम्पेरेटिव पोज़ीशन देने की फैक्टस के आधार पर कोशिश कर रहा हूं।

दूसरी बात, इस सदन में हमारे जो साम्य-वादी मित्र हैं कई बार इस बात पर चर्चा करते हैं कि प्राइवेट सैक्टर को राजस्थान के अन्दर तरजीह दी जाती है और कहते हैं कि प्राइवेट सैक्टर के साथ मिल जुल कर यह कर लिया, वह कर लिया। सारी बातें यहां पर लाई जाती हैं।

मैं इस पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक बात समझकर हमें चलना है कि प्राइवेट सैक्टर का राजस्थान में स्थान हो या न हो, यह सदन एक बार इसका फैसला कर दे कि हमें राजस्थान में प्राइवेट इण्डस्ट्रीज़ या प्राइ-वेट सैक्टर नहीं चाहिये तो यह गवर्नमेन्ट उस बात को मान लेगी। पर इसकी जिम्मेदारी जो लेते हैं उन पर आती है।

आज जब सारे हिन्दुस्तान में प्राइवेट और पब्लिक सैक्टर दोनों के लिये अलग अलग

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

क्षेत्र निर्धारित हैं और यह सब जानते हैं कि इकोनोमी के अन्दर जो परिवर्तन होते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट कितना जाता है उसके इम्पेक्ट पर हुआ करते हैं।

तो उस स्थिति में राजस्थान जैसा हमारा पिछड़ा प्रदेश जो आज है उस जगह जब उसके औद्योगीकरण करने की बात आती है तो राजस्थान की भूमिका में हमें विचार करना होता है। मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य से और अन्य किसी से भी यह छिपा हुआ नहीं है कि इस राजस्थान में सर मिर्जा इस्माइल जैसे योग्य शासक, वी. टी. कृष्णमाचारी जैसे योग्य शासक, विजय राघवाचारी जैसे योग्य शासक अलग अलग स्टेट्स में आये और आने के बाद इस राजस्थान में उन्होंने अपने अपने यहां जो उद्योग खोले उनमें जो जयपुर उद्योग है सवाई माधोपुर वाला उसके ७५ लाख के प्रिफरेन्शियल शेयर्स लेने का फैसला उस समय तीन परसेन्ट पर किया गया और रेल्वे लाइन से क्वेरीज़ को जोड़ने का फैसला किया गया, इनकम टैक्स नहीं लगाने का फैसला किया गया, एक्साइज़ ड्यूटी नहीं लगाने का फैसला किया गया और इसके बाद यहां पर जयपुर स्पिनिंग मिल में शेयर पर्चेज़ करने का फैसला हुआ। यहां पर बॉल बीयरिंग को स्पेशल रेट पर इलेक्ट्रिसिटी देने का फैसला हुआ। मेवाड़ के अन्दर मेवाड़ टैक्सटाइल मिल को कस्टम और दूसरी चीजों की रियायत देकर स्थापित करने के लिये बुलाया गया। भोपालसागर शुगर मिल को स्पेशल रियायत देकर बुलाया गया। गंगानगर में शार्दूल टैक्सटाइल मिल में स्टेट गवर्नमेन्ट ने शेयर पर्चेज़ करके उसे स्थापित करने की कोशिश की। गंगानगर शूगर फैक्ट्री में ऐसा ही किया गया और डूंगरपुर के हमारे विरोधी पक्ष के माननीय नेता स्वयं जानते हैं कि वहां पर शूगर फैक्टरी स्थापित करने के लिये डूंगरपुर स्टेट को स्वयं को प्रयत्न करना पड़ा।

तो आज जो राजस्थान की कन्डीशन है वह पहले की कन्डीशन से कोई ओवरनाइट चेन्ज हो गई हो ऐसी बात नहीं है। इसके लिये या तो रॉ मेटीरियल इतना आसानी से प्राप्त हो जिसके कारण सामने वाले को बहुत बड़ा एडवान्टेज मिलता हो या इलेक्ट्रिसिटी साउथ की तरह चीपेस्ट हो, या कन्ज़्यूमर्स बाजार उनके प्रोडक्शन का बड़ा हो। तो इस तरह के कई फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण इण्डस्ट्री लगाने वाला कम्पेरेटिव रीज़न्स और एडवान्टेज को सारी बातों को अच्छी तरह से वे (weigh) करके वह देखता है और फिर लगाता है।

अब जो इण्डस्ट्री लगाता है, यहां हो या बाहर हो, उसको बिजली और पानी देने की बात गवर्नमेन्ट की है यह मान करके चला जाता है। आज पॉवर पब्लिक सैक्टर में है। सारे स्टेट्स में जो इन्डस्ट्रियां आज लगी हैं क्या राजस्थान में और क्या हिन्दुस्तान में सबको पॉवर पब्लिक सैक्टर से सप्लाई होता है। जयपुर उद्योग ने हमसे कहा कि हमारे पास एक क्लिन है, उसको बढ़ाना चाहते हैं ताकि प्रोडक्शन बढ़े। हमें इसके लिए बिजली दो। हमने कहा कि हम इसके लिए बिजली जल्दी नहीं दे पावेंगे। इसके लिये गवर्नमेन्ट यह कर सकती है कि बजाय बिजली देने के

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

लोन दे सकती है और यह लोन लेकर आप जल्दी से अपना अलग बिजलीघर लगा कर अपनी कैपेसिटी प्रोडक्शन की बढ़ा दीजिये।

परिणाम यह हुआ कि हमने तो ६० लाख रुपया लोन का दिया, पर ६० लाख रुपया देने के बाद आज वहां पर उसका प्रोडक्शन जैसा कि हम सबको मालूम है ८ लाख टन का हो गया है और इस हिसाब से वह राजस्थान मे ही नहीं, हिन्दुस्तान में एक बिगेस्ट सीमेन्ट फैक्टरी हो गई है। यह बिगेस्ट सीमेन्ट फैक्टरी आज राजस्थान में है।

आज इस ८ लाख टन का एडवान्टेज हमें ही नहीं मिला, सारे हिन्दुस्तान को मिला है। इसका एडवान्टेज भले ही डाइरेक्टली नहीं होता, पर किस तरह से होता है, यह मैं निवेदन करता हूं। १६५१–५२ में हिन्दुस्तान को कहिये, राजस्थान को कहिये इस कन्सर्न से ८,५०,०००) रुपया एक्साइज़ ड्यूटी के रूप में मिलता था और यह ज्यादा दूर की बात नहीं, १६५६-५७ के अन्दर और ६२-६३ में भी आज, जबकि इसका प्रोडक्शन ८ लाख २३ हजार टन का हो गया इससे सिर्फ एक्साइज़ ड्यूटी से १,३७,००,०००) रुपया मिला और आज भी मिलता है।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, इससे जहां हमें ५६–५७ में ५,१६६) रुपया रॉयल्टी का मिलता था, उसके बजाय आज ५७६ हजार की रॉयल्टी मिलती है और आज दूसरा इन इन्कमों के साथ-साथ २७ लाख रुपये को इन्टर-स्टेट सेल्स टैक्स की वजह से राजस्थान सरकार को इनकम होती है। वैसे हमने तो ६० लाख का लोन दिया।

इन इन्कमों को कैलकुलेट करें तो वह रकम तो कहीं टाइप आउट हो जाती है। पर वह लोन इतनी इन्कम होने के साथ भी ज्यों का त्यों स्टैन्ड करता है। उसमें से रिपेमेन्ट की इन्स्टालमेन्ट्स और उसका इन्टरेस्ट बराबर पे होती हैं और जो बाकी है वह भी बराबर पे होगा। इसमें कोई अन्तर नहीं होने वाला। अन्तर यह होगा कि राजस्थान को इसकी वजह से जो इन्डाइरेक्ट इनकम होती है तो जो राजस्थान में रोज आप कहते हैं टैक्स मत लगाओ, तो टैक्स नहीं लगाने में इससे सहारा मिलेगा।

इसी तरह से हम देखते हैं इससे और इन्कम जेनरेट होती है। और कई तरह के काम चलें। नाइलोन फैक्टरी की वजह से हमें इन्टरस्टेट सेल्स टैक्सकी अच्छी इन्कम मिलती है और कल-कारखानों से हमें यह सेल्स टैक्स मिलता है।

कुल मिलाकर देखना होगा कि जो हम उन कारखानों को रिलीफ दे रहे हैं उस रिलीफ के बाद कुल मिलाकर स्टेट एक्सचेकर पर उसका एडवान्टेज होता है या नहीं। तो यह तो डाइरेक्ट एडवान्टेज की बात कही। इसके अलावा इन्डाइरेक्टली जो लाखों रुपया मजदूरों में बंटता है और जिसकी वजह से मजदूर की क्रय शक्ति बढ़ती है और वह खरीद-फरोख्त करता है उससे स्टेट को और सेल्स टैक्स मिलेगा, मनी सर्कुलेशन में आयेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर स्पिनिंग

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

मिल के बारे में सवाल उठाया गया । यह कहा गया कि जो डिविडेन्ड आता था उस पूरे डिविडेन्ड को सरकार ने छोड़ दिया और उसको छोड़कर उसकी एवज में चन्दे वगैरह ले लिये । मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जयपुर स्पिनिंग मिल को जो प्रिफरेन्शियल शेयर दिये गये थे वे थे ५।। परसेन्ट पर जिसका फाइनेन्शियल कैलकुलेशन यह है । ५।। परसेन्ट का मतलब यह होता है कि आज के मार्केट में जब प्रिफरेन्शियल शेयर का इन्टरेस्ट ६.३ के करीब बेचा गया है तो वह ५.५ परसेन्ट का इन्टरेस्ट होता है । तो उससे उसके सौ रुपये के शेयर की वैल्यू ५४) रुपये मार्केट में होती है । और उसके साथ साथ आपको परमानेन्टली कम्पनी से रिटर्न होने वाला है ५।। परसेन्ट । हमारे यहां के आफिसर्स ने उन लोगों से बात की । हम चाहते थे कि हर कन्सर्न एक से जो लाईसेंस को एक परम्परा चली आ रही थी, उसको खत्म करके ऐसी स्थिति पैदा होनी चाहिए कि वह रिनोवेशन कर नई मशीनरी लायें, हमारा भी शेयर आर्डिनेरी शेयर के रूप में हो और कन्सर्न प्रोफिट करने लगे । ऐसी पोजीशन बनायें, इसका हमने लगातार प्रयत्न किया और आज मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सन् १९६० से जो गंगानगर की टैक्सटाइल मिल बराबर नुकसान बताती चली आ रही थी हमारे स्टैप्स लेने के बाद सादुल टेक्सटाइल मिल प्रोफिट के अन्दर रन करने लगी है और यही जयपुर स्पिनिंग मिल प्रोफिट शो करने लगी है । उसके अन्दर भी घाटे की बात समाप्त कर दी गयी है । दूसरे, मैं यह निवेदन करूं कि जो हमने ५।। परसेन्ट के ऊपर डिविडेन्ट लेना मना किया-मतलब बन्द किया-हमने यह चेन्ज किया कि ५।। परसेन्ट के बजाय हमको जो ५ लाख के करीब डिविडेन्ड मिलता उसको फोरगो करते हैं लेकिन प्रिफरेन्शियल शेयर का इन्टरेस्ट ६.३ परसेन्ट कर दिया जाये । इस ६.३ परसेन्ट प्रिफरेन्शियल शेयर का मतलब यह होता है कि ५५.३९ ड्यू था डिविडेन्ड पर, उसकी वैल्यू ६१ होती । उसके बजाय उसकी १०० की वैल्यू कर दी गयी है और आगे जो आपकी रेकरिंग इन्कम होने वाली है वह ६.३ परसेन्ट से होने वाली है बजाय ५।। परसेन्ट से होने वाली थी । तो यह फाइनेन्स के और दूसरे लोगों ने इसको देख कर कि जिससे इसमें शेयर कैपिटल को अट्रेक्ट कर सकें साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट को भी लोस नहीं है । उन सारे पोइन्ट्स को देकरके फैसला किया गया है । अब इन फैसलों को टिवस्ट करने की कोशिश करें, यह बात सही नहीं होगी ।

अध्यक्ष महोदय, उद्योग के लिए चर्चा करते हुए यहां पर सदन में कहा गया । एक झूमरमल तिवाड़ी हैं उनके बारे में एक चिट्ठी मुझे लिखकर भेजी गयी और मैंने उसके बाबत कोई जवाब या वक्तव्य प्रकाशित नहीं किया और उसमें कहा गया था कि मिनिस्टर्स का कोई न कोई गोलमाल है । मैं निवेदन करना चाहताहूं कि एक अखबारमें एक पार्टी ने कोई बात अन्दाज से कहदी, उसके बारे में कान्ट्रेडिक्शन करना मैं आवश्यक नहीं समझता हूं । मैंने यह जरूरी समझा कि राजस्थान पत्रिका के अन्दर यह समाचार छपा था और मैंने उसके सम्पादक को लिखकर

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

भेजा कि आपने यह समाचार दिया है तो मेहरबानी करके यह बतायें कि कौन से मिनिस्टर्स की तरफ आपकी शंका है कि जिससे हम इसके बारे में आगे कार्यवाही कर सकें और उन्हीं राजस्थान पत्रिका के सम्पादक ने मुझे लिखकर यह जवाब भेजा है कि इन सूत्रों ने मुझे नामों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी और समाचार जितना प्रकाशित हुआ है उससे अधिक मुझे कोई जानकारी नहीं है। माननीय सदस्य मुझे बतायें कि जो सम्पादक कह दे कि मेरे पास जितना प्रकाशित हुआ है उससे ज्यादा जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : जानकारी तो देने वालों को होती है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: फिर जिस तरह से स्कूल मास्टर पूछे कि याद है या नहीं और अगर याद नहीं है तो खड़े हो जाओ, ऐसा आप कहने लगे कि आप जवाब दीजिए। मुझे क्षमा कीजिये जो बातें साफ तौर से सामने नहीं आयें उनके बारे में एक हवा खड़ी हो गयी और उनके बारे में हम स्टेटमेंट देना चालू कर दें तो मैं समझता हूं कि इस परम्परा को निभाने में हम असमर्थ साबित हुए हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे जनसंघ के नेता ने कहा है कि मक्की के ऊपर और चावल के ऊपर, न मालूम कितने हजार रुपये बताये कि इतने हजार रुपये का क्या हुआ? मैं समझता हूं कि वे स्वयं दिल के अंदर जानते हैं। उनको जानकारी है कि इस रुपये का क्या हुआ। लेकिन आप स्टेटमेन्ट देते समय इतना ही कह कर रह गए कि वह रुपया इकट्ठा किया गया वह कहां गया, मुख्य मंत्रीजी जवाब दें; ऐसा आपने कहा। वह रुपया कहीं नहीं गया। वह रुपया गया है इस काम के लिए कि जो आस-पास के गांव के लड़के वहां आते हैं, वहां के व्यापारी आये, उन्होंने कहा कि हमारे पास स्टॉक पहले का पड़ा हुआ है, हम इसको बाहर भेजना चाहते हैं, आप किसी अच्छे काम में पैसा लगवाना चाहते हैं तो हम से कहो। तो मैंने कहा कि इस काम के लिए कांग्रेस को पैसा या चन्दा नहीं चाहिए। आस-पास के गांवों के लड़कों के लिए एक छात्रावास लोग-बाग अपना चन्दा इकट्ठा करके बना रहे हैं। उसमें आपने बहुत दिनों से चावल इकट्ठा किया है और एक क्विन्टल पर एक रुपया कम मिला तो इनको दे दो तो अच्छा रहेगा, होस्टल में मदद मिलेगी। तो जो पैसा उन्होंने दिया था वह उस होस्टल की इमारत में लगा है। उसी प्रकार से जो मेज़ का पैसा है वह पैसा भी वहीं लगा है।

आज अध्यक्ष महोदय, बहुत से व्यक्ति यहां आते हैं। मैं तो कइयों से कहता हूं कि अस्पताल बनाने में मदद दो. स्कूल के लिए मदद दो। किसी को कहता हूं कि तुम फायदा उठा रहे हो, इसमें मदद दो, मैं समझता हूं कि आखिर उसमें हम कोई व्यक्तिगत फायदा उठाते हों, एक व्यक्ति को लाभ पहुँचा देते हों तो ठीक है और मैं स्पष्ट कर दूं कि वह होस्टल किसी संस्था के लिए नहीं है। वह होस्टल बना करके गवर्नमेंट को हैंड-ओवर किया जायेगा। यह भी नहीं है

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

कि उससे आदिम जाति सेवासंघ चलने लगेगा। आज ऐसी कोई बात उसके पीछे नहीं है। वह गवर्नमेंट को ही हैंड-ओवर होने वाला है। इस दृष्टि से उस कार्य को हमने हाथ में लिया कि जिससे लोगों को उससे राहत मिल सके और इस प्रकार उस काम को पूरा करने के बारे में यह प्रश्न यहां सामने आया।

अध्यक्ष महोदय, वाद-विवाद यहां पर चलते हैं, बाहर चलते हैं और बहुत सी बातें सामने आती हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा था इस प्राइवेट सैक्टर और पब्लिक सैक्टर के बारे में। मैं समझता हूं कि सदन के सभी माननीय सदस्य जानते है और हमारी तरफ से जितने पब्लिक सैक्टर के अन्दर भारत सरकार की तरफ से ज्यादा से ज्यादा इन्वैस्ट हो सके उसके बारे में कभी भी मौका आया तो हमने प्रैस करने में कमी नहीं रखी। चाहे वह प्रैसेसिव इन्सट्रूमेंट्स की बात हो, चाहे पैट्रोलियम की बात हो, चाहे छोटे मोटर बनाने के कारखाने की बात हो, चाहे डीज़ल एन्जिन की बात हो, चाहे कॉपर स्मैल्टर की बात हो, चाहे क्लोराइड की बात हो; जो भी बात हो, चाहे लिगनाइट की बात हो हमने भारत सरकार से कहा कि जितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं राजस्थान के अन्दर आप इन्वेस्ट कीजिए। उसमें भी सीमा है। उन्होंने कुछ फैसले किये, कुछ प्रोजेक्ट्स को अपने हाथ में लिया। उनको हाथ में लेने के बाद हमने नेशनलाइज़ेशन ऑफ ट्रान्सपोर्ट के बारे में एक कदम उठाया। उसके साथ ही साथ जो एल. आई. सी. है उनके साथ लगातार हम इस चर्चा के अन्दर लगे हुए हैं कि एल. आई. सी. की तरफ से हमको बड़ा लोन मिल जाये जिसकी वजह से ज्यादा से ज्यादा रूट्स को हम नेशनलाइज़ कर सकें. क्योंकि हम जानते हैं कि नेशनलाइज़ेशन के अन्दर हमारा सेफ इन्वेस्टमेन्ट है, रिटर्न भी बहुत अच्छा है, इसलिए उस लोन का कुछ ज्यादा भी इन्टरेस्ट देना पड़े तो वह देकर भी एल. आई. सी. से या बैंक से नेगोशियेट करके हम चाहते हैं कि नेशनलाइज़ेशन ज्यादा हो, हम उसके पक्ष में हैं, हम उसको करना चाहते हैं, हम कतई उसके विरोध में नहीं हैं।

मैं अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इधर बैठने वाले माननीय सदस्य, बीच में बैठने वाले, माननीय सदस्य इन लोगों ने कमियों की तरफ और बहुत सी बातों के लिए कहा। मैं इस बात का दावा नहीं करता कि आज इतने वर्षों से जो कांग्रेस सरकार काम चला रही है उसमें कोई कमियां नहीं हैं, कोई गल्तियां नहीं हैं। हम यह भी कह कर नहीं चल सकते कि हमारे सब उद्देश्य पूरे हो गये। हम तो खुद जो हालत है उसके लिए दूसरों को असन्तोष हो सकता है, उससे कहीं ज्यादा असन्तोष हममें खुद में है। हम इस बात को मानते हैं कि आज अनएम्पलॉयमेन्ट है, हम इस बात को भी मानते हैं कि आज लाखों के पास काम नहीं है, हम इस बात को भी मानते हैं कि आज स्कूल और मकानों के ऊपर छत नहीं है। इन सब बातों के लिए कोई हम यह समझते हों कि हम यह कह कर चलें कि सब कुछ हो गया, वह नहीं हो रहा है, बहुत बाकी है,

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

मंजिल बहुत दूर है। लेकिन मैं यह समझता हूँ कि साथ ही साथ इस बात को तो कम से कम मान सकते हैं कि एक अच्छी इमारत बनाने के लिए राजस्थान की नींव लग रही है। मैं नींव से ज्यादा इमारत का दावा नहीं करता। मैं यह दावा उस रोज करूंगा जिस रोज राजस्थान के अन्दर एक-एक को पहिनने को पूरा मिल जाये, रहने को मकान मिल जाये, दवाइयों का पूरा इन्तजाम हो जाये, खाने का प्रबन्ध हो जाये, यह सब इन्तजाम जिस रोज हो जायेगा उस रोज हम कहेंगे कि हम अपने उद्देश्य तक पहुंच पाये हैं। जब तक नहीं पहुंचते हैं तब तक हम इस बात को कह कर नहीं चल सकते। लेकिन उस बात तक पहुंचने के लिए अध्यक्ष महोदय, जो पार्टीज़ यहां पर हैं उनके पास कार्यक्रम क्या हैं, क्या कार्यक्रम वे देना चाहते हैं, या तो वे कहे कि हमारे ये उद्देश्य नहीं हैं। हम यह कह सकते हैं कि हम इस उद्देश्य में विश्वास नहीं कर सकते, तब समझ में आ सकता है। लेकिन उद्देश्य हैं तो उसकी पूर्ति के लिए, यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि आपको रुपयों से करने पड़ेंगे। दूसरा सिद्धांत उसका हो सकता है कि आप मानव-शक्ति, मैन पॉवर को बाई कम्पल्शन उसमें झोंक दें। जब डेमोक्रेटिक प्रिन्सिपल को हमने माना है इस देश में, आप कम्पलशन नहीं कर सकते, जबरदस्ती लोगों को मामूली चावल और सत्तू देकर सड़कें नहीं बनवा सकते, आज हिन्दुस्तान के अन्दर। चाहे दूसरे मुल्कों के अन्दर यह होता हो, लेकिन हमारे देश के अन्दर मिनमम वेज की बात भी सोची जायेगी तथा और-और चीजों का भी ख्याल रखा जायेगा और साथ ही साथ देश का विकास भी करना होगा।

हमारे यहां तो लड़का फेल हो जाय, तो भी ऐडमिशन चाहते हैं और उसके बाद यूनिवर्सिटी में जाने के लिए योग्य न होंगे तब भी हम कहेंगे कि इन्तजाम होना चाहिए। आज दूसरे कन्ट्रीज़ के अन्दर शायद ऐसी व्यवस्था नहीं होगी।

मुझे आज आप बताएं किसी पार्टी ने हिन्दुस्तान के सामने या राजस्थान की जनता के सामने कोई ऐसा प्लान रखा, सिवाय इसके कि यहां सिर्फ भ्रष्टाचार और टैक्सेज़ की बातें रखी गई? कोई ऑल्टर्नेटिव प्लान बनाकर रखा कि हमारी यह योजना है, इस योजना से हम इस बात को कर सकते हैं? हमारे चाहे कितने भी मतभेद हों, लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को मानता हूँ कि कॉम्यूनिस्टों के पास आल्टर्नेटिव प्लान है, इसके लिए मैं इन्कार नहीं करता। उस प्लान से हम चाहे सहमत नहीं हैं, क्योंकि वह प्लान डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स से उस चीज को अचीव करने के अन्दर पूरी तरह से विश्वास नहीं करते, वे लोग कम्पलशन के अन्दर विश्वास करते हैं। लेकिन जो भी हो, एक आइडियोलोजी तो है, एक प्लान तो है, जिसके बेसिस पर हम यह एचीव करना चाहते हैं। लेकिन इधर दोनों बेंचेज पर बैठने वालों के बारे में जानना चाहता हूँ कि क्या आपके पास कोई प्लान ऐसा नहीं है।

(विराम)

श्री रामकिशन (वैर) : कभी आपने जानने की कोशिश भी की ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हमें जानने की आवश्यकता नहीं है। मैं किसी के लिए व्यक्तिगत रूप से नहीं कहता।

श्री रामकिशन : आपको समाजवाद का ज्ञान भी नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह देश बहुत बड़ा है। इस देश के सामने अपनी योजना रखिए और कहिए हम यह देने वाले हैं, जनता के सामने आने दीजिए, जनता को फैसला करने दीजिए।

आज आप डिमोन्स्ट्रेशन करना चाहते हैं। स्वतन्त्र पार्टी का एक ही स्लोगन है कि सीलिंग नहीं होनी चाहिए। इन्होंने यह कहा कि टैक्स भी नहीं लगने चाहिए और फिर सीलिंग्ज़ का भी विरोध करते हैं। इसलिए आपने जुलूस निकाला। आज टैक्स का नाम लेकर हर एक आगे होना चाहता है और टैक्स के बिना कैसे राजस्थान की भलाई होगी, उसकी कल्पना करके हम चलना नहीं चाहते। बाकी ३ या ३॥ साल का वक्त है। आपका प्लान ऐसा होगा कि बिना टैक्स के जनता का स्तर ऊंचा उठने वाला है, तो हम उसका स्वागत करेंगे। आप आकर बैठ जाइये और बिना टैक्सेज के, बिना कम्पल्शन के और बिना डिक्टेटरशिप के अगर आप सब कुछ कर देंगे तो हम कहते हैं कि यह बहुत अच्छा है। आप आकर हमारे स्थानों पर बैठिए, हमें ऐतराज नहीं होगा। लेकिन हम जानते हैं कि आप जनता को भुलावे में डालकर चलना चाहते हैं।

(विराम)

मैं निवेदन करूं कि किसी को म्युनिसिपैलिटी में जाने का मौका मिला है, किसी को पंचायत समिति में। जाने से पहले कहते हैं कि वहां जाने के बाद हम यह डेवलप करेंगे, वह डेवलप करेंगे। लोगों के सामने एक नक्शा पेश करते हैं। मौका मिलने से जनसंघ ने जयपुर म्युनिसिपैलिटी की कोई काया पलट दी हो, ऐसी बात नहीं है। आपने पहला काम यह किया कि साइकिल टैक्स माफ कर दिया, हाउस टैक्स के लिए कहा कि नहीं लगनी चाहिए। इसको ऑब्लीगेटरी टैक्स मानकर विधान सभा ने पास किया, सारे हिन्दुस्तान में हाऊस टैक्स है।

श्री भैरोसिंह (किशनपोल, जयपुर) : कम्पल्सरी नहीं होना चाहिए।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हाउस टैक्स नहीं लें। और चीजों के प्रस्ताव आये कि राजस्थान सरकार म्युनिसिपैलिटी को ४० लाख का लोन दे, और पर्चा निकाला जाता है कि हम तो बहुत विकास करना चाहते हैं, लेकिन सरकार सहयोग नहीं देती। आप लोन लेकर काम चलाना चाहते हैं, लेकिन जब हम लोन लेते हैं तो कहते हैं कि लाए-बिलिटीज़ बढ़ गई। मुझे समझ में नहीं आता कि जहां एक काम को करने के लिए एक आदमी को अवसर मिला तो काम करके बतायें कि किस तरह से विकास करेंगे, नक्शा सामने रख सकते हैं, लेकिन होता क्या है, कुछ रोज काम करते हैं उसके बाद कहेंगे आपकी सरकार ने म्युनिसिपैलिटी बन्द कर दी। हमारी सरकार ने तो तब भी बन्द कर

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

दी, जब कांग्रेस का अध्यक्ष था, उस जमाने में भी बन्द कर दी और जब जनसंघ का था तब भी।

मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बात को ध्यान में रखकर चलें कि उधर बैठने वाले कल इधर बैठ सकते हैं और जब आकर बैठें तो स्थिति यह होनी चाहिए कि कम से कम राजस्थान का विकास अवरुद्ध न हो जाय। आप भी यदि कल बैठेंगे यहां तो आपको भी यहां विकास के लिए टैक्स लगाने की आवश्यकता महसूस होगी और कई चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। जनता का दिमाग यह बना कर मत चलिए कि टैक्सेज़ नहीं देना ही हमारा उद्देश्य है। आज सीलिंग्ज़ के लिए कहा जाता है कि राजस्थान के अन्दर इतनी जमीन पड़ी हुई है। इस जमीन को यहां की आबादी से डिवाइड कर दीजिए और फिर देखिए कि इतने एकड़ जमीन निकलेगी। मेरे जिले में आदिवासी बहुत हैं। उन आदिवासियों की पाल है। हमारा एक गांव है दरियावद। वह एक पहाड़ी हरियाली है, जहां किसान रहते हैं। अगर उनसे आप कहें कि इतने एकड़ जमीन तुम को बांटी है, तुम जैसलमेर और बाड़मेर चले जाओ, तो वे कहेंगे कि बाड़मेर की जमीन को रहने दीजिए, मैं तो जहां बैठा हूँ वहां ही रहूँगा।

आज अलवर और भरतपुर में जमीन पर इतना प्रेशर है, फिर भी हम उन लोगों से कहें कि जमीन वहां मिलेगी जहां खाली है तो वे नहीं मानेंगे। आज खेती का उत्पादन करने वाली जमीन, जिससे जीविका प्राप्त हो सके, निश्चय ही उसका जीवन उस पर निर्भर रह सके, ऐसी जमीन कितनी है जो बांटी जा सकती है। हां, अगर यह हमारे सामने हो कि हमारे पास इतनी जमीन ऐसी है, तो हम भी जबरदस्ती कर दें और एक ऐसी योजना रखें। आज कई लोगों के पास इतनी जमीन है, जितनी जमीन के अन्दर हल भी नहीं चले। यों ही चरागाह खड़े हैं और फिर भी कोई कहता है कि इन पर सीलिंग्ज़ नहीं लगानी चाहिए। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सीलिंग्ज़ का कानून यह सदन पास कर चुका है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी करने की आवश्यकता थी, वह कर ली गई, रूल्स बना लिए गए हैं। सदन के कुछ सदस्यों ने कहा था कि उस पर उनको चर्चा करने का अवसर नहीं मिला। इसलिए उन रूल्स को चर्चा के लिए सदन को समय दिया जायगा और उसके बाद इसी १९६३ के अन्दर सीलिंग्ज़ का इम्प्लीमेंटेशन चालू हो जायगा।

इस बात को हम मान कर चलते हैं कि सर्टेन जो चीजें हैं, जो बेसिक फण्डामेन्टल्स हम मान कर चलते हैं हम उन पर कम्प्रोमाइज़ करने का विश्वास नहीं करते हैं। झालावाड़ हिज़ हाइनेस, उधर बैठने वालों ने कहा कि आपके इधर भी बैठे हैं लेकिन उसमें अन्तर यह है कि इधर केबिनेट में बैठ कर राजाओं की जमीनों का कानून पास करना पड़ता है और दूसरी तरफ बैठ कर विरोध किया जा रहा है। तो इन दोनों चीजों के बीच का अन्तर आता है, यह फैसला करना पड़ता है। यह दोनों के बीच का अन्तर आता है कि जिसकी वजह से आज इन सारी बातों के बारे में तय करके और आगे काम-काज होता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

खादी, आदिम जाति सेवक संघ और दूसरी कई चीजों के बारे में आम तौर से यह कहा जाता है कि ये सबको सब बेकार संस्थाएं हैं, नेताओं को पनपाने की संस्थाएं हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज इस बात की कल्पना करें कि इस खादी ग्रामोद्योग के जरिये राजस्थान में परमानेन्ट और पार्शयल एक लाख से ज्यादा लोगों को एम्प्लायमेन्ट इसके जरिये मिलता है इतने कम इन्वेस्टमेन्ट में। आज भी जो एम्प्लॉयमेन्ट दूसरों को मिलता है उस एम्प्लॉयमेन्ट के लिए एक तरफ कहा जाता है कि एम्प्लॉयमेन्ट आप डेवलप नहीं कर रहे हैं और दूसरी तरफ कहेंगे कि खादी ग्रामोद्योग को बन्द कर दो, क्योंकि उसमें काम करने वाले बहुत पुराने जमाने के कांग्रेस मैन नहीं लेकिन कांग्रेस के साथ वाले रहे हैं, महात्मा गांधी की विचारधारा को मानने वाले रहे, इसलिये सोचते हैं कि यह बन्द हो जाना चाहिए। आदिम जाति सेवक संघ बन्द हो जाना चाहिए। हम तो कहते हैं कि आज आप भी उनके बीच में जाकर काम करें और काम करके लोगों को कुछ राहत दीजिये, बहुत अच्छी बात है। कौन इन्कार करता है कि आप इस काम-काज को नहीं करें और वहां जाकर इस क्षेत्र में उनकी सेवा करने को मना करता हो। लेकिन वे यह देखते हैं कि ये रचनात्मक कार्य करने वाले हैं। कांग्रेस वाले क्या करें? महात्मा गांधी रचनात्मक कार्यों के प्रति शुरू से ही उनको लगाते थे। जेलों से छूटते ही कहते थे कि जाओ हरिजनों में काम करो, रचनात्मक काम करो। तो हम लोगों की यह परम्परा बन गई और बहुत से आदमी उस काम-काज में चले गये। आपको आजादी के बाद की पार्टी है। आपकी परम्पराएं अभी बन रही हैं। उन परम्पराओं के अनुसार आप भी समय के साथ कार्य-क्रम बनायेंगे, और इस पार्टी का जो कार्य-क्रम बना उसमें यही रहा कि हरिजन, आदिवासियों व खादी का तथा दूसरे ऐसे काम-काज करना चाहिये जिससे कि लोग-बागों को आगे बढ़ाने की बात हो। मैं यह दावा नहीं करता, अध्यक्ष महोदय, कि खादी के काम में कहीं गलती नहीं होती है, मैं यह दावा नहीं करता कि किसी काम में कहीं गलती नहीं होती है, क्योंकि जब इतना बड़ा काम फैलता है तो गलतियां हो सकती हैं।

शाहबाद के बारे में जन संघ के जो नेता हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। मैंने उसके बाद जैसा कि सबको मालूम है कलेक्टर कोटा को इसके बारे में यह सूचना दी, आपसे भी बात-चीत हुई थी और मैंने उनसे कहा कि जो जो बातें स्टेटमेंट में कही गई हैं उसकी जाकर डिटेल्स में इन्क्वायरी करो। साथ ही साथ अगर वह स्टेज है, एम्बेज़लमेंट है तो जो भी जिम्मेदार है उसकी रेस्पान्सिबिलिटी फिक्स करके सजा दी जानी चाहिये। उसमें कोई रियायत का सवाल नहीं है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि किसी के बारे में रियायत का कोई प्रश्न नहीं आता। वहां डिफिकल्ट कन्डीशन्स के अन्दर काम करने की शुरुआत हुई। बंगाली रिफ्यूजीज़ को एक दम वहां लाने का फैसला हुआ। सब कल्टीवेटर्स नहीं थे। कुछ आये, कुछ गये, कुछ बसे, कुछ नहीं बसे। बहुत से प्रोसेस में से ये बातें निकली हैं, लेकिन मैं उस पर इसलिए कमेन्ट करना नहीं चाहता हूँ कि कलेक्टर को एक काम सौंपा हुआ है। कलेक्टर ने अपनी

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

तरफ से यह कहा कि वे चाहते हैं कि ऑडिट पार्टी उनके पास भेजी जाय ताकि अच्छी तरह से एम्बेज़लमेंट और दूसरी चीजों के बारे में तमाम स्क्रूटिनाइज़ कर सकें। उन्होंने इन्जीनियर्स की मदद मांगी है जिससे कि वे प्रोपर एसेसमेंट करा सकें और कहीं आगे दूसरी चीजें हैं उसके बारे में सारी हिदायतें जारी कर दी हैं। सारी चीजें मुकम्मिल हो जाती हैं तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो कन्क्लूज़न कलेक्टर ने ड्रॉ किये हैं उसके बारे में अब तक भी कोई चीज छिपाने की जरूरत नहीं है और जो हमारे जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य हैं उनके पास उसकी एक कॉपी भेज दी है जो उनके कन्क्लूज़न हैं, और उसकी फाइनल रिपोर्ट इसके बारे में हो जाती है उसके बाद जो कुछ हो जाता है, उससे मैं परिचित करा दूंगा, क्योंकि अगर कोई भी माननीय सदस्य तथ्यों को सामने लाता है तो हम यह समझते हैं कि वह सदन की और राजस्थान की सेवा करता है। उसके बारे में कोई रोष या इस तरह की बात नहीं आती है। मैं सिर्फ इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि जो बात सदन के अन्दर कही जाय तो माननीय सदस्य काफी वजन के साथ और जिम्मेदारी के साथ यहां और बाहर बोलें, क्योंकि आपकी बात को वजन देकर चलें, हम भी चाहते हैं कि आपकी बात को वजन देकर चलें। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कभी किसी ऑफिसर से नाराजगी है तो उसके बारे में स्वीपिंग रिमार्क्स नहीं करें।

हमारे यहां पर कहा गया, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि डाइरेक्टली रिक्रूटेड जो आये हैं उनकी वजह से राजस्थान चल रहा है, वर्ना राजस्थान के अन्दर कुछ का कुछ हो जाय। डाइरेक्ट रिक्रूट्स आये हैं वे अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि कम से कम उनके लिये आपने तारीफ की। मुझे खुशी हुई उसके अन्दर कि कुछ अन्तर नहीं है। लेकिन मैं इस बात को कि राजस्थान के हजारों आदमी काम कर रहे हैं उनके बारे में राजस्थान को चलाने के अन्दर वे अपनी जिम्मेदारी से, गम्भीरता के साथ और अच्छी तरह से अनुभव करके बैठे हैं। उनको स्वीपिंग तरीके से कन्डेम करना, मैं समझता हूँ, उचित बात नहीं होगी।

माननीय अध्यक्ष, और ज्यादा वक्त सारी चीजों में लेना, मैं समझता हूं, कि आवश्यक नहीं है और जो मोशन हमारे सामने आये हैं उनके बारे में कट मोशन की तरह एक-एक चीज़ का जवाब देना वह भी उचित नहीं होता है, लेकिन हम लोग जो इधर बैठे हैं हम लोग स्वयं समय समय पर इस बात को रिव्यू करने की कोशिश करते हैं, हम स्वयं इस बात को जानते हैं और मुझे बड़ी परेशानी होती है कि जो डिलेज़ होती हैं डिस्पोज़ल्स में उसकी वजह से आज बहुत सी खराबियां होती हैं। डिले कम की जाय। किस प्रकार से क्विक डिस्पोज़ल होने लगे, किसी तरह से लोगों को उन लोगों के पास भटकना नहीं पड़े तो आज नहीं तो तीन साल पहले श्री हरिश्चन्द्र माथुर की चेयरमैनशिप में एक कमेटी सेट अप की थी कि किस तरह से हम एडमिनिस्ट्रेटिव सेट अप में चेन्जेज़ कर सकते हैं। पंचायती राज्य कायम किया और अनुभव सामने आया तो अनुभव के बाद हमने कहा कि इवेल्युएशन तो हम

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

करते ही हैं, लेकिन इवेल्युएशन के साथ-साथ सारी चीजों पर एक कमेटी श्री सादिकअली की अध्यक्षता में और सेट अप की जिसके अन्दर इस सदन के कई माननीय सदस्य भी उसके मेम्बर हैं। तो वक्त वक्त पर इन चीजों को रिव्यू करके इस बात को करना चाहते हैं कि जो अनुभव के बाद में सामने आये। उसके अन्दर किस प्रकारसे परिवतन कर सकें, उन परिवर्तनों को करने की तरफ ध्यान दें।

मुझे आशा है कि मैंने जो कुछ कहा तो मेरे कहने के बाद अगर सदन यह अनुभव करता है कि इस तरफ जो हम लोग बैठे हुए हैं उनको सेवा करने देना चाहते हैं तो वे इस नो कॉन्फीडेन्स के बारे में प्रेस नहीं करें। अगर वे समझते हैं कि नो कॉन्फीडेन्स के बारे में प्रेस करना ही है तो उनके बारे में उनको आजादी है। मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह ईमानदारी और मेहनत के साथ हम लोगों के द्वारा जो राजस्थान की सेवा बन पायेगी वह राजस्थान की सेवा करेंगे।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : टाइम तो एक्सटेंड कर दिया जाय।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : मेरा भी यही निवेदन करना है कि टाइम अवश्य एक्सटेंड कर दिया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : Time may be extended till the business is disposed of.

श्री हरिदेव जोशी (घाटोल) : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे निवेदन किया था कि जो भी समय निर्धारित करें वह शुरू में कर दें ताकि हमें भी सुभीता रहे और ऑपोज़िशन को भी सुभीता रहे। अब जब कि आप एक बार समय निर्धारित कर चुके हैं तो अब समय में परिवर्तन करना हमको एम्बेरेसमेंट में डालने वाली बात होगी, विशेष रूप से उस स्थिति में जब कि लीडर ऑफ दी हाउस अपनी ओर से जवाब दे चुके हैं। मेरा निवेदन करना है कि कांग्रेस पार्टी ने जो लिस्ट दी थी उसमें से आधे सदस्य बोलने बाकी रह गये। इसलिए मैं ऐसा निवेदन करता हूँ कि जो निर्णय आपने दिया है कृपया आप उस पर स्टिक करेंगे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, समय तो निश्चित किया गया है लेकिन यह महत्वपूर्ण अविश्वास का प्रस्ताव है। मैं समझता हूं उनको प्रत्युत्तर का अधिकार देना चाहिए, जिन्होंने प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। आपका निर्णय तो सर्व-मान्य होगा ही किन्तु हमारी तरफ से जो निवेदन है उस पर भी सहानुभूतिपूर्वक आप विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष : समय निर्धारित सदन ने किया था।

श्री भैरोंसिंह : आपने फरमाया भी था कि बाद में थोड़ा समय दिया जायेगा। ये नो-कोन्फीडेन्स मोशन्स हैं, जिस सरकार में हम अविश्वास कर रहे हैं, हमने उसके बारे में कुछ बातें कही हैं, सरकार की तरफ से उनका उत्तर दिया गया है, उन्होंने कुछ तथ्य रखे हैं, कुछ आरोप लगाये हैं। प्रत्युत्तर में पर्सनल एक्सप्लेनेशन के नाते भी हमारा

(श्री भैरोंसिंह)

राइट है कि हम उनका जवाब दें। अविश्वास का प्रस्ताव मूव करते हैं, उस नाते भी हमारा राइट होगा।

यदि हमें यह राइट नहीं दिया जायगा तो सदन की परम्परा के विरुद्ध होगा। आप हमारे राइट्स के कस्टोडियन हैं। कई बातें सत्तारूढ़ दल की ओर से कही गई हैं, उनका उत्तर देना जरूरी है। कई बार सत्तारूढ़ दल के कहने से हम दो–दो घंटों तक बैठे रहे हैं, तो आज हमारे कहने पर बैठने में उनको क्यों ऐतराज है? मैं कहूँगा कि जनतन्त्र के नाते भी, जिसके आप ज्यादा हामी हैं, अविश्वास के प्रस्ताव को सामने रख कर भी समय की बाधा उपस्थित नहीं करें; वे यदि बाधा उपस्थित करते हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे राइट को सुरक्षित रखें। जो हम बातें कहना चाहते हैं उनको कहने का अवसर दिया जाय।

श्री हरिदेव जोशी : मेरे दिमाग में कोई जिद् अथवा आग्रह नहीं है। एक स्थिति मेरे दिमाग में है वह यह है कि जिस चीज को सबसे पहले आपसे निवेदन करके तय कर लिया गया और जिसको विरोधी दल के सभी माननीय सदस्यों की सहमति से स्वीकार किया आपके चेम्बर में, उसके बाद सदन ने स्वीकार किया, उसके बाद हमने उसके अनुसार एक्ट किया। हमारी गुनाह यह रही कि हमने उसके अनुसार एक्ट किया और अपने समय पर पाबन्द रहे। आज स्थिति यह है कि आपके द्वारा इल्जाम लगाये गये हैं, तो इन सदस्यों को भी जवाब देने का मौका नहीं मिला....

श्री भैरोंसिंह : हमको आपत्ति नहीं, दिया जाय मौका।

श्री हरिदेव जोशी : उधर से कहा गया कि उनको मौका नहीं मिला। हमारे लीडर के जवाब देने के बाद क्या यह स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि कांग्रेस पार्टी के सदस्य फिर बोलें और नई परम्परा कायम करें? मेरे ख्याल से नहीं हो सकती। हम प्रजातन्त्र के हामी हैं, इसलिए इस सदन के द्वारा जो समय निर्धारित किया गया है उस पर स्टिक करना चाहते हैं। यदि यह अप्रजातान्त्रिक है तो आपके फैसले पर निर्भर है कि सदन ने जो फैसला किया है, उसको मान्य किया जाय या नहीं। इसलिए विरोधी पक्ष की ओर से जो निवेदन रखा गया है उसको स्वीकार करने में हम असमर्थ हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, जिनके द्वारा प्रस्ताव उपस्थित किये गये हैं उनको अधिकार मिलना चाहिए। इस तरह के महत्वपूर्ण प्रस्ताव के सम्बन्ध में हमें प्रत्युत्तर का अधिकार रहता है। हमारा जो अधिकार है उसके अनुसार ही हम यह मांग आपके समक्ष रख रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I move that the time be extended till the business pending before the House is disposed of. अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान रूल्स ऑफ बिजनेस के रूल २७७ की ओर दिलाना चाहता हूँ :

"277. Order of speeches and right of reply :

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(1) After the member who moves a motion has spoken, other members may speak to the motion in such order as the Speaker may call upon them. If any member who is so called upon does not speak, he shall not be entitled, except with the permission of the Speaker, to speak to the motion at any later stage of the debate.

(2) Except in the exercise of a right of reply or as otherwise provided by these rules, no member shall speak more than once to any motion, except with the permission of the Speaker.

(3) A member who has moved a motion may speak again by way of reply, and if the motion is moved by a private member the Minister concerned may, with the permission of the Speaker, speak (whether he has Previously spoken in the debate or not) after the mover has replied :"

मैं अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जिसने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उनको बोलने का अधिकार इसके एक नियम के आधार पर है और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक उनको बोलने का अधिकार नहीं मिल जायगा तब तक डिबेट कन्क्लूड नहीं होगी। इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य सचेतक जो कांग्रेस के हैं उन्होंने कहा कि यदि समय की पाबन्दी है और आप आवश्यक समझते हैं, यह बात सही है कि हमने समय ८ बजे तक का निर्धारित किया और उसके बाद समय बढ़ाने के लिये जैसा आपने सुबह आदेश दिया था कि समय बढ़ाया भी जा सकता है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक नियम है उसमें इस प्रकार रखा है कि मूवर की स्पीच है वही कन्क्ल्यूड करेगी डिबेट को। इस रूल के आधार पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यदि यह समाधान हो जाता है तो यह डिबेट कन्क्ल्यूडेड नहीं मानी जायगी और केरी ओन होगी, चाहे कल करें, चाहे परसों करें; मूवर जो रिज़ोल्यूशन के हैं उनके जवाब के बाद ही डिबेट कन्क्ल्यूड होगी। इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि इस डिबेट को केरी ओवर किया जाय, कन्क्ल्यूड नहीं की जाय तो हमें आपत्ति नहीं है। कल कन्क्ल्यूड हो सकती है, रिप्लाई के बाद ही होगी। मैं निवेदन हूँ कि आधा घंटे तक और बैठने में आपत्ति नहीं होगी। पहले भी ऐसा हो चुका है, नाथद्वारा के बारे में जो रिज़ोल्यूशन लाया गया था उसकी डिबेट कन्क्ल्यूड नहीं हुई थी और हाउस एडजोर्न हो गया था, प्रोसीडिंग्ज़ देख लीजिये। उसके बाद जब हाउस रिज़्यूम हुआ और मूवर ने अपना जवाब दे दिया तब डिबेट कन्क्ल्यूड हुई। यह परम्परा रही है, नाथद्वारा के वक्त रही है, मूवर के जवाब के बाद डिबेट कन्क्ल्यूड हुई है, केरी ओवर हुई है। दूसरे दिन के लिये भी अगर आप केरी ओवर करना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं है। कई सदस्यों ने कहा है कि दो-दो, चार-चार मिनट का समय लेंगे और कुछ खास बोलने वाले थोड़ा ज्यादा समय लेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने आपत्ति उठाई है कि बगैर मूवर के जवाब के डिबेट

(श्री अध्यक्ष)

कन्क्ल्यूड नहीं हो सकती, यह उस रूल का सब्जेक्ट है जिसके अनुसार सदन ज्यादा समय निर्धारित करता है; इसलिये मैं नहीं मानता कि कोई डिबेट समय खत्म हो जाय और चालू रहे किसी वजह से तो भी चालू मानी जाय ! इसके लिए जो नो कॉन्फीडेन्स का रूल है उस रूल की ओर मैं ध्यान आकर्षित करूंगा :

"(4) The Speaker shall, at the appointed hour on the allotted day or the last of the allotted days, as the case may be, forthwith put every question necessary to determine the decision of the House on the motion."

इसका मतलब यह हुआ कि उस समय चाहे किसी भी स्टेज पर हो, उस कार्यवाही को समाप्त किया जा सकता है और मोशन पुट करके समाप्त किया जा सकता, इसलिये आपकी आपत्ति स्वीकार नहीं की जा सकती । मैं फिर भी यही चाहूंगा कि कम से कम विरोधी पक्ष के नेता इसका जवाब अवश्य दें और उसके लिए समय की आवश्यकता हो तो कुछ समय के लिये बढ़ाया जा सकता है । यदि माननीय सदस्य इससे सहमत हों तो जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं वे जवाब दें ।

श्री भैरोंसिंह : बाकी मूवर क्या करें ?

श्री अध्यक्ष : उनको समय नहीं मिलेगा ।

श्री भैरोंसिंह : जो चार्जेज़ लगाये हैं उनका क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि उन्होंने सब तरह से अपनी बातें रख दी हैं । समय बढ़ाने के लिए सदन का सेन्स दिखाई दे रहा है, बहुमत उनके साथ नहीं है । सदन ने समय के बारे में जो प्रस्ताव पास किया है उसको बहुमत के अलावा किसी तरह से बदल नहीं सकते । मजबूरी यह है कि यह मेरे डिस्क्रीशन में नहीं है कि सदन न चाहे फिर भी समय बढ़ा दिया जाय ।

इन सब आपत्तियों को स्वीकार करते हुए मैं निवेदन करूंगा कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो रिप्लाई दें वह सब पार्टियों की तरफ से माना जाय और इसके बाद इस पर मतदान होगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): यह नहीं हो सकता ।

श्री भैरोंसिंह: अध्यक्ष महोदय, यह अच्छा नहीं होगा ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन की तरफ से जो जवाब होगा वह जवाब सब पार्टियों का जवाब नहीं मान सकते ।

श्री अध्यक्ष: आपको आपत्ति है कि उनको नहीं बोलने दिया जाय ?

श्री मानिकचन्द सुराणा: यह मतलब नहीं है ।

श्री अध्यक्ष: अगर वह है तो उसके ऊपर फिर से सोचा जा सकता है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा: मेरा निवेदन है कि जो जवाब के रिप्लाई का प्रश्न है

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

वह विचार धाराओं का प्रश्न है और विचार-धाराएं पार्टियों की भिन्न-भिन्न हैं।

श्री अध्यक्ष: मैं व्यवस्था दे चुका हूं कि जिन्होंने मूव किया है, उनका जवाब देना आवश्यक है और उनके रिप्लाई के बिना डिबेट कन्क्लूड नहीं होगी, इस बात को टीक नहीं माना जा सकता। आप कहते हैं कि उनको नहीं बोलने दिया जाय तो मैं स्वीकार करता हूं। एक रास्ता था निकलने का जिसे मैंने सदन के सामने रखा है। ऐसा प्रतीत होता है कि सदन ने उसे स्वीकार किया है....

श्री मानिकचन्द सुराणा: एक पार्टी के जवाब को सारी पार्टियों का जवाब नहीं माना जा सकता।

श्री अध्यक्ष: नहीं मानिये, मैं नहीं कहता कि सदन मानेगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): अध्यक्ष महोदय,........

श्री भैरोंसिंह: अध्यक्ष महोदय, On a point of personal explanation......

श्री अध्यक्ष: किस चीज का पर्सनल एक्स्प्लेनेशन ?

श्री भैरोंसिंह: कल मेरे ऊपर कांग्रेस पार्टी के मुख्य सचेतक ने चार्ज लगाये थे। मैं इस उम्मीद में था कि मुझे राइट ऑफ रिप्लाई मिलेगा और मैं उन चीजों का निराकरण कर सकूंगा। वे चार्ज उन्होंने ...

श्री अध्यक्ष: आपको उस समय आपत्ति करनी चाहिए थी।

श्री भैरोंसिंह: आपकी यह व्यवस्था थी कि बाद में एक्स्प्लेनेशन दिया जाय।

श्री अध्यक्ष: ऐसी व्यवस्था मेरे ध्यान में नहीं।

श्री भैरोंसिंह: आपकी ऐसी व्यवस्था है, मुझे ध्यान है।

श्री अध्यक्ष: ऐसा कर दें कि आपको पर्सनल एक्स्प्लेनेशन देने की आवश्यकता है, वह करना बाद में।

श्री भैरोंसिंह: मुझे पर्सनल एक्स्प्लेनेशन देने की आवश्यकता है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: अध्यक्ष महोदय, अविश्वास के प्रस्ताव पर गत तीन दिन से चर्चा हो रही है। बहस के दौरान में कई मुद्दे उठाये गये, इधर से और उधर से। जो खास खास बातें हैं उनके सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन करूंगा। यह कहा गया स्वतंत्र पार्टी वाले किसानों को बहकाते हैं, भरमाते हैं। मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन है कि पन्द्रह वर्ष पहले कांग्रेस ने किसानों ने किसानों को कई ऐसी बात कही थीं जो भरमाने के रूप में थीं और उस वक्त कांग्रेस द्वारा किसानों को जो जो बातें कहीं गईं, मैं समझता हूं कि वह किसान के साथ एक विश्वासघात था। उस वक्त कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि हम दूध और घी की नदियां बहायेंगे, हम सोने के हल से खेती करवायेंगे और हम सवा रुपया बीघा का टैक्स लेंगे। मेरा यह

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

नम्र निवेदन है कि दूध और घी की नदियां कहां गई, पर आज किसानों के ऊपर राजस्थान में जितना टैक्स लगाया गया है उतना शायद भारत के किसी भाग पर किसानों के उपर टैक्स नहीं लगाया गया है।

कहा गया है, अध्यक्ष महोदय, स्वतंत्र पार्टी का कोई लक्ष्य नहीं, स्वतंत्र पार्टी का कोई ध्येय नहीं। स्वतंत्र पार्टी की डिस्टिंक्ट आइडियोलोजी, मन्तव्य, मेनीफेस्टो मुद्दे और सिद्धांत हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, जो मेरे सामने बैठे हुए हैं; उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि वे चाहें तो स्वतंत्र पार्टी के मेनीफेस्टो को देखकर यह कहें कि स्वतंत्र पार्टी का कोई लक्ष्य है या नहीं; संक्षेप में इतना निवेदन करना चाहूंगा कि स्वतंत्र पार्टी का लक्ष्य है और स्वतंत्र पार्टी मध्यम् मार्गी पार्टी है, स्वतंत्र पार्टी देश, धर्म धन्धे और जमीन की रक्षा करना चाहती है, स्वतंत्र पार्टी, कांग्रेस की सोशयलिज्म की नीति है, उसका विरोध करना चाहती है। स्वभाविक है, दो दलों के अन्दर मत-मतान्तर होते हैं और कांग्रेस और स्वतंत्र पार्टी के अन्दर मत-मतान्तर होते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है कि जो किसी को अखरनी चाहिए।

श्री रामकिशन (वैर): माथुर साहब को ज्यादा अखरती है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: यह कहा गया कि राजस्थान की आमदनी बहुत बढ़ाई गई। प्राइस इन्डेक्स इत्यादि के ऊपर भी चर्चा की गई। तो अध्यक्ष महोदय, हमारे सिद्धान्त के अनुसार एक सामान्य गृहस्थ के सिद्धान्त के अनुसार मैं सदन को पहले भी निवेदन कर चुका हूं और अब भी यही निवेदन करूंगा कि हमारा सिद्धान्त या किसी सद्-गृहस्थ का सिद्धान्त यह होना चाहिये कि हैसियत के मुताबिक हमको रहना चाहिये। "Cut the coat according to the cloth." यह सामान्य बात है। एक मामूली मिसाल है कि अगर किसी नागरिक की आमदनी पांच हजार है और वह अगर खर्चा पचास हजार का करे तो वह एक सद्-गृहस्थ है या दिवालिया? आज राजस्थान सरकार इस नीति को अपना रही है। और यह कहा जाय कि सरकार की आमदनी ८७ करोड़ हो चुकी है तो अगर ८७ करोड़ के बजाय १६० करोड़, २०० करोड़ भी हो जाय, लेकिन राजस्थान सरकार ने जनता के समक्ष एक अपराध किया है, अपने ऊपर इतना कर्जा किया है कि आज की पीढ़ी नहीं, इसके बाद की पीढ़ी और उसके बाद की भी पीढ़ी इस कर्ज को नहीं चुका सकती....

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): इकोनोमिक प्लान नहीं बताया?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: प्राइस इन्डेक्स के सम्बन्ध में, अध्यक्ष महोदय, यह कहा गया कि कुछ कीमतें आवश्यकता की वस्तुओं की घटी हैं। यह सर्व-सम्मत बात है, साफ और चौड़ी बात है, सब जानते हैं अच्छी तरह से कि जीवन की आवश्यकता की वस्तुओं के भाव बराबर बढ़े हैं - क्या कपड़ा, क्या खाना, क्या घी और तेल, क्या मिट्टी का तेल, क्या माचिस, क्या साबुन - जितनी आवश्यकता की वस्तुएं हैं उन सब के भाव बराबर बढ़े हैं। इलेक्ट्रिसिटी की भी कीमत बढ़ी है।

Page No 112

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

और शक्कर और गुड़ की कीमत एक है। कहीं कहीं तो शक्कर से भी गुड़ मंहगा बिकता है। मेरा यह अनुभव है कि राजस्थान सरकार के आंकड़े विश्वस्त नहीं हैं। बहुत से आंकड़े ऐसे हैं कि खुद सरकार के मन्त्री महोदय का मत है कि ये विश्वस्त नहीं हैं। यह अरण्यरोदन आंकड़ों में मेरे ख्याल से सन्तोषजनक नहीं है। खास मुद्दा यह है कि जनता मंहगाई के द्वारा परेशान है और यह मैं अनुभव करता हूँ कि यह निर्विवादित बात है....

श्री मथुरादास माथुर (गृह मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि समय का....

श्री अध्यक्ष : That is understood. The House agreed to my suggestion.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या चीज है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : स्वतन्त्र पार्टी एक बढ़ती हुई पार्टी है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या कहा है ?

श्री मथुरादास माथुर : कुछ नहीं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : कांग्रेस ने १७६ सीटों पर चुनाव लड़ कर ८६ सीटें जीतीं और चालीस पर्सेन्ट मत प्राप्त हुए जब कि स्वतन्त्र पार्टी ने ९० सीटों पर चुनाव लड़ा और ३६ सीटें जीतीं और १६ परसेन्ट जनता के मत प्राप्त किए। यह अनुपात अगर देखा जाय तो जितने वोट कांग्रेस को मिले हैं उसी अनुपात में स्वतन्त्र पार्टी को भी मिले है। स्वतन्त्र पार्टी का अगर मखौल उड़ाते है तो यह उनका अधिकार है, लेकिन स्वतन्त्र पार्टी एक होनहार पार्टी है और पनपने वाली पार्टी है और मैं समझता हूँ उसका भविष्य उज्वल है।

एक माननीय मन्त्री महोदय, जो मेरे मित्र हैं, ने कहा कि परमिट, कोटा और लाइसेन्स का पहले भी राज्य था। अध्यक्ष महोदय, परमिट और कोटाज़ और लाइसेन्स उस जमाने में थे कि जब एक बड़ा भारी एमर्जेन्सी का जमाना था, एक ऐसे युद्ध में संसार फंसा हुआ था जिसकी सानी का युद्ध विश्व भर में दूसरा नहीं हुआ। परन्तु उस वक्त परमिट, कोटा और लाइसेन्स थे तब भी भाव आज के मुकाबले में कम थे। आज के मुकाबले–जब से एमर्जेन्सी डिक्लेअर हुई है और उससे पहले भी जो भाव थे, उसकी तुलना १९४४–४५ की एमर्जेन्सी से की जाय तो मैं मानता हूं कि उस वक्त परमिट, कोटा, लाइसेन्स और कन्ट्रोल था, तब भी इतना मंहगाईवाड़ा नहीं था जितना कि आज कांग्रेस के शासन में मंहगाईवाड़ा है।

रेल्वे डूंगरपुर में आ रही है, डूंगरपुर में चौमुखी विकास हुआ है–अवश्य। मैं ना नहीं कहता— लेकिन किस कीमत पर ? हमारे माननीय मन्त्री महोदय जानना चाहें— मैं नहीं कहता कि डूंगरपुर की वकालत के रूप में मैं आपको दो शब्द कहूं। लेकिन मैं बता दूं कि १९५५ तक, मुझे विश्वास है कि डूंगरपुर में रेल आ जाती। यह मेरा दावा है। मेरे पास वाइसराय का

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

लिखा हुआ पत्र है ; in recognition of war services highest prority of Railway दी थी। मेरे पिता ने इसके लिए कोशिश की, मैंने कोशिश की। मैं वकालत के रूप में नहीं कहता। मैं इस सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए कहता हूँ कि आप ही ठेकेदार हों सारे विकास के करने के और हम कुछ नहीं कर पाते हों–ऐसा नहीं है। अगर

(८.०० म. प.)

आपकी जगह कोई दूसरी पार्टी आवेगी तब भी विकास तो होगा, विकास नहीं रुक सकता। और मेरी यह मान्यता है कि अगर कोई दूसरी पार्टी आवेगी तो विकास अच्छे ढंग से होगा और कम भ्रष्टाचार होगा।

अभी कुछ समय पहले माननीय मन्त्री महोदय ने यह कहा कि हमारे मकान में किसी को आने की इजाजत नहीं दी जावेगी। मैं तो मन्त्री महोदय को यह कहूंगा कि आप इस मकान के पाल बांध कर रखें तो ठीक हो, क्योंकि इस मकान में सुगन्ध नहीं आती, दुर्गन्ध आती है और यह मकान भी अब जर्जर अवस्था में हो गया है, कहीं ऐसा नहीं हो कि कभी तूफान आजावे और यह मकान हड़धूंस हो जाए, जमीन में धंस जाए।

एक माननीय सदस्य जो मांडल से आये हैं, उन्होंने यह कहा कि राजस्थान का इतिहास कुछ नहीं है, एक कलंकित इतिहास है और माननीय मुख्य मन्त्री ने कहा है कि राजस्थान का इतिहास गौरवशाली है। मुझे इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है, क्योंकि यह तो आपस में एक ही पार्टी के सदस्यों ने बताया है....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : मैं आपकी जानकारी के लिए यह बता दूं कि मैंने राजस्थान के इतिहास को कलंकित और कुछ नहीं कहा, मैंने तो आपसी महाराजाओं के लिए कहा। मैंने राजस्थान को कुछ नहीं बताया है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं यह निवेदन करता हूँ कि अगर राजस्थान के इतिहास के लिए माननीय सदस्य ने कुछ नहीं कहा तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि राजस्थान का इतिहास भारतवर्ष के अन्य क्षेत्रों से कम गौरवशाली नहीं रहा है।

वर्माजी के सम्बन्ध में कहा। मैं वर्माजी को अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं उन पर कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करता। एक जमाना था महाराणा फतहसिंहजी का, उस समय मेवाड़ में वर्माजी को रहने की इजाजत नहीं थी। वे डूंगरपुर में आये और वहां शरणार्थी के रूप में तीन वर्ष तक रहे। तब से मेरी उनसे जान-पहिचान है। लेकिन यह कोई आवश्यक नहीं है कि अगर कोई गलत काम करते हों या गलत तरीके से कोई अनियमितताएं हुई हों तो उस सम्बन्ध में मैं सदन का ध्यान आकर्षित नहीं करूं।

आदिवासियों के लिए कहा गया...

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): On a point of order, Sir, अध्यक्ष महोदय,

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

मैंने एक प्रस्ताव मूव किया है कि मुझ पर जो लांच्छन लगाये गए हैं उनके लिए मुझे जवाब देने के लिए अवसर दिया जावे।

श्री अध्यक्ष : यह व्यवस्था का प्रश्न है, आप अपना स्थान ग्रहण करें। आपका भाषण समाप्त होने दीजिए। (श्री महारावल को सम्बोधित करते हुए) आप बहस को जारी रखें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : क्या मुझे इस भाषण के समाप्त होने के बाद बोलने का अवसर देंगे ?

श्री अध्यक्ष : आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आपको बहुत मौका मिला बोलने का।

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : Order please !

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आदिवासियों की हालत आज भी वैसी ही है। चीफ मिनिस्टर अगर देखना चाहें तो आज भी मेरे साथ में चल कर देख सकते हैं। आदिवासी आज भी महुआ और टीमरू खा रहे हैं। अभी भी उनको एक टाइम खाना भी मुश्किल से मिलता है। हजारों आदिवासी ऐसे हैं जिनको पहिनने के लिए कपड़ा नहीं मिलता है। अगर कांग्रेस सरकार का इस सम्बन्ध में यह दावा है कि रात और दिन का परिवर्तन करके आदिवासियों का विकास कर दिया है और इस चहुंमुखी विकास का श्रेय हम ले लें तो मैं यह कहूंगा कि यह कहना वास्तविकता से परे है और आदिवासियों की हालत में सुधार नहीं हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : पर-केपिटा कितनी आय होती है, इसके लिए अभी दिल्ली में बताया गया है कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर में साढ़े तीन आना पर-केपिटा और दिल्ली ५ आना आती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अभी नन्दा ने कहा है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): मैंने दावा नहीं किया है। यह तो अभी तक बहुत दूर है।

श्री भैरोंसिंह : साढ़े तीन आनों में कपड़े कहां से पहिनेंगे और खाना कहां से खावेंगे, महुआ ही खाकर पेट पालेंगे, नहीं तो क्या करेंगे........

(शोर-गुल)

श्री अध्यक्ष : Order ! Order !!

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मेरा यह निवेदन है कि आपने गाडोलिया लुहारों के लिए लाखों रुपया लगाकर सम्मेलन किया और अगर वह सम्मेलन उनके हित के लिए किया तो ठीक किया, लेकिन मेरे ख्याल से जिन लोगों ने इस सम्मेलन को देखा है वे इस सम्मेलन की आलोचना करते हैं

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

और कहते हैं कि जो कुछ भी व्यय किया गया उसमें से ६० प्रतिशत फिजूल खर्च हुआ है। यह एक ऐसा कबीला है जिसको आप परमानेन्ट बनाना चाहें तो यह एक आसान समस्या नहीं है। अगर वर्माजी ने यह किया तो उनका लक्ष्य चाहे कितना ही पवित्र हो लेकिन उनको इसमें सफलता मेरे ख्याल से नहीं मिली और यह जनता की गाढ़ी कमाई का जो पैसा खर्च हुआ उसका दुरुपयोग ही हुआ।

माननीय सदस्य जो घाटोल से आये हैं राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि बहुत सारी बातें विरोधी पक्ष के लोगों ने कहीं वे राज्यपाल महोदय के एड्रेस के समय में वाद-विवाद हुआ उस समय कहीं और उसी मुद्दे को बार बार दोहराते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहता हूं, किसी बात को रिपीट करना कोई पाप नहीं है। हम दोहराते हैं और कहते हैं कि लोगों को अनुचित रूप से आश्रय मिल रहा है और जो लोग अन्याय और घोटाले करते हैं उनको दंड नहीं दिया जाता है और उन लोगों को राय दी जा रही है, हम इस बात को इसलिये दोहराते हैं और मैं तो यह कहूंगा कि हम इन बातों को एक बार नहीं हजार बार कहेंगे और अवश्य कहेंगे, जहां पर भ्रष्टाचार हो रहा है उसको रोकने के लिये अवश्य दोहरावेंगे और कहेंगे।

जैसा मैं निवेदन कर चुका हूं कि हम स्वतंत्र पार्टी के लोग हैं और इधर बैठने वाले बहुत से विभिन्न पार्टीज़ के सदस्य हैं जिन्होंने इस अविश्वास के प्रस्ताव का समर्थन किया है। हो सकता है उनके और हमारे मत-भेद हो। लेकिन आज एक सिद्धान्त की बात है जिसको लेकर हमने वर्तमान शासन में अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। उसकी बुराइयों को देखते हुए असह्य समस्या पैदा हो गई है। इसको रोकने के लिये जनतंत्र में हमारा जो जनतान्त्रिक अधिकार है उसको हम काम में ला रहे हैं।

नेशनलाइज़ेशन के सम्बन्ध में वाद-विवाद हुआ। उस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि आप नेशनलाइज़ेशन राष्ट्रीयकरण करें लेकिन जिस धन्धे का आप राष्ट्रीयकरण करें, जिसको आप राष्ट्रीयकरण योजना के अन्तर्गत लें, उस उद्योग और धन्धे की स्थिति राष्ट्रीयकरण करने के पूर्व जो थी उस स्थिति को कायम रखें तब तो वह राष्ट्रीयकरण है, लेकिन राष्ट्रीयकरण के पश्चात् अगर उस धन्धे में गिरावट आ जाती है और जनता को राहत मिलने के बजाय ज्यादा दिक्कत होती है तो यह राष्ट्रीयकरण नहीं है, यह तो Statism है और मैं यह कहूंगा कि आपकी जिद है। राज्य ही व्यापार करे और राज्य ही प्रोफिट का जो मार्जिन है उस पर कन्ट्रोल करे, उसका हम विरोध करते हैं।

कोऑपरेटिव के बारे में हमारी पार्टी का सिद्धान्त है, उसके लिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कोऑपरेटिव मूवमेन्ट कोई बुरा नहीं, लेकिन जब हम कोऑपरेटिव्ज़ की हालत को आज देखते हैं तो मालूम होता है कि उनकी दशा ठीक नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कम से कम आप पहले सर्विस कोऑपरेटिव्ज़ कायम करें। और वे अगर

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

कामयाब हो जाती हैं तो उसका उदाहरण लेकर दूसरी सब जगह भी कोऑपरेटिव्ज़ कायम करें। आज आपकी कोऑपरेटिव कम्पलीट फेल्योर है। अगर आप कोऑपरेटिव्ज़ को सुचारू रूप से स्थापित करना चाहते है तो मेरा नम्र निवेदन यह है कि आप क्वान्टिटी पर न जाकर क्वालिटी पर जावें और सर्विस कोऑपरेटिव्ज़ कायम करें और यह लाखों रुपया जो इन पर जनता का खर्च हो रहा है उसको आप बचा सकते हैं।

आप इसे नहीं मानेंगे, लेकिन दूसरी पार्टी आपकी जगह आयेगी तो वह मानेगी और जरूर करोड़ों रुपया इसमें बचत हो सकती है।

पब्लिक सेक्टर के सम्बन्ध में जनसंघ के माननीय नेता ने, कहा कि करोड़ों रुपया खर्च किया, पर एक–डेढ़ परसेन्ट रिटर्न मिलता है। लोकसभा में बहस हुई तो हमारी पार्टी की तरफ से कहा गया कि हजारों अरब रुपया खर्च हुआ, उसका रिटर्न पोइन्ट तीन परसेन्ट मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से यह अपव्यय और दुरुपयोग का प्रोपोर्शन है। मैं तो कहता हूँ कि this is a criminal wastage of money.

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यह तो सभी मंजूर कर लिया, मैंने जो आरोप लगाये थे उनका एक का भी जवाब नहीं दे सके।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : तो यह अनसक्सेसफुल प्लानिंग है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : मेरे आरोप तो सभी स्वीकार हैं क्योंकि एक का भी जवाब नहीं दिया।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : ट्रान्सपोर्ट के सम्बन्ध में मैं फिर इस बात को दोहराता हूँ कि रोडवेज़ नेशनेलाइज हुआ है उससे जनता को राहत–सुख नहीं मिला है, किराया बढ़ा है और मोटर बसेज़ की कन्डीशन, रनिंग ऑर्डर उतना अच्छा नहीं है जो प्राइवेट बस मालिकों के जमाने में था।

अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद के साथ यह निवेदन करना पड़ता है कि इस सरकार के आश्वासन अधिकांश रूप से, आश्वासन नाम मात्र के हैं। जिस पैसे भर कागज पर वे आश्वासन दिये जाते हैं उन आश्वासनों का मूल्य उस कागज के मूल्य से भी, मैं समझता हूं, कम है।

प्रिन्सेज़, प्रिवी पर्स और कोवेनेन्ट के सम्बन्ध में चर्चा हुई। तो मैं यह निवेदन करता हूँ कि कोवेनेन्ट को भंग करते हैं और प्रिवी पर्स को बन्द करते हैं तो दोनों विपरीत बातें हैं। तो जो कुछ नीति हो वह ठीक हो।

सीलिंग के सम्बन्ध में कभी–कभी बहुत अनप्लेज़ेंट बातें भी कहनी पड़ती हैं। हमारी पार्टी के सामने कहें तो मैं तो कहूँगा और कह डालूंगा। आपने एग्ज़ेम्पशन्स दिये, शुगर प्रोडक्शन्स पर एग्ज़ेम्पशन्स दिये, कॉफी प्रोडक्शन पर एग्ज़ेम्पशन्स दिये, टी प्रोडक्शन पर एग्ज़ेम्पशन्स दिये, मेकेनाइज्ड फार्म्स को एग्ज़ेम्पशन्स दिये। उनके यहां हजारों एकड़ और बीघा जमीनें रखीं। यू. पी. holdings & ceilings Act की सेक्शन ६ के अन्दर वहां के नरेशों को भी ये एग्ज़ेम्पशन्स

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

दिये हैं, तो क्या मैं आपके द्वारा अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित नहीं कर सकता कि यह ३६२ भूतपूर्व रियासतों पर और समस्त भारतवर्ष है, उस पर लागू होता है, राजस्थान में लागू नहीं होकर अन्य क्षेत्रों में लागू होता है, इस बारे में भी विचार करें। यह सोशियल जस्टिस है या डिस्क्रिमिनेशन है, इस पर भी विचार करें। मैं जानता हूं यू. पी. के नरेशों को, वे कांग्रेस में हैं, मेरे दोस्त हैं, रिश्तेदार भी हैं, अच्छे लोग हैं। मैं चाहता हूँ कि वे खुशहाल रहें। पर क्योंकि वे कांग्रेस में हैं, इसलिए उनके लिये यह निर्णय हुआ और राजस्थान में विभिन्न निर्णय हुआ तो यह सोशियल जस्टिस नहीं। इससे यह साबित होता है कि आपके आश्वासन कॉन्ट्राडिक्टरी और कन्वीनियेन्स पर आधारित होते हैं।

मैं याद दिलाना चाहता हूं, हमारे प्रधान मन्त्री ने पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री से बेरी-बेरा के सम्बन्ध में चर्चा करते हुए आश्वासन प्रधान मन्त्री, पाकिस्तान को दिया। लोकसभा में तरह–तरह की बातें हुईं, एतराज हुए, इस पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस इश्यू को अपनी प्रेस्टिज का इश्यू बना लिया, अपनी इज्जत का सवाल खड़ा किया और वहां इस समस्या का हल करके छोड़ा, क्योंकि उनका आश्वासन था उसको कार्यरूप में परिणत करने के वास्ते भारत सरकार की इज्जत का सवाल था। तो कोवेनेन्ट तो एक लिखित डॉक्यूमेंट है, जिसका हमारे विधान में समावेश है। अगर यूनिलेटरल एब्रीफिकेशन, इकतरफा कार्यवाही से समाप्त किया जाय तो सरकार के लिये ही यह समस्या विचाराधीन होनी चाहिए, विचारणीय होनी चाहिये।

अमेरिका के साथ में, वोइस ऑफ अमेरिका के सम्बन्ध में एग्रीमेंट हुआ, उसके होते ही सरकार ने उसको भंग किया। अपने वाक्यों को वापिस लेकर भंग करें तो कहां तक इन्टरनेशनल प्रेस्टिज रह सकती है?

जहां तक जमीन और लगान का प्रश्न है, मैं स्पष्टतया निवेदन करना चाहूंगा कि मुझे आपकी जमीन नहीं चाहिए, न उसका लगान चाहिए। माननीय सदस्य जो मांडल से आये हैं, उन्होंने कहा कि दो गुना, चार गुना लगान लिया। मैं चुनौती देकर कहना चाहता हूँ कि १५ वर्षों के अन्दर मैंने एक कोड़ी भी किसानों से ली हो तो दस गुना पीनाल्टी देने को तैयार हूँ, झूठ बोलने का आक्षेप लगा सकते हैं, जो भी सजा का निर्णय होगा लेने को तैयार हूं। जहां तक अन्नदाता का सवाल है, मैं तो नहीं कहलाना चाहता। आजकल तो अन्नदाता माननीय सदस्य हैं जो मेरे सामने बैठे हैं। तो अन्नदाता का आरोप मेरे ऊपर लगाया वह अनुचित और असत्य है। मेरे परिवार के सम्बन्ध में मैं निवेदन कर दूं, जागीर उन्मूलन होने के बाद मेरे भाइयों, बेटे और वृद्धा माता की एक बिस्व जमीन भी डूंगरपुर में नहीं। यदि मेरे पास है तो मैं कभी इन गीदड भपकियों से डरने वाला नहीं कि दूसरे गीदडों की माफिक डर कर, दुम हिलाकर कुक्कुर की माफिक टुकड़ा लूं। यह मेरे स्वभाव के खिलाफ है, कुल के

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

गौरव के खिलाफ है, सूर्य चाहे पश्चिम में उगने लगेगा लेकिन मैं खुशामद नहीं करूंगा। लेकिन यह दूसरी बात है कि दूसरे मेरे भाई नरेश हैं, उनके सम्बन्ध में, मेरे सम्बन्ध में, मेरे काम के सम्बन्ध में, परिवार के सम्बन्ध में या फर्ज के सम्बन्ध में, इरेगुलेरिटीज करते हैं, अनियमितताएं करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो मेरा पुनीत कर्त्तव्य है, जिस प्रिन्सली ऑर्डर, जिन राजाओं के लिये मैं दो शब्द कहना चाहूं कहूं, अगर मैं अपनी आत्मा को सप्रेस करके चुपचाप रहूं तो यह तो कभी नहीं हो सकता।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उन बैंचेज से भी राजाओं को तथा इन बैंचेज से भी राजाओं की बातें की जा रही है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : सेल्स टैक्स के बारे में कहा गया कि सेल्स टैक्स लगाते हैं तो कौनसी नई बात है, कस्टम्स ड्यूटी पहले लगता था। कस्टम्स ड्यूटी से सेल्स टैक्स का मुकाबला करना और यह कहना कि पहले कस्टम्स ड्यूटी लगती थी जब सेल्स टैक्स लगाते हैं, यह उचित नहीं। कस्टम्स ड्यूटी ५ परसेन्ट एड वेलोरेम थी, उसका मुकाबला आज के हड्डी चूस सेल्स टैक्स से कैसे हो सकता है? कहां कस्टम्स ड्यूटी और कहां आज का यह सेल्स टैक्स! तो यह आरोप लगाना तथ्यहीन बात है।

यह कहा गया कि प्रिन्सेज और पूंजीपति स्वतंत्र पार्टी में हैं, तो मेरा अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना है कि केपिटलिस्ट्स और प्रिन्सेज स्वतंत्र पार्टी में हैं लेकिन ये दोनों कांग्रेस में भी हैं।

एक माननीय सदस्य : कांग्रेस में ज्यादा है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : तो कांग्रेस में पूंजीपति भी हैं, प्रिन्सेज भी हैं और उन प्रिन्सेज की कांग्रेस किस कदर खुशामद करती हैं, इस सम्बन्ध में एक-आध मिनिट का विवेचन करना चाहूंगा। बेचारी महारानी ग्वालियर विधवा होने के पश्चात्, उनके मुकाबले में केन्डिडेट नहीं मिला, उनके पैलेस में जाकर पग-चम्पी करके निवेदन किया गया....

श्री रामकिशन (वैर): जवाहरलाल जी गये थे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आप उनकी खुशामद करते हैं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : बीकानेर में खुशामद की।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : वे स्वतंत्र थे। अध्यक्ष महोदय, मैं यदि निवेदन निवेदन करूं कि किशनगढ़, नरसिंहगढ़, चुनाव क्षेत्र में किनकी कृपा से इलेक्शन जीते? स्वर्गीय व्यासजी किशनगढ़ चुनाव क्षेत्र में किसकी कृपा से जीते? डा० कैलाशनाथ काटजू नरसिंहगढ़ नरेश की कृपा से जीते....

श्री बरकतुल्लाखां (स्वास्थ्य मंत्री) : I would like to protest that Shri Jai Narayan Vyas had nothing to do with your princely order.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : इसके ऊपर माननीय सदस्य विचार करें।

(महारावल श्री लक्ष्मण सिंह)

उसके साथ साथ जो रूलर्स कांग्रेस का विरोध करते हैं उनको किस हद तक जलील किया जाता है इसका भी कटु अनुभव मुझे है। लेकिन हम सहनशीलता के साथ सब सहन करेंगे। हम भगवान् के अन्दर विश्वास करने वाले हैं। यह तो दुनिया है। इसके अन्दर कुछ भी हो। एक जलजला आता है। ऊँची-नीची बात हुआ करती है। इसके ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित किये बिना नहीं रह सकता।

केवल एक बात कहना चाहूंगा। आपने जन संघ के माननीय नेता के ऊपर यह आरोप लगाया है कि वे सर्विसेज़ को डिमोरेलाइज़ करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : वह तो मैं जवाब दूंगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं आपकी वकालत नहीं करूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे तो मेरा थीम डेवलप करने का फील्ड बनाना था। कहा गया, "one swallow does not make one dishonour".

आप रात-दिन क्या तरक्की, क्या तबादला, क्या तनज्जुली, क्या बहाली, क्या बेतरफा, आपकी पार्टी के हित को मद्देनजर रखते हुए यह सब सर्विसेज़ को डिमोरेलाइज़ करने की प्रक्रिया अपने हाथ में बराबर नितान्त आपने आज गत १२ वर्षों से ले रखी है। मैं आपको यह निवेदन करता हूँ कि यह कहा जाता है कि विरोधी पक्ष के लोग कोई सुझाव नहीं देते हैं। मैं आपको यह निवेदन करता हूं कि स्केन्डिनेविया एरिया में Ambudsman नाम करके संस्था है, हाई ज्युडिशियल संस्था है। यह आप सब जानते हैं। आप क्यों नहीं ऐसा ट्रिब्यूनल कायम करते हैं? वह भ्रष्टाचार के मुकदमों का तत्काल फैसला कर देती है। आपके अन्दर इतनी हिम्मत हो तो आप करिये। राजस्थान की जनता के लिए आप बहुत बड़ा उज्जवल उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। ये पब्लिक सर्वेन्ट्स को अपने को कहने का कोई अधिकार है? ये पब्लिक इन्टरेस्ट के गार्जियन हैं, Corruption will not be tolerated; करप्शन नाकाबिले बर्दाश्त की चीज हो जायगी। मेरे ख्याल से ऑफिसर्स का आचरण, कर्मचारियों का आचरण ५० प्रतिशत टोन अप हो जायगा।

मैं आपको कहूँ प्लान के सम्बन्ध में। मैं आपको यह बात कहूँगा कि आपका प्लान केवल प्लानिंग कमीशन की दो हजार पेजेज़ की रिपोर्ट पर है। मैं यह नहीं कहता कि प्लान न हो। प्लान अवश्य हो। प्लान विज़िबल और इम्प्लीमेन्ट होना चाहिये। जो प्लान आप बनायें हम देखें कि प्लान बना है। जैसा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा हमने गलतियां की हों, हरएक शासन में गलतियां हुआ करती हैं। सम्भवतः हम बराबर न देख पाते हो। लेकिन जन–साधारण के समक्ष कोई ऐसी उमंग नहीं है, कोई ऐसा वातावरण नहीं है जिसके द्वारा यह अनुभव कर सकें कि प्लान जैसी वस्तु है। अनाप–शनाप खर्चा! यह प्लान है? हड्डी चूस टैक्स, भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहे हैं; यह प्लान नहीं है। गरीबी को वितरित किया जा रहा है। क्या यह प्लान है? प्लान तो मैं छोटे मुंह बड़ी बात निवेदन करूं, महाराज गंगासिंह

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

जी का प्लानिंग था जिसने राजस्थान के रेगिस्तान के अन्दर केनाल लाकर उस राजस्थान के रेगिस्तान को ग्रेनरी ऑफ राजस्थान बनाया। उत्पादन उन्होंने बढ़ाया। रेलवे कम खर्चे से उन्होंने सारी स्टेट में बनायीं। खनिज और अन्य धन्धों को उत्साह और प्रोत्साहन दिया; शिक्षा, चिकित्सा और न्याय की सस्ती और अच्छी व्यवस्था की और उन्होंने डाइरेक्ट टैक्स, सीधे टैक्स बिना लगाये ही १७ लाख से उठाकर ४ करोड़ की बीकानेर स्टेट को बनाया। यह तो प्लान है। कर्जा करके, टैक्स लगाकर प्लान कार्य रूप में परिणत करते हैं, एक हद तक आपका प्लानिंग ठीक है लेकिन मैं तो समझता हूं, you have no place.

और आपने जो कुछ भी प्रोग्रेस किया है वह किस कोस्ट पर? कितना रुपया खर्च करके यह आपने प्रोग्रेस किया है, यह तो आप स्वयं ही विचार करें और मैं तो यह समझता हूं कि यह प्लान भारतवर्षीय जो आत्मा है उसका हनन करेगा और हमारे नैतिक स्तर और हमारी आर्थिक व्यवस्था को बिल्कुल भंग कर देगा।

आप कहते है कि बिना टैक्सों के विकास कैसे करें? मैं तो यह कहता हूं कि विकास अवश्य हो सकता है, लेकिन टैक्सेशन की भी एक लिमिट होती है। आप हैसियत के अनुसार टैक्स लगाइये। अगर एमर्जेन्सी है, हैसियत के उपरान्त कुछ टैक्स लगाइये, लेकिन एक ही सोर्स ऑफ इनकम पर तीन-तीन, चार-चार टैक्स आप लगायें, आपको अधिकार है. लेकिन कोई दूसरी पार्टी आपकी जो यह टैक्स व्यवस्था है उसको कबूल नहीं कर सकती। हमने पंचायतों में कम से कम टैक्स लगाया। हमारा सिद्धान्त है, टैक्स व्यवस्था ऐसी हो जैसे फूल। फूल भी न कुम्हलाये और भ्रमर भी रस ले। सरकार रूपी भ्रमर भी रस ले जाये और जनता रूपी फूल भी न कुम्हलाये। अगर फूल को कुम्हला देंगे तो टैक्स का जरिया नहीं होगा।

म्युनिसिपैलिटी हमारी बेचारी एक है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने वहां पर कम से कम टैक्स लगाया। भूतपूर्व म्युनिसिपैलिटी थी उसका कर्जा उतारा। आज भी वहां ३० हजार रुपया बैलेन्स मौजूद है। हाउस टैक्स नहीं लगाया। यह कहना कि टैक्स के बिना विकास हो ही नहीं सकता, मैं तो इस सिद्धान्त का नहीं हूं और मैं इस सिद्धान्त को नहीं मान सकता।

कम्पल्सरी सेविंग डिपोजिट आप लाये। मैं दो शब्द निवेदन करूंगा। जिस आदमी पर कर्जा है वह सेविंग डिपोजिट मनी अपनी आमदनी में से नहीं निकाल सकता। जो गरीब आदमी कर्जदार है वह क्या सेविंग करेगा? कम्पल्सरी सेविंग डिपोजिट स्कीम आपकी है। मैं बहुत हद तक मानता हूँ कम्पल्सरी इन्श्योरेन्स में परिणत होकर जिस गरीब ने रुपया दिया है वह तो जीवन पर्यन्त अपने पैसे को नहीं देख सकता। प्लान की यदि मैं कहूं इस देश पर राहु, केतु या शनिचर महाराज की दशा है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

(विराम)

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल (बयाना): व्यवस्था का सवाल है। अध्यक्षीय आसन से अभी यह व्यवस्था दी गई कि हाउस का समय ८ बजे खत्म होता था, परन्तु विरोधी दल के नेता जब तक बोलेंगे तब तक समय बढ़ा दिया जाता है। मेरी मान्यता यह है कि जिस क्षण विरोधी दल के नेता ने अपने मुंह से अखिरी शब्द खत्म किया, उस क्षण से हाउस का समय खत्म होगा, इसके माने यह हैं कि....

श्री अध्यक्ष : आपकी व्यवस्था मैं समझ गया....

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : इसलिए जो कार्यवारी उसके बाद यहां हुई है, वह अनियमित है।

श्री अध्यक्ष : विरोधी दल के माननीय नेता की बहस जब तक खत्म नहीं होती तब तक प्रस्ताव पर मत-दान कैसे होता ? यह मन्शा कभी नहीं थी कि लीडर ऑफ ऑपोजीशन की स्पीच के बाद समय खत्म माना जाय, लेकिन समय तब तक बढ़ाया गया जब तक विरोधी पक्ष के माननीय नेता जो भी समय लेंगे इस प्रस्ताव से संबंध रख कर तब तक के लिए बढ़ाया गया, इसलिए माननीय सदस्य की आपत्ति अस्वीकार की जाती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय १० मिनट के लिए बढ़ाया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि....

श्री मुकुटबिहारीलाल : अध्यक्ष महोदय जब एक प्रस्ताव आ गया है तो परम्परा........

श्री अध्यक्ष : Order please ! आप परम्परा बताएं उससे पहले आप स्वयं अनुशासन और नियमों से काम करने की कोशिश करें।

श्री मानिकचन्द सुराणा : Point of Order ! इस सदन के सम्मुख ५ मोशन्स हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि क्या उन पांचों मोशन्स पर अलग अलग मतदान होगा ? यदि अलग-अलग मतदान होगा तो....

श्री अध्यक्ष : अलग अलग मतदान होगा। पहला प्रस्ताव महारावल श्री लक्ष्मण सिंह द्वारा जो प्रस्तुत किया गया है उस पर मत दान होगा।

प्रश्न यह है कि यह सदन वर्तमान मन्त्रि-परिषद् में अपना अविश्वास प्रकट करता है।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

दूसरा प्रस्ताव श्री भैरोसिंह का है। उस पर मत दान होगा।

प्रश्न यह है कि यह सदन राजस्थान सरकार की वर्तमान मंत्रि-परिषद् में अपना अविश्वास प्रकट करता है।

(अस्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

तीसरा प्रस्ताव श्री मुरलीधर व्यास का है।

प्रश्न यह है कि राज्य में फैले भ्रष्टाचार, प्रशासन में अयोग्यता, मंहगाई को रोकने में सरकार की असमर्थता तथा फिजूलखर्ची एवं गरीब जनता पर कमरतोड़ टैक्सेज के कारण यह सदन मंत्रि-मंडल "में विश्वास का अभाव प्रकट करता है।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया का प्रस्ताव। प्रश्न यह है कि यह सदन राजस्थान सरकार की वर्तमान मंत्रि-परिषद् में अपना अविश्वास प्रकट करता है।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : On a Point of Order. I draw your attention to Rule 259 of the Rules of Procedure:

"A motion shall not raise a question substantially identical with one on which the House has given a decision in the same session."

उसी सत्र में सदन अगर किसी प्रश्न पर अपना निर्णय दे दे तो उसी प्रश्न पर दुबारा उस सदन में उठाकर मत दान नहीं हो सकता। जैसे वह प्रस्ताव....

श्री अध्यक्ष : उठाया तो पहले ही गया था, केवल मतदान हो रहा है। प्रश्न यह है कि श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल........

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : एक व्यवस्था का सवाल है। आसन की तरफ से यह व्यवस्था थी कि केवल विरोधी पक्ष के नेता ही रिप्लाई देंगे, दूसरे लोग नहीं देंगे। इसके माने यह हैं कि हमारे अधिकारों का भीषण तरीके से हनन हुआ है....

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : It is rejected. यह अस्वीकार की जाती है। आप शांतिपूर्वक कह सकते थे। आपके प्रस्ताव को वापस....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं समझता हूं कि मेरे साथ अन्याय हुआ है।

श्री अध्यक्ष : कोई अन्याय नहीं हुआ है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : प्रस्ताव के साथ इनको भी रखा जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री मुकुटबिहारीलाल का प्रस्ताव। प्रश्न यह है कि यह सदन राजस्थान सरकार की वर्तमान परिषद् में अविश्वास प्रकट करता है।

Page No 123

(श्री अध्यक्ष)

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

सदन की कार्यवाही कल २॥ बजे तक स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि को ६.६ बजे बृहस्पतिवार दिनांक २६ अगस्त, १९६३ के म. प. २॥ बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

———

संक्षिप्त—विवरण

(बुधवार, २८ अगस्त, १९६३)

स्कम्भ स्कम्भ

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक १

राजस्थान नॉन-गजटेड पुलिस कर्मचारी संघ का मांग-पत्र।

लाखेरी जल-प्रदाय योजना।

जनाना अस्पताल, जयपुर।

सड़क योजना, फतेहनगर मंडी।

परिवार नियोजन योजना।

लाइव स्टॉक का मोटरों द्वारा ट्रांसपोर्टेशन।

ग्राम खरवा (जिला अजमेर) में हैल्थ सेन्टर।

धौलपुर, में आर. ए. सी. फोर्स।

सिरोही से अनादरा तक एस. टी. ए. की बसें।

फ्रैन्च पोलिश बनाने हेतु डिनेचर्ड स्प्रिट।

बीकानेर बागायत कर्मचारियों का फिक्सेशन।

चम्बल योजना से प्राप्त विद्युत् की निर्धारित रेट।

राजस्थान में प्लास्टिक सर्जरी की व्यवस्था।

नगर परिषद् जयपुर की सीमा में पैट्रोल पम्प।

मोटरों की खरीद।

नगरपालिका जालोर को अनुदान और कर्ज।

नाहरगढ़ सड़क की मरम्मत।

पंचायत समिति क्षेत्र कामां और नगर में चेचक का प्रकोप।

मार्गों के राष्ट्रीयकरण के आधार।

सरदारशहर- रावतसर सड़क निर्माण कार्य।

भीलवाड़ा के प्राइवेट बस मालिकों पर रोड व पैसेन्जर्स टैक्स बकाया।

नगरपालिका निवाई का मंजूरशुदा बजट व ऑडिट रिपोर्ट।

स्टेट रोडवेज् विभाग, जयपुर में लेबर के कार्य के लिए नियुक्ति।

नीम का थाना नगरपालिका अध्यक्ष के विरुद्ध शिकायतें।

डॉक्टर्स का बकाया वेतन।

तस्कर सोना।

स्टेट रोडवेज़ द्वारा वातानुकूलित बसों को खरीद ।

नगरपालिका नाथद्वारा के विकास योजनासंबंधी कागजात ।

स्टेट ट्रान्सपोर्ट सलाहकार समिति ।

पंचायत समिति क्षेत्र, सांचोर में चेचक का प्रकोप ।

भीलवाड़ा-शाहपुरा रूट का राष्ट्रीयकरण ।

अलवर में नगर विकास योजना के अन्तर्गत प्लॉटों का वितरण ।

मनोरंजन कर की बकाया ।

राजस्थान विन्याल एण्ड कैमिकल इन्डस्ट्रीज़ कोटा को बिजली ।

नगरपालिका की बकाया रकम ।

कृषि कार्यों में काम आने वाले ट्रेक्टर व ट्रॉली के लिए परमिट्स ।

भरतपुर-धौलपुर क्षेत्र में डकैतों द्वारा हत्यायें व अपहरण ।

स्थगित प्रश्न

(२१-८-६३)

बोरडियों से आमदनी ।

(२१-८-६३)

जालोर नगरपालिका को ऋण अनुदान ।

अनुपस्थिति के लिए अनुमति ६७

श्री प्रभुलाल 'सेन्टर', सदस्य विधान सभा को दिनांक १६ अगस्त, १९६३ से २ सितम्बर, १९६३ तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गई ।

३. सदन की मेज पर रखा गया पत्र

श्री हरिश्चन्द्र, यातायात मन्त्री ने होम 'बी' विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. (१) (३) (एच.बी.१)।६१ दिनांक२१अगस्त, १९६३, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ. १. (१) (३) एच. बी. । १-६१ दिनांक १६ फरवरी, १९६३ में संशोधन किया गया है, सदन की मेज पर रखी ।

४. अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर ध्यान दिलाना ६६

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत श्री मानिकचन्द सुराणा, सदस्य, विधान सभा, ने मेडिकल

कॉलेज, बीकानेर के विद्यार्थियों को छात्रावास में अनिवार्य रूप से रहने के आदेश से उत्पन्न स्थिति की ओर चिकित्सा मन्त्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री बरकतुल्लाखां, चिकित्सा मन्त्री ने इस सम्बन्ध में एक व्यक्तव्य दिया।

५. मन्त्रि मण्डल के प्रति अविश्वास के प्रस्तावों पर विचार ७१

मंत्रि–मण्डल के प्रति प्रस्तुत किये गये अविश्वास के प्रस्तावों पर आज भी बहस की गई जिसमें निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया :

(१) श्री दुर्गालाल बाढ़दार

(२) श्री नत्थीसिंह (१२५)

(३) श्री नाथूराम मिर्धा (कृषिमंत्री)

(४) राजा श्री मानसिंह

(५) श्री गोकुलप्रसाद शर्मा

(६) श्री हरिश्चन्द्र (विद्युत मंत्री)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मन्त्री ने बहस का उत्तर दिया।

प्रति पक्षनेता, महारावल श्री लक्ष्मणसिंह के उत्तर के पश्चात् मन्त्रिमण्डल के प्रति प्रस्तुत किये गये समस्त अविश्वास के प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकार किये गये।

सदन की बैठक रात्रि के ९ बज कर १२ मिनट पर गुरुवार, दिनांक २९ अगस्त, १९६३ को २.३० बजे दिन तक के लिए स्थगित की गई।

गुरुवार दिनांक २९ अगस्त, १९६३ की कार्य-सूची

१. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६२ (वापिस लेना)

२. राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास (संशोधन) विधेयक, १९६३ (विचार-विमर्श एवं पारित)

३. इन्डियन सोल्जर्स (लिटीगेशन) (जागीर सम्बन्धी कार्यवाहियों पर विस्तार) विधेयक, १९६३ (विचार-विमर्श एवं पारित)

४. राजस्थान पुलिस (अनिष्ठा हेतु अभिप्रेरण) विधेयक, १९६३

(प्रवर समित को)

———

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २५८ का उत्तर देखिये)

सन् १९६३-६४ में राष्ट्रीयकरण किये जाने वाले मार्गों की सूची ।

१. भीलवाड़- चितोड़- कपासन- मावली- उदयपुर ।

२. उदयपुर- खेलाड़ा- रतनपुर ।

३. उदयपुर- खेलाड़ा- डूंगरपुर ।

४. ब्यावर- सोजत- पाली ।

५. कोटा- झालावाड़- अकलेरा ।

६. गंगापुर-पदमपुर- रायसिंहनगर ।

७. पदमपुर- करनपुर ।

८. गंगानगर- अमोर ।

९. गंगानगर- हनुमानगढ़ ।

१०. गंगानगर- अरीन-करनपुर ।

११. गंगानगर- हिन्दूमल कोट ।

१२. हनुमानगढ़- अमोर ।

१३. गंगानगर- रावतसर ।

परिशिष्ट २.

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २६० का उत्तर देखिये)

Name and address of the Motor Operators against whom Passenger and Goods Tax is outstanding.

DISTRICT BHILWARA

S. No.	Name and addresses of the owner.	Motor Vehicles No.	Amount.
1	2	3	4
1.	M/s. Jagdishlal Gopal Singh, Asind.	RJE. 191	1769.00
2.	M/s. Jagdishlal Gopal Singh, Asind.	RJE. 179	1934.07
3.	M/s. Mazdoor Kishan Sahakari Samiti, Bhadu.	RJE. 247	20.00
4.	M(s. Bherulal Lahoti, Bhilwara.	RJE. 84	263.00
5.	M/s. Basantilal Nanalal, Bhilwara.	RJE. 357	17.00
6.	M/s. Ravel Singh Charan Singh, Bhilwara.	RJE. 230	589.00
7.	M/s. Ramchandra Bhadada, Sahada.	RJY. 388	804.00
8.	M/s. Noormohammed Chand Md., Bhilwara.	RJE. 91	448.00
9.	M/s. Krishna Kumar Chada, Bhilwara.	RJY. 1298	924.68
10.	M/s. Chunilal Tank, Bhilwara.	RJE. 476	100.00
11.	M/s. Biharilal Verma, Bhilwara.	RJY. 1385	129.54
12.	M/s. Boolchand Asumal, Shahpura.	RJE. 159	127.00
13.	M/s. Gurucharan Singh, Jahajpur.	RJX. 39	2452.00
14.	M/s. Bhanwarlal Sharma, Bhilwara.	RJE. 575	50.00
15.	M/s. Lalchand Bulchand, Shahpura.	RJE. 540	482.36
16.	M/s. J. G. Singh Transport, Shahpura.	KJE. 21	1140.00
17.	M/s. Gyanchand Boolchand, Shahpura.	RJZ. 1242	4000.00
18.	M/s. Indralal Ramlal, Asind.	RJE. 170	136.25
19.	M/s. Lalchand Boolchand. Shahpura.	RJE. 540	100.00
20.	M/s. Lalchand Hargundas, Shahpura.	RJE. 462	143.72
21.	M/s. Kamla Shanker Sharma, Shahpura.	TJY. 430	100.00
22.	M/s. Shankerlal Bherulal, Bhilwara.	RJL. 9598	32.50
23.	M/s. Lalchand Hargundas, Shahpura.	RJE. 201	125.00
24.	M/s. Ranka Traasport, Gangapur.	RJY. 1213	373.47
25.	M/s J. G. Singh Transport, Shahpura.	RJE. 49	100.00

1	2	3	4
26.	M/s. J. G. Transport, Shahpura.	RJE. 17	225.00
27.	M/s. Manmohansingh Mahendra Singh, Bhilwara.	RJE. 477	1117.37
28.	M/s. Motkhan Bhurekhan, Ropan.	RJE. 541	895.50
29.	M/s Ratanlal Jamealudin, Ropan.	RJE. 513	393.00
30.	M/s. Isardas Dalumal, C/o K.K. Chada, Bhilwara.	RJY. 1298	9475.61
31.	M/s. Santram Darshansingh, Bhilwara.	RJH. 115	50.00
32.	E/s. Delux Roadways, Bhilwara-	RJL. 5951	551.00
33.	M/s. Ganpatlal Verma, Bhilwara.	RJE. 571	121.00
34.	M/s. Mangal Singh Mahendrasingh, Bhilwara.	477	3550.98
35.	M/s. Arjundev Premnath, Bhilwara.	RJE. 205	103.67
36.	M/s. Mohanlal Mohansingh, Asind.	RJL. 5386	28.60
37.	M/s. Laxmilal Ziyal Hussain, Asind.	RJL. 6082	552.51
38.	M/s. J. G. Singh Transport, Bhilwara.	RJE. 566	4031.09
39.	M/s. Ganeshdas Kodamal, Asind.	RJE. 488	468.87
40.	M/s. Lalchand Boolchand, Shahpura.	RJE. 225	286.67
41.	M/s. Mohanlal Joshi, Jahajpur.	RJE. 143	9.83
42.	M/s. Rajasthan Motors Bhim, Jahajpur.	RJY. 218	26.08
		Total :	38,246.31

परिशिष्ट ३.

(समयाभाव के कारण प्रश्न-समय में न लिए जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

भीलवाड़ा-शाहपुरा रूट का राष्ट्रीयकरण

२७०. श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) भीलवाड़ा से शाहपुरा कितनी बसें चलती हैं व किन किन की ?

(२) क्या सरकार इस रूट का राष्ट्रीयकरण करने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक ?

(३) क्या यह सही है कि इस रूट पर चलने वाली गाड़ियों में इतनी भीड़ रहती है कि जो गाड़ियां चल रही हैं वे काफी नहीं हैं ?

(४) क्या यह सही है कि बनेड़ा से भीलवाड़ा तक चलने वाली दो बसें हैं ? इनका बनेड़ा से रवाना होने का क्या समय निश्चित है ?

(५) क्या यह सही है कि एक ही बस मालिक को एक ही बस को दिन में दो बार चलाने का लाइसेन्स दे रखा है ?

(६) क्या राजस्थान में कहीं दूसरी जगह भी इस तरह एक ही मालिक को एक बस दो या अधिक बार चलाने का लाइसेन्स दिया हुआ है ? अगर हां, तो किसको ?

उत्तर

१. भीलवाड़ा से शाहपुरा मार्ग पर ७ बसें निम्नलिखित मालिकों की चलती हैं :

१. मे० जनता सहकारी समिति, भीलवाड़ा।

२. श्री ज्ञानचन्द मूलचन्द सिन्धी, शाहपुरा।

३. श्री बालमुकन्द सत्यनारायण चौधरी, शाहपुरा।

४. श्री सुन्दरसिंह, शाहपुरा।

५. श्री रामनिवास द्वारकाप्रसाद, भीलवाड़ा।

६. श्री ज्ञानसिंह, शाहपुरा।

७. श्री जानकीलाल, शाहपुरा।

२. जी नहीं।

३. उक्त मार्ग पर बसों में भीड़ होनेकी कोई लिखित शिकायत नहीं है। इस मार्ग पर गाड़ियां बढ़ाने हेतु कार्यवाही आर. टी. ए. के समक्ष विचाराधीन है।

४. भीलवाड़ा से बनेड़ा मार्ग पर केवल एक बस है। जिसका समय निम्न प्रकार से है :

भीलवाड़ा प्रस्थान	बनेड़ा पहुँच	भीलवाड़ा प्रस्थान	बनेड़ा पहुँच
१५.००	१६.००	११.३०	१२.३०
१८.३०	१९.३०	१७.००	१८.००

५. जी हां, भीलवाड़ा–बनेड़ा मार्ग पर दे रखा है।

६. समय निर्धारित करते समय मार्ग की लम्बाई को ध्यान में रखते हुये आवश्यकतानुसार एक बस को दो या अधिक बार चलने की इजाजत दी जाती है; जैसे जयपुर–आमेर, जयपुर–सांगानेर, व कोटा–रंगपुर। सम्पूर्ण राजस्थान के विषय में सूचना उपलब्ध नहीं है।

अलवर में नगर विकास योजना के अन्तर्गत प्लॉटों का वितरण

२७२. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि अलवर शहर में अरबन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड ने नगर विकास योजना के तहत कुछ प्लॉट अलॉट कर दिये ?

(२) यदि हां, तो कितने प्लॉट अलॉट गिये गए हैं और कब किये गए हैं ?

(३) क्या यह सही है कि अलॉटियों में से कुछ लोगों ने पूरा रुपया भी जमा करा दिया है ? यदि हां, तो अभी तक कुल कितना रुपया जमा हुआ है और यह कितने लोगों ने जमा कराया है ? इस रुपये को जमा हुए कितना अर्सा हो गया है ?

(४) क्या यह सही है कि जिन लोगों ने जमीन के पूरे रुपये भी जमा करा दिये हैं उन्हें जमीन पर टाइटल नहीं ट्रांसफर किया जा रहा है ? यदि नहीं किया जा रहा है तो क्यों ? यदि किया गया है, तो कितने लोगों को टाइटल ट्रांसफर हुआ है ?

(५) इस अलॉटमेन्ट की शर्तें क्या रखी गई थीं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

१. जी हां।

२. कुल ७४८ प्लॉट अलॉट किए गए। ता० १३-२-६२ को २६३ प्लॉट्स तथा ४४८ प्लॉट्स २१-३-६२ को। अप्रैल १९६२ में ३७ प्लॉट्स नीलाम किये गये।

(३) जी हां। कुल ८,७८,०९६) रुपये जमा हुए हैं। ७११ व्यक्तियों ने पूरी रकम जमा कराई और यह रकम लगभग पिछले सात मास से अब तक जमा हुई है।

(४) जी नहीं। फ्रीहोल्ड पजेशन लैटर्स तैयार कर लिए गए हैं जो शीघ्र ही वितरित किये जायेंगे। पट्टे भी दिये जावेंगे।

(५) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

———

सूची

OFFICE OF THE SECRETARY, URBAN IMPROVEMENT TRUST, ALWAR.

RULES

for

ALLOTMENT OF PLOTS IN HOUSING COLONY SCHEMES No. 1 & 2

on

JEY MARG, ALWAR.

1. Plots in Housing Colony Schemes No. 1 & 2 on Jey Marg, Alwar will be allotted by a blind lottery to be drawn at site among registered applicants on 13th Feb., 62 and subsequent days. All bonafide applicants are requested to check up their number and applications in the office of the Secretary, Urban Improvement Trust a few days before.

2. The bonafide applicant shall be present at site when the lottery is drawn with his registered acceptance forms. He will forfeit his claims if he is absent.

3. If bonafide applicant himself is unable to come, he will send his duly authorised agent to site. The agent must have an authority from the bonafide applicant, to be checked from his signatures in the application form. The bonafide applicant will also attest the signatures of his agent so that he may be properly recognised.

4. A blind lottery will be drawn at site of the plot for each plot among the whole lot of registered bonafide applicants:-

(a) Upto an income group of Rs. 250/- p.m. plots will be alloted on on the Reserve Price approved by the Government as under:-

S. No.	Housing Colony Scheme No. 1.	Housing Colony Scheme No. 2.
1.	Ordinary plots Rs. 2/12/-	Ordinary plots Rs. 2/-/-

2.	Plots facing inside main roads Rs. 3/-/-	Plots facing inside main roads Re. 2/6/-
3.	Plots facing 2 roads Rs. 3/4/-	Plots facing 2 roads Rs. 2/12/-

(d) For persons between an income group of Rs. 250/- to Rs. 400/- the price of the plot will be double of the above Reserve price or the auction value of the land, whichever is less.

(c) No allotment of plots by lottery will be done to persons over an incomegroup of Rs. 400/- p.m.

5. The person in whose name the lottery is drawn for a particular plot will have to deposit 1/4th. cost of plot there and then. The balance 3/4th. cost will have to be deposited by him within one month of the final sanction of allotment of the plot dy the competent authority. Where bonafide applicants are not present themselves this can be done by their authorised agents. All applicants must bring sufficient money with them to cover 1/4th. cost of plots. Rs. 100/- security taken by the Trust with the applicants will be covered in the 1/4th eost.

6. The person in whose favour the lottery is drawn will be given the option to refuse the plot at site. In that case Rs. 100/- security deposited by him will be forefeited and his claim for plot cancelled.

7. The final allotment will be done by the competent authority within a reasonable period of time. The full cost will be recovered within one month after such notice is sent to him. If this is not done the allotment of plot will be cancelled after confiscating 1/4th. amount of the cost deposited by him.

8. Freehold possession of the plot will be transferred to the owner the plot one month after the full amount is paid in trust office. It will be the duty of the purchasers of the plot to get the sale registered in the Registration office at Alwar at his own cost.

9. Construction of houses in the land will have to be carried out within a period of 2 years from the date full possession of the land is transferred to him, and the land so allotted shall not be transferred by the allottee

till such construction is complete. In the event of non-compliance of this rule the trust will take possession of the plot after confiscating 1/4th. cost of the plot.

10. The construction will have to be carried after getting proper plans of the building and site duly approved by the Technical staff of the Trust. For approval of the plans, the allottee will have to submit the following plans prepared by a competent draughtsman :—

(1) Site plan of plot ... Scale — 1" = 32 ft.

(2) Plans of the building (all floors) ... Scale — 1" = 16 ft.

(3) Section and Elevation (at least one each) ... Scale — 1" = 16 ft.

(a) Construction will have to be carried out strictly according to the approved plans.

(b) Open spaces on the front back and sides will have to be left as specified by the Trust.

(c) Flush type latrines with water borne Sewerage will have to be provided by plot owner at his cost.

(d) The drainage and letting out of refuse water will have to be done as specified by the Technical staff of the trust.

(e) The Technical staff of the Trust will have the right of inspection of construction work and to stop it. if it is not to the specifications laid down.

(f) The Trust will have the right to get all un-authorised structure demolished.

(g) All construction will be bound by the Building Bye-laws and rules to be framed by the Trust from time to time.

11. The trust will provide the following services in the colony ;—

(1) Metalled and tarred road in 10' width on all roads.

(2) Piped water supply.

(3) Electric line.

(4) Storm water Nullahs.

(5) Kachha Drains for carrying refuse water from houses and plots.

Although no time can be fixed for providing these services it is the intention of the Trust to provide them as early as possible. Orders for Electric and Water supply connection will be placed immediately.

12. Bonafide applicants registered with the Trust will be allowed to form groups among themselves at the discretion of the Trust. One lottery for the Group will be drawn whereafter internal allotment in the groups of plots will be done by the Group members themselves. Any decision, however of the Trust in all such matters shall be final and binding on all the members of the group and other parties before the Trust.

Intimation of formation of such group be sent to the Trust office by 6th Feb., 1962 latest.

(C.B.L. Mathur)
SECRETARY,
URBAN IMPROVEMENT TRUST
A L W A R.

मनोरंजन कर की बकाया

२७२. श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : क्या वित्त (कर) मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

अन्य कर व महसूल की मद में मनोरंजन कर के रूप में वसूल होने वाले कर की वह राशि जो सिनेमा मालिकों ने सिनेमा दर्शकों से वसूल कर ली और राजकीय कोष में जमा नहीं करवायी वह कितनी कितनी रकम किस किस व्यक्तियों में कब से बकाया है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

चाही गई फहरिश्त सदन की मेज पर रख दी गई है ।

संख्या क्रम	रकम रु० न० पै०	व्यक्ति जिनमें बकाया है।	समय जब से यह बकाया है।
१	२	३	४
१	३६–७७	श्री महालक्ष्मी टॉकीज़ निम्बाहेड़ा	२६–३–६२ से २८–३–६२ तक की
२	४६४–००	श्री पन्नालाल, मालिक रेलवे टॉकीज़, आबूरोड	जनवरी ६२ से मार्च ६२ तक
३	८,६७५–०८	श्री प्यारेलाल गुप्ता, मालिक म्यूनिसिपल टॉकीज़, माउन्ट आबू	दिसम्बर ६१ से जुलाई ६३ तक
४	३१–७०	श्री महावीर शर्मा, मोमाज मन्दिर, बड़ी बस्ती, पुष्कर	——
५	६८१–६१	श्री हुकमचन्द गणेर टॉकीज़ दौसा	६२–६३
६	१६६–४५	,,	१६६३–६४
७	२८६–४०	श्री हुकमचन्द, मालिक श्री राजहंस टाकीज, बांदीकुई	१६६२–६३
८	२–००	श्री एम० बी० सक्सेनाशाह न्यू एम्यूज़मेंट वैराइटी शो० कोटा कैम्प, दौसा	१६६२–६३
६	८६.४०	,,	१६६३–६४
१०	८–५४	श्री भगवानदास, श्री मोती टॉकीज़, बांदीकुई	१६६१–६२
११	३,६७३–७३	श्री प्यारेलाल गुप्ता, मालिक भवानी टॉकीज़, जयपुर	१६६०
१२	६,७६०–५६	श्री केशोराम, मालिक पोलो विक्टरी, टॉकीज़, जयपुर	मई, जुलाई व अगस्त, १६६३

१	२	३	४
१३	२६८–७२	लक्ष्मी टॉकीज़, बाडमेर	७–४–६३ से १७–५–६३ तक
१४	१३,५३२–५४	स्टेडियम टॉकीज़, जोधपुर	मई, १९६३ से १९ अगस्त, १९६३ तक
१३	६५–४५	श्री अब्दुलरजाक पुत्र अलादीन, मैनेजर, मिनर्वा टॉकीज़,	मार्च ५९
१६	२३–११	श्री लक्ष्मीचन्द शर्मा, मैनेजर, लक्ष्मी छविगृह, डीग	फरवरी, ६२ से जुलाई सन् ६३ तक
१७	२७७–५२	श्री गणेश टॉकीज़, फतेहपुर	जुलाई ६३
१८	३,२७३–७३	श्री सुरेन्द्रकुमार, मालिक, प्रकाश टॉकीज़, लाडनू	१–११–५९ से ३१–३–६१
१९	१३३–०४	श्री देवप्रकाश पुत्र चुन्नीलाल, देवप्रकाश टॉकीज़, लाडनू	फरवरी व मार्च ६१
२०	१२४–८६	श्री विशनसिंह भाटी, मैनेजर, मोहर टॉकीज़, कुचामन सिटी	जून १९६२

राजस्थान विन्याल एण्ड कैमिकल इन्डस्ट्रीज, कोटा को बिजली

२७३. **श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा)** : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या राजस्थान विन्याल एण्ड कैमिकल इण्डस्ट्रीज़, कोटा को दो नये पैसे पर यूनिट बिजली दी गई है ? यदि हां, तो क्या बिजली के उत्पादन का खर्चा २ नये पैसे से कम होता है ?

(२) नाइलोन फैक्ट्री कोटा को ६ नये पैसे प्रति यूनिट की रेट पर बिजली देने का क्या कारण है ?

(३) इस तरह राजस्थान सरकार को २ नये पैसे प्रति यूनिट की रेट से बिजली देने में कितना नुकसान होगा ?

उत्तर

१. जी नहीं।

२. नाइलोन फैक्ट्री को अस्थाई टू पार्ट चम्बल टैरिफ की दर से बिजली दी गई है।

३. यह अभी तक तय नहीं हो पाया है कि गांधीसागर पर बिजली उत्पादन का प्रति यूनिट क्या खर्चा पड़ेगा। इसलिये नुकसान व फायदे का आंकड़ा बतलाने में असमर्थता है।

नगरपालिका की बकाया रकम

२७४. **श्री हनुमानसिंह चौधरी** (नावां) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि श्री प्रकाशचन्द्र आर्य, उपाध्यक्ष, नगरपालिका कुचामन में स्पेशल ऑडिट १९५९ की रकम रु. ३,४०२.१० नये पैसे बकाया निकलते हैं? इस बकाया रकम को वसूल करने का आदेश निर्देशक, स्थानीय निकाय, जयपुर ने १९६० में ही जारी कर दिये थे?

(२) क्या यह भी सही है कि इस बकाया रकम का इल्म स्वायत्त शासन विभाग के अधिकारियों को है और उन्होंने इसका जिक्र बोर्ड को दि. २९-१०-६१ को दिये गये कारण बताओ नोटिस के पैरा नं. १ में किया है?

(३) क्या यह भी सही है कि नगरपालिका के तत्कालीन उपाध्यक्ष, श्री इमदाद खां ने सन १९६० में उक्त बकाया रकम जमा कराने की सूचना श्री प्रकाशचन्द्र को दे दी थी?

(४) क्या यह भी सही है कि जिस व्यक्ति में नगरपालिका की रकम एक साल से अधिक समय तक बकाया रह जाती है वह राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, १९५९ की धारा २६(१४) के तहत नगरपालिका की सदस्यता से पदच्युत् हो जाता है?

(५) यदि हां, तो राज्य सरकार ने श्री प्रकाशचन्द्र आर्य को नगरपालिका की सदस्यता एवं उपाध्यक्षता से आज तक क्यों नहीं पदच्युत् किया और आगे उसे पदच्युत् करने का इरादा रखती है या नहीं? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

१. जी हां।

२. जी हां।

३. जी हां।

४. जी हां।

५. श्री प्रकाशचन्द्र आर्य अब न तो उपाध्यक्ष ही हैं और न सदस्य। पालिका में प्रशासक-कार्य कर रहे हैं इसलिये हटाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

कृषि कार्यों में काम आने वाले ट्रेक्टर व ट्रॉली के लिए परमिट्स

२७५. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि बीकानेर रीजन में ट्रेक्टर तथा ट्रॉली के लिए रूट परमिट फिटनेस सर्टिफिकेट तथा टोकन, एग्रीकल्चरल पर्पज़ेज़ के लिये भी लेना पड़ता है, तथा बीकानेर रीजन बनने से पहले ये परमिट्स केवल जोधपुर रीजन में लेने पड़ते थे जिसमें बीकानेर डिविज़न शामिल था ?

(२) क्या यह सही है कि एग्रीकल्चरल पर्पज़ेज़ के लिये उक्त परमिट्स राजस्थान में केवल बीकानेर रीजन में ही लेने पड़ते हैं तथा पहले केवल जोधपुर में ही लेने पड़ते थे ? राजस्थान के दूसरे रीजन में नहीं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों है ?

(३) क्या यह सही है कि एग्रीकल्चरल पर्पज़ेज़ के लिये जो ट्रेक्टर उपरोक्त बीकानेर रीजन या जोधपुर रीजन (पुराने) में पास हुये थे उनको १९५६ से तथा बाद के वर्षों में भी बकाया टैक्सों के मय पेनल्टी के नोटिसेज़ दिये गये हैं तथा पी. डी. आर. के तहत बहुतसों की रिकवरीज़ भी चल रही हैं ?

(४) यदि हां, तो ऐसी कितनी रिकवरीज़ हैं, आंकड़े दें ? कितनी हो चुकी है, कितनी बकाया है ? १९५६ से वर्ष वार आज तक के आंकड़े दें। क्या इस प्रकार की रिकवरीज़ नियमानुकूल हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें तुरन्त बन्द करने तथा रिकवर की गई राशि तुरन्त वापस करने का विचार रखती है ?

उत्तर

१. जी हां।

२. जी नहीं। नियमानुसार सब ही रीजनों में परमिट लेने पड़ते हैं।

३. केवल उन्हीं ट्रेक्टर ट्रेलरों के मालिकों को सूचना-पत्र जारी किये गये हैं जो कि कृषिक कार्य के लिये वर्गीकृत किये जाने के पश्चात् भार-वाहन के रूप में अवैध रूप से चलते

हुये पकड़े गये हैं और उन्हीं के विरुद्ध कर न जमा कराये जाने के आरोप में राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कर-वसूली की जा रही है, अन्य से नहीं।

४. प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि एग्रीकल्चर पर्पज़ेज़ के लिये जो ट्रैक्टर ट्रॉलर हैं उन पर टैक्स नहीं था।

भरतपुर-धौलपुर क्षेत्र में डकैतों द्वारा हत्यायें व अपहरण

२७६. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

भरतपुर-धौलपुर क्षेत्र में वर्ष ६२-६३ में डकैतों द्वारा कितने लोगों की हत्या की गई तथा कितनों का अपहरण हुआ है?

उत्तर

धौलपुर सब डिविज़न में सन् १९६२-६३ में डकैतों ने सात व्यक्तियों की हत्यायें और नौ का अपहरण किया है।

स्थगित प्रश्न

(२१-८-६३)

बोरड़ियों से आमदनी

५९ ए. **श्री तेजाराम गहलोत** (सोजत) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जैतारण से बर जाने वाली सड़क के दोनों ओर नीमाज ग्राम से बर के बीच सड़क की सीमा में खड़ी बोरड़ियों वाली जमीन का इन्द्राज रेवेन्यू रेकॉर्ड में जागीर पुनर्ग्रहण के पहले क्या था? उसके रेकॉर्ड की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(२) उक्त सीमा में खड़ी बोरड़ियों से सरकार को पुनर्ग्रहण की साल से लेकर सन् १९६२ तक सालवार क्या आमदनी हुई? अगर आमदनी नहीं हुई, तो क्यों?

(३) यदि आमदनी नहीं हुई, तो सरकार को उक्त भूमि का लगान सालाना कितना मिला व कब कब वसूल हुआ? राजस्व अधिकारियों ने कब, कब कितने कितने रुपयों की डिमान्ड बनाई? अगर नहीं बनाई, तो क्यों?

(४) अगर उक्त जमीन की डिमान्ड तहसील अधिकारी ने नहीं बनाई तो क्या लैण्ड रेवेन्यू अधिनियम की अवहेलना नहीं की गई?

(५) क्या यह सही है कि तहसील जैतारण में उक्त बोरड़ियों व जमीन बाबत कागजात भी बने लेकिन सम्बन्धित अधिकारियों ने उन कागजों पर कोई माकूल आदेश नहीं दिये ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

१. खेवट खतौनी की प्रतिलिपि संलग्न है।

२. उक्त जमीन में खड़ी बोरड़ियों से सरकार को पुनर्ग्रहण की साल से लेकर सन् १९६२ तक कोई आमदनी नहीं हुई।

३. चूंकि भूमि (सड़क) पी०डब्ल्यू०डी० की है, अतः लगान लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता है और बोरड़ियां सड़क के क्षेत्र में आती हैं।

४. जब कि बोरड़ियां सड़क पी० डब्ल्यू० डी० की जमीन में हैं तो लगान का डिमान्ड बनाने का सवाल पैदा नहीं होता है।

५. यह सही है कि तहसील में उक्त बोरड़ियां व जमीन बाबत कागजात बने थे और उनका फैसला दिनांक २८-११-६२ को तहसीलदार द्वारा किया जा चुका है। यह फैसला श्री जागीर कमिश्नर महोदय ने दिनांक २८-८-५६ श्री ए०एस०ओ० के फैसला दिनांक १२-२-५७ व एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर के फैसला दिनांक १०-८-५३ के फैसलों की नकलों पर आधारित है। अतः तहसील जैतारण के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही का सवाल ही पैदा नहीं होता है।

एक्ट या जमाबन्दी की संख्या	खतौनी की संख्या ग्राम	भूमि अधिकारी जागीरदार, उप-जागीरदार और मालगुजारी बिस्वेदार या जमींदार विवरण सहित	नाम कृषक विवरण सहित और कृषि कार्य	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि का प्रकार
१	—	खालसा श्री दरबार	धड़क	९२८	५५,४ पे (भू.)	सड़क

नोटः— बर से बिलाड़ा जो डामर रोड जाती है और जब नीमाज की सरहद मेरा निचली टेडा व पेमली बोरड़ियें सड़क के दोनों ओर खड़ी हैं।

यों तेरहा नवोडर मालीयान के तक आकर समाप्त हो जाती है। जो सड़क के दोनों ओर बाजू बाजू खड़ी हैं जिसका खसरा नम्बर अलहदा डाला हुआ है। रेवेन्यू रेकार्ड में नहीं है। यह सब खसरा नम्बर ६२८ में ही शामिल है। अतः इत्तलाना रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है। तारीख २९-३-६३।

स्थगित प्रश्न

(२१-८-६३)

जालोर नगरपालिका को ऋण अनुदान

७१ ए० श्री **भगराज चौधरी** (रानीवाड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जालौर नगरपालिका को सरकार द्वारा पिछले पांच वर्ष में कितनी कितनी धनराशि ऋण अथवा अनुदान के रूप में किस किस कार्य के लिये और कब कब दी गई ? कृपया संबन्धित सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) क्या सरकार की तरफ से दी जाने वाली धनराशि का उपयोग उसी काम के लिये किया गया, जिसके लिये कि उसे दी गई थी ?

(३) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? क्या इस प्रकार की अनियमितताओं पर ऑडिट ने एतराज उठाया है ?

(४) यदि हाँ, तो इस प्रकार से पाई गई अनियमिताओं के कारण सम्बन्धित व्यक्तियों के खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

१—सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

२—जी हां।

३—प्रश्न नहीं उठता।

४—ऑडिट की सन १९६१-६२ तक की आपत्तियों की अनुपालना रिपोर्ट पालिका द्वारा भिजवा दी गई है।

———

MUNICIPAL BOARD, JALORE,

Statement of Grants-in-Aid from 1958—59,

S.No.	Reference of Govt. Sanction.	Purpose of Grant.	Amount of Grant.	Date of Drawal.	Amount of Municipal Contribution	Total.	Remarks.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	F. 2 (103) PWA/58 dated 3-2-50.	Road	3,500/-	19-3-59	5,250/-	4,500/-	Amount utilised for Roads.
2	F. 2 (132) PWA/59 dated 12-9-59.	Road	5,000/-	24-12-60	7,500/-	12,500/-	Utilised in 59-60, 60-61, 62-63, for Roads.
3	F. 2 (132) PW/59 dated 5-2-60.	Road	7,560/-	8-3-60	11,250/-	18,750/-	Utilised for Roads in 62-63.
4	F. 2 (116) PW/60 dated 14-11-60.	Road	7,500/-	7-1-61	11,250/-	18,750/-	Utilised for Roads in 62-63.
5	F. 2 (72) PW/60 dated 9-1-61.	Road	15,000/-	9-2-61	22,500/-	37,500/-	Utilised for Roads in 62-63.
6	F. 7 (16) LSG/57 dated 23-12-59.	Purchase of Hand Carts and Wheel Barrows.	5,000/-	3-3-60	5,000/-	10,000/-	

(Contd.)

1	2	3	4	5	6	7	8
7	H. H. Mesty/23/J Jalore/59-60/14882-82	Road Light	5,625/-	31-3-60	5,625/-	11,250/-	Utilised in 1961-62.
8	H.H,/Sct/Rec/159-60 dated 26-3-60.	18 houses of scheduled castes at Jalore.	13,500/-	3-4-60	x	13,500/-	Paid to Harijans in 1961-62.
9	F, 10 (13) PW/61 dated 29-3-62.	Road	10,992/-	31-3-62	x		Constructions of Roads has been done.
10	F. 10 (21) PW/61 dated 29-3-62.	Road	8,000/-	11-3-62	x	8,000/-	do
11.	F. 14 (15) LSG/62 dated 18-3-62.	Dev. Work.	4,000/-	7-4-62	NIL	4,000/-	Construction of Work has been done.
12.	No. F. 14 (2) LSG/ 63/8518-76 dated 23-3-63.	Purchases of Wheel Batrows & other applinces for removing Night Soil.	5,000/-	30-4-63	NIL	5,000/-	The amount shall be utilised according to the instructions of D. L. B. Jaipur.
13.	F. Dev/A-11(70)62-63/16217-323 dated 26-3-63.	do	5,000/-	—	—	5,000/-	do

Sd/- Ugamsee Modi
Chairman,
Mnnicipal Board, Jalore.

MUNICIPAL BOARD, JALORE

Statement of Loans Sectioned from 1959—60.

S. No.	Particulars of Loan.	Purcase of Loan.	Amount of Loan.	Date of receipt.	How utilised.
1	2	3	4	5	6
1	Sanctioned under No. 16-300/ F. 7 (102) LSG/58 Jaipur 18-2-59.	To meet amargecy of water searcity.	Rs. 25,000/-	19-3-59	Amount utilised in the year 1959-60.
2	Sanctioned under No. 2754/ F. 763 (21) LSG/59 dated 30-3-59.	Construction of Town Hall.	Rs. 25,000/-	31-3-59	Building constructed to the extent of loan.
3	Sanctioned A. G. Authority No. D D 1/61(161) 16374 P/March 60.	do	Rs. 25,000/-	31-3-59	
4	Sanctioned under No. KV-R/F. 12 (4) 58-59/5484 Dated 31-3-59.	Construction of flying centre.	Rs. 3,720/-	10-6-59	Constructed.

(Contd.)

1	2	3	4	5	6
5	Sanctioned under No. 7428/ F. 7 (67) L. 58/59 dated July, 58-59,	Purchase of generating sets (emergency water supply).	Rs. 32,000/-	30-7-59	Generating sets purchased & electric Pumping set & Pipeline purchased fot water supply.
6	Sanctioned under D. 2275 F. 10 (e) (6) LSG/8/59 Dated 28-3-60 Asstt. Secy. to the LSG/1.6. authority No. D. D. 1/65886 A(171) Dt. March, 1960.	Construction of Roads.	Rs. 20,000/-	31-3-63	Roads constructed.
7	Sanctioned under D.3791/ F. 13 (6) LSG/60 Dated 26-8-60 Asstt. Secy. LSG Jaipur A. G. authority No. D. 01/777871 D/23-2-60.	Extension of Road Electricity.	Rs. 20,000/-	1-3-60	Amount spent for extension of road light.
8	D/1976/60/F. 23 (13) Agr 1/58 Dt. 3-3-60. A. G. authority No. D. D. 3191/ Compost/58-60/5857 dated 12-3-60.	For purchase of Tractcr & Trollies under Transportation of Compost Scheme. 59-60.	Rs. 10,000/-	24-3-60	Tractor Purchased.

Sd/- Ugamsee Modi
Chairman,
Munfcipai Board, Jaipur.

शुद्धि-पत्र

(बुधवार, दिनांक २८ अगस्त, १९६३)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
२	६	अगर नहीं	अगर नहीं
,,	अंतिम से २	संध को	संघ को
३	१३	(वैर)	(वैर)
६	१७	उतर (६)	उत्तर (६)
८	१४	श्री बरक्तुल्लाखां	बरकतुल्लाखां
६	६	नहीं है	नहीं है ।
,,	६	असुविधाओं	असुविधाओं
११	५	फनहनगर	फतहनगर
१५	२	ट्रान्सपोटेशन	ट्रान्सपोर्टेशन
१७	१६	घोडे	घोड़े
,,	अंतिम से ३	श्री मुकुटबिहारी गोयल	श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल
,,	अंतिम	में	में
२१ व २२	क्रमशः १७, १० व १५	श्री मुकटबिहारीलाल गोयल	श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल
२२	६	संस्था	संख्या
,,	१३	हों	हों
,,	अंतिम	तालुक	ताल्लुक
२३	शीर्षक	प्रश्नोतर	प्रश्नोत्तर
,,	१०	श्री मुकटबिहारीलाल गोयल	श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल
२४-२५	शीर्षक	प्रश्नोत्तर	प्रश्नोत्तर
२४	अंतिम से ५	दिक्कत	दिक्कत
२६-२८ व ३१-३२	शीर्षक	तारांकीत प्रश्नोत्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर

१	२	३	४
२६	१६	(श्री बालकृष्ण कोल)	(श्री बालकृष्ण कौल)
२६-३०	शीर्षक	तारांकित प्रश्नोत्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर
,,	,,	- २८ थगस्त ६३ -	- २८ अगस्त, ६३-
२६	शीर्ष	(श्री लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)	(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)
३०	१८	प्रप्रोजल	प्रयोजल
३३ से ३८ व ४१ से ६५	शीर्षक	तारांकित प्रश्नोत्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर
३६	२०	incoudistency	inconsistancy है ।
४०	११	order pleasel	Order please !
४२	१२	(श्री बरक्तुल्ला खां)	(श्री बरकतुल्ला खां)
४३-४४	क्रमशः२०,२, ७, १६ व अंतिम	श्री बरकत्तुल्लाखां	श्री बरकतुल्लाखां
४६	१	जोढ़ना ।	जोड़ना ।
५२	१६	नहीं	नहीं
५५	२	दोगों	दोनों
,,	अंतिम से ४	श्री श्रवणलाल	श्री श्रवणलाल
५७	५ व १२	असें	अर्से
५६	अंतिम	खचें	खर्चे
६३	११	Ilaggage	luggage
,,	अंतिम से ३	vehiles	vehicles
६४	२	jaipur	Jaipur
,,	२१	श्री हृरिशचन्द्रः	श्री हरिश्चन्द्रः
,,	२४	श्री सतीश्चन्द्र अग्रवाल	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
६७	३	अनुमती है	अनुमति है

१	२	३	४
६६–७०	शीर्षक	–अगस्त, ६३	–२८ अगस्त, ६३–
७१	२३	वताया है।	बताया है।
७२	शीर्षक	विषय के अविश्वास प्रस्ताव	अविश्वास प्रस्ताव
७३	,,	मन्त्रि मण्डल के प्रति	मन्त्रि-मण्डल के प्रति
७४	,,	पर वाद-विवद	पर वाद-विवाद
७८	१६	नहीं कहवा	नहीं कहला
८३	शीर्षक	मन्त्रि-मण्डल	मन्त्रि-मण्डल
८६	१७	करने	करके
८८	अंतिम से ३	इन्डिपैन्डेट्स	इन्डिपेन्डेन्ट्स
६०	,, ,, ४	मनबूर होकर	मजबूर होकर
६७	,, ,, ६	पहूंच	पहुंच
,,	,, ,, ४	करायें तो	करायें तो
१०२	७	पाकों में	पार्कों में
१०३	६	इसलिये ने	इसलिये वे
१०४	शीर्षक	के प्रस्तावों पर वाद-विवाद	प्रस्तावों पर वाद-विवाद
,,	२५	उन्हेंने	उन्होंने
१०६	१२	र्थी।	थीं।
१०७	१६–२०	इरिगेशन	इर्रिगेशन
,,	अंतिम से ४	नहीं लिया है	नहीं लिया है
११३	शीर्ष	(श्री माथूराम मिर्धा)	(श्री नाथूराम मिर्धा)
,,	२३	थिकर	थिन्कर
११६	४	अस्याचार	अत्याचार
,,	६	चिटिठियें	चिट्ठियें
,,	११	गावो	गांवों
१२१	शीर्ष	(श्री नाथूराभ मिर्धा)	(श्री नाथूराम मिर्धा)

१	२	३	४
१२३	,,	(श्री नाथूराम मिर्धा)	(श्री नाथूराम मिर्धा)
,,	२०	कमजोरो	कमजोरी
१२६	१	नानये	बनाये
,,	१७	कि ? सहकारिता	कि सहकारिता
१२८	१५	**श्री नाथुराम मिर्धा :**	**श्री नाथूराम मिर्धा :**
१३०	१४	सुन्दर लगत	सुन्दर लगता
१३७	२२	the eases	the cases
१४०	३	policis	policies
१४२	२५ व २६	bride	bribe
,,	अन्तिम से ४	Hod'ble	Hon'ble
१५१-१५२	क्रमशः५,११	**श्री मुकटबिहारीलाल गोयल :**	**श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल:**
१५३	२३	खडे हाकर	खड़े होकर
१५७	२	महोदय	महोदय
,,	अंतिम से २	**श्री मुकटबिहारीलाल गोयल :**	**श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल:**
१५८	४६	३८ परसेंट	३८ परसेंट
,,	अंतिम से ५	पर्सेंट	परसेंट
१५६	शीर्षक	मन्त्रि मण्डल	मन्त्रि-मण्डल
१६०	,,	पर वाद-विवद	पर वाद-विवाद
,,	२१	६५ ? वर्ष के	६५ वर्ष के
,,	अंतिम	लें	लें
१६१	१४	(शोरगु-ा)	(शोरगुल)
१६२	११	'शब्दों	शब्दों
१६७	४	बह जमाना	वह जमाना
१७०	४	श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (बोलने के लिये खड़े हुए)	(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा बोलने के लिये खड़े हुए)

१	२	३	४
१७०	अंतिम	मुा -ा । ।	मुसीबत
१७१-१७८	शीर्षक	-अगस्त, ६१	- २८ अगस्त, ६३ -
१७१	अंतिम	सम्बन्ध	सम्बन्ध
१७३	१३	(बैर)	(वैर)
,,	२०	श्री मोहृनलाल मुखाड़िया	श्री मोहनलाल सुखाड़िया
१७६	१ व ११	इन्डस्टीज	- इन्डस्ट्रीज़
१८१	शीर्षक	मन्त्रि-मयडल	मन्त्रि-मण्डल
,,	६	इन्डस्ट्रीज़	इन्डस्ट्रीज़
,,	२६	इन्डूस्ट्रीज़	इन्डस्ट्रीज़
१६१	८	हमं	हमें
१६३	१८	ड्यूटी	ड्यूटी
१६८	१५ व १६	इकटठा	इकट्ठा
२००	२१	नही हैं ।	नहीं है ।
२०१	२०	विश्धास	विश्वास
२०६	६	जमीग के	जमीन के
,,	२३	हिज़ हइनेस	हिज़ हाइनेस
२०७	१५	पुरान	पुराने
२११	८	परिवतन	परिवर्तन
२१५	६	slage	stage
,,	१३-१४	exeept	except
२१८	८	आपतिंयों	आपत्तियों
,,	२०	पार्टियों	पार्टियों
२१६-२२०	क्रमशः १५ व ६	नहीं	महीं
२१६	अंतिम से ४	पार्टी	पार्टी
२२१	१२ व १३	,,	,,

१	२	३	४
२२३	अंतिम से ४	न	ने
२३१	११	पार्टी	पार्टी
२३४	५	समम्ध	सम्बन्ध
२३६	१५	महाराबल श्री लक्ष्मणसिंह	महारावल श्री लक्ष्मणसिंह
,,	अंतिम से ६	श्री बरकत्त ुल्लाखां	श्री बरकतुल्लाखां
२३८	२२	हम देखें	हम देखें
२३९	शीर्षक	मन्त्रि मण्डल	मन्त्रि-मण्डल
२४६, २४८ व २५०	क्रमशः १४, २८, ५व२४	श्री मुकटबिहारीलाल गोयल:	श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल
२४८	अंतिम से ६	(मतदान मे पश्चात्)	(मतदान के पश्चात्)
२५०	१०	श्री कानाभाई नुवाल	—
,,	१२	श्री केसरीसिंइ (पाली)	श्री केसरीसिंह (पाली)
,,	२३	श्री मूलचम्द चौधरी	श्री मूलचन्द चौधरी
२५१	३	श्री सतीशकुभार शर्मा	श्री सतीशकुमार शर्मा
२५३	अंतिम से ७	श्री रामप्रसाद लड्ढा	श्री रामप्रसाद लड्ढा
२५५, २५६ व २५७	क्रमशः २८,३ १ व १२	श्री मुकटबिहारीलाल गोयल	श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल
२५८	अंतिम से ६	श्री भैरोसिंह	श्री भैरोंसिंह
२६०	८	श्री मुकटबिहारीलाल गोयल	श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल
२७०	अंतिम से २	Ranka Traasport,	Ranka Transport
२७६	१८	eost	cost
२७७	७	draughtsman	draftsman
२८०	५, कॉलम ३	श्री लक्ष्मीचन्द शर्मा,	श्री लक्ष्मीचन्द शर्मा,
२८६	३-आइटम १	Referenee of Govt.	Reference of Govt.
२८७	अंतिम	Mnnicipal Board	Municipal Board

१	२	३	४
२८८	२	Sectioned	Sanctioned
२८६	३-कॉलम ६	fot water	for water
,,	अ ंतिम	Munfcipai Board	Municipal Board